राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–7 नवीं विधान सभा के सातवें सत्र का छठा दिवस संख्या–4

सोमवार

21 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

वन्य जीवों की शिकार के दर्ज प्रकरण

73. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माह जून, 1992 में पुलिस थाना सवाईमाधोपुर में वन्य जीवों की अवैध शिकार के सम्बन्ध में कोई एफ. आई. आर. दर्ज हुई थी? यदि हां, तो इसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एफ. आई. आर. की जांच के दौरान कितने लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनसे बाघों व अन्य जानवरों की खालें बरामद की गयी एवं इन लोगों द्वारा कितने बाघों का व अन्य जानवरों का शिकार करना कबूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) माह जून, 1992 में पुलिस थाना, सवाई माधोपुर में वन्य जीवों की अवैध शिकार के सम्बन्ध में दो मुकदमे पंजीबद्ध हुए हैं। एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त अभियोगों में कुल सात अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिनसे दौराने अन्वेषण एक बाघ व एक पेंथर की खाल बरामद की गयी। एक बाघ को मारना स्वीकार किया व अभियुक्त फून्दीलाल के द्वारा एक पेंथर की खाल खरीदना स्वीकार किया गया है। अपराधों का अन्वेषण जारी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह वन्य जीवों के शिकार के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा जो तफतीश की गयी है, इस समय जो मुख्य सरगना हैं उन लोगों को बचाया गया है और नार्मल व्यक्ति हैं उन सात आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बताया है जबकि तफतीश के दौरान 29 शेरों का शिकार करना मंजूर किया गया हैं। 250 सांभर हैं, 250 चीतल हैं और दस-बीस सूअर हैं। पूरा जो प्रोजेक्ट है वह खाली हो चुका है। इसमें तेजवीरसिंह जी, जो वन विभाग के डायरेक्टर थे उनकी शह से यह सारा कार्य किया गया है। जब वहां के जानवर मर चुके उसके बाद में वहां से उनको स्थानान्तरित कर दिया गया। इस समय जो हमें यह रिपोर्ट दी गयी है,

(श्री चुन्नीलाल)

बिल्कुल निराधार और असत्य है। इसकी कोई उच्चाधिकारी से जांच करवा कर पूरे राज को खुलवाया जाय जिससे सारा मामला सदन के सामने आ सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत। अब यह सवाल तो कुछ है ही नहीं। यह तो राय दी है उन्होंने अपनी। श्री राजेन्द्र गहलोत।.... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, आप विराजिये अभी। आप बैठिये। सब मेरे ध्यान में है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि क्या इसकी जांच बदल कर किसी और को दी गयी है? जांच दी गयी है ऐसे अधिकारी को दी गयी है जो इसमें प्रभावहीन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलालजी।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री साहब से पूछना चाहूंगा, आपने दो एफ. आई. आर. दर्ज करना बताया है और सात मुलजिमों को पकड़ना बताया है। इनके अलावा, मैं पूछना चाहूंगा, मुलजिमान के रूप में संसार चन्द बिहारा, पप्पू बिहारा, मोती बिहारा, सदर बाजार, दल मंदिर 11, नयी दिल्ली, राजमल कंजर, फिरोजाबाद, यूपी, जमाल मियां, निवाई, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अहमद हैं। क्या प्रश्न को टच किया है? यदि इस प्रश्न को छुआ है तो क्या इनकी बरामदगी की बात हुई है? वह बातें हम आपसे सदन में जानना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि स्थानीय पुलिस से सी. आई. डी. को जो केस बदला गया है उसके क्या कारण रहे हैं? दूसरा अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी बताया, अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया है कि एक टाइगर मारा है और एक बघेरे की खाल मिली है। तो क्या अभियुक्तों ने यह बताया कि उन्होंने किस प्रकार से इन बाघों को मारा है? एक, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा, 1991 की सैंसस में कितने टाइगर इस प्रोजेक्ट में थे और 1992 की सैंसस में कितने टाइगर अब इस प्रोजेक्ट में हैं? यह जरा मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : यह होम मिनिस्टर कैसे बतायेंगे?

श्री जुबेर खान : सब मिले जुले होम मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो बता दें अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ रहे हैं होम मिनिस्टर का और वन विभाग का पूछ रहे हैं। इनको क्या पता कितने वहां हैं। हैं। आप विराजिये।

श्री जुबेर खान : अभियुक्तों ने क्या जवाब दिया, यह तो इनके पास है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप जरा सवाल के रेलेवेन्स देखिये। आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, यह जो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अभियोग दर्ज हुए हैं, क्या यह सही है, इस जांच के दौरान यह सारी खालें वगैरह बरामद हो गयीं ? क्या यह भी सही है कि अभियुक्त पकड़े गये उन्होंने सारा कहां पर माल बिका है. 27 शेरों की खालें मिली हैं, उसके बाद बम्बई भी इन्वेस्टीगेशन पार्टी गयी है, यह सारे अपराधी पकड़ने के बाद छोड़ने के क्या कारण हैं और केवल सात मुलजिमों को आइडेन्टीफाई किया है बाकी को छोड़ कर आप करना क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये । हरिसिंहजी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आज साफा बदल लिया आपने ।

अनेक माननीय सदस्य : स्टाइल बदली है, स्टाइल ।

श्री हरिसिंह : कि स्थानीय अपराधी इसमें कितने हैं और स्थानीय अपराधियों ने जिन बाघों को या पेंथर्स को या और दूसरे जानवरों को वहां मारा है उनकी खालें किन-किन को, कहां-कहां बेची है ? नम्बर एक । नम्बर दो, आप अगर मेहरबानी करें इस सदन के ऊपर और पूरे राजस्थान के ऊपर और वन्य जीवों के ऊपर तो जो शुरू में 161 के बयान हैं अपराधियों के, कृपया उनको पढ़वा दें । जो शुरू में उन्होंने थानेदार को दिये और एस. पी. को डायरेक्शन में, देखरेख में इस पूरे मामले की तफ्तीश हुई है । वन विभाग और गृह मंत्रीजी, दोनों मिलकर पूरे प्रकरण को, अध्यक्ष महोदय, हुश अप करना चाह रहे हैं । 24 बाघ मरे हैं, यह रिपोर्ट है । अपराधियों ने यह कबूल किया है कि 500 लोमड़ी की खालें कश्मीर भेजीं, 500 चीतल की खालें कश्मीर भेजी गयी हैं । अपराधियों ने यह स्वीकार किया है कि 100 पाटा गो की खालें कलकत्ता भेजी गयी हैं । उनकी हड्डियां तक भेजी गयी हैं । सूअर कितना मरा है, उसका कोई अता-पता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मेरे इन दो-तीन प्रश्नों का जवाब आप दिलवा दें । और आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन की एक टास्क फोर्स कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच के लिये भेजी जाय । पूरे मामले को सी. आई. डी. को दे करके हुश अप किया जा रहा है, वन विभाग इस पर लीपापोती कर रहा है । वन मंत्री, अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर गये और सवाई-माधोपुर में उन्होंने पुलिस वालों को लताड़ दी, इवन वहां के एस. पी. को बेआबरू किया कि सब यह असत्य बयान दिलवाये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब प्रद्युम्नसिंहजी पूछ रहे हैं सवाल ।

श्री हरिसिंह : इनमें कोई तो सही होगा ।

श्री अध्यक्ष : अब आप दस सवाल लेते नहीं हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

प्रश्न के बारे में जैसा आपने कहा कि आप फारेस्ट के बारे में प्रश्न न करें, सरकार की जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है, नम्बर एक। नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री वन मंत्री का जवाब बिना अधिकार और बिना जानकारी के दे सकते हैं? सवाल उनके कन्सर्न का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो इस बारे में चर्चा की बात कर रहे हैं? मेरे पास काल अटेन्शन आये हुए हैं, तो मैं लगा दूंगा काल अटेन्शन। चलिये, आगे चलिये, फिर काल अटेन्शन लगा दूंगा। ...(व्यवधान) मैं काल अटेन्शन लगा दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मेरा निवेदन सुन लें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : फिर आप डबल-डबल....

श्री प्रद्युम्न सिंह : I will take only two minutes Sir. You are very generous I will take only two minutes Sir.

श्री अध्यक्ष : फिर यह सवाल यहीं समाप्त हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि सारे हिन्दुस्तान के अखबार इससे रंगे हुए हैं।

अनेक माननीय सदस्य : सारी दुनिया के।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारे देश के अन्दर राजस्थान सरकार की बदनामी हुई है इस मामले से। आपका फोरेस्ट डिपार्टमेंट, आपका पुलिस डिपार्टमेंट मिल करके कुछ लोगों को बचाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, सारा मुद्दा यही है। अब आप कह दें साहब, इस आड़ के अन्दर मंत्री महोदय इस क्वेश्चन... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान सरकार को सुओ मोटो इस पर एक्शन लेकर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। गृहमंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो इस पर कब रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय? कब रखेंगे इसके ऊपर, अध्यक्ष महोदय, आप?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। पहले आप इनको सुन तो लीजिये। आप सारी बात कह रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह उसमें आ जायेगा सब।

श्री अध्यक्ष : आपका दसवां सवाल है, दसवां सवाल है, आयेगा नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : इतने जीवों की हत्या हो गयी और हमारे प्रश्न को दसवां नम्बर दे दिया।

गृह मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह तो सीधा सम्बन्ध इस सवाल का मुझसे नहीं है पर दिनांक

(श्री दिग्विजयसिंह)

26-6-92 को पुलिस अधीक्षक, सवाई-माधोपुर द्वारा सवाईमाधोपुर बाघ परियो-जना में अवैध रूप से हो रहे बाघों और शेरों की शिकार की रोकथाम के लिये नाकाबन्दी के दौरान गोपाल मोग्या पुत्र बजरंग लाल, निवासी ओलवाड़ा, थाना मलारना डूंगर का होना बताया, दूसरा व्यक्ति जिसके पास एक प्लास्टिक का कट्टा था उसने अपना नाम गुलाम हुसैन उर्फ मुनीम, निवाई बताया है जिसको वहां पर गिरफ्तार किया। उसके बाद, अध्यक्ष महो-दय, जो अन्य मुलजिम गिरफ्तार किये गये इसके सम्बन्ध में, उनके नाम हीराचन्द, गोपाल, शंकर, मदन भोपा, बाबू गुजर हैं। उनको, दिनांक 15-7-92 को मोहम्मद नफीज निवासी फतेहपुर को रेलवे कालोनी, सवाईमाधोपुर में मय शेर की हड्डियों के गिरफ्तार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहां पर जो बात कही गयी है कि कोई 20-22 शेरों का शिकार हुआ है 89 से 1991 के बीच में, यह तथ्य सही नहीं है। उन्होंने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है अपने बयानों में कि हम यह काम गत 10-15 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और 89-90 के बीच में केवल एक शेर और एक पेंथर बघेरे की खाल उन्होंने जब्त की है। उसके बाद में जब यह प्रकरण अख-बारों में और उसके बाद में जब यह प्रकरण अखबारों में और उसके माध्यम से आया तो राज्य सरकार ने इसको बहुत ही गम्भीरता से लिया और उसकी जांच कोई सी. आई. डी. को ट्रान्सफर कर दी हो, ऐसी बात नहीं है। विशेष जांच के लिए राजस्व सचिव को नियुक्त किया है और एक हायर रेंक के डी. आई. जी. को नियुक्त किया है ताकि वह इसकी सारी जांच करके राज्य को नियुक्त किया है ताकि वह इसकी सारी जांच करके राज्य को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करायेंगे और सेन्चुरी की जो सेंक्टिटी है, सेन्चुरी का आज दुनिया भर में जो नाम है, जो ट्यूरिस्ट की वजह से हो रहा है उसका जो गलत रिफ्लेक्शन पड़ा है, वह सब साफ हो सके और इन मुद्दों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो अन्वेषण चल रहा है उससे हमको बहुत कुछ स्थिति के स्पष्ट होने की आशा है और यह बिल्कुल साफ है कि इसके दौरान एक शेर और केवल एक पेंथर की खाल ही बरामद हुई है और उनकी हड्डियां पकड़ी गयीं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बहस करेंगे कि नहीं। इस पर डिटेल में बहस करेंगे ना ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : हां, तो फिर मैं लगा रहा हूं। अभी तो इनका जवाब आ गया, बैठिये ना।

नेक्स्ट, श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

तृतीय भाषा के विषय

74. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 1991-92 एवं 1992-93 में किस-किस स्रोत से उर्दू, पंजाबी और गुजराती विषय खोलने के आवेदन प्राप्त हुये हैं ?

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

(2) उक्त अवधि में किस-किस शाला में उक्त में से तृतीय भाषा की शिक्षा प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तृतीय भाषा की शिक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय के उक्त दिशा निर्देश के अनुसार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त विषय खोलने में सक्षम हैं ? यदि हां, तो उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जो । (स्थगित) इसी सत्र में इनका जवाब आ जाये ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : शुरू में लगना चाहिये । दस तो सवाल दिये और उसमें एक लगा मुश्किल से और जान बूझकर ...

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में आ जायेगा । श्री मदन दिलावर । (व्यवधान) ...

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्रीय मामला है । अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट वहां गयी है... अध्यक्ष महोदय, 26-6-92 को तो केस दर्ज हुआ उसके ठीक 5 दिन बाद में गांव में पांच जीप दिल्ली से आयी और....

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं.... (व्यवधान) अंकित मत करिये ।

श्री मोतीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप सवाल का जवाब सुनिए ।

श्री मोतीलाल मीणा : × × ×

श्री हरिसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : सवाल का जवाब सुनिये । अब आप फिर वही बात कर रहे हैं । हो गया सवाल । माननीय मंत्रीजी, हां, बोलिये आप ।

इंजीनियरिंग कालेज, कोटा के प्रधानाचार्य के विरूद्ध शिकायतें

75. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों की प्रति व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त शिकायतों के आधार पर क्या-क्या आरोप सिद्ध हुए ? क्या आरोपों के आधार पर प्रधानाचार्य के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या एक शिकायत पर कोटा सम्भागीय आयुक्त श्री टी. आर. वर्मा द्वारा

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री मदन दिलावर)

भी जांच की गई ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए बतायें कि आरोपों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार दोषी प्रधानाचार्य के खिलाफ़ कार्यवाही करने का मानस रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. रतनलाल जाट) : (1) इंजीनियरिंग कालेज, कोटा के प्रिंसीपल के विरुद्ध अब तक 2 शिकायतें प्राप्त हुई । शिकायतों की प्रति एवं सम्भागीय आयुक्त का जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया गया ।

(2) इंजीनियरिंग कालेज, कोटा सोसायटी के अध्यक्ष संमुख शिकायतें एवं जांच प्रतिवेदन रखे गये थे । प्रिंसीपल से जांच प्रतिवेदन के आधार पर सम्पूर्ण जानकारी चाही गयी थी, जो प्राप्त हो गई है । इस समस्त प्रकरण को आगामी होने वाली बोर्ड आफ गवर्नर्स की मीटिंग दिनांक 12-10-92 में रखा जाकर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

(3) जी हां । प्रश्न के भाग 1 व 2 के उत्तर का अवलोकन करें ।

(4) कालेज सोसायटी के बोर्ड आफ गवर्नर्स के निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भागीय आयुक्त द्वारा जो जांच की गई है उस आधार पर किस-किस बिन्दु पर इस प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया, यह स्पष्ट करें मंत्री महोदय ।

डा. रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, कोटा प्रिंसीपल जो वहां मई, 90 से कार्यरत है, उसके विरुद्ध दो शिकायतें, श्री अभय गुप्ता, छात्र संघ महासचिव और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिनांक 11-9-92 को प्राप्त हुई थी । माननीय सदस्य ने जिन बिंदुओं पर जांच के बारे में कहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहला बिन्दु कालेज में अशैक्षणिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं होने के सम्बन्ध में है । दूसरा, कालेज में प्रधानाचार्य की शह पर जबरदस्ती नकल करने के सम्बन्ध में है । तीसरा, कालेज में दो वर्ष पहले जो नये विभाग खोले गये थे उनमें दाखिल किये गये छात्रों के लिए सलेबस निर्धारित नहीं करने बाबत व उनकी परीक्षायें नहीं करने के सम्बन्ध में है । चौथा, माह अप्रेल में कुछ व्यक्तियों की दैनिक वेतन पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है । पांचवा, इन्जीनियरिंग कालेज परिसर में वर्कशाप और कैंटीन के पास शेडों का ठेका, बिना टेण्डर आमन्त्रित किये जाने के सम्बन्ध में है । छठा, कालेज के गेस्ट हाउस के लिए फर्नीचर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में है । सातवां, आडिट पार्टी के कालेज द्वारा तथ्य छिपाये जाने, नियुक्ति एवं विभिन्न मदों पर हुए लेखे जोखे के लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में है । आठवां, सोलर हीटर खरीदने के सम्बन्ध में है । नवां, प्राचार्य द्वारा नयी कार खरीदने के सम्बन्ध

(डा. रतनलाल जाट)

में है। दसवां, कालेज में वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपये की हेरा-फेरी किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवां, प्राचार्य द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : नहीं आप पूछ रहे हैं, इनमें से कोई दोषी पाया गया क्या ? रिपोर्ट आ गई आपके पास।

श्री मदन दिलावर : मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि इनमें से दोषी किस-किस बिंदु पर पाया गया है।

श्री अध्यक्ष : हां, वही यह पूछ रहे हैं। इनमें से...

डा. रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, इन बिंदुओं पर टी. आर. वर्मा जो वहां के कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा दी थी 17-9-92 को और उसके बाद इस पर अगली बैठक बोर्ड आफ गवर्नर्स की होने वाली है 12-10-92 को, उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और कोई दोषी व्यक्ति होगा, उसको बख्शा नहीं जायेगा। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप दोनों क्यों खड़े हो गये ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं दोषी पाया गया बिंदु पूछ रहा हूं, मैं, कार्यवाही की जायेगी यह नहीं पूछ रहा हूं। किन-किन बिन्दुओं पर दोषी पाया गया है, कहां-कहां भ्रष्टाचार हुआ है....

श्री अध्यक्ष : देखी नहीं है मंत्रीजी ने। मंत्रीजी ने देखी नहीं है वह रिपोर्ट अभी तो रखेंगे बोर्ड में, तब देखेंगे।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट नहीं है।

श्री मदन दिलावर : लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। चार शेडों का निर्माण करा कर उनके रिश्तेदारों को लाखों रुपये का लाभ पहुंचा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जांच प्रतिवेदन है यहां पर....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पूरे इन्जीनियरिंग कालेज, कोटा को बिगाड़ कर रख दिया है और सारा हाल खराब कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपके कमिश्नर कोटा डिवीजन का....यह कोई जांच प्रतिवेदन है....(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की भर्ती आउट आफ वे जाकर की है...(व्यवधान) भर्ती की कोई परमीशन इन्होंने नहीं ली है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब बिराजिये आप। अब आप बैठिये, एक मिनट। इसमें आपको जो कागज दिये हैं इसमें यह जांच प्रतिवेदन की कापी है। पढ़ लेना आप।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है। मैं सदन के सामने यह लाना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : फिर आप उनको क्या पूछ रहे हैं पढ़ ली है तो।

श्री मदन दिलावर : कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार अमुक व्यक्ति ने किया है और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ना।

श्री मदन दिलावर : मैं यह कह रहा हूं कि कितने वेतन भोगी कर्मचारी बिना स्वीकृति के रखे जिनकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, क्या चार शेडों का निर्माण बिना प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति और जो उसके अधिकार क्षेत्रों में नहीं था और वह करवाया गया और कितने रुपयों का गोलमाल किया गया ? क्या वह पूर्ण हो गया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। हां, मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी जवाब दे दें। देखिये प्रश्नकर्ता को सन्तुष्ट होने दीजिए।

डा. रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डेली वेजेज पर व्यक्तियों को रखने बाबत जो प्रश्न पूछा है, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अप्रेल 91 में प्रिंसीपल के द्वारा डेली वेजेज पर कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी। इस विषय पर प्रिंसीपल को निर्देश दिया गया है कि जो भी वेतनभोगी कर्मचारी उन्होंने रखे हैं, वह रुटीन के कार्य पर नहीं रखकर और विशेष कार्य हेतु ही वह रखें। इस बारे में उनको पाबन्द किया गया है और साथ ही प्रिंसीपल को यह भी निर्देश दिया गया है कि इसकी त्रैमासिक रिपोर्ट वह चेयरमैन, टैक्नीकल एजूकेशन को हर तीन महीने में भिजवाया करेगा और उसके आधार पर सूचना प्राप्त होती रहेगी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि टी. आर. वर्मा जी ने किस पर दोषी पाया है, यही मैं पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं यह कार्यवाही कर दी जायेगी, 11 ही पाइण्टों पर उनको दोषी पाया गया है।

श्री अध्यक्ष : अब रघुवीर सिंह जी पूछ रहे हैं, आप बैठिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, टी. आर. वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में 3 लाख 60 हजार रुपये के शेड निर्माण को अनियमित बताया है और अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा का हूं इसलिए + + + के मारे मेरा सिर झुकता है कि आज इन्जीनियरिंग कालेज + + + बन गया है। एल. डी. सीज. के अपाइण्टमैंट 20-20 हजार रुपये लेकर किये हैं और अपाइण्टमैंट में भ्रष्टाचार है। सारे अध्यापक और सारे छात्रों में असन्तोष है। कहीं वहां के इन्जीनियरिंग कालेज से निकले हुए विद्यार्थियों के लिए यह न हो जाये कि यह कोटा कालेज का है इसलिए इसे नौकरी न मिले। एक प्रिंसीपल ने मनमानी कर रखी है और यह भ्रष्टाचार की रिपोर्ट मौजूद है और इसके बावजूद + + + के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, पेमेन्ट मे जहां रजिस्ट्रार ने आपत्ति लगाई है, फाइनेन्स ऑफिसर ने आपत्ति लगाई है, वहां प्रिन्सीपल आदेश दे रहे हैं कि तीन दिन में पेमेंट कर दिया जाये। इस भ्रष्टाचार की डिटेल

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

में जांच की जाये। सी. आई. डी. से जांच करायी जाये तो लाखों रुपये का गोलमाल इस प्रिन्सीपल ने किया है जो इन्जीनियरिंग कालेज के प्रिंसीपल के नाम पर धब्बा है + + + है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। हां आप पूछिये...(व्यवधान) हां, वह पूछ रहे हैं।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, सम्भागीय आयुक्त ने जांच कर दी है इसमें दुबारा जांच का तो प्रश्न ही नहीं है। अब तो उसको सस्पेण्ड किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा + + +

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री हेमराज मीणा : और + + + है जिसकी जांच बिल्कुल प्रूव हो चुकी है और 9 ही बिंदुओं पर जांच हुई है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कोटा इन्जीनियरिंग कालेज एक सोसाइटी है और यहां पर बोर्ड आफ गवर्नर्स हाइएस्ट बाडी है, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि बोर्ड आफ गवर्नर्स की पिछली मीटिंग कब हुई और बोर्ड आफ गवर्नर्स की मीटिंग कितने अन्तराल से होनी चाहिये और क्या वह जान-बूझकर इन सब कामों पर चर्चा करने के लिये मीटिंग लम्बे समय से नहीं बुलवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोर्ड आफ गवर्नर्स की जो पिछली बैठक थी जिसके आधार पर उसको इन इन शैडस के बारे में अधिकृत किया गया था, 12-3-1983 को पिछली बैठक इसकी हुयी थी। जिसमें उनको इमरजेन्सी पावर्स प्रिंसीपल को इन कामों को करने के लिये दिये गये थे। 1983 में उसको यह अधिकार दिया गया था कि किस आधार पर अपने इन आवश्यक कामों को निपटायें। It is in the emergency the Principal shall have the powers to take action, as he deems fit, he shall, in such cases as soon as it may be therefore report this action to the Chairman.

यह पावर 1983 में उसको सोसायटी की मीटिंग के आधार पर दी गयी थी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेण्डर काल किये गये, यह पावर किसको है।

डा. रतनलाल जाट : माननीय सदस्य ने शैड्स के बारे में कहा है....

श्री हेमराज मीणा : और उन्होंने जमानत राशि किसी प्रकार की जमा नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। नहीं सुनना चाहते मंत्रीजी।

डा. रतनलाल जाट : टीन शैड्स के निर्माण के लिये 13-3-1990 को तत्कालीन चेयरमैन की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी और 90 हजार रुपये तक इन शैड्स पर खर्चने हेतु उनको अधिकृत किया गया था और इसके साथ-साथ प्रिंसीपल को यह कहा गया था कि आर. बी. सी. और पी.

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. रतनलाल जाट)

डब्ल्यू. डी. की तत्कालीन रेट्स है उसके आधार पर इस काम को करायेंगे और उस समय जो पी. डब्ल्यू. डी. की प्रचलित रेट्स थी वह 20 से 23 प्रतिशत अबाव निर्माण कार्य में चल रही थी लेकिन उन्होंने आर. बी. सी. सी. और....

श्री अध्यक्ष : इतना बता दीजिये कि इसमें एक्शन बोर्ड आफ गवर्नर्स लेगा या....

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत प्राप्त हो चुकी है अगली बैठक 12.10 को होने वाली है। बोर्ड आफ गवर्नर्स इसके लिए हाइएस्ट बाडी है....

श्री अध्यक्ष : बोर्ड आफ गवर्नर्स मीटिंग के बाद एक्शन होगा मतलब।

डा. रतनलाल जाट : और इसमें जो निर्णय प्रस्तावित होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पिछली बैठक हुये कितने दिन हो गये यह तो बतायें। 1983 के बाद कोई मीटिंग बोर्ड आफ गवर्नर्स की हुयी क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपके समय में हुयी होगी।....

एक माननीय सदस्य : 13-3-1990 को....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इनके समय को डेढ़ साल हो गया। बोर्ड आफ गवर्नर्स की मीटिंग....

श्री अध्यक्ष : गये साल में हुयी होगी।

डा. चन्द्रभान : जबकि तीन महीने में होनी चाहिये, इनको डेढ़ साल हो गया है।

श्री अध्यक्ष : हां, डेढ़ साल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मीटिंग काल नहीं करने के लिये कौन जिम्मेदार है ? उस सेक्रेटरी को मीटिंग बुलानी चाहिये या नहीं बुलानी चाहिये।....(व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, यह बताये कि मीटिंग नहीं बुलाने के लिये कौन जिम्मेदार है। माननीय मंत्री महोदय यह बताये की मीटिंग को नहीं बुलाने के लिये कौन जिम्मेदार है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई मीटिंग को आगे बढ़ाते हुये, उनको बचाते हुये यह भ्रष्टाचार ही करते रहेंगे इस पर तो....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर : हजारों रुपयों का घोटाला किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अब हो गया।

श्री मदन दिलावर : कोटा की धरती पर इतना बड़ा ...

श्री अध्यक्ष : 12 तारीख को बैठक हो रही है।

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, मीटिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उस मीटिंग के बाद इस बारे में एक.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। बिराजिये। नैक्स्ट।

अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का विकास

76. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) एवं **गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा अजमेर के ऐतिहासिक दुर्ग तारागढ़ के विकास के लिये मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में तारागढ़ विकास मण्डल का गठन किया गया था ?

(2) तारागढ़ के विकास के लिये गठित इस मण्डल को क्या अब समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या तारागढ़ विकास मण्डल को समाप्त करने से इन योजनाओं व पर्यटन विकास में विलम्ब नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो योजनायें अब तक क्यों लम्बित हैं ?

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) :
(1) जी हां।

(2) जी हां, उक्त योजना व्यवहारिक नहीं होने व अर्थाभाव के कारण समाप्त कर दी गई।

(3) जी नहीं। तारागढ़ पर्यटन विकास का केन्द्र बनने की कोई सम्भावना नहीं थी। अतः उस पर व्यय करना उचित नहीं समझा गया। इससे सम्बन्धित कोई योजना अभी तो लम्बित नहीं है।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह तारागढ़ का जो किला है यह बहुत ही प्राचीन दुर्ग है इसका ऊपर का क्षेत्रफल कितना है ? दूसरा, खंड-2 में बताया कि उक्त व्यवहारिक नहीं होने व अर्थाभाव के कारण समाप्त कर दिया गया। इसमें दो बातें हैं। यह व्यवहारिक नहीं है तो क्यों नहीं ? तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि इसमें यह बताया गया है कि विकास केन्द्र बनना सम्भव नहीं तो यह क्यों नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : यह सवाल मुझे ट्रान्सफर हो गया था।....(व्यवधान)... क्या हो गया। इसमें आपको जानकारी चाहिये, किस चीज की चाहिये। जाइंट रेस्पोन्सिबिलिटी की बात करते हो आप।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : आप बार-बार यह भी कहते हो कि जाइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप मानते हो क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1983 में श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी शिवचरणजी माथुर अजमेर गये थे और वहां तय किया कि तारागढ़ को पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जायेगा और निर्देश भी दिये कि इस पर एक बोर्ड का गठन किया जाय और तत्सम्बन्धी नियम बना कर सरकार को भेज दिये जायं। उसकी पालना में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने बोर्ड के गठन का प्रस्ताव और उस सम्बन्धी नियम बना कर सरकार को भेजे और उसके आधार पर 4-4 को बोर्ड का गठन किया गया और यह तय किया गया कि विभिन्न विभागों की मीटिंग लेकर के कौन-कौन विभाग इसमें क्या-क्या काम करेगा, पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन, नगरपालिका, पर्यटन विभाग को, सब को यह ताईद कर दिया कि इतना-इतना काम करेंगे। इसके बाद भी इसकी कोई प्रगति नहीं हुयी। किसी भी डिपार्टमेण्ट ने कोई खर्च नहीं किया और न कोई बजट में प्रोविजन था। यह भी तय किया कि इसके विकास के लिये बड़ौदा बैंक से कर्ज भी लिया जाय या नहीं लिया जाय लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेण्ट ने यह कहा कि कर्जा लिया जाना ठीक नहीं है शायद यह कारण रहा होगा कि इसको लौटायेंगे कैसे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फ़ाइनेंस इकट्ठी नहीं हुयी। नगरपालिका और यू. आई. टी. ने जरूर जो कुछ उन्होंने वायदा किया था उसके आधार पर एक सड़क का निर्माण तो वहां हो गया, बाकी किसी विभाग ने कोई पहल नहीं की और पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। यद्यपि शिवचरणजी माथुर ने वहां पत्थर जरूर लगा कर इसका शिलान्यास किया था उस सड़क पर, पर इसके बाद आगे कोई प्रगति नहीं हुयी और फिर उसके बाद राजनैतिक परिवर्तन हुये और दूसरे मुख्य मंत्री जी आ गये। जब उनके सामने यह विषय आया तो उन्होंने कहा अब कोई मतलब नहीं है. न पैसा है, न कोई इसका विकास किया जा सकता है और यू. आई. टी. को यह कहा गया था कि वहां....

श्री सम्पतसिंह (नगर) : यह क्वेश्चन आवर चल रहा है। दस क्वेश्चन लेने हैं। यह तो पुष्पाजी भी कह सकती थी।.... (व्यवधान).... पहले गाज गिरी कैलाशजी मेघवाल पर और अबकी गाज गिरेगी आप पर।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो अन्त में यह निर्णय किया गया कि इसको समाप्त कर दिया जाय और 12-6-1987 को यह बोर्ड समाप्त हो गया और सारी कार्यवाही समाप्त कर दी गयी और उस समय इस बोर्ड के चेयरमैन ने प्रस्ताव....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जवाब किस बात का दे रहे हैं ? क्या है जवाब।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस बोर्ड के गठन में इसके चेयरमैन मुख्य मंत्रीजी हुआ करते थे। तो शिवचरणजी माथुर रहे जब तक वह रहे फिर जब माननीय हरिदेवजी जोशी आये तो उन्होंने इन्कार कर दिया कि मैं इसका चेयरमैन बनूंगा नहीं और उसके बाद....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप माथुर साहब की आलोचना कर रहे हो या जवाब दे रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल ही नहीं आलोचना का।

श्री हेतराम बेनीवाल : समझ में नहीं आ रहा है।... (व्यवधान)... आप पूर्व मुख्य मंत्रीजी की आलोचना कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप तो एक बात बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्नसिंहजी, आप उनको जवाब तो पूरा करने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : 12-6-87 को यह बोर्ड समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चलिये नेक्स्ट। (व्यवधान)....डिबेट का सवाल नही है। आप बिराजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं पूछा कि माननीय शिवचरणजी थे या जोशीजी थे। आपने यह जवाब दिया कि व्यवहारिक नहीं है। मैंने यही पूछा है कि व्यवहारिक क्यों नहीं है, इसका आपने जवाब दिया नहीं। दूसरा, मेरा यह है कि अजमेर के लिये एक अट्रेक्टिव स्थान है और उसको पर्यटन के हिसाब से यह बताया कि विकास केन्द्र बनाने की....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। आप तो यह बता दीजिये क्यों ड्रोप किया उन्होंने। इसके रीजन्स क्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा : न तो साधन थे और जिस प्रकार जिस जमीन पर....

श्री हेतराम बेनीवाल : अब साधन है क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब पर्यटन विभाग करना चाहता है कि नहीं, यह बता दीजिये। सरकार की नीति क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ठीक है कि अब सरकार क्या सोचती है। मैं पर्यटन मंत्री से निवेदन करूंगा कि एक बार....

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो आप क्या जवाब दे रहे थे। इसको स्थगित कीजिये। यह काहे का जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। निवेदन क्या करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बार दुबारा अध्ययन करके अगर इसकी सम्भावना हो तो इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब दुबारा सरकार इस पर विचार करेगी। नेक्स्ट श्री अमीन खां।

ग्राम पंचायतवार ग्राम सेवकों का पदस्थापन

77. **श्री अमीन खां** (शिव) एवं **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्राम सेवकों के जिलेवार कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम सेवक हैं। यदि नहीं, तो क्या सरकार पंचायत स्तर पर एक ग्राम सेवक रखने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) माननीय अध्यक्षजी, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

(2) जी नहीं। सरकार का एक पंचायत पर एक ग्राम सेवक रखने का विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमीन खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह जवाब पढ़ें तो यह मालूम होगा कि 547 ग्राम सेवकों के पद जहां स्वीकृत नहीं है उन जिलों में तैनात करके रखे हैं और 208 पद 10 जिलों में स्वीकृत शुदा भी नहीं भरे हैं। इस प्रकार देखें–बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा रिक्त पद रखे हैं 48 बीकानेर में 15 रिक्त पद रखे हैं, चूरू में रखे हैं 11, डूंगरपुर में रखें हैं 21, जैसलमेर में रखे हैं 40, जोधपुर में रखे हैं 26, नागौर में रखें हैं 23, और भरतपुर एक ऐसा जिला है जिसमें 104 ग्राम सेवक के पद बिना स्वीकृति के रखे भी गये हैं। 56 चित्तौड़गढ़ में रखे गये हैं, 72 अलवर में रखे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार इस तरह से एक तो प्रति पंचायत एक ग्राम सेवक जो होना चाहिए वह नहीं रखती है उसके बिना काम नहीं चलता है। पहले तो पंचायतें बढ़ायी गयीं हैं पंचायत वाइज ग्राम सेवक रख नहीं सकते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, सरकार जानबूझकर अन्याय कर रही है। जिन जिलों में स्वीकृत पद हैं, उनको भर नहीं रही है बल्कि स्वीकृति के खिलाफ भी 104 पद तैनात कर देती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से जवाब दिलायें कि जानबूझकर अन्याय किया जा रहा है। विचार करके सरकार के पास जो पोस्ट है वह तो कम से कम बराबर-बराबर दें।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो विसंगति बतायी, वह विसंगति है। कुछ जगह ज्यादा है और कुछ जगह कमी है। जुलाई में हम ने ट्रान्सफर करके इनको भरने की कोशिश की लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से स्टे मिलने के कारण इसमें व्यवधान आया। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो संख्या ग्राम सेवकों की है और जहां अधिक है और जहां कम है आने वाले अक्टूबर के अन्दर उनकी पूर्ति करके भर दी जायेगी यदि न्यायालय ने अपना स्टे वापस ले लिया तो।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन सवाल माननीय पंचायत राज्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक ही सवाल पूछ सकते हैं। तीन नहीं कर सकते।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसी से सम्बन्धित है। रोज-रोज तो प्रश्न आते नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप एक ही पूछ सकते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप एक ही समझ लें।

श्री अध्यक्ष : ऐसे कैसे समझ लें। आप कह रहे हैं कि तीन पूछूंगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक ही मैं पूछ लूंगा। आप फिर कहेंगे भाषण दे रहे हैं।

एक तरफ तो सरकार यह बताये कि कितने सीमावर्ती जिले हैं। सीमावर्ती जिलों में ज्यादा विकास की बात करती है और दूसरी तरफ सीमावर्ती जिलों में रिक्त पद पड़े हैं। हाई कोर्ट ने स्टे दिया, स्टे रिक्त पदों पर लगाने के लिए नहीं दिया, क्या स्टे दिया है उसको वितरित करें और इन सीमावर्ती जिलों में जो पद रिक्त हैं, यह अफसोस की बात है। इनको कब तक लगा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया। आपने सुना नहीं। उन्होंने दो बात कही। एक उन्होंने मान लिया कि इसमें विसंगतियां हैं, इसको दूर करने की कोशिश की और हाईकोर्ट का स्टे आ गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इस पर स्टे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए। वही सवाल पूछिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने वही पूछा है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा स्टे किस बात पर है, स्टे इस बात पर है कि एक पंचायत समिति से दूसरी जिला परिषद् में ट्रान्सफर किये गये थे उन पर स्टे हुआ है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : स्टे की कापी रखवायें।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : दूसरा यह है कि यह यही है कि विसंगतियां चलती रहीं, किन्हीं कारणों से चलती रही लेकिन पुनर्गठन का मामला चला तो सरकार का विचार यह था पंचायतें फिक्स हो जायं, निश्चित हो जाय उसके बाद इनको एडजेस्ट करें। पंचायतों का पुनर्गठन हो गया, उसके बाद आने वाले महीने में जहां सरप्लस ग्राम सेवक हैं उनको दूसरी जगह लगाने की कोशिश करेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : स्टे व्यक्तिगत किसी पर आया है। मैं जनरल बात कर रहा हूं। किसी ग्राम सेवक से सम्बन्धित कोई मामला नहीं है। 208 पद रिक्त हैं, उनके लिए माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया वह असत्य है।

श्री अध्यक्ष : विश्नोईजी पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टे की बात कही है, मामला ऐसा है कि जिला परिषद् ने जो स्थानान्तरण जहां ग्राम सेवक कम थे और वहां से हटा दिया उसकी बाबत किया है। गवर्नमेण्ट ने आदेश करके एक्सेस थे जैसे भरतपुर में या झुंझनूं में या जयपुर में एक्सेस थे वहां से नहीं हटाया। वहां से हटाया है जहां आगे ही कम थे इसलिए हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। क्या राज्य सरकार जहां पर एक्सेस लगे हुए हैं, जहां पद सृजित हैं उससे ज्यादा ग्राम सेवक लगे हुए हैं, वहां से हटाकर जहां कम हैं वहां लगाने के आदेश करेगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने निवेदन कर दिया कि

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

अक्टूबर के अन्दर जहां कमी है और बेशी है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्यादा हैं उनको कम की जगह लगा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह इन से होगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : होना न होना....(व्यवधान) यह आश्वासन दे दिया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या स्टे दिया और किस तारीख को दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवजीराम।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आनरेबल हाई कोर्ट ने क्या स्टे दिया और कब दिया ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने हाई कोर्ट के स्टे का जिक्र किया उसके बारे में उससे सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं। जो स्टे दिया कब दिया, क्या स्टे है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। स्टे के बारे में माननीय विश्नोई जी ने साफ कह दिया चूंकि जहां पहले से कम थे उन लोगों की ट्रान्सफर की है इसलिए हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया....(व्यवधान) सुन लीजिए। जवाब जो मैंने सुना, वह आपने भी सुना होगा (व्यवधान) हाई कोर्ट ने स्टे क्या दिया वह समझ में आ गया। अब मंत्री जी ने दो बात कहा कि पंचायत का रीओर्गेनाइजेशन हो रहा था इसलिए हमने रोक लिया (व्यवधान), जवाब तो सुना.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह बात मंत्री जी ने नहीं कही। यह बात विश्वसनीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कौनसी बात नहीं कही।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने कहा माननीय उच्च न्यायालय ने किस पर स्टे दिया।

श्री अध्यक्ष : वह बात माननीय सदस्य ने बता दी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा, राज्य सरकार ने आदेश नहीं दिया। सी. ओ. जो जिला परिषद में बैठते हैं उसने अपने एरिया में जहां पर आलरेडी ग्राम सेवक कम थे उनको हटा दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने बता दी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने नहीं बतायी। आप समझे नहीं। हमारी भावना को समझें आप।

श्री नत्थीसिंह : सरकार तो यह है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बोलिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हम लूणी से आने वाले माननीय सदस्य की बात को ग्रोथेटिक कैसे मान लें।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्वीकार किया कि जो कमी बेशी वाली स्थिति रही है जिसके कारण भी बताये पुनर्गठन के कारण फिर शुरू हुआ तो एक पंचायत समिति से दूसरी पचायत समिति में जिला परिषद् ने किये उसे हाई कोर्ट से स्टे कर दिया तो उसकी जांच करना जरूरी था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिला परिषद् ने किया है वही कह रहे हैं। जिला परिषद् ने ट्रांसफर की थी उसको कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : जवाब सन्तोषजनक नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : स्टे कब दिया और क्या दिया ?

श्री अध्यक्ष : सवाल आगे और लेने हैं कि नहीं लेने हैं ? आप इसी पर अड़े हैं। बैठिए आप। माननीय मंत्रीजी श्री कालूलाल जी, जवाब दीजिए।

जहाजपुर खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण

78. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में खनन कार्य से कितना राजस्व विभाग को प्राप्त होता है ? 1990-91, 91-92, 92-93 में जिले के विधान सभा क्षेत्रवार प्राप्त राजस्व की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन वर्षों में खान विभाग के माध्यम से रोड बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खान विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में खजूरी चैनपुरा रोड के नाम से 64 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या यह सही है कि जिन क्षेत्रों से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है वहां कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) भीलवाड़ा जिले में खनिज अभियन्ता, भीलवाड़ा खण्ड एवं खनिज अभियन्ता, बिजोलिया खण्ड में विभाग को वर्ष 90-91, 91-92 एवं 92-93 में निम्नानुसार राजस्व की प्राप्ति हुई :—

(रु. लाखों में)

क्र सं.	वर्ष	ख. अ. भीलवाड़ा	ख. अ. बिजोलिया	कुल राजस्व
1.	90-91	218.30	222.56	450.86
2.	91-92	628.33	358.45	986.78
3.	92-93	840.21	157.18	997.40

(अगस्त, 92 तक आय)

कार्यालय में विधान सभा क्षेत्रवार आय का संधारण नहीं किया जाता है।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

(2) जी हां । वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में खान विभाग द्वारा निम्न खान उपागमन सड़कें (एप्रोच रोड़) बनाने की स्वीकृतियां जारी हुई हैं, जिसका विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण निम्नानुसार है :—

1. गोराना से सदाका बाड़िया वाया तिखीं नारेली शिवपुर (विधान सभा क्षेत्र माण्डल)। 2. कटार से ज्ञानगढ़ वाया चांदसेन गोरोना (विधान सभा क्षेत्र माण्डल), 3. गोरख्या से पिताम्बा वाया दंतेड़ी घुवाला (विधान सभा क्षेत्र माण्डल) 4. कटारिया खेड़ से राजगढ़ (विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर)।

इसके अलावा भीलवाड़ा जिले के खनिज अभियन्ता, बिजोलिया खण्ड (मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र) में निम्नलिखित खनिज उपागमन सड़क निर्माण हेतु पूर्व में जो स्वीकृतियां जारी हुई थीं उनका भी वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 तक निर्माण कार्य चालू रहा, जो वर्तमान में भी चालू है :—

1. भोपालपुरा से गुरडा (विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़)

2. सदारामजी का खेड़ा से मकरेडी (विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़)

3. सलावटिया गुडा से गोपालपुरा (विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य खनिज विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाता है।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कहां से आ गये ? आपका सवाल है ? आप इतना तो समझा करो कि सवाल पूछा है तो सप्लीमेण्ट्री उनकी है। इतना पेशंस तो रखिये। मेरा ध्यान है, देख रहा हूं चारों तरफ। यह जहाजपुर का सवाल है।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि मैंने, यह जो राजस्व प्राप्त हो रहा है यह विधान सभा क्षेत्रवार....

श्री अध्यक्ष : आपके जहाजपुर की कोई सड़क बनवानी है क्या ?

श्री शिवजीराम मीणा : जी हां, साहब।

श्री अध्यक्ष : वह बताइये आप। वह पूछ लीजिए।

श्री शिवजी राम मीणा : क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि खजूर से चैनपुरा का जो आपने 64 लाख रुपया स्वीकृत होना मुझे बताया था, उसको स्वीकृत करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, बिलकुल। यह ठीक है। इसका जवाब दीजिए आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : जो सड़क आप बता रहे हैं उसकी स्वीकृति तो हुई नहीं लेकिन आप प्रपोजल भेजेंगे तो हम विचार करके उसको....

श्री अध्यक्ष : स्वीकृत करेंगे । यह आपका हो जाएगा काम । नैक्स्ट ।

श्री शिवजीराम मीणा : मैंने प्रपोजल भिजवाये हैं, प्रपोजल दे रखे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : अध्यक्ष महोदय, मकराना में....

श्री अध्यक्ष : जिनका सवाल था हो गया उनका । उनका मसला हल हो गया ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मकराना ने इतनी रायल्टी दी और एक सड़क नहीं बनायी वहां पांच साल के अन्दर ।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : एक प्रश्न की इजाजत करें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में नीतिगत सवाल नहीं होते ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये बहुत कम प्रश्न करते हैं, कभी-कभी मौका मिलता है । नये सदस्य हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री शान्तिलाल : मेरी बात समझ लें, साहब । अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न की इजाजत दें मुझे ।

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में भू-अधिग्रहण

79. **श्री जगमालसिंह यादव** (तिजारा), **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) व **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में खुली नीलामी में व्यापारिक, औद्योगिक तथा रिहायशी भूमि अगस्त, 1992 तक ज्यादा से ज्यादा किस भाव पर बिकी है तथा उक्त भूमि रीको द्वारा किस भाव पर अधिग्रहण की गयी थी ? रीको के रिजर्व प्राइस क्या हैं ?

(2) अब भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि किस भाव से अधिग्रहण की जा रही है और इसका विस्तार किन-किन ग्रामों तक माना गया है तथा क्या कीमत रीको किसानों को दे रही है ?

(3) क्या भारत के वन एवं पर्यावरण विभाग से अब औद्योगीकरण की स्वीकृति ले ली गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : (1) रीको द्वारा अगस्त, 1992 तक....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह मामला यह था....

श्री अध्यक्ष : मामला वे समझ गये । उनका मामला है उनका मामला हल हो गया ।

श्री रामसिंह विश्नोई : हल नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बोलिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सारा पैसा भीलवाड़ा में खर्च कर दिया उन्होंने, अपनी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च किया है ।

श्री अध्यक्ष : उसमें माण्डल भी है, माण्डलगढ़ भी है और जहाजपुर भी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अपनी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च किया है जब कि सारे राजस्थान से आमदनी हो रही है।

श्री शिवजी राम मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, सबका सब माण्डलगढ़ में है।

श्री अध्यक्ष : आपकी हो गयी सड़क।

श्री शिवजीराम मीणा : नहीं, एक भी नहीं हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोई भी भूमि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर में) खुली नीलामी से नहीं बेची गयी हैं। रीको द्वारा ग्राम हरचन्दपुरा एवं सांथलका की भूमि रुपए एक लाख बत्तीस हजार प्रति बीघा की दर से....

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जल्दी-जल्दी प्रश्नों को निकालना अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है कि नहीं, मुझे सारे सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है। आप एक ही सवाल को लेकर बैठ जाएंगे, यह मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब आप बैठिये। मुझे 10 सवाल लेने हैं। उनका भी अधिकार है, अकेले आपका अधिकार नही है। मेरे पास चिट्ठियां आयी हुई पड़ी हैं कि आप हमारे सवालों को लेते नहीं हो जो लास्ट में आते हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस बात का सवाल नहीं है, उनका भी जवाब सैटिस्फाइड हो न।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य ने पूछा है वे सन्तुष्ट हो गये। उनको सड़क चाहिए थी, हो गया। खत्म।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ऐसे तो आप सारे के सारे ले लीजिए, खत्म कर दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सारे सवाल तो आ नहीं सकते हैं, अध्यक्ष महोदय। बहुत-से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर सरकार का उत्तर आना बहुत लाजमी है।

श्री अध्यक्ष : वह मैं कर लेता हूं पता कि कौनसा महत्वपूर्ण है। इतना ध्यान रखता हूं मैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर सरकार द्वारा बेईमानी है....(व्यवधान) आपको रोकेंगे नहीं क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपके पता करने से नहीं होता, हमारे को भी पता होना चाहिए सैटिस्फैक्शन है कि नहीं। आपके पत्र से क्या होता है, जनता को भी मालूम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेरा नहीं, जो माननीय सदस्य ने पूछा है। अकेले। उसमें दो क्लब भी नहीं। उनके सैटिस्फैक्शन के लिए है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जवाब पूछे जा रहे हो और एक भी सन्तोषजनक उत्तर आ नहीं रहा है।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये आप।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (1) रीको द्वारा अगस्त, 1992 तक कोई भी भूमि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में खुली नीलामी से नहीं बेची गयी है। रीको द्वारा ग्राम हरचन्दपुरा एवं सांथलका की भूमि रुपए एक लाख बत्तीस हजार प्रति बीघा की दर से, ग्राम बिलाहेड़ी की भूमि एक लाख पांच हजार रुपए प्रति बीघा की दर से अधिग्रहण की गयी है। कुए, निर्मित भवन एवं पेड़ आदि का नो लाख पन्द्रह हजार दो सौ साठ रुपए का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी, किशनगढ़-बास द्वारा तय करके दिया गया है। रीको की वर्तमान आवटन दर (रिजर्व प्राइस) औद्योगिक प्रयोजन हेतु 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर है एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु रिजर्व प्राइस 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर है।

(2) अब भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार ग्राम हरचन्दपुरा, सांथलका, बिला-हेड़ी, मुण्डाना, रामपुरा, खिजरपुर, तहसील तिजारा तक किया जा रहा है तथा भूमि का भाव भूमि अवाप्ति अधिकारी किशन-गढ़बास द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड में निर्धारित किया जाएगा।

(3) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में तृतीय एव चतुर्थ चरण के लिए जो भूमि अवाप्त की गयी है अथवा की जा रही है वह भारत सरकार की अधिसूचना में भूमि या क्षेत्र में नहीं आती।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने खण्ड एक के जवाब में बताया कि भूमि का आठ सौ रुपए प्रति वर्ग मीटर रिजर्व प्राइस है और अगर खुली नीलामी होती है तो रिजर्व प्राइस से तो ऊपर ही जाएगी, हजार-दो हजार रुपए वर्ग मीटर। वहीं मंत्री महोदय ने बताया कि किसानों को हम भूमि एक्वायर करके उसका मुआवजा एक लाख पांच हजार रुपए बीघा दे रहे हैं। अगर आपकी रिजर्व प्राइस ही मानी जाय, किसान से जो जमीन आपने ली और उसको जो आपने कामशियल परपज के लिए बेचा, तो एक लाख पांच हजार रुपए बीघा लेकर 24 लाख रुपए में बेचने का काम किया। यह तो रिजर्व प्राइस का हुआ अगर खुली नीलामी में बेची गयी तो यही भूमि एक करोड़ रुपए प्रति बीघा के हिसाब से हुई। उनसे छीनी आपने एक लाख रुपए में और बेची आपने एक करोड़ रुपए में। मेरे कहने का मतलब है कि रीको और राजस्थान सरकार, क्या अपना मन रखते हैं कि हरियाणा और यूपी गवर्नमेण्ट की तरह किसान और उद्योगपति, जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, के बीच मध्यस्थता करने का काम छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेगे ?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल है कि अभी जो आपने चौथा फेज एक्वायर किया है सांथलका और बिला-हेडी का, उसमें दो लाख रुपए का मुआवजा दिया है। कारोली और खुशकडा में आपने भिवाड़ी का विस्तार किया है, उसमें 25-26 हजार बीघा का रेट तय करके दिया है। जहां एक करोड़ रुपए में आप बेच रहे हो और 25 हजार में आप एक्वायर कर रहे हो, क्या यह न्यायसंगत है ? अभी आपने कहा कि अरावली हिल्स में भूमि और क्षेत्र की परिभाषा में नहीं आता। आपने वन और पर्यावरण विभाग का गजट नोटिफिकेशन

(श्री जगमाल सिंह यादव)

शन पढ़ा है ? उसमें साफ लिखा है कि कोई भी अरावली हिल्स अगर है तो उसके दस किलोमीटर इधर और दस किलोमीटर उधर का जो एरिया है वह क्षेत्र अथवा भूमि में आएगा। आप कहते हैं कि भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय की आपको स्वीकृति लेने की आवश्यकता ही नहीं। मैं यह दावे से कहता हूं कि उस नोटिफिकेशन में यह साफ है कि अरावली हिल्स के 10 किलोमीटर का क्षेत्र होगा वह क्षेत्र अथवा भूमि में आएगा। मुझे आप यह बताने का कष्ट करें कि एक तरफ आप ग्रीन बेल्ट को उजाड़ रहे है और फिर आप वन और पर्यावरण विभाग से स्वीकृति भी नहीं ले रहे हैं। आप एक करोड़ रुपए में बेच रहे हैं और एक लाख रुपए में ले रहे हैं। आप किसान और उद्योगपति के बीच मध्यस्थता करने का काम, हरियाणा, यूपी और दिल्ली प्रशासन की तर्ज पर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग साफ आ गयी है कि मार्केट रेट वह है जिस पर खरीददार और बेचने वाला तय हो जाए, वह चाहे पांच लाख हो, चाहे तीन लाख हो। आपने आंकड़ा बना रखा है तीन साल के औसत के आधार पर, जो भी रेट आएगी हम किसान को दे देंगे। तो फिर आप उसी आधार पर जमीन को बेचने का काम करें। इसी हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन लें।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण चलेगा या सवाल ? देखिये, आप इन्फार्मेशन ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। मगर आप देते जाते हैं, लेते कम हैं। हां, जवाब सुनिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : दोनों काम ही हमको करने पड़ेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से विचार इस प्रकार रखने की कोशिश की है....

श्री अध्यक्ष : शौक है तो जरूर करिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कि मानो सरकार और उसकी एजेन्सी रीको किसान से तो कौड़ी के भाव जमीन ले रही है और जब आवंटन कर रही है उसके अन्दर अधिक से अधिक पैसा लेकर अनुचित लाभ उठा रही है।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यह एक भ्रांति है। अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के आने के बाद एक नया सिस्टम इण्ट्रोड्यूस किया है, एक नेगोशियेशन कमेटी बनाई गई है जिसके इग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर, रीको अध्यक्ष हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट इसके सदस्य हैं, लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर, जिस एरिया का हुआ है, वह इसके सदस्य हैं और रीजनल आफिसर, रीको इसका सदस्य होता है। 4 आफिसर्स इसके सदस्य होते हैं। जहां की जमीन हम समझते हैं कि इण्डस्ट्रीयलाइजेशन के लिये आवश्यक है, वहां पर कैम्प लगाते हैं, किसानों को बुलाते हैं, बातचीत की जाती है, नेगोशियेशन टेबिल पर बैठकर समझौता किया जाता है और उस आधार पर एग्रीड अवार्ड जो प्राइस होती है, उस आधार पर की जाती है।

तो मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में जो बताया कि जो भिवाड़ी का फेज तीन था अध्यक्ष महोदय, 1,32,000 बीघा, दूसरे में

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

1,05,000 बीघा, हो सकता है माननीय सदस्य की किसानों को अधिक से अधिक पैसा मिले, यह भावना होगी लेकिन मैं समझता हू कि यह भाव क्या कम है ? और जो भाव हमने तय किये हैं, वह है जो म्राइण्ड अपान होते है, एग्रीड किये हैं, उसके ग्राधार पर यह सब होता है । दूसरा आपका यह विचार कि हम इसके माध्यम से अनुचित लाभ उठाते हैं, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूगा कि वह थोड़ा हिसाब अपने हिसाब से लगा लें ग्रौर हमने पैसा किस प्रकार से लिया, वह देख लें । औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी के तृतीय चरण का विकास जुलाई, 1951 में करना प्रस्तावित किया गया था । अवाप्त की गई कुल 529.37 एकड़ में से सड़क, नाली व अन्य आरक्षित भूमि के उपरान्त बिक्री योग्य कुल 334.90 एकड़ भूमि प्रस्तावित थी जबकि कुल मुआवजा 11,29,06, 610 रुपये....

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपसे यह पूछ ही नहीं रहा हू कि ग्रापने क्या 11 करोड़ दिया या क्या नहीं किया । मैंने तो आपसे बाकायदा पाइण्टेड क्वेश्चन किया है । आपको अगर यह मुनाफा नहीं लगता तो आप हट जाइये उद्योगपति और किसान के बीच से । ग्राप टोटे में धन्धा क्यों कर रहे है, आप क्यों किसान का शोषण करने की बात करते हैं ? अगर रीको को इसमें नुकसान होता है तो रीको हटे बीच से । मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये तो आभारी हू कि आपने यह तो मान लिया कि रीको कोई मुनाफा नहीं उठाती तो बीच से हट जाय । नो-लॉस-नो-प्राफिट के आधार पर सारी स्थिति को देखकर इण्डस्ट्रियल एरियाज में प्लाट का अलाटमेंट होता है । आपका कहना है कि आप बीच से हट जाय । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से वैसे ही बेकवर्ड है और अगर हम उनको जमीन अवाप्त करके मार्केट प्राइस पर, एग्रीड प्राइस के आधार पर लैण्ड डवलप करके अलाट नहीं कर पायेंगे तो कौन इण्डस्ट्रियलिस्ट राजस्थान में आना चाहेगा ?

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय ग्राप जवाब क्या दे रहे है । आप किसानों की कीमत पर उद्योगपतियों को बसायेंगे लाकर ? यहां ग्राप किसानों का शोषण करके उद्योगपतियों को लाना चाहते हैं ? एक तरफ ग्राप कहते हो कि टोटे की जमीन खरीद रहे हैं । किसानों की कीमत पर उद्योग डालेंगे ? किसी कीमत पर यह नहीं होगा ।

दूसरी बात, आप कहते हैं कि नेगोशियेशंस से रेट तय करते हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं चैलेंज देने की स्थिति में नहीं हूं और न मैं चैलेंज देना चाहता हूं लेकिन मैं हाउस के अन्दर माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी भी मार्केट प्राइस के अलावा जो इण्ट्रेस्ट रेट है, सालिशम रेट होती है, उससे कभी भी किसान को नुकसान नहीं होता और आज यही कारण है कि हमारे पास रीको के पास जो उपलब्ध भूमि है, उसके आधार पर अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रीयलिस्ट आते चले जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा एक सप्लीमेंट्री ।

श्री अध्यक्ष : आप तीन पूछ चुके हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक आपने यह कहा है कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने इन्वायरेनमेंट के आधार पर जो नोटिफिकेशन निकाला है मैंने उत्तर में कहा है कि उससे कोई भूमि प्रभावित नहीं है । उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बड़े नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने नोटिफिकेशन देखा है, जो कि अब फाइनल हुआ है. यह हुआ है 7 मई, 1992 को, 7 मई 1992 के अन्दर जो प्रतिबन्ध है, अगर आप देखेंगे तो वह है; Now there fore in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) in clause 5 of sub-Section (2) of Section 3 of the Environment Protection Act, 1986 read with rule 5 of the Environment Rules, 1986 the Central Government herebyprohibits the carrying of the following processes and operation except with its prior permission in the areas specified in the table appended to this notification. यह टेबल यह है, अध्यक्ष महोदय. All areas shown as gairmoomkin pahad, gairmoomkin rada, gairmoomkin bead, bunger bead. हमने जो जमीन दी है, वह इस क्राइटेरिया में कहीं नहीं आती और इस कारण से हम प्रतिबन्धित नहीं हैं । जैसा मैंने उत्तर दिया कि हम किसी प्रकार से उस स्कोप के अन्दर नहीं आते, हम पर कोई पाबन्दी नहीं होगी, हमने जो भूमि अवाप्त की है, वह उचित अवाप्त की है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री तो पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष : महोदय, आप एक सप्लीमेंट्री पूछेंगे, देखिये, तीन और हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक ही सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 7 मई का जो नोटिफिकेशन फाइनल हुआ है, यह बता दिया । आपने इससे पहले का नोटिफिकेशन देखा है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : देखा है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : जिसमें भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने डिफाइन किया है कि कोई भी सेंक्चुअरी और कोई भी टाइगर डेन इत्यादि का जो क्षेत्रफल होगा....

श्री अध्यक्ष : अब आप बताने लगे । आप इन्हीं से पूछ लेते ।

श्री जगमालसिंह यादव : गलत सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष : आप इन्हीं से पूछिये । सारी आप बता देंगे तो फिर सवाल क्या रहा आपका ?... (व्यवधान) वे कह रहे हैं कि मैंने देखा है तो जवाब दे देंगे । आप अपने सवाल कीजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, अभी वह ड्राफ्ट आया है, फाइनल नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार के सामने राजस्थान सरकार ने बड़े कड़े शब्दों के अन्दर विरोध किया है। अभी वह अन्तिम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है। वह ठीक है, वह लागू नहीं हुआ है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि बाई द वे अगर किसी भूमि अवाप्ति में आपका नेगोशियेशन नहीं हुआ और आपने किसी गांव में साढ़े तीन लाख एकड़ या 2 लाख या 1 लाख 32 हजार एकड़ भूमि नेगोशियेशन से एक्वायर कर ली और अगर नेगोशियेशन नहीं हुआ और जमीन के रेट 3 साल के आपके भूमि अधिग्रहण के तहत आंकड़ों के अनुसार 25 000 रुपये बीघा आई तो आप 25,000 रुपये बीघा दोगे या पूर्व में गांव में भूमि अधिग्रहण कर ली, वह दोगे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल देखिये, अध्यक्ष महोदय, मैंने आरम्भ से कहा कि किसानों के साथ बैठकर बिल्कुल चर्चा की जाती है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे पूछ रहे हैं कि नेगोशियेशन नहीं हुआ तो ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : नेगोशियेशन नहीं हुआ और हम देखते हैं कि जो प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं दूसरे लोगों ने इसको एग्री कर लिया, इसके बाद अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से हम पर कहा जाता है, लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर को कह देते हैं कि जो आपको तय करना है, तय कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने भिवाड़ी के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कहा, कहीं पर भी हो रहा है, भिवाड़ी में ही खास तौर से, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगल-बगल के गांवों में शिक्षा बहुत कम है। आप वहां के लोगों की जो जमीन एक्वायर करके औद्योगीकीकरण के लिये दे रहे हैं, वहां पर लोगों को रोजगार दिलाने के बारे में सरकार की क्या मंशा है ? क्या कोई नीति है कि वहां के लोगों को उद्योगों में रोजगार मिले ? अब तक कहां तक यह बात हो पाई है ? आप इसके बारे में बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि हम किसानों का शोषण नहीं कर रहे हैं जबकि मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि अभी बहरोड, कोटपूतली के आस-पास जो यहां की भूमि उद्योगों के लिये दी गई है, वह 2-3 लाख के बीच में प्राइवेट लोगों ने ली है। तो क्या उसका मिलान करके और अब जब भी भाव तय करें आस-पास के गांवों में, क्या उस दर को तय करने की उनकी मंशा है ? अगर नहीं है तो क्यों ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल तो आया रोजगार के बारे में। हम लगातार उद्योगों पर दबाव डालते चले जा रहे हैं कि उनको प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को ही रोजगार देना पड़ेगा। इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिला स्तर पर और जहां भी हम से हो सकता है। संवैधानिक स्थिति जो है वह आप जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भी प्रेशर डाला जा सकता है कि उन उद्योगों में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाये, इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

आपने कहा कि बहरोड़ और दूसरे क्षेत्रों के अन्दर जो भूमि अधिग्रहित की गई उसका मुआवजा नहीं दिया गया, मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जिस समय उनके साथ नेगोशिएशन्स की जाती हैं, बातचीत की जाती है, उन सब बातों को आधार रखकर ही चर्चा की जाती है। नेगोशिएशन्स से सेटलमेंट होता है तो ठीक है, वर्ना लैंड एक्वीजेशन आफिसर उन सब बातों को ध्यान में रखकर फैसला करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई -

श्री रामसिंह विश्नोई : यह जो उद्योग लगते हैं, वहां गांव की सीमा से कितने किलोमीटर दूर होने चाहिये ? नम्बर एक। नम्बर दो, जोधपुर के बांरा नाड़ा और पाल के पास गांव के पास ही गांव के अगौर, गांव की नाडी, गांव के रास्ते और गांव के आस-पास जितनी भी जमीन थी, वह किसान की जमीन न लेकर के पूरे गांव की जमीन को लेकर, गांव की सीमा तक आ गये हैं वहां पर। एक तरफ तो आप तीन किलोमीटर तक अगर कोई प्राईवेट आदमी उद्योग लगाता है, तो पर्यावरण की दृष्टि से वह तीन किलोमीटर दूर होना चाहिये यह कानून आप लागू देते हैं। और दूसरी तरफ आप गांव के बिल्कुल पास में जो गांव की जमीन है; अगौर है, नाड़ी है, गोचर है, सारी जमीन आप एक्वायर करके, जोधपुर के बांरा नाड़ा क्षेत्र को आपने बिल्कुल दूषित कर दिया। क्या यह सही है, और अगर हां, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि पहले भी आपने हाउस में चर्चा की थी इस बात की। मुझे कोई आप स्पेसिफिक पत्र और सूचना दें तो मैं इस सम्बन्ध में जांच कर लूंगा और निश्चित रूप से ध्यान रखा जायेगा कि अगर कहीं भी उद्योग क्षेत्र का विकास होता है या नया उद्योग क्षेत्र बनता है, तो स्थानीय लोगों को उसके कारण किसी प्रकार की अड़चन नहीं आनी चाहिये। आप मुझे बतायें तो निश्चित रूप से मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा।

(12.00 मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति।....(व्यवधान)....विराजिए आप....(व्यवधान) .... शोकाभिव्यक्ति प्रश्नकाल समाप्त हुआ।....(व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : वह बोलिए पाइन्ट आफ आर्डर। इस समय पाइन्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है बीच में।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रही हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चोर दरवाजे से जो महंगाई बढ़ाई गई बजट से पहले....

श्री अध्यक्ष : आप काहे बीच में.... (व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की महिलाएं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आप इस बात को क्यों उठा रही हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : ताराजी, आप बैठिए ।.... आप बैठिए । आप इसे बाद में उठाइए ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी विपक्ष के नेता महोदय से अपील है....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : केन्द्रीय सरकार इस्तीफा दे ।

श्री अध्यक्ष : दो महिलाएं लग गई हैं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अगर ये महिलाओं की पीड़ा सुनें तो इन्हें लगेगा कि....

श्री अध्यक्ष : आप विधान सभा को घर मत बनाइए, विराजिए आप ।....बैठिए आप ।

श्रीमती तारा भण्डारी : केन्द्रीय सरकार महिला विरोधी है । अध्यक्ष महोदय, मेरी अपील है कि कांग्रेस के नेता महोदय महिलाओं के पास जाकर उनकी पीड़ा को सुनें, समझें और अपनी केन्द्रीय सरकार से इस्तीफा मांगे । अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, चोर दरवाजे से महगाई बढ़ाई । हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : देखिए, शोकाभिव्यक्ति हो रही है. आप बाद में बोलिए । .. ताराजी, बाद में बोलिए ।...(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : विपक्ष के नेता महोदय महिलाओं को सुनें ।

श्री अध्यक्ष : ताराजी, बाद में बोलिए । शोकाभिव्यक्ति ।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्रीमती तारा भण्डारी द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें ।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्री गंगानगर पब्लिक पार्क में कत्ल का प्रकरण

92. **श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर के बाजार में दिनांक 24-2-1990 को रात 8.30 बजे पब्लिक पार्क की कमल वॉच कम्पनी के मालिक ओमप्रकाश का कत्ल हो गया था और 2 लाख रुपये का डाका डाला गया ? क्या उसके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए ? यदि हां, तो उस पर राज्य के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पुलिस विभाग ने क्या कार्यवाही की और उसके सिलसिले में किन-किन लोगों से पूछ-ताछ की गई ?

(2) इस कत्ल की जांच किस-किस अधिकारी ने की है और किस स्तर पर यह जांच करवाने के पश्चात् जांच अधिकारी बदला गया है ?

(3) राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने अब तक इस मामले में किस-किस प्रान्त में और शहरों में कातिलों को तलाश किया है और क्या पुलिस को सन्देह है कि यह घटना पंजाब के आतंकवादियों द्वारा भी की जा सकती है ? यदि हां, तो अब उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(4) इस घटना की गम्भीरता और जांच के लम्बी हो जाने के कारण क्या राजस्थान का गृह विभाग इस केस को सी. बी. आई. को सौंपने का इरादा रखता है ? नहीं, तो अब इस केस में पुलिस विभाग की ओर से क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री जगदीश ने, अपने भाई ओमप्रकाश की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । एफ आई. आर. में डाका डालने की कोई रिपोर्ट नहीं थी । इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 75 दिनांक 24-2-90 को धारा 449 302 आई. पी. सी. के अन्तर्गत थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध किया जाकर थाना अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया गया । अन्वेषणकर्ता ने जिन-जिन लोगों से पूछत छ की गई सूची संलग्न है ।

(2) अन्वेषण अधिकारियों की सूची संलग्न है । थानाधिकारी द्वारा की जा रही अन्वेषण से सन्तुष्ट नहीं होने पर मुस्तगीस के प्रार्थना पर अन्वेषण पत्रावली सी. आई. डी. (सी बी.) में मंगवाई जाकर अन्वेषण किया गया ।

(2) अन्वेषण अधिकारियों ने राजस्थान प्रदेश के गंगानगर, रायसिंहनगर, सूरतगढ, हनुमानगढ, सरदारशहर, संगरिया एवं आस-पास के क्षेत्रों में तथा पंजाब, हरियाणा प्रदेश के अबोहर व उसके आस-पास के क्षेत्रों में अभियुक्तों की तलाश की । इस घटना में अब तक की तफतीश से आतंकवादियों का हाथ होने की कोई सम्भावना प्रकट नहीं हुई है ।

(4) जी नहीं । अभियोग में सफलता प्राप्त करने के लिये श्री नरसिंहराव, ए. एस. पी., आई. पी. एस. पद के अधिकारी को अन्वेषण हेतु लगाया गया है । अभियोग में सफलता प्राप्ति हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें ।)

जिला पाली का वर्षा जैन हत्या प्रकरण

93. **श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में दो वर्ष पहले दहेज को लेकर श्रीमती वर्षा जैन की हत्या हुई थी जिसका सिरोयारी थाने में मुकदमा नं. 6/91 दर्ज है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या प्रभावी

(श्री रामकरणसिह)

कार्यवाही हुई है, कितने अपराधी पकड़े गये ? कितनों का चालान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अपराधी पकड़े नहीं जा सके तो क्यों नहीं पकड़े जा सके ? इसके प्रति किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, अपराध संख्या 6/91 धारा 302, 304 बी, 201 भा. दं. सं. थाना सिरीयारी पर पंजीबद्ध किया जाकर प्रथम अन्वेषण स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया। तत्पश्चात् सी. आई. डी. (अपराध शाखा) द्वारा किये गये अन्वेषण से अभियुक्त श्री जुगराज, श्रीमती डगरी बाई, नाहरमल एवं श्रीमती ललीता के विरूद्ध धारा 304 बी. 498 ए भा. दं. सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया जिस पर 17-2-92 को चालान पेश करने के आदेश दिए गए थे प्रकरण में अभी तक किसी अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। और ना ही न्यायालय में चालान पेश किया गया है क्योंकि अभियुक्त पक्ष के प्रार्थना पर अभियोग का पुनः अन्वेषण सत्यापन किया जा रहा है।

(2) अभियुक्त पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर अभियोग का पुनः अन्वेषण सत्यापन किया जा रहा है। अन्वेषण सत्यापन पूर्ण होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी अभियोग अन्वेषणाधीन है। अतः अभियुक्त नहीं पकड़ने के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता हैं।

धार्मिक स्थलों का निर्माण

94. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किसी स्थान पर धार्मिक स्थल जैसे मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारा, गिरिजाघर इत्यादि के निर्माण के लिये क्या सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है ? यदि हां, तो यह अनुमति किस आधार पर दी जाती है ?

(2) ऐसे स्थल के निर्माण के लिए अनुमति लेने का क्या आधार है ?

उत्तर

(1) जी हां, धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिये राजस्थान धार्मिक स्थल एवं भवन अधिनियम 1954 एवं राजस्थान धार्मिक स्थल एवं भवन नियम 1957 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आवश्यक जांच करने के पश्चात् अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त नियमों के अन्तर्गत जिलाधीश जांच करने के पश्चात् अपने विवेक से धार्मिक भवन निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

ग्राम अयाना (कोटा) में पुलिस स्टेशन

95. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के ग्राम अयाना में भौगोलिक एवं सुरक्षा

(श्री हीरालाल आर्य)

की दृष्टि से पुलिस स्टेशन कायम करने की मांग जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां तो क्या सरकार जनहित में अयाना में पुलिस स्टेशन खोलने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) ग्राम अयाना की पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है । तत्पश्चात् निर्णय लिया जायगा ।

सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित को निगम सेवा में नियुक्ति

96. **श्री रामकरण सिंह** : (कोटपूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारी की सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उस पर आश्रित व्यक्ति को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि एक वर्ष पूर्व तक इस प्रकार की नियुक्ति नियमित वेतन शृंखला में की जाती रही है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री प्रहलाद व्यास, वाहन निरीक्षक, जयपुर सम्भाग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को नियमित सेवा में नियुक्ति देने की बजाय 25/- रुपये प्रति दिन पर नियुक्ति दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) निगम में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजित करने बाबत वर्तमान में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) जी हां । किन्तु केवल अत्यन्त दयनीय मामलों में ही संचालक मण्डल के निर्णय पर ही नियमित नियुक्ति दी गई है ।

(3) जी हां । श्री प्रहलाद व्यास के पुत्र को दैनिक वेतन पर नियुक्ति दी गई है, ऐसा संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार किया गया है ।

जिला झालावाड़ में संचालित निगम की बसें

97. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन रूटों पर परिवहन निगम की कितनी-कितनी बसें चल रही है ? क्या यह भी सही है कि झालावाड़ डिपो से अधिकारियों की लापरवाही से बसें समय पर नहीं निकलती और यात्री समय पर अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते और कई वक्त बसें बीच में ही खराब हो जाती हैं ?

(2) जिले में किन-किन रूटों पर किस-किस नम्बर की बिना परमिट की बसें

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

संचालित हैं, जिससे निगम को भारी घाटा हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार अवैध बसों पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा झालावाड़ जिले के विभिन्न रूटों पर संचालित की जा रही बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अधिकारियों की लापरवाही से बसें समय पर नहीं चलती हैं। तथापि कभी-कभी यांत्रिक दोष व चालक/परिचालकों के बिना सूचना अनुपस्थित हो जाने या विलम्ब से ड्यूटी पर आने से कुछ बसों का समय पर संचालन नहीं हो पाता है। इसी प्रकार कभी-कभी मार्ग पर तकनीकी खराबी के कारण वाहन ब्रेक डाउन हो जाने पर विलम्ब होता है परन्तु वाहन के यात्रियों को अन्य निगम वाहन के द्वारा गन्तव्य स्थान पर पहुंचाया जाता है। बस सेवा में सुधार हेतु झालावाड़ आगार को माह जुलाई में 17 व अगस्त में 3 कुल 20 नई वाहनें आवंटित की गई है।

(2) झालावाड़ जिले में किसी रूट विशेष पर किसी विशेष नम्बर की अवैध बसें संचालित नहीं होती हैं। परन्तु यदि किसी रूट पर कोई बिना परमिट की बस चलती पाई जाती है तो ऐसे अवैध बस संचालन के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है ताकि निगम को होने वाली हानि को रोका जा सके। वक्त चैकिंग अवैध संचालित बसों के चालान किये जाकर कम्पोजिशन मनी वसूल की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में झालावाड़ जिले में अवैध संचालन के 371 चालान किये जाकर कम्पोजिशन की राशि 2,93,465/रु. वसूल की गई।

(3) जी हां, राज्य सरकार द्वारा अवैध बसों के संचालन पर रोक लगाई हुई है। बसों के संचालन के विरूद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है तथा समय-समय पर अभियान चलाकर भी अवैध बसों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन कर शास्ति की राशि में वृद्धि की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

जयपुर नागौर द्रुतगामी बस सेवा

98. **श्री बिरधाराम** (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर से नागौर वाया नरायना, परबतसर, मकराना, खाटू, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलती थी, जिसको बन्द कर दिया है ?

(2) क्या उक्त बस पुनः चलाने की मांग पर सरकार ने इसको शीघ्र चालू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक पुनः शुरू नहीं करने से जनता को परेशानी है ? यदि हां, तो जयपुर नागौर वाया परबतसर, मकराना द्रुतगामी बस कब तक चला दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) उक्त मार्ग का परबतसर-मकराना-खाटू-तरनाऊ तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है । निगम द्वारा उक्त मार्ग पर अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त कर एक द्रुतगामी बस सेवा का संचालन दिनांक 4-7-89 से 5-10-89 तक किया गया था लेकिन बाद में उक्त मार्ग के निजी वाहन स्वामियों द्वारा न्यायालय से दिनांक 27-9-89 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण संचालन बन्द करना पड़ा ।

पुनः जन प्रतिनिधियों की मांग पर निगम द्वारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जयपुर को अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया गया है जहां विभागीय सर्वेक्षण हेतु प्रकरण विचाराधीन है । अनुज्ञापत्र स्वीकृत होने पर उस मार्ग पर सीधी बस सेवा संचालन संभव होगा ।

हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार

99. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के हिन्दी में कार्य करने के आदेशों के बाद भी अंग्रेजी में आदेश व परिपत्र निकलते हैं ? यदि हां, तो आदेशों की अवहेलना के विरुद्ध अभी तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जाए ।

उत्तर

(1) हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के काफी प्रयत्न किये गये हैं । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (संलग्नक 'क")

(2) कभी-कभी नियमों में संशोधन आदि के परिपत्र कुछ विभागों से पहले अंग्रेजी में निकल जाते हैं । उन्हें अनुवादार्थ विधि रचना संगठन को भेजा जाता है । जिस अधिकारी/विभाग की ओर से अंग्रेजी में आदेश/परिपत्र जारी होता है । उसका ध्यानाकर्षण तत्काल भाषा विभाग द्वारा पत्र भेजकर किया जाता है, स्पष्टीकरण पूछा जाता है तथा भविष्य में ऐसा न हो इस हेतु आगाह किया जाता । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (संलग्नक 'ख") ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें ।)

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा में व्याख्याताओं के रिक्त पद

100 **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा में अर्थ शास्त्र, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र के व्याख्याता के पद कब से रिक्त हैं तथा क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पदों के होने से अध्ययन में बाधा होती है, जिससे छात्रों एवं अभिभावकों में रोष व्याप्त है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटावा में व्याख्याता अर्थ शास्त्र तथा इतिहास के पद दिनांक 5-7-90 से तथा व्याख्याता नागरिक शास्त्र का पद दिनांक 30-6-91 से क्रमशः स्थानान्तरणों तथा सेवानिवृत्त के फलस्वरूप रिक्त हैं।

(2) जी, हाँ।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग से उक्त विषयों में चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने का आधार

101. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1992-93 में स्कूलों को क्रमोन्नत करने का आधार क्या होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सवाई माधोपुर की तहसील नादोती एवं टोडाभीम में ग्राम गुढ़ाचन्द्रजी की उच्च प्राथमिक कन्याशाला को क्या सरकार क्रमोन्नत करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार टोडाभीम नगर पालिका के अन्तर्गत छात्राओं की उच्च प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 1992-93 में स्कूलों को क्रमोन्नत करते समय निम्न मापदण्डों के आधार पर क्रमोन्नत किया जाता है :—

(1) गांव की जनसंख्या।

(2) उपलब्ध बजट प्रावधान।

(3) छात्रों की संख्या।

(4) भवन व्यवस्थान।

(5) जनप्रतिनिधियों की मांग।

(6) फिडर विद्यालयों की स्थिति।

(7) निकटतम विद्यालय की दूरी जहां वर्तमान में सुविधा उपलब्ध है।

(2) रा. उ प्रा. (कन्या) विद्यालय गुढ़ाचन्द्रजी तहसील नादोती एवं टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा उक्त मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(3) राजकीय उच्च प्राथमिक (छात्रा) विद्यालय टोडाभीम के प्रस्ताव प्राप्त होने एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर अन्य विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय इस पर भी विचार किया जावेगा।

सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में तुलनात्मक अन्तर

102. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ एवं अध्यापन की सुविधा बेहतर है।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों की ओर अभिभावकों का रूझान ज्यादा है ?

(3) क्या सरकार सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अच्छी शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में लाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) सरकार अपनी वित्तीय सीमाओं में स्कूलों में अच्छे साधन-व सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही हैं। इसी दृष्टि से व्यवसायिक शिक्षा तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएं, शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन के कार्यक्रम तथा नवाचार सरकारी क्षेत्र में चलाए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों से तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला अलवर में प्रति-नियुक्त अध्यापक

103. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग जिला अलवर में जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र छात्राएं एवं प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं एवं अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ?

(2) प्रति नियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक, अध्यापिकाए एवं अन्य कर्मचारियों के मूल नियुक्ति स्थान एवं प्रतिनियुक्ति का स्थान व वेतन आहरित का स्थान एवं प्रतिनियुक्ति की तिथि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ? यदि हां, तो कौन अधिकारी उक्त अनियमित कार्यवाही के लिए दोषी है ?

(4) क्या सरकार प्रति नियुक्ति समाप्त कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग अलवर में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) के अधीन 9 शिक्षक तथा 2 अन्य कर्मचारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें) के अधीन 3 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(2) उक्त तथा कुल 14 प्रतिनियुक्त अध्यापकों/कर्मचारियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "क"।

(3) उक्त प्रतिनियुक्तियों के अतिरिक्त स्थानान्तरण/समायोजन के परिणामस्वरूप जिन 134 अधिशेष शिक्षकों का वेतन अन्यत्र से उठाया जा रहा है उनकी सूची परिशिष्ट "ख" में प्रस्तुत की गई हैं।

जी हां। दोषी अधिकारी का निर्णय विस्तृत जांच के उपरान्त हो सकेगा।

(4) जी, हां। प्रतिनियुक्तियां तत्काल समाप्त करने हेतु दिनांक 31-8-92 को पुनः निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जांच

(शिक्षा मंत्री)

के उपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ-6 देखें।)

विद्यालयों में तृतीय भाषा का मानदण्ड

104. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभिन्न विद्यालयों में तृतीय भाषा पढ़ाने के क्या मान दण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार मानदण्ड के आधार पर यह सुविधा प्रदेश में सभी जगह पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन सी तृतीय भाषा का अध्ययन कराया जा रहा है ?

(4) उक्त क्षेत्र की यदि किसी विद्यालय में सरकार के मानदण्ड के आधार पर तृतीय भाषा का अध्ययन कराया जाना अनिवार्य है, तो क्या सरकार उन विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तृतीय भाषा हेतु छात्रों की संख्या 15 होने पर, विषय प्रारम्भ किया जा सकता है।

(2) जी हां।

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में निम्न स्थानों पर तृतीय भाषा का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है :—

क्र सं.	नाम विद्यालय	तृतीय भाषा
(1)	रा.उ.मा.वि. रामगढ़	संस्कृत एवं पंजाबी
(2)	,, ,, गोविन्दगढ़	संस्कृत
(3)	,, ,, मुबारिकपुर	संस्कृत एवं पंजाबी
(4)	रा.मा.वि., मालपुर	संस्कृत
(5)	,, साहडोली	संस्कृत
(6)	,, अलावड़ा	संस्कृत एवं पंजाबी
(7)	,, धनेटा	संस्कृत
(8)	,, नौगांवां	संस्कृत
(9)	,, बाम्बोली	संस्कृत
(10)	रा.बा.मा.वि., रामगढ़	संस्कृत एवं पंजाबी

(4) मांग का औचित्य सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तृतीय भाषा के शिक्षण की सुविधा ऐसे विद्यालय में प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी।

ग्राम चावण्डिया (नावां) के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद

105. **श्री हरिश्चन्द्र** (नावां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चावण्डिया (नावां) के उच्च प्राथमिक

(श्री हरिश्चन्द्र)

विद्यालय में अध्यापकों के आठ पद हैं ? क्या वर्तमान में 6 अध्यापक कार्यरत हैं तथा 2 अध्यापकों का वेतन चावन्डिया स्कूल से उठता है किन्तु कार्य अन्यत्र करते हैं, ऐसा क्यों व किन नियमों के अन्तर्गत है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त 6 पदों में से भी एक अध्यापक श्री बन्सीलाल को चिताबा स्थानान्तरित कर दिया गया जिन्हें केवल 10 माह पूर्व ही चावन्डिया में पोस्टिंग किया गया था ? उनका स्थानान्तरण किस नीति के अन्तर्गत किया गया ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) ग्राम चावन्डिया (नावां) की उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी की जाकर वहां के शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार किस प्रकार होगा ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां । जी नहीं । वर्तमान में इस विद्यालय में 5 अध्यापक कार्यरत हैं । शेष 3 रिक्त पदों के विरुद्ध किसी अध्यापक का अन्यत्र कार्य करते हुए वेतन चावन्डिया से नहीं उठाया जा रहा है । ऐसा कोई नियम नहीं है ।

(2) जी, हां । श्री बंसीलाल अध्यापक का स्थानान्तरण उनकी स्वयं की प्रार्थना पर रिक्त पद पर ग्रामीण क्षेत्र में किया गया था । स्थानान्तरण नीति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) उच्च प्राथमिक विद्यालय, चावन्डिया (नावां) में अध्यापकों की कमी बनाये रखने की सरकार की कोई मंशा नहीं है । विद्यालयों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए सरकार जागरूक है । इस दृष्टि से विद्यालयों के रिक्त पद शीघ्र भरने के निर्देश दिये गये हैं । इस प्रकरण में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

अलवर शहर में चलने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या

106. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर शहर में चलने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय किन-किन स्थानों के लिये स्वीकृत हैं एवं इनमें प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की कितनी-कितनी संख्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ विद्यालय स्वीकृत स्थान पर न लगकर अन्य स्थानों पर लगते हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कई प्राथमिक विद्यालय भवन के अभाव में खुले मैदान में पेड़ के नीचे या एक कमरे में लगते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के भवन की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अलवर शहर में चलने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत स्थानों एवं उन विद्यालयों की छात्र संख्या का विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, ऐसे विद्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु राज्य योजना, केन्द्र योजना के अन्तर्गत राशि तथा पर्याप्त जन सहयोग उपलब्ध होने पर ही व्यवस्था की जा सकेगी।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 7-देखें।)

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद

107. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय, दुर्जनपुरा में पिछले कई वर्षों से अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। यहां प्रधानाध्यापक का एक पद तथा अध्यापकों के तीन पद रिक्त है।

(2) जी, हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन के लिये विभिन्न अकादमियों की स्थापना

108 **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में स्तरीय साहित्य के प्रकासन और उसे सर्व सुलभ कराने के लिये राज्य में विभिन्न अकादमियों की स्थापना की गई? यदि हां, तो इन अकादमियों ने अभी तक अपनी-अपनी भाषा में कुल कितने प्रकाशन किए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) (अ) अकादमी द्वारा प्रकाशन के लिए पाण्डुलिपि स्वीकृति करने से पूर्व क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(ब) क्या यह सही है कि अकादमी के प्रकाशन का मूल्य बहुत अधिक है और यहां तक की बाजार में बिकने वाले प्रकाशकों की किताबों की कीमतों के बराबर हैं? अकादमियों के प्रकाशन कम कीमत पर आम जनता को सुलभ कराने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

(शिक्षा मंत्री)

(स) क्या यह भी सही है कि अकादमियां अपने प्रकाशनों को आम आदमी तक पहुंचाने में विफल रही है और उसके अधिकतर प्रकाशनों की प्रतियां भण्डार में बन्द हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इन प्रकाशनों का समूल्य या निःशुल्क राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में वितरण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है ? कि भाषाई अकादमियों के हिसाब-किताब की प्रतिवर्ष स्थानीय अंकेक्षण विभाग और ए. जी. से ऑडिट कराने का उत्तर विधान सभा के गत अधिवेशन में दिया गया था ? यदि हां, तो किन-किन अकादमियों में यह ऑडिट प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी हां । अकादमियों द्वारा किये गये प्रकाशन की सूची संलग्न है । परिशिष्ठ 1 से 6 तक । सिन्धी अकादमी द्वारा अपने स्तर पर कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाती हैं ।

(2) साहित्य प्रकाशन हेतु प्रकाशन समितियां बनी हुई है तथा प्रकाशनार्थ पांडुलिपियां विज्ञप्ति द्वारा आमन्त्रित की जाती है एक निश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत पाण्डुलिपि की समीक्षा किये जाने के पश्चात् प्रकाशन हेतु चयन की जाती है । (संलग्न है परि.-7) जी नहीं । राज. साहित्य अकादमी को छोड़कर अन्य सभी अकादमियों के प्रकाशन मूल्य कम रखें जाते हैं जिसे सर्वसाधारण भी क्रय कर सकता है सभी अकादमियां के प्रकाशन प्रकाष्ठ स्थापित है तथा अपने प्रकाशन का कम कीमत पर आम जनता में सुलभ कराने के लिए नियम/योजना बनाने के लिए सक्षम है । केवल राज. साहित्य अकादमी को छोड़कर सभी अकादमियां अपना साहित्य आम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल रही हैं ।

(3) जी नहीं । सभी अकादमियां अपने-अपने प्रकाशन प्रकाष्ठ स्थापित किये हुये है जो अपने साहित्य की बिक्री के लिए सतत् प्रयत्नशील है तथा प्रकाशन को समूल्य या निशुल्क पहुंचाते रहते हैं । साहित्य के प्रकाशन मूल्य को कम रखने एवं वितरण व्यवस्था का सुचारु रूप संचालन करने के लिए अकादमी स्वयं सक्षम हैं ।

(4) जी हां । महालेखाकार राज. जयपुर एवं निदेशक, निधि अंकेक्षण विभाग राज. को लिखा हुआ है । महालेखाकार द्वारा राज. साहित्य अकादमी, उदयपुर, राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर एस. राज. संस्कृत अकादमी जयपुर का आडिट किया गया । शेष के बारे में पुनः स्मरण करा दिया गया है । निदेशक, निधि अंकेक्षण से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

प्राथमिक विद्यालय रीजवास (सवाईमाधोपुर) की क्रमोन्नति

109. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय रीजवास पंचायत समिति हिण्डौन, जिला-सवाई माधोपुर कब खुला और उसे अब तक उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार ग्राम रीजवास में पड़ौसी गांव व स्थानीय गांव के छात्रों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय रीजवास को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय रीजवास पंचायत समिति हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर अक्टूबर, 1954 में खुला (क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने, उपलब्ध बजट प्रावधान एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत हेतु विचार किया जा सकेगा ।

(2) राज्य के अन्य प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करते समय ग्राम रीजवास के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा ।

राज्य में लवण भू-खण्डों के बेचान के मामलों में वैधानिक उत्तराधिकार पर रोक

110. श्री भंवर लाल (सुजानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लवण भूखण्डों के बेचान/स्थानान्तरण/भागीदारी परिवर्तन के मामलों में वैधिक उत्तराधिकारी तथा पारिवारिक सदस्य के अलावा राज्य सरकार ने अन्य पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत तथा कब से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पिछले समय के बहुत से लवण भूखण्डों के पट्टों के बेचान हस्तान्तरण/भागीदारी परिवर्तन किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन के ? वर्ष 1980 से अब तक किये गये कितने प्रकरण लम्बित हैं ? समस्त प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा बजट सत्र 1992 में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 द्वारा नियमों में यथाशीघ्र संशोधन करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ? अब कब तक नियमों में संशोधन कर लम्बित पड़े बकाया प्रकरणों को निपटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । वृद्धावस्था/पारिवारिक सदस्यों को छोड़कर अन्य स्थानान्तरण के

(उद्योग मंत्री)

प्रकरण लम्बित रखने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार नियमों में उचित संशोधन करने का मानस रखती है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नियमों में संशोधन के प्रस्ताव विचाराधीन है। नये नियमों का प्रारूप नियम प्रसारित करने हेतु राजस्व विभाग को भिजवाये जा चुके हैं। लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमों में संशोधन के पश्चात् तत्परता से किया जावेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य की रुग्ण एवं बन्द औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना की सम्भावना

111. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों एवं बन्द लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्स्थापना की सम्भावनाओं पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था ?

(2) उक्त समिति ने कितनी इकाइयों का सर्वेक्षण किया ? कितनी को पुनर्स्थापित किया व कितनी को बेचने का निर्णय लिया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सर्वेक्षण में लघु उद्योग संघों के क्या सहयोग लिया गया एवं कितने लघु उद्यमियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ?

(4) पिछले एक वर्ष में जिन इकाइयों की नीलामी वित्त निगम द्वारा की गई है क्या उन सभी इकाइयों का इस समिति द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा रुग्ण इकाइयों के पुर्नसंस्थापन हेतु वर्तमान में जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्शदात्री समिति की एक स्थाई उप समिति का गठन किया गया है।

(2) जिलों में इस उप समिति ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है जैसे—रुग्ण इकाइयों की सूचना एकत्रित करना, बैंकों से कार्यशील पूंजी दिलाने का प्रयास करना, राजस्थान वित्त निगम से ऋण सुविधा दिलाने का प्रयास, विद्युत शुल्क की वसूली स्थगित कराना, राजस्थान वित्त निगम/बैंक के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण कराना, रुग्ण इकाइयों की पहचान करना, बैंकों और राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना, कार्यशील पूंजी की उपलब्धि की कठिनाइयों का बैंकों के साथ निवारण कराना इत्यादि। इस समिति का कार्य जीवक्षम्य रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में अपनी अभिशंषा जिला औद्योगिक परामर्श दात्री समिति को प्रस्तुत करनी

(उद्योग मंत्री)

होती है तथा पुर्नसंस्थापन/पुर्नसंचालन हेतु किये गये उपायों की समीक्षा व मोनीटरिंग करना होता है। किसी इकाई को बेचने का निर्णय इस समिति द्वारा लिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) कुछ जिलों द्वारा उद्योग संघों से भी रूग्ण इकाइयों के विषय में सूचना व सहयोग लिए जाने की जानकारी मिली है। किसी रूग्ण इकाई के जीवक्षम्य पाये जाने पर उसके पुनर्वास के लिए उद्यमी से विचार-विमर्श किया जाना होता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर कमेटी कर सकती है।

(4) राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिन इकाइयों की नीलामी की जाती है, उनमें रूग्ण इकाइयों के अलावा अधिकांशतः बन्द हो चुकी इकाइयों व ऋण का चुकारा न करने पर राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपने कब्जे में ली गई इकाइयां शामिल होती है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण उपरोक्त समिति द्वारा किया जावे।

राज्य में कार्यरत राजकीय उपक्रम

112. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में कितने राजकीय उपक्रम कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने उपक्रम घाटे में चल रहे हैं तथा उनके निजीकरण की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) उपक्रम ब्यूरो के अधीन वर्तमान में 41 राजकीय उपक्रम हैं जिनकी सूची परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1990-91 के अन्त में 18 उपक्रम घाटे में चल रहे थे।

राजकीय उपक्रमों की विस्तृत समीक्षा कर उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु एवं हानि में चल रहे उपक्रमों के विकल्प के बारे में सुझाव देने हेतु राज्य सरकार ने श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

इसी मध्य एक उपक्रम राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. को निजी क्षेत्र में हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

सामोद के महल का रख-रखाव

113 श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग द्वारा सरकार को सामोद के ऐतिहासिक महल के आस-पास खनन रोकने व महल के अस्तित्व को खतरा होने की रिपोर्ट पेश की गयी है ? यदि हां, तो कब ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई, यदि हां, तो क्या और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 19-2-1992 को सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग एवं खान विभाग के अधीक्षण खनि, अभियन्ता जयपुर एवं खनि अभियन्ता, जयपुर ने सामोद महलों के आसपास स्वीकृत सीलीका-सेण्ड खनन कार्य का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खान विभाग के अधिकारियों द्वारा पुनः इस क्षेत्र का दिनांक 5-5-92 को निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार यह पाया कि पट्टाधारी ने तकनीकी बिन्दुओं पर दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है। उक्त आधार पर राज्य सरकार ने दिनांक 6-6-1992 को पट्टाधारी नोटिस दिया। पट्टाधारी द्वारा नोटिस में बताये गये दोषों का निवारण नहीं किया गया। खनन पट्टाधारी ने मुन्सिफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (द्वितीय), जयपुर सिटी के न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत कर विभाग के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया है। यह प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में एक जनहित याचिका एस. बी. सिविल रिट पाटिशन नं 5682/92 श्री कालूराम बनाम सरकार भी दायर हुई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पर्यटन विकास निगम की इकाइयां

114. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा गत 2 वर्षों में कितनी नई इकाइयां खोली तथा कितनी इकाईयां बन्द की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नई इकाइयों का सरकारी क्षेत्र में खोलने का क्या औचित्य है, जबकि राज्य सरकार की नीति निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की है?

(3) निजी क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा गत दो वर्षों में खोली गई इकाईयां एवं बंद की गई इकाईयों की सूची "परिशिष्ट–क" संलग्न है।

(2) नये क्षेत्रों में पर्यटन विकास के उद्देश्य से भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसी वित्तीय सहायता के अन्तर्गत नई इकाईयां खोली गई है।

(3) निजी क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग का दर्जा दे दिया है। निजी क्षेत्र में भावी होटल निर्माताओं को दी जाने वाली रियायतों पर सुझाव देने हेतु उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित कर दी है एवं राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की दिशा में पेइंग गेस्ट योजना के तहत सभी इच्छुक व्यक्तियों का पंजीकरण करवा कर उदयपुर,

(पर्यटन मंत्री)

जयपुर, जोधपुर शहरों में पेइंग गेस्ट योजना की एक निर्देशिका जारी की गई है। 9 शहरों में और इस योजना को लागू किया जा रहा है। पुराने गढ़ो, हवेलियों को होटल में परिवर्तित करवाने के उद्देश्य से एक नई श्रेणी हेरीटेज होटल का सृजन किया है। इसके अन्तर्गत अब तक 11 सम्पत्तियों को हेरीटेज होटल की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है। सभी निजी स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के मालिकों से आवेदन मांगे गये हैं ताकि इन पर भी एक निर्देशिका प्रकाशित करवाई जा सके। इसके अलावा निजी क्षेत्र में होटल निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध करवाने, गैस, टेलिफोन कनैक्शन के लिए तथा शहरी भूमि सिलींग में छूट दिलवाने हेतु विभाग सिफारिश करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

अकादमियों की बैठकों का भत्ता

115. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन अकादमियों की सामान्य सभा बैठकों में सम्मिलित होने पर सदस्यों को यात्रा-भत्ता और दैनिक-भत्ता आदि देने के क्या नियम है और यह नियम किस अधिकृति से स्वीकृत हैं? क्या इन नियमों हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है?

(2) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व ललित कला अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता व चिकित्सा भत्ता किन नियमों के तहत दिया जा रहा है और इनकी क्या-क्या दरें निर्धारित हैं?

(3) क्या यह सही है कि उन अकादमियों में राज्य सरकार से अधिक और नियमों के विपरीत भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी तथा अरबी-फारसी शोध संस्थान के सेमिनार आदि में भाग लेने पर, पत्रवाचन करने पर, क्या मानदेय दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा राजस्थान ललितकला अकादमी की सामान्य सभा को बैठकों में सम्मिलित होने पर सदस्यों को यात्रा भत्ता इन अकादमियों की साधारण सभा द्वारा पारित निर्णय (रिजोलूशन) के अन्तर्गत दिया जाता है। वर्तमान में निम्नानुसार भत्ते देय हैं :

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

	राजस्थान ललितकला अकादमी	राजस्थान संगीत नाटक अकादमी
बाहर से आने वाले सदस्यों के लिए	50/- रु. सिटिंग फीस 50/- रु. दैनिक भत्ता 120/- रु. प्रतिदिन तक का होटल चार्ज प्रथम श्रेणी का रेल किराया	50/- रु. सीटिंग फीस 40/- रु. इंसीडेन्टल चार्जेज 125/- रु. दैनिक भत्ता 125/- रु. होटल चार्जेज प्रथम श्रेणी या ए. सी. द्वितीय श्रेणी का रेल किराया
स्थानीय सदस्यों के लिए	50/- रु. सीटिंग फीस 50/- रु. कनवेन्स चार्जेज	50/- रु. सीटिंग फीस 50/- रु. कनवेन्स चार्जेज

उक्त संस्थायें रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं और इनके विधान के अनुसार साधारण सभा ही नियम बनाने में सक्षम है।

(2) राजस्थान ललितकला अकादमी तथा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता भी उक्त अकादमियों की साधारण सभा द्वारा पारित किये गये निर्णय (रिजोलूशन) के तहत ही दिया जाता है जहां तक यात्रा भत्ता की दरें हैं वह राज्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के समान है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा के दौरान आवास हेतु निम्न दरों से भत्ते भी दिये जाते हैं :—

क्र. सं.		श्रेणी	जयपुर के लिए होटल किराया	राज्य के अन्य स्थानों के लिये होटल किराया
1.	क	3000/- से अधिक	120/- रु.	100/- रु.
2.	ख	1800/- से 2999/- तक	100/- रु.	80/- रु.
3.	ग.	1200/- से 1799/- तक	80/- रु.	60/- रु.
4.	घ.	1200/- से कम	60-/ रु.	40-/ रु.

यह राशि होटल विश्रान्ति गृह या आवास गृह की रसीद प्रस्तुति पर ही देय होगी। राजकीय विश्रान्ति गृह या अकादमी द्वारा आवास व्यवस्था सुलभ कराने की स्थिति में उक्त परिपूर्ति नहीं की जायेगी।

अकादमी कर्मचारियों को कार्यक्रम व अन्य कार्यों हेतु अनेक स्थानों पर लघु यात्रायें करनी पड़ती है जिसका आर्थिक भार कर्मचारियों पर पड़ता है अतः जिस तरह कर्मचारियों को राजस्थान से बाहर जाने

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

पर उस स्थान को लघु यात्राओं के लिए किये गये व्यय का पुनर्भरण किया जाता है उसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान की यात्राओं के लिए देय है।

चिकित्सा के सम्बन्ध में चूंकि अकादमियों के कर्मचारियों को अस्पतालों आदि में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर सुविधायें नहीं मिलती हैं अत. चिकित्सा व्यय पुनर्भरण की बजाय सामान्य सभा द्वारा पारित नियमों के अनुसार निम्न दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाता है :

राजस्थान ललितकला अकादमी	राजस्थान संगीत नाटक अकादमी		
मूल वेतन का 6%	वार्षिक मूल वेतन तक	8000–12000/–	14%
	,, ,,	12000–18000/–	12%
	,, ,,	18000/– से अधिक	8%

(3) इन अकादमियों में उनकी साधारण सभाओं के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार ही भत्ता दिया जा रहा है।

(4) ललितकला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और अरबी फारसी शोध संस्थान के सेमिनारों में भाग लेने वाले पत्र वाचकों को निम्न मानदेय दिया जाता है :

राज ललित कला अकादमी	राज. संगीत नाटक अकादमी	अरबी फारसी शोध संस्थान
1000/– रु.	अकादमी द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/सेमीनार आदि में भाग लेने वाले विद्वानों को उनकी प्रतिष्ठा व्यक्तित्व एवं ख्याति के अनुरूप मानदेय दिया जाता है।	100/– रु.

पालेश्वर महादेव मन्दिर (कोटा) का रख-रखाव

116. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पीपल्दा तहसील के गांव हरिपुरा में पालेश्वर महादेव (हांडी पाली) नामक अति प्राचीन शिव मन्दिर बहुत ही महत्वपूर्ण है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए उस स्थान की सुरक्षा, रख-रखाव एवं आवागमन की उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) पालेश्वर महादेव मन्दिर को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। इसकी देखरेख व सुरक्षार्थ एक स्मारक परिचारक नियुक्त है। आवागमन की व्यवस्था इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है। मन्दिर तक सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को पूर्व में ही लिखा गया है।

राज्य में खोली गई प्राथमिक शालाएं

117. श्री सम्पतसिंह (नगर), श्री गोपालसिंह (खण्डेल) एवं श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रांत में वर्तमान वर्ष में कितनी प्राथमिक शालाएं शुरू की गई? जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भरतपुर जिला शिक्षा प्रसार हेतु विशेषतः चुना गया है? यदि हां, तो क्या विशेष योजना शुरू की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वहां सिर्फ पांच प्राथमिक शालाएं शुरू की है? यदि हां, तो पूरे जिले में सिर्फ पांच शालाएं शुरू करना अपर्याप्त नहीं है? ऐसा करने का क्या औचित्य है? जिले में इसका वितरण किस आधार पर किया गया है?

(4) नीम का थाना (सीकर) एवं नगर (भरतपुर) पंचायत समितियों में कितनी-कितनी नवीन प्राथमिक शालाएं शुरू की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रांत में वर्तमान में वर्ष 92-93 में कुल 623 प्राथमिक विद्यालय खोले गये है। जिलेवार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। भरतपुर जिले में निदेशालय प्रौढ शिक्षा द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चालू है।

(3) जी नहीं। भरतपुर जिले में वर्ष 92-93 में कुल चार प्राथमिक विद्यालय खोले गये है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या एवं पहाडी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 150 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में प्राथमिक शालाएं खोली गई है।

(4) पंचायत समिति नीम का थाना में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया तथा पंचायत समिति नगर में एक प्राथमिक विद्यालय उक्त मापदण्ड के अनुसार खोला गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

सीमा विकास कार्यक्रम के तहत खोले गये विद्यालय

118. श्री अमीन खां (शिव) एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष सीमा विकास कार्यक्रम के तहत सारी प्राई-

(श्री अमीन खां)

मरी स्कूलें एक ही सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर में खोल दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) सीमावर्ती चार जिलों में गत वर्ष सीमा विकास कार्यक्रम के तहत जो स्कूलें खोली गयी उन चारों जिलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सीमावर्ती जिलों में गत वर्ष कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया।

ग्राम पंचायत दुगारी (बून्दी) द्वारा दिये गये पट्टे

119. **श्री घासीलाल चौपड़ा** (टोडा-रायसिंह) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,—

(1) क्या 1 जुलाई, 1988 से 31 जुलाई, 1991 तक ग्राम पंचायत दुगारी (जिला बून्दी) द्वारा भूमि के प्लाटों के पट्टे जारी किए हैं? यदि हां, तो पट्टा जारी करने की तिथि, कीमत व पट्टा प्राप्त करने वालों की पूरी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जारी किए गए पट्टे किस-किस खसरा नम्बरान की भूमि के हैं तथा राजस्व रेकार्ड में भूमि की कौनसी किस्म दर्ज है?

(3) उक्त पट्टों में से कितने पट्टे सरपंच के एवं ग्राम पचायत में कार्य कर रहे कर्मचारियों के परिवारों के तथा नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर जारी किए गए हैं? सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(4) नियम विरुद्ध जारी किए गए पट्टों के बाबत क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित कार्यवाही का फैसला कब तक कर दिया जावेगा?

(5) नियम विपरीत पट्टे जारी करने के लिए कौन दोषी है तथा दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ण विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नियम विरूद्ध जारी किये गये पट्टों के निरस्तीकरण हेतु विधि अनुसार निगरानी जिला कलेक्टर, बूंदी के न्यायालय में पेश करने हेतु विकास अधिकारी को पत्रांक 266 दिनांक 15-7-92 से निर्देशित किया जा चुका हैं।

(5) नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने के लिए तत्कालीन सरपंच श्री मोतीलाल धाबाई व पूर्व सचिव दोषी है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु जिला कलक्टर, बूंदी को निर्देशित कर दिया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम केसरपुरा (पाली) की खान

120. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सहायक अभियन्ता खनिज विभाग सोजत सिटी (पाली) की ग्राम पंचायत सुमेल के ग्राम केसरपुरा में खान है? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में तथा वहां पर किस किस व्यक्ति को खान आवंटित की हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में अनुज्ञा-पत्र लेने हेतु किस-किस व्यक्ति की पी. एल. लगी हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में किये जा रहे अवैध खनन को रोकने के बारे में ग्राम विकास मण्डल, सुमेल द्वारा कोई शिकायत विभाग को की गई है? यदि हां, तो शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायत एवं कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवैध खनन बन्द कर दिया गया? यदि नहीं, तो कब तक बन्द कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र अनुदान हेतु जिन व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

(3) जी हां। उक्त मामले में दिनांक 26-11-91 को क्षेत्र का मौका-निरीक्षण कर पंचनामा बनाया जाकर विभागीय जांच के अनुसार श्री भीमराज पुत्र घीसूलाल निवासी-सुमेल को सहायक खनि. अभियन्ता, सोजत ने पत्र दिनांक 28-2-92 से नोटिस जारी किया। क्षेत्र का दिनांक 23-1-92 को पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें अवैध खनन कार्य मौके पर बन्द पाया गया। क्षेत्र का दि. 5-3-92 को पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर तीन व्यक्तियों ओंकार गुर्जर, मेवा गुर्जर एवं बलदेव गुर्जर नामक अवैध खननकर्त्ताओं के विरूद्ध पंचनामा बनाया गया। बनाये गये पंचनामा के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दिनांक 29-7-92 को नोटिस जारी किये गये। दोषी व्यक्तियों को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उपरोक्त सभी मामलों में अनधिकृत खनन की राशि जमा नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध अवैध खनन कार्य से प्राप्त खनिज की कीमत की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के तहत की जा रही है, जो जारी है। शिकायत एवं की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) वर्तमान में अवैध खनन कार्य बन्द है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मकराना खनिज क्षेत्र से प्राप्त रायल्टी

121. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले पांच वर्षों में सरकार को मकराना क्षेत्र से खनिज रायल्टी से प्रति वर्ष कितनी धन राशि प्राप्त हुई है?

श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

(2) उक्त पांच वर्षों में मकराना खनिज विभाग के कार्यालय पर प्रतिवर्ष कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी है ?

(3) उक्त क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा पिछले पांच वर्ष में कहां-कहां, कितनी-कितनी सड़के बनायी एवं उस पर कुल कितना खर्च किया गया ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में मकराना खनिज विभाग को खनिज रायल्टी से प्रतिवर्ष निम्नानुसार धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई :–

वर्ष	आय (रु. लाखों में)
1987-88	259.46
1988-89	363.65
1989-90	391.07
1990-91	445.68
1991-92	580.33

(2) उक्त पांच वर्षों में सहायक खनिज अभियन्ता, मकराना कार्यालय (खनिज विभाग) पर प्रतिवर्ष निम्नानुसार राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी:—

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (रु. लाखों में)
1.	1987-88	5.28
2.	1988-89	6.33
3.	1989-90	8.13
4.	1990-91	9.26
5.	1991-92	9.69

(3) मकराना में खनिज विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में किसी नई सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, लेकिन क्षेत्र में पूर्व में निर्मित निम्न दो सड़कों पर मरम्मत का कार्य हुआ है। जिन पर मार्च, 1991 तक रु. 13,45,621/-की राशि व्यय की गयी।

क्र.सं.	सड़क का नाम	मार्च, 91 तक व्यय
1.	मकराना से बिडीयार	8,54,012
2.	मकराना से मातावर माइन्स	4,91,579
		13,45,621

जिलाधीश, राजसमन्द द्वारा जारी अनापत्ति/प्रमाण-पत्र

122. **श्री शान्तिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 4-9-1991 से अब तक जिलाधीश राजसमन्द द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर किन-किन व्यक्तियों को खनन विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये ? पट्टेधारियों के नामों की सूची मय पूर्ण पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) खनन की किस्म भूमि का खसरा एवं किस्म भूमि एवं स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 10-4-91 से अब तक जिलाधीश, राजसमन्द द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई खनन पट्टा स्वीकार नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 123

(स्थगित)

तलवाड़ा (बांसवाड़ा) में मार्बल की खानें

124. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किस-किस जिले में मार्बल की खानें हैं और इनमें किस किस्म का मार्बल निकाला जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के गांव तलवाड़ा व उमराई में (त्रिपुरा सुन्दरी) मार्बल की खानें चल रही हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक खान के मालिक का नाम व जाति दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में नागौर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, राजसमन्द, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, अलवर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा एवं सीकर जिलों में संगमरमर की खानें है। जिनमें मुख्यतः सफेद, सफेद धारीदार, काला धारीदार, गुलाबी, हरा रंग का संगमरमर निकाला जाता है।

(2) जी हां। स्वीकृत खान मालिकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जोधपुर तहसील में क्वारी लाइसेन्स

125. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर तहसील के खान क्षेत्र में क्वारी लाइसेन्स क्षेत्रों में क्षेत्रानुसार कितने लाइसेन्स दिये हुये हैं ?

(2) क्या राज. अप्रधान खनिज नियमावली 86 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कोई क्वारी लगातार तीन माह तक बिना सक्षम अधिकारी को सूचित किये अनओपरेटेड नहीं रह सकती है ? क्या इस प्रकार की कोई सूचना उक्त क्षेत्र की खानों के बारे में खनिज अभियन्ता जोधपुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संख्या क्वारी लाइसेन्स के नम्बर के साथ सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र की सभी आवंटित क्वारियां चालू हैं ? क्या इस बाबत संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कर्मचारियों यथा फोरमेन, फील्ड एसीसटेन्ट, सर्वेयर, खनिज रक्षक इत्यादि से समयवार रिपोर्ट ली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सभी क्वारी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कर्मचारियों, फोरमेन, फील्ड एसीसटेन्ट, सर्वेरय, इत्यादि को नियमानुसार मासिक रिपोर्ट लगातार पिछले 5 वर्षों से ली जा रही है ? इन रिपोर्ट्स में क्या कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्र मे चालू तथा बन्द

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

क्वारियों का जिक्र किया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? यदि किया गया है, तो उनके द्वारा बन्द क्वारियों की दी गयी रिपोर्ट बाबत क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) उस क्षेत्र में नियमानुसार क्या आज तक कोई भी क्वारी, प्रथम आवंटन के बाद लगातार तीन माह बिना सूचना के बन्द रहने के कारण निरस्त की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जोधपुर में केरू क्षेत्र में 25 खान व फिदूसर में 89 खाने बन्द होने की सूचना मिली। बन्द क्वारी लाइसेन्स के नम्बरों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उपरोक्त क्वारी क्षेत्र की अधिकांशत: आवंटित खाने चालू है। क्षेत्र से सम्बन्धित कर्मचारियों से इस बाबत् समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(4) जी हां। मासिक रिपोर्ट में कर्मचारियों द्वारा उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण दिया जाता है। मासिक रिपोर्ट में खानों के चालू एवं बंद होने का कोई कालम नहीं होने से उसमें तत्सम्बन्धित विवरण नहीं दिया जाता है। बन्द खानों के सम्बन्ध में तकनीकी कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर खननधरियों को नियमानुसार नोटिस दिये गये, जिन पर आगे कार्यवाही जारी है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य में लोक अदालतें

श्री 126. गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लोक अदालतों की अवधारणा काफी हद तक सफल रही है ? यदि हां, तो इसका और विस्तार करने की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार समता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से लोक अदालतों की अवधारणा को कार्यपालिका के न्यायालयों में भी लागू कर सकती है ताकि राजस्व, फोजदारी व अन्य छोटे-मोटे मुकदमें कैम्प लगाकर निपटाये जा सकें ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा लोक अदालत की अवधारणा के ओर सुदृढ़ीकरण के प्रयास जारी हैं।

(2) जी हां, सत्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से लोक अदालतों की अवधारणा कार्यपालिका के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों को निपटाने में भी

(विधि एवं न्याय राज्य मंत्री)

लागू हैं और लोक अदालतों के माध्यम से उन न्यायालयों के मुकदमें भी निपटाये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 127

(स्थगित)

मकराना में सामूहिक नलकूप योजना

128. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मकराना पंचायत समिति क्षेत्र का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो मकराना पं. स. क्षेत्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान के सभी जिलों में सामुहिक नलकूप योजना बनाकर लागू की हैं ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट में पानी मीठा या खारा होने पर भी लागू होगी या सिर्फ मीठा पानी मिलने पर लागू होगी ?

(3) मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में कौन-कौन से गांवों के कुओं का पानी पीने योग्य नहीं है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मकराना पंचायत समिति क्षेत्र का विस्तृत भूतल सर्वेक्षण वर्ष 1983 से 1991 की अवधि में कराया गया प्रतिवेदन परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां, सामूहिक नलकूप योजना मीठे पानी वाले क्षेत्रों में ही लागू होगी।

(3) मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के जिन गांवों का पानी पीने योग्य नहीं है, उनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखा गया।)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री एम. हिदायतुल्ला पूर्व उपराष्ट्रपति एवं श्री विट्ठल भाई, पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा का निधन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हिदायतुल्ला एवं श्री विट्ठल भाई, जिनका स्वर्गवास हुआ है, के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री हिदायतुल्ला खां साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनकी विद्वता के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय वह बहुत थोड़ा रहेगा। प्रारम्भ से ही वकालत शुरू की। वकालत शुरू करने के बाद वह न्यायाधीश बने। अपनी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और ज्ञान के कारण से वह हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

श्री हिदायतुल्ला वैचारिक दृष्टि से बहुत ही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र व्यक्ति रहे हैं।

उपराष्ट्रपति के रूप में जिस प्रकार से राज्य सभा का उन्होंने संचालन किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्थाएं की हैं जिनके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कारण से राज्य सभा के कार्य संचालन में काफी सुविधा मिली है।

वह बहुत ही विनोदप्रिय थे। चाहे न्यायालय में आर्ग्यूमेंट्स का समय हो, चाहे राज्य सभा में किसी विषय पर चर्चा हो, उनमें एक विशेषता थी कि चाहे आर्ग्यूमेंट्स में किसी प्रकार से तनाव पैदा हो जायें, चाहे राज्य सभा में किसी चर्चा के के समय किसी प्रकार का तनाव पैदा हो जाये, वह अपने बुद्धिकौशल और विनोदप्रियता के कारण कुछ इस प्रकार का इन्टरवेंशन करते थे जिससे तनाव कम हो और जो भी चर्चा करना चाहते हैं वह गम्भीरता से उस विषय की चर्चा पर लग जायें।

उनका देहावसान पूरे देश के लिए बहुत ही शोक का विषय है। उनकी क्षतिपूर्ति भी होना इस देश के लिए बहुत कठिन है।

श्री विट्ठल भाई इस राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के नेता थे। आदिवासियों में उनकी प्रतिष्ठा थी। आदिवासियों के सम्बन्ध में कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं को इस सदन में वह उजागर करते रहे हैं। आदिवासियों में जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने अपनी विश्वसनीयता प्राप्त की और उसी का परिणाम है कि श्री विट्ठल भाई कई बार सदस्य चुने गये।

मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। उनका शोक सतप्त परिवार इस दारुण को सहन कर सके, इस प्रकार की शक्ति प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय सदन के नेता ने शोकाभिव्यक्ति के जो उद्गार प्रकट किये हैं उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

श्री एम हिदायतुल्ला एक बहुत ही शानदार विधिवेत्ता थे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक वकील के रूप में की। गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल बने। उसके बाद मध्य-प्रदेश हाई कोर्ट के जज और और मुख्य न्यायधीश बने। फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद हिन्दुस्तान के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध वह चुने गये।

मुझे और मेरे मित्र श्री देवपुराजी को को यह सौभाग्य प्राप्त ह, जब वह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते थे, स्वर्गीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया के इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई थी उस समय हमें वहां पर हाजिर रह करके उनकी सारी बातों को देखने का मौका मिला और हम इस बात से दोनों ही बहुत प्रभावित थे। हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि वह कितने विनोदप्रिय और कितने इंटेलीजेंट आदमी थे और कितने अच्छे विधिवेत्ता थे।

ऐसे महान् पुरुष, जो शिक्षा के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में और दूसरे अन्य क्षेत्रों में बहुत ही शानदार आदमी थे, के चले जाने

(श्री चन्दनमल बैद)

से इस देश को सचमुच बहुत बड़ी क्षति हुई है।

उन्होंने बहुत ही शानदार जीवन जीया और हर आदमी यह कामना कर सकता है कि उनके जैसा शानदार जीवन जीये।

उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और उनके प्रति अपनी गहर श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं।

श्री विट्ठल भाई तीसरी विधान सभा, चौथी विधान सभा और पांचवी विधान सभा के सदस्य रहे हैं।

वह अपने क्षेत्र से बहुत ही जुड़े हुए व्यक्ति थे। तीन बार लगातार चुनकर आने का मतलब यही है कि वह जनता से, जनता के कार्यों से बहुत ही जुड़े हुए और उनकी समस्याओं को सुलझाने वाले व्यक्ति थे।

आदिवासी होने के बावजूद, थोड़े पढ़े-लिखे होने के बावजूद विधान सभा में हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने कारगर रूप से रखा और हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे कि उनके क्षेत्र की समस्याओं का अच्छी तरह से हल हो सके।

मैं उनको भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों महान् नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (नेता, जनता दल (दि.) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा जो शोक प्रस्ताव स्वर्गीय श्री हिदायतुल्ला खां और श्री विट्ठल भाई के लिए सदन में रखा गया है उसमें मैं अपनी भावना सम्मिलित करता हूं।

स्वर्गीय श्री हिदायतुल्ला खां साहब जुडिशियरी के क्षेत्र में एक अमिट छाप इस प्रकार की छोड़ कर गये हैं जो मैं समझता हूं कि आज उनके जाने से इस क्षेत्र के अन्दर, न केवल इस क्षेत्र में बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने जो उत्कृष्टता प्राप्त की उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती।

उनका हाल ही में देहावसान हुआ, वह देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यह ईश्वर से कामना करता हूं।

श्री विट्ठल भाई मेरे साथ विधान सभा में सदस्य रहे हैं। वह समाजवादी विचारधारा के कट्टर पक्षधर और नेता रहे हैं। उन्होंने हमेशा देहाती क्षेत्र में, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र के अन्दर कार्य किया है। वह भी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को जो यह धक्का लगा है, उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दोनों दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा (नेता, जनता दल) : अध्यक्षजी, श्री एम. हिदायतुल्ला जी, अगर मैं यह कहूं कि टावरिंग इन्टेलेक्चुअल्स थे इस देश के, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

बतौर प्रेक्टिसिंग लॉयर, बतौर लॉ कालेज में लेक्चरर उसके बाद गवर्नमेंट एडवोकेट, उसके बाद जज फिर चीफ जस्टिस, फिर अपेक्स बॉडी के चीफ जस्टिस, फिर उप राष्ट्रपति और एक्टिंग राष्ट्रपति भी रहे।

अध्यक्षजी, हमारे लीगल सिस्टम में और जूरिस्प्रडेंस में जो उनके लेख हैं, एक बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन है। अगर मैन आफ लैटर्स थे, सही मायने में मेन ऑफ लैटर्स थे। अध्यक्षजी, इसके साथ-साथ वे हमारे सेक्यूलेरिज्म के प्रतीक भी कल्चर फिलॉसिकी को मानने वाले थे। इसलिये ऐसे शख्स की बहुत बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री थी। वे हमारे बीच में आज नहीं रहे, हम सबको इसके लिये दुःख है।

श्री विट्ठलभाई खास तौर पर हमारे बहुत नजदीकी साथी थे। आदिवासी इलाके में समाजवादी आन्दोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जंगल में एक मामूली सी झोंपड़ी में पैदा होकर तीन बार इस महान् सदन के सदस्य रहे। अपनी शराफत से, अपने समर्पण से, अपने त्याग और संघर्ष से उस इलाके में अपनी अमिट छाप छोड़ गये।

मैं और मेरा दल इन दोनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

श्री नत्थीसिंह (नेता, जनता दल (अ)) : अध्यक्षजी, स्वर्गीय हिदायतुल्ला साहब जहां कुशल कानून विशारद थे, कानून के क्षेत्र में जहां उन्होंने लोगों का पथ प्रदर्शन किया वहीं वह एक अच्छे, जैसा कि सदन के नेता महोदय ने कहा, पार्लियामेंटेरियन भी साबित हुए और राज्य सभा को भी उन्होंने कुशल नेतृत्व प्रदान किया।

कभी-कभी अध्यक्ष के आसन पर बैठे हुए व्यक्ति की जो व्यथा होती है उस व्यथा का वह अपने विनोदप्रिय स्वभाव से सहज ही समाधान कर देते थे।

इसके साथ-साथ, उन्होंने एक बार नहीं, दो बार हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया।

इतना ही नहीं, गांधीवादी होने के साथ-साथ वे अपने विचारों के दृढ़ थे। अब भी जो हमने अखबारों में पढ़ा है तो उन्होंने अपनी इच्छा साफ तौर बतायी। वे किसी तरह के फण्डामेन्टेलिज्म से प्रभावित नहीं थे। अब भी उन्होंने लिख दिया कि मेरा तो शवदाह गृह में ही अन्तिम संस्कार किया जाये। वे अपने विचारों के अत्यन्त ही दृढ़ मनुष्य थे। उन्होंने हमारे देश को राह दिखायी।

मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय विट्ठल भाई पटेल और मैं, दोनों ही इस सदन में पहली बार 1962 में आये थे। हमारा बहुत साथ रहा।

वह अत्यन्त ही संघर्षशील समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वह उन आदिवासी नेताओं में से थे जो आदिवासियों का दम भरते हैं हमारे लोग, लेकिन उनका

(श्री नत्थीसिंह)

शोषण भी बहुत करते हैं, वह उससे बहुत सजग थे और अपने समाज को उनसे बचा करके सही राह पर ले जाते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, यह अत्यन्त ही खेद की बात है। एक बड़े स्थान की रिक्ति हुई है।

मैं उन्हें अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना व्यक्त करता हू।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, हमारे उप राष्ट्रपति हिदायतुल्लाजी नहीं रहे। वास्तव में देश में इस तरह के विद्वान जो अपने जीवन में साम्प्रदायिकता से दूर रह कर ऐसी विचारधारा से जो जुड़े रहे और अपने कार्यों से भी देश के अन्दर ऐसी परम्पराऐं कायम कीं, उस पीढ़ी के लोग हमारे देश में जिस तरह से कम होते जा रहे हैं। राजनीति में ऐसे लोगो, है जो जाति और सम्प्रदाय का सहारा लेकर आगे बढ़े हैं, का प्रभाव यह जो स्थिति हमारे देश में पैदा हो रही है उसमें ऐसे विद्वानों का चले जाना, ऐसे राजनीतिज्ञों का जाना हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। मैं समझता हूं कि यह उनके परिवार की ही नहीं, उस समुदाय का या सिर्फ विधिवेत्ता की क्षति नहीं है, राजनीति में भी ऐसे लोगों की क्षति हमारे देश की क्षति है।

मैं अपनी पार्टी की ओर से उनके लिये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हमारी विधान सभा के सदस्य विट्ठल भाई, समाजवादी पार्टी के नेता थे। ऐसे समाजवादी थे जो लगातार आदिवासी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से जुड़े रहे, उनके लिये संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष का जो नतीजा आया वह यही था कि वे तीन बार एक ही क्षेत्र से लगातार चुने जाते रहे, उसकी जनता से जुड़े रहने के कारण। मैं समझता हूं ऐसे कार्यकर्त्ता हमारे देश से चले गये इसकी हमें बहुत हार्दिक संवेदना है।

मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधिपति श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला और इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विट्ठल भाई के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं।

श्री हिदायतुल्ला का जन्म 17 दिसम्बर, 1905 को मध्य प्रान्त के बैतुल में हुआ। आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल, रायपुर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मॉरिस कालेज, नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आप उच्च शिक्षा के लिये इंगलैण्ड चले गये और ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज से कानून की उपाधि प्राप्त की। 1930 में आपको "बार एट लिंकन्स इन" का सम्मानित सदस्य बनाया गया।

ब्रिटेन से लौटने के बाद आपने नागपुर उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और 1942 में आप सबसे कम उम्र वाले

(श्री अध्यक्ष)

सरकारी अधिवक्ता बने। एक वर्ष बाद आप मध्य प्रान्त बिहार के महाधिवक्ता बनाये गये। वर्ष 1946 में आप अतिरिक्त न्यायाधीश बनाये गये।

विधिवेत्ता श्री हिदायतुल्ला 1954 में नागपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति बनाये गये। दो वर्ष बाद आपको मध्य प्रदेश न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्याय के लिये समर्पित श्री हिदायतुल्ला 1968 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर आसीन हुए।

आपने पहली बार वर्ष 1969 में दूसरी बार 1982 में कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का दायित्व सम्भाला। 31 अगस्त, 1979 को आप निर्विरोध रूप से भारत के उपराष्ट्रपति चुने गये। राज्य सभा में आपने अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए कानून बनाने की प्रक्रिया को अपने मानवीय गुणों, प्रतिमा और विद्वता से निखारा। आपने 1984 तक उपराष्ट्रपति पद को गौरवान्वित किया।

श्री हिदायतुल्ला भारतीय विधि संस्थान और इण्टरनेशनल लॉ एसोसिएशन की भारतीय शाखा के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त आप अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े रहे। विधि के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रख 1967 में आपको "लिंकन्स इन" का मानद सदस्य बनाया गया। आपको रविशंकर, राजस्थान तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपिन्स द्वारा विधि में डाक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

आपको वर्ष 1940 में भारतीय स्काउटिंग का सर्वोच्च सम्मान सिल्वर एलीफेंट और 1969 में स्काउटिंग का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार ब्रांज क्रास भी प्रदान किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। आपने वर्ष 1951 से 1955 तक नागपुर विश्वविद्यालय में विधि संकाय के डीन, वर्ष 1979 से 1984 तक दिल्ली एवं पंजाब विश्वविद्यालयों के और वर्ष 1969 से 1985 तक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद को सुशोभित किया है।

आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। "डेमोक्रेसी इन इण्डिया, ज्यूडिशियल प्रोसेस, दी साउथ वेस्ट अफ्रीकन केस, ज्युडिशियल मैथड्स, ए. जजेस मिसीलेनी, माई ऑन बास वैल" आपकी प्रमुख कृतियां हैं।

आदर्शों के लिये समर्पित श्री हिदायतुल्ला का निधन 18 सितम्बर, 1992 को हो गया।

बांसवाड़ा जिले के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और जनता दल के नेता श्री विट्ठल भाई का जन्म 16 अगस्त, 1927 को बांसवाड़ा जिले के गांव ककाई डूंगरी में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री विट्ठलभाई ग्राम पंचायत दानपुर के सरपंच तथा दो बार पीपलखूंट पंचायत समिति के प्रधान भी चुने गये। आप आदिवासी समाज सुधार सभा के अध्यक्ष भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

तीसरी (1962 से 67) एवं चौथी (1967-72) विधान सभा के लिये आप बांसवाड़ा एवं पीपलखूंट निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी दल के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। पांचवी विधान सभा (1972-77) के लिये आप जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पीपलखूंट क्षेत्र से ही चुने गये। विधान सभा में आपने अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं विकास के लिये निरन्तर प्रयत्न करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री विट्ठल भाई का निधन 16 अगस्त, 1992 को हो गया।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवारजन को उनका बिछोह सहने करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सूचना

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 18-09-1992 को उपस्थापित कार्य सलाहकार समिति के 14 वें प्रतिवेदन में दिनांक 29-09-1992 को निर्धारित कार्य मदों में राजस्थान स्टाम्प्स विधि अनुकूलन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 का नाम भी शामिल है, जो भूलवश रह गया था, अतः माननीय सदस्यों को एतद् द्वारा पुनः सूचित करना है कि दिनांक 29-09-1992 को राजस्थान स्टाम्प्स विधि अनुकूल (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की गम्भीर, बाणगंगा, रूपारेल नदियों से नहरें निकाल कर भरतपुर जिले के 192 बांधों को पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले से रूपारेल, बाणगंगा व गम्भीर नदियों के पानी के व्यर्थ चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के देवड़ा हरमाड़ा में दिनांक 5-9-1992 को आयोजित देवनारायणजी मेले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजनों के साथ मार-पीट करने व मन्दिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंग कैनाल की लिंक नहर के अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम घासोली तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर स्थित शैबाज की दरगाह की देख-रेख के मामले में कथित विवाद उत्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(6) श्री राजेन्द्र पारीक व 4 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुराने मोटर गैराज स्थित भूमि पर 40 वर्ष से अवस्थित शिव मन्दिर को तोड़े जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।

(7) श्री सम्पतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर जल परियोजना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक फर्म इण्डियन ह्यूम पाइप के प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा नयी निविदाएं आमन्त्रित करने से राज्य कोष को हुए कथित नुकसान के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री गोविन्द सिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर शहर में दिनांक 4 सितम्बर, 1992 को देर रात पत्रकार श्री मदनसिंह पर कातिलाना हमला कर हत्या का प्रयास किये जाने और अभियुक्तों को नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि दिनांक 4-9-92 को श्री मदनसिंह पत्रकार जब स्कूटर पर पेट्रोल भराने जा रहे थे तो उनके ऊपर गोली चलाकर हमला किया गया जिस बाबत थाना अलवर गेट जिला अजमेर में मुकदमा नम्बर 161/92 अन्तर्गत धारा 307 आई. पी. सी. तथा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया । तफतीश दिनांक 16-9-92 से सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच द्वारा ले ली गई है । पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र पाटनी अनुसन्धान कर रहे हैं । इसमें श्री सवाईसिंह, नरेन्द्रसिंह डा. जयपाल डा. जितेन्द्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है । पुलिस के सिपाही जो सुरक्षा हेतु लगाये गये थे उनके वहां ड्यूटी से बिना अनुमति गायब हो जाने के कारण जांच की जा रही है । मृतक श्री मदनसिंह के परिवार को रुपये 50,000/- सहायतार्थ राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं ।

(2) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा सत्र प्रारम्भ हुए तीन माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । राज्य सरकार ने अपने में उत्तर में सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों का भारी अभाव है । वस्तुतः अंतिम सूचना के अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षक के स्वीकृत 72589 पदों में से केवल 1877 पद रिक्त हैं जो मात्र 2.3 प्रतिशत होते हैं । इसी प्रकार द्वितीय वेतन श्रृंखला शिक्षकों के स्वीकृत 32131 पदों में से मात्र

(श्री अध्यक्ष)

749 पद रिक्त हैं जो केवल 2.5 प्रतिशत होते हैं। व्याख्याताओं के 11953 स्वीकृत पदों में से 1732 पद रिक्त हैं। व्याख्याताओं के 1732 रिक्त पदों में से 700 पदों को वरिष्ठ अध्यापकों की तदर्थ पदोन्नति से भरने की स्वीकृति 17-9-92 को जारी कर दी गई है। इसके आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है एवं सितम्बर, 1992 में ही पदस्थापन कर दिये जावेंगे। शेष 1000 पदों को लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जायेगी।

गत वर्ष क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों का सृजन कर दिया गया था। अतः उक्त पद भी नियुक्तियों द्वारा भरे जाने की कार्यवाही चल रही है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों के अधिकांश रिक्त पद सितम्बर/अक्टूबर, 1992 तक भर दिये जायेंगे।

(3) श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के गांव कस्बा, गडरा रोड में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत के बिल अधिक राशि के भेजने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि कस्बा गडरा रोड पंचायत समिति शिव जिला बाड़मेर में स्थित है। इस कस्बे में लगभग 370 घरेलू/अघरेलू कनेक्शन दिये हुए हैं। वर्तमान में मण्डल द्वारा टेरिफ में विद्युत दरों व विविध खर्चों में कुछ वृद्धि की गई है। इन बढ़ी हुई दरों से घरेलू व अघरेलू तथा अन्य श्रेणियों के राजस्थान में सभी जगह विद्युत उपभोग के बिल माह सितम्बर, 92 में जारी किये गये। उपरोक्त पंचायत समिति के उपखण्ड से किसी भी घरेलू/अघरेलू उपभोक्ताओं को 50/- रुपये प्रतिमाह से 250/- रुपये का बिल नहीं दिया गया। जो भी बिल जारी किये गये हैं, वे मण्डल नियमानुसार जारी किये गये हैं। उपरोक्त जारी किये गये बिलों के बारे में यदि उपभोक्ता चाहे तो मण्डल के उपखण्ड अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का नियमानुसार निवारण करवा सकता है।

(4) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील की भूमि का री-सेटलमेंट विगत 30 वर्षों से न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि तहसील लूणकरणसर के अतिरिक्त राज्य की बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें पुनः भू-प्रबन्ध की अवधि समाप्त हुए 20 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य शुरू कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है। भू-प्रबन्ध कार्य की यह समस्या केवल राजस्थान में ही नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की समस्या है। भू-प्रबन्ध की समस्याओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भू-प्रबन्ध विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत हवाई सर्वेक्षण कार्य हेतु केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत 50 : 50 के आधार पर भारत सरकार, ने वर्ष 1990-91 के अन्तिम सप्ताह में 140 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। वर्ष 1991-92 में 15,000 वर्ग किमी. क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करवाये जाने के लिए 22.55 लाख रुपये भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जमा

(श्री अध्यक्ष)

करवा दिये गये हैं। अतः इस आधुनिकीकरण एवं हवाई सर्वेक्षण कार्य से कार्य काफी कम समय में पूर्ण हो जाना सम्भव होगा और पिछड़ा कार्य जल्दी-जल्दी पूर्ण कराया जा सकेगा।

(5) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में पोंग डेम के विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि यह समस्त प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में है और राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि किसी भी पोंग बांध विस्थापित का आवंटन पूर्ण जांच एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बगैर निरस्त नहीं किया जायेगा। जहां तक अनियमितताओं का प्रश्न है इस मामले में अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर द्वारा जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगी।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(6) श्री नत्थीसिंह एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने तथा उनके चुनाव न करवाये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव का राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है। उक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को आज पंचायत राज-संस्थाओं पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं

(1) श्री प्रकाश चन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के सहायक जिलाधीश कैम्प चाकसू, सांगानेर व फागी के द्वारा अनुसूचित जाति से सदस्यों की कृषि भूमि सवर्गों की खातेदारी में दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक बी. एड. पत्राचार डिग्री को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति में नियमों व उच्च न्यायालय के निर्णयों की अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा की उप तहसील पीपलखूंट के गांव कालिया कुंड व कुशलपुरा में ऐराव नदी के किनारे पर सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट योजना से सिंचाई करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत दो वर्ष से छबड़ा-छीपाबड़ोद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों

(श्री अध्यक्ष)

में अध्यापकों के रिक्त पद से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से खान पट्टा एम. एल. 2/69 खानकोटड़ा, तहसील जमवा-रामगढ़ में अवैध खनन होने तथा इस पट्टे का नवीनीकरण डोमोलाइट व सोप स्टोन के लिए नहीं करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से डेगाना (नागौर) के ग्राम मोही कलां में सदाशिव राम पुत्र हंसाराम की दिनांक 14-3-1992 को कथित हत्या किये जाने की सम्पूर्ण जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर की द्वितीय वर्ष की छात्रा सुश्री कंचन की महात्मा गांधी अस्पताल में समुचित चिकित्सा नहीं करने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली रोडवेज डिपो की दयनीय स्थिति से वहां की जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर स्थित मानसिक रोग चिकित्सालय के विस्तार व उसमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज मुझे काफी माननीय सदस्यों की चिट्ठयां मिली हैं लेकिन उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर सूचना की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिन पर है उनके मैं नाम बोल देता हूं। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने जो व्यवस्था दी है उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आपसे जो आज की व्यवस्था दी है उसमें राज्य सरकार का जवाब आया है मैं उस सिलसिले में दो शब्द बोलना चाहूंगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लोग....

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, बाहर श्री अर्जुन लाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार ने पिछली बार विधान सभा में जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन की क्रियान्विति न होने के कारण से....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में ही आप बोलने खड़े हो गए। एक-एक का नाम बोल रहा हूं। शून्यकाल में बिना किसी नोशन के जो बोलना चाहते हैं उन्हीं का नाम बोल रहा हूं।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहती हूं कि डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस आदि पर जो दाम बढ़े हैं उसके सम्बन्ध में बाहर महिलाएं प्रदर्शन के लिए आई हैं। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और विपक्ष के नेता उनसे मिलने की कृपा करें। यह महिलाओं का मामला है, महगाई बराबर बढ़ती जा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रही है। केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हर चीज पर दाम बढ़ते जा रहे हैं। परेशानी की हालत बढ़ गई है। अगर डीजल, पेट्रोल पर दाम बढ़ गए हैं तो सब चीजों पर महगाई हो गई और रसोई गैस पर दाम बढ़ाये गये, यह कहां का औचित्य नजर आता है? मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं ध्यानाकर्षण करती हूं कि आप उनसे मिलें। महिलाएं बहुत परेशान हैं और आगे आने वाली दिक्कतों से, सम्भावनाओं से और अधिक परेशान हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो अभी विपक्ष में बैठे हैं उनकी सरकार दिल्ली में हैं, उनसे वे बातचीत करें कि जो रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें हैं उनके क्या सोचकर दाम बढ़ाये? उन्हें वापस कराने के लिए प्रयत्न करेंगे और मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगी कि वो अपना सारा बल लगाकर केन्द्र से इन दामों को वापस कराने का प्रयास करें और अभी कृपया शिष्ट मण्डल से मिलने की कृपा करें। जो महिलाएं आई हैं उनकी तरफ से आपको आग्रह करती हूं, आपको भी आग्रह करती हूं और आपको भी आग्रह करती हूं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। आप बोलिये ना।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षकों का धरना दिया हुआ है और बाहर शिक्षक आमरण-अनशन पर बैठे हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के लोग जो अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं.... ...

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। वो बोल रहे हैं, आप भी बोलना शुरू कर दीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कॉलेज शिक्षकों के लिए 7 मार्च, 1992 को एक राज्यादेश निकाल दिया गया। इन सभी को जो राजकीय महाविद्यालयों के लेक्चरर्स हैं उनके बराबर वेतन भत्ते दिये जायेंगे। वे भी ऐसे लगड़े आदेश हैं कि आज भी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को वे भत्ते प्राप्त नहीं हो रहे हैं और उसके साथ-साथ जो विद्यालयों के लिए निकलने वाले थे, यहां पर भंवरलाल शर्मा, जोधपुर के अनुदानित विद्यालयों के जो लीडर थे वे भूख-हड़ताल पर थे। उनका शिक्षामंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन पर अनशन तुड़वाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन शिक्षकों के लिए आदेश नहीं निकले हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशस में काम कर रहे हैं और आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि कॉलेजों के शिक्षक, वे सभी 69 कॉलेज हैं उनमें प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि पिछले 16 साल से डी. पी. सी. नहीं हुई। वहां लाइब्रेरियन्स के लिए वेतनमान नहीं है। इस तरह की जो अव्यवस्था पैदा हो गई है उसके सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अर्जुन लाल मंत्री....

श्री अध्यक्ष : प्रो. केदार।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : श्री अर्जुन लाल मंत्री आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं इन शिक्षकों की डिमाण्ड को लेकर। उनसे राज्य सरकार बात करे, माननीय मुख्य मंत्रीजी उनसे बात करें और यह स्थिति

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

राजस्थान में पैदा नहीं होने दें जिसकी वजह से पढ़ने वाले लड़कों का नुकसान हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री, जिसमें 5000 मजदूर हैं वह 5 वर्षों से बन्द पड़ी है। यह मजदूरों की रोजी-रोटी का सवाल है। उस सीमेंट फैक्ट्री को चालू करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : मैं जिसका नाम बोलूं, उसी का ही लिखिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिए, प्रो केदार। (व्यवधान)

श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपको यदि सब मिलकर वैसे ही बोलना है तो मुझे व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, आप बोल लीजिए सबके सब। मैं एक-एक को पुकार रहा हूं, फिर कोई बच गया तो पुकार लूंगा, लेकिन आप धीरज खोकर एक साथ बोलना चाहते हैं तो फिर इनके नाम क्यों पुकारूं? आप बोल लीजिए। बोल रहे हैं, फिर आप बीच में क्यों खड़े होते हैं बार-बार?

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, इसी माह की 12 तारीख को स्टेट बार कौंसिल की स्पेशल बैठक हुई और उसके साथ-साथ, जिला स्तर पर जितने भी वकीलों की एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइन्दों की बैठक होकर एक प्रस्ताव पास किया गया और प्रस्ताव पास करने के बाद मुख्य मंत्रीजी से मिले। उनकी जो हड़ताल है, सारी कोर्ट्स का जो बहिष्कार है, उसका मकसद है कि मुंसिफ कोर्ट को पहले जो अधिकार थे वे इस अमेण्डमेंट से, इस आर्डिनेंस से सेक्शन 29 और सेक्शन 19(ए) में जो अमेण्डमेंट किया जा रहा है, मुंसिफ कोर्ट्स के पावर्स को अब्रिज किया गया है। मुंसिफ कोर्ट्स हरेक सूट, हरेक प्लीडिंग जिसमें गवर्नमेंट भी पार्टी है, कोई ऑफिसर उनकी पार्टी के रूप में या स्वायत्त शासन इकाइयों की पार्टी बनकर आता है तो वह सुनवाई हो जाती थी। अब इन्होंने इसकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का कंस्टीटयूट करने का फैसला किया है। एक तरफ तो सरकार का यह कमिटमेंट है कि इंसाफ सस्ता हो, घर-घर तक पहुंचाया जाय, हरेक आदमी के एक्सेसिबल हो। यह जो कमिटमेंट है इसके लिए आपने जो कदम उठाये उसके लिए हम आपके आभारी हैं लेकिन दूसरी तरफ आपने सेन्ट्रलाइज कर रखा है। इसलिए सारे वकील आज हड़ताल पर हैं, उनकी गिनती हजारो में है और यह जो अमेण्डमेंट करेंगे यह 25 तारीख को आवेगा। इसके पीछे अभी 5 दिन पड़े हैं और मैं आपकी मार्फत् माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, उनकी एक्शन कमेटी बनी हुई है उन्हे बैठाकर बात करें इसका रास्ता निकाले ताकि आम आदमी को जो नुकसान हुआ, क्लाइंट्स, वकीलों को, और एक लॉ एण्ड आर्डर की प्रोब्लम

× × × माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बनेगी इससे राजस्थान बच पायेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत लाल परमार। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से राजस्थान बार कौंसिल के सदस्य मिले थे और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि सिविल कोर्ट्स के बारे में आप जो अमेण्डमेंट बिल आ रहे हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन जो कम करने की बात कर रहे हैं इस बारे में कोई निर्णय लेंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है मुख्य मंत्रीजी के निर्णय न लेने के बाद आज पूरे राजस्थान के वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार करने की सोची है। इससे कानून व व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, चिन्ता की बात है। सरकार क्या चाहती है? क्या सेंट्रलाइज करना चाहती है। सरकार के खिलाफ जो सिविल नेचर के दावे होंगे या कोरपोरेशंस के खिलाफ उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन सरकार करेगी। आज लोगों को तहसील स्तर पर रिलीफ मिल जाती थी और सब डिवीजन स्तर पर जो रिलीफ मिल जाती थी उससे लोगों को वंचित किया जा रहा है। एक तरह से लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको इनडाइरेक्टली थ्रोटल करने की सरकार चेष्टा कर रही है। यह मूल अधिकारों का एक तरह से हनन है श्रीमन्, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार इसके बारे में विचार करे और जो अमेण्डमेंट बिल ला रही है उसको विड्रा करे जिससे वकीलों को और जो लिटिगेट पब्लिक है उसको राहत मिल सके। यही मेरा आपसे निवेदन है श्रीमन्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वकीलों का प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिला था और मैंने उन से यह कहा था कि 22 तारीख को केबिनेट मीटिंग में इस पर विचार कर लिया जायेगा। उस समय मुझे नहीं बताया गया कि स्ट्राइक करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी यह मामला कल ही मंत्रिमण्डल में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा. जो भी मंत्रिमण्डल का निर्णय होगा वह सदन की जानकारी में दे दूंगा। उस पर भी यदि कोई चर्चा की आवश्यकता पड़ेगी तो इस सम्बन्ध में जो बिल पेश किया जा रहा है उस समय माननीय सदस्य चर्चा उठायेंगे तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत लाल परमार। जल्दी-जल्दी बोलिये आप।

श्री अमृत लाल परमार (बाली) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर जो व्याख्याता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण-अनशन पर बैठे हैं....

एक माननीय सदस्य : कौन ?

श्री अमृत लाल परमार : अनर्जुलाल मंत्री, उनके सहयोगी सभी बैठे है वहां पर। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनकी उचित मांगों पर ध्यान देकर कार्यवाही की जाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जावे और जो पूर्व में सरकार ने घोषणा की थी उन पर अविलम्ब ध्यान दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । श्री सैनीजी, आप बीच में कुछ बोल रहे हैं ।

श्री अमृतलाल परमार : और अभी भी बहुत सी जगह खाली हैं जिस जगह ...

श्री अध्यक्ष : अब और बोलेंगे ? थोड़ा यह बोल लेंगे । बिराजिए आप ।

श्री अमृतलाल परमार : उनकी जगह भर दी जावे और मेरी मांग है कि उनकी मांगों पर अविलम्ब ध्यान दिया जावे और बाहर जाकर उनकी बातें सुनी जावे । यह मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिए ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : जो आश्वासन विधान सभा में दिये गये हैं उनके बारे में क्रियान्विति पर हमको विचार करना चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण मसला है और राजस्थान के महाविद्यालयों में प्रिंसीपल्स नहीं हैं और जो लेक्चरर्स है, डेपुटेशन पर वह काम कर रहे हैं इसके कारण से अव्यवस्था कितनी फैल रही है और यह पता नहीं है कि कौन प्रिंसीपल है, आदेश कौन माने, कौन किस के नहीं माने । दूसरा जो एक प्रश्न खड़ा हो रहा है वह प्रश्न है अस्थायी शिक्षकों का । जो लेक्चरर्स हैं उनको स्थाई नहीं किया जा रहा है । इससे उनके मन में एक अनिश्चितता चल रही है । 450 पद अस्थाई हैं मान्यवर, और सात वर्ष हो गये उनके सेवा नियम नहीं बने । पहले दस वर्ष लगाये एक कमेटी ने, उसने गलत बना दिये । फिर एक दूसरी कमेटी बनी, उसने सात वर्ष लगा दिये । तो सेवा नियम नहीं बने । मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि शिक्षकों के प्रतिनिधि, लेक्चरर्स के प्रतिनिधि और ज़रा कालेज एजूकेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर एक बार जो फैसला करना है वह निश्चित रूप से फैसला कर लें ताकि आये दिन यह प्रदर्शन और एक अव्यवस्था का निर्माण न हो सके । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । श्री हेतरामजी । आप क्या बोल रहे हैं । मैं सब को पुकार रहा हूं, एक-एक करके सबके आ रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है । एक स्पष्टीकरण इसमें यही है....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपने जो लिख कर दिया है मैं उसके बारे में बोलने के लिए पूछ रहा हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बोल रहा हूं, एक शब्द कहना चाहूंगा कि आपने एक व्यवस्था दी है मेरे स्थगन प्रस्ताव पर....

श्री अध्यक्ष : फिर उस पर बोलने की गुंजाइश कहां रही है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : बोलने की गुंजाइश, सारे जो तथ्य दिये हैं अगर आप राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं बोल रहे हैं न आप ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे एक स्पष्टीकरण तो दे दीजिए, चाहे वो न दें । आप यह बताइये, आप जो सरकार का जवाब दे रहे हैं अगर बिल्कुल ही असत्य हो तो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हम नहीं बोल सकते। अगर जो सरकार ने जवाब दिया, हमने दे दिया, अगर जवाब सही है हम नहीं बोलेंगे पर जवाब बिल्कुल ही विपरीत है तथ्यों के, मेरे पास यह सबूत है....

श्री अध्यक्ष : तो उसके और तरीके हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : और तरीके क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : सदन में अब यह आप....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने स्थगन प्रस्ताव पर एक सैकण्ड बोलने की, बोलने की परमीशन दी नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप देखिए, सिविल में...

श्री हेतराम बेनीवाल : इतना महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है जिसमें सारे....

श्री अध्यक्ष : बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान में....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे आदेश को शिरोधार्य मानकर के भी बोल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आदेश को मान रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप बोल रहे हैं। मेरा आदेश यह है कि आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं अनुमति नहीं मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप बोल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर क्या बात है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं उन्हें पूछ रहा हूं कि क्या हल हो सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप यह चौमूं का, यह तेल का क्या मामला है आपका, यह बताइये न। विषैले पदार्थ का मामला क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसा है, मेरे इस सवाल का स्पष्टीकरण दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा तरीका निकालें। आप इसमें बताइये कि यह विषैले पदार्थ का मामला क्या है।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो तथ्य दिये हैं अगर वह असत्य हैं उसका क्या इलाज हो।

श्री अध्यक्ष : अब यह डिबेट नहीं होगी इसलिए आप अपने इस पर बोलिये न। यह गंगानगर में क्या हुआ ?

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से चौमूं में खाद्य तेल में मिलावट हुई और आज से डेढ़ महीने पहले वहां जांच हुई और लोगों को गिरफ्तार किया गया उसी तरह से गंगानगर में आज से तीन दिन पहले गंगानगर के पदमपुर शहर में एक मिल है तेल मिल, सरसों के तेल में मिलावट पाई गई और वही पदार्थ जहरीला पदार्थ वहां भी विषैला प्रदार्थ उसमें

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मिला है, । गंगानगर के सारे जो तेल मिल हैं, सारे शहरों के, उनमें लोगों ने तेल ढोल दिया और वहां जांच नहीं हुई । मेरा कहना यह है, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था, मैं चाहूंगा खाद्य मंत्रीजी से, राजस्थान में जितने सरसों का तेल खाने वाले हैं, सब में हड़कम्प मचा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा । किसी के विकलांगता हो गई, किसी के घर में अगर किसी का गर्भपात हुआ, नेचुरल कारण ही पता नहीं उसको कि क्या है उसका कारण और कईयों के यह स्थिति हुई है कि लोगों ने अपना आचार और तेल की सारी चीजें फेंक दी....

डा. चन्द्रभान : सब फेंक दी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : पर गरीब आदमी क्या करेगा । हम जो लोग हैं, साधारण तौर से जब ...

श्री अध्यक्ष : अब आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया न ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका जवाब नहीं आया है अभी तक । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह....

श्री अध्यक्ष : अब और आपने दुबारा कर दिया....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने यह व्यवस्था दी थी कि 24 घंटे में जवाब आ जायेगा, मेरा जवाब नहीं आने का कारण भी वही फेक्ट है, यह व्यापारियों की सरकार है, सारे ही व्यापारी करते हैं, सब दबाव पड़ता है उन पर....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आपने कह दिया यह तो । श्री रामकरणसिंहजी, अब आपको क्या कहना है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए मेरा कहना है कि खाद्य मंत्रीजी इसके बारे में वक्तव्य दें कि उस तेल....

श्री अध्यक्ष : रामकरण सिंहजी कुछ कह रहे हैं । आप बोलिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मेरे यहां कोटपूतली में जो विद्युत सहकारी समिति थी उसका लाईसेंस रद्द किया उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्रीजी इस सिलसिले में जो मैंने स्पष्टीकरण....

श्री रामकरण सिंह : साथ ही 2 जून को ...

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनी ही नहीं ।

श्री रामकरण सिंह : यहां से चार्ज लेने के लिए आदेश....

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय हेतरामजी जो कह रहे हैं मैं इसके बारे में जानकारी कर लूंगा और उन से भी चर्चा कर लूंगा और इस सदन में कहने की आवश्यकता हुई तो सदन में भी बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : चलिये । हां, आप कहिये ।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां विद्युत सहकारी समिति एक बहुत बड़ा झंझट थी, माननीय सदन के नेता और हमारे विद्युत मंत्रीजी ने उसे भग किया दो जून को, उसके बाद में 22 जून को यहां से आर. के. जेठवानी, अधिशाषी अभियन्ता को चार्ज लेने के लिए भेजा। आज तीन महीने हो गये, यहां से चार्ज लेने के लिए गया है लेकिन उस व्यक्ति का कहीं अता-पता नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि एम. डी. जो वहां सोसाइटी के थे वह और जेठवानीजी यहां जयपुर में वहां से कुछ लूट-पाट करके कन्जूमर्स से लाते हैं और मजे उड़ाते हैं। इसके लिए मैंने चेयरमेन साहब से भी और अन्य उच्चाधिकारियों से भी कहा तो वहां के चीफ इंजीनियर माथुर ने मुझे जानकारी दी कि वह अपने हिसाब से अपनी उगाई कर रहे हैं। यही नहीं, माननीय अध्यक्षजी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां कोई किसी प्रकार से दो जून के बाद में पूछने वाला नहीं; कोई बिजली की जानकारी देने वाला नहीं....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजिए आप। श्री गुलाम मुस्तुफाजी, आप क्या कह रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : एक पाइंट और है। एडवांस जब बोर्ड की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बद थे, उसके बाद में चालीस लाख रुपये एडवांस के वसूल करके और हरेक व्यक्ति से दो, तीन-तीन और पांच-पांच हजार रुपये लेकर उस स्कीम से, एडवांस कनेक्शन की कार्यवाही जारी है, अवैधानिक ढंग से सामान खरीदना, कई लाखों का गबन करना, कई ट्रांसफार्मर्स गायब करना, इसी के साथ मेरे यहां कालेज के प्रिंसिपल का तबादला हो चुका और उसका....

श्री अध्यक्ष : अब आप सब बोल रहे हैं, सारे ही। अब आप विराजिए। श्री गुलाम मुस्तुफाजी।

श्री रामकरण सिंह : वह भी है, वह दूसरी जगह नहीं जा रहा है और वहां पर मजे उड़ा रहा है और लड़कों के जो पैसे हैं उनको खर्च कर रहा है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की एक नीति है कि तृतीय भाषा जो होती है, उसके लिए एक स्पष्ट नीति है बीस साल से कि सब स्कूल के अन्दर अगर एक कक्षा में दस बच्चे हों और पूरे स्कूल के अन्दर चालीस बच्चे हों तो तृतीय भाषा उर्दू, गुजराती, पंजाबी वगैरह खोलने की नीति है लेकिन जो आदेश जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह निकालते हैं उसमें यह है, अभी 15.9 का एक आदेश दिखा रहा हूं मैं आपको, यह लसलपुरा कोई सीकर के अन्दर स्कूल है, नागौर के अन्दर लाडनूं के अन्दर दो स्कूलें हैं जतनदेवी और केशरदेवी, उनके लिए आदेश यह निकाला गया कि विषय खोल दिया जायेगा लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए अतिरिक्त अध्यापक देय नहीं होगा। जब अध्यापक ही आप नहीं देंगे तो वह विषय पढ़ायेगा कौन। तो पूरी स्पष्ट नीति आज तक इसमें लागू नहीं हो रही है तो मेरा निवेदन है कि जो राज्य सरकार की नीति है उस पर अमल किया जावे। तीन महीने तो सर निकल गये जुलाई,

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

अगस्त और सितम्बर. उस पर अमल नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : एक निवेदन और है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रीजन क्या है । एक अल्पसंख्यक भाषा....

श्री अध्यक्ष : आप रीजन बताइये, वह तो आपने बता दिया ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान मैं बता रहा हूं, निवेदन यह है ...

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित कर दिया....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : एक विभाग बना हुआ है इसका, अल्पसंख्यक भाषा का और मंत्रीजी भी हैं लेकिन माननीय मंत्रीजी के पास आज तक कोई फाइल नहीं है, न उनके पास सैक्रेट्री है तो अमल कैसे होगा ।

श्री अध्यक्ष : अब आप मंत्रीजी से सीधे मिल लीजिए, फाइल हो जायेगी । हां, बोलिये ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं ? पुस्तकालय....

डा चन्द्रभान : पुस्तकालयाध्यक्षों पर जो धरना दे रहे हैं उन्हीं पर ।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, बोलिये तो आप ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुस्तकालय अध्यक्ष 75 दिनों से जयपुर में धरना दिये हुए हैं । जिस दिन से विधान सभा शुरू हुई है उस दिन से धरना दिये हुए हैं । 1978 में सरकार ने एक निर्णय दिया और फिर 1987 में प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा अधिकारी पुस्तकालय संघ के बीच समझौता हुआ कि सैकेण्डरी और सीनियर हायर सैकेण्ड्री में फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड कैटेगरी के लाइब्रेरियन की पोस्टें थीं इनका कहना था कि नियोजित करेंगे, नये पद सृजित करेंगे और अध्यक्ष महोदय, 1982 से लेकर आज तक किसी भी लाइब्रेरियन को अवसर नहीं दे रहे हैं और इसके मुकाबले में जो स्कूलें सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी हैं उनमें लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं वहां पर सामान्य अध्यापकों से काम लिया जा रहा है । सरकार से मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि चाहे वह पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे वह स्कूली और कालेज के व्याख्याता हों, चाहे वह उद्योग अध्यापक हों इन सब के सम्बन्ध में आपने पिछले सत्र में भी आश्वासन दिया था, यह लोग टैन्ट लगाये हुए बैठे हैं तो आप कम से कम इतने संवेदनशील तो बनिये, इनसे बातचीत तो करिये और जो आश्वासन आपने पिछले सत्र में दिया था उसको लागू कीजिए....

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा,

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय,....

डा. चन्द्रभान : एक बात और कहना चाहता हूं कि 9 राज्यों में, अध्यक्ष महोदय, पुस्तकालय अधिनियम लागू हैं और आपके

(डा. चन्द्रभान)

यहां यह मामला लम्बित पड़ा है सचिवालय में। आपने प्रारूप तैयार कर रखा है, इसे भी लागू किया जाये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक सूचना देना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले की सपोटरा तहसील के डांग क्षेत्र में रामसिंह डकैत ने दुबारा आतंक फैला दिया है, रूकना और मानपुर के लोगों के साथ वहां पर मारपीट जबरदस्त की उनसे फिरौतियां मांगी गई हैं। उनका जो भी सामान था वह लूटकर ले गए। इसमें उनके साथ वहां के स्थानीय लोग 8-9 हैं और उनके नाम मैं आपको दे दूंगा। उनके साथ मिलकर उन्होंने खूब मारपीट की है और यह कहा है कि या तो अपने मवेशियों को लेकर इस डांग क्षेत्र को खाली कर दो, नहीं तो मुझे नियमित रूप से अगर मन्थली फिरौती नहीं दोगे तो मैं एक भी व्यक्ति को यहां पर मवेशियां नहीं चराने दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपका भी ध्यान इस और आकर्षित करूंगा कि वहां के लोगों में एक आतंक फैला हुआ है, एक भय व्याप्त हो गया है, वहां के लोग फिरौतियां देने पर मजबूर हो गए हैं। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जान-माल की, उनकी मवेशियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाये....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये....

श्री परसादीलाल मीणा :....गत वर्ष भी 3 आदमियों को....

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद जी, आप तो और बोलने वाले थे, तब बोलने वाले थे। किसी ने नहीं उठाया और मामला समाप्त हो गया।... प्लीज, अब वह मामला समाप्त हो गया है... वह मामला समाप्त हो चुका है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आश्वासन पर समाप्त हो जाता है क्या ? मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब और किसी ने उठाया नहीं है। आपने कहा था मुझे कि और कोई उठायेगा तो मैं उठाऊंगा।

श्री व्यास जी....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद :........ (व्यवधान)....जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य भी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलने का कम्पीटीशन हो रहा है....(व्यवधान)... हां, आप बोलिये... (व्यवधान)... आप भी बोलिये।

(व्यवधान) ...व्यास जी, बोलिये आप.... (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को मैंने रूल 50 में एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था और अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को आसन से यह व्यवस्था दी थी कि मैं इसकी वैधानिकता की जांच करा रहा हूं और आपने यह भी फरमाया कि मुझे कक्ष में मिल लेना। मैं कक्ष में आपके सामने उपस्थित हुआ। आपने इस प्रकार का सजेशन दिया कि गोया आप रूल 119 का मोशन जो 16 तारीख को माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं उसके बीच में

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और जो एडजार्नमेन्ट मोशन मैंने पेश किया है 17 तारीख को उसमें आप कुछ कन्फ्यूज कर रहे थे....

श्री अध्यक्ष : वह हो गया क्लियर,

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि वह दोनों अलग-अलग इश्यूज हैं। इस पूरे मुद्दे में 3 इश्यूज हैं....

श्री अध्यक्ष : तो मैं दोनों को अलग-अलग ही डील कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास :....अलग-अलग तो डील कर रहे हैं मगर अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि यह सदन की सदैव से परम्परा रही है 1952 से कि जो भी एडजोर्नमेन्ट मोशन आपको प्राप्त होता है वह अधिकार आपका है कि आप क्या करें उस पर लेकिन 9.30 बजे तक सुबह प्राप्त होता है तो आप सदन को सूचित अवश्य करते हैं कि फलां विषय पर मुझे स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आगे जो भी आप स्वविवेक से निर्णय करते हैं, राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजते हैं या जो भी अन्य व्यवस्था आप दें लेकिन आपने मेरे मोशन को 18 तारीख को मेन्शन नहीं किया, आज मेन्शन नहीं किया। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस मोशन की अहमियत को आप समझें....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजिये अब आप। आपने अपनी बात कह दी। आपका आदेश....मेरी सुन लीजिए। 18 तारीख को आप मुझ से मिले। तत्काल मैं चला गया और आज सुबह ही आया हूं। अब मैं दो दिन यहां था ही नहीं, इसलिए देख रहा हूं मैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था। देख रहा हूं। आप बोलिये अब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखने का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं यह आग्रह नहीं कर रहा हूं कि आप व्यवस्था दें। मैं केवल यह प्रार्थना कर रहा हूं आप उस मोशन को मेन्शन ही करेंगे ? याने 17 तारीख का मोशन....

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में अपनी व्यवस्था दे चुका हूं और आप चाहें तो मैं फिर रिपीट कर दूं। आप रूल 50 को पढ़कर देख लीजिए। यह जरूरी नहीं है। आज भी मैंने 4 एडजार्नमेन्ट मोशन जिनको मैंने बहुत पेटी समझा है उनको मैंने मेन्शन नहीं किया है। आज भी मेरे पास 4 ऐसे एडजार्नमेन्ट मोशन आये हैं जिनको मैं अविलम्बीय लोक महत्व के नहीं समझता बहुत पेटी समझता हूं उनको मैंने आज व्यवस्था में उल्लेख नहीं किया है। अब आप समझिये बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यही कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : फिर डिसकशन क्यों कर रहे हैं ? आप रूल पढ़ लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे मोशन को लीजिए। मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आप उसको पेट समझते हैं...

श्री अध्यक्ष : अब यह मेरे विवेक की बात है अविलम्बनीय लोक महत्व का समझूं

(श्री अध्यक्ष)

या क्या समझूं। It is my look out मुझे देखने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा सिर्फ अनुरोध यह है, अध्यक्ष महोदय, यह कभी नहीं होता है यानी 17 तारीख के मोशन के विषय में 18 तारीख को मैं आपके चेम्बर में मिल लिया....

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मेन्शन नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी पिछले पांच वर्षों से लगातार बन्द पड़ी हुई है। 5 हजार कर्मचारी बेरोजगार पड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उद्योग मंत्री जी ने पिछली बार भी यह कहा था कि यह जल्दी चालू कराई जायेगी। चुनाव के टाइम में भी घोषणा की थी कि अब तुम सरकार का धुंआ निकाल दो, मैं सीमेन्ट फैक्टरी का धुंआ निकाल दूंगा लेकिन आज तक सीमेन्ट फैक्टरी चालू नहीं हुई है....

श्री अध्यक्ष : वर्मा जी, आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके लिए आप इस बात की व्यवस्था करायें, उद्योग मंत्री जी बिराजमान हैं वह बतायें कि कब तक इस सीमेन्ट फैक्टरी को चालू करायेंगे ?.. मंत्री महोदय से आश्वासन तो दिलाइये कि कब सीमेन्ट फैक्टरी चालू करा रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाशचन्द बैरवा— 295 शुरू कीजिए....(व्यवधान)....295 लिखिये और कुछ नहीं लिखे ...(व्यवधान)....

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि का गलत इन्द्राज

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से जयपुर जिले के सहायक जिलाधीश कैम्प चाकसू, सांगानेर व फागी के द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों की कृषि भूमि सवर्णो की खातेदारी दर्ज किये जाने के नये तरीकों की जांच के दोषियों को दण्डित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दी है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ते जाइये.... (व्यवधान).. आर्डर प्लीज, श्री प्रकाशचन्द बैरवा....श्री चम्पालाल जैन....

(1.00 म. प.)

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक की बी. एड. पत्राचार डिग्री की मान्यता

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल जैन।

श्री चम्पालाल जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत महर्षि

(श्री चम्पालाल जैन)

दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक बी. एड. डिग्री को मान्यता प्रदान करने बाबत।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री प्रभुलाल पटेल : × × ×

श्री चम्पालाल जैन : महोदय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक हरियाणा एक्ट नम्बर 25 सन् 1975 के द्वारा विधिवत् स्थापित संस्था है जो कि 19 अप्रैल, 1976 से लगातार कार्यरत है।

परन्तु अज्ञात कारणों से राजस्थान सरकार उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बी. एड. (पत्राचार) को मान्यता प्रदान नहीं कर रही है जबकि राजस्थान सरकार के शिक्षा शासन उप सचिव ने अपने आदेश एफ. 7(8) शिक्षा/3/80 जयपुर दिनांक 23-11-91 में स्पष्ट रूप से बताया कि जो विश्वविद्यालय केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं या विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान हैं उनकी उपाधियां नियोजन के दृष्टिकोण से मान्य होंगी।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी रिकार्ड में नहीं आ रहा है, आप का।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री प्रभुलाल पटेल : × × ×

श्री चम्पालाल जैन : भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग ने उपरोक्त विश्वविद्यालय की बी. एड. पत्राचार डिग्री को मान्य बताया है।

उपरोक्त विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

फिर भी राज्य सरकार के नहीं मानने पर छात्रों को मजबूर होकर राजस्थान उच्च न्यायालय जाना पड़ा जहां पर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री अशोक कुमार माथुर ने रिट संख्या 9502/1989 मधु संतोष बनाम राजस्थान सरकार की रिट स्वीकार करते हुए अपने निर्णय में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की प्रदत्त पत्राचार डिग्री को नियोजन हेतु मान्य माना है तथा बताया कि राज्य सरकार को मान्यता सम्बन्धी अलग से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी फैसले के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में अपील की परन्तु वहां पर भी सरकार को असफलता मिली।

अतः आप महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक की बी. एड. (पत्राचार) डिग्री को राज्य में नियुक्ति हेतु आदेश प्रदान करावें तथा की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करावें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, हो गया।....
(व्यवधान)....

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सवाई माधोपुर की दो समस्याओं को लेकर माननीय सदस्यों ने यहां कुछ चर्चा उठाई है। एक तो करौली के डांग क्षेत्र में डकैतों के कारण लोगों में अशांति फैल रही है और दूसरा, सवाई माधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री कब चलेगी, सवाई माधोपुर में उसकी धुआं कब निकलेगी ? उसके बारे में उन्होंने एक मामला यहां पर उठाया है। माननीय रामस्वरूपजी को यह जानकारी होगी कि यह मामला बी. आई. एफ. आर. में था और बी. आई. एफ. आर. ने अभी निर्णय दिया है। उसकी अवधि 3 महीने थी, उस तीन महीने के अन्दर-अन्दर बी. आई. एफ. आर. के निर्णय को लागू करना चाहिए। आज प्रातः काल ही जिनके पक्ष में यह निर्णय दिया है, मैंने उनसे टेलीफोन से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे और बैंक के बीच कुछ विवाद चल रहा था वह विवाद निपट गया है, या तो हम जल्दी से जल्दी, फर्स्ट वीक आफ अक्टूबर में, इसके अन्दर-अन्दर अपनी कार्यवाही शुरू कर देंगे इसलिए आपकी धुआं तो वहां निकल जायेगी, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)....

(1.02 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा आपने जो कहा, मेरी सुन लीजिए, डांग क्षेत्र से मेरा भी परिचय है, ऐसी बात नहीं है कि आपका ही है। मैं अभी परसों के दिन महावीर जी गया था, उस समय उस क्षेत्र के लोग मेरे पास आये, वहां डी. आई. जी. और एस. पी. दोनों थे, मैंने लोगों से, उनसे बातचीत करायी है। उनसे कहा है कि आप उस क्षेत्र में यदि विशेष पुलिस प्रबन्ध की आवश्यकता हो तो उसके बारे में लिखें और बाकी इन डकैतों के बारे में जो चर्चा चल रही है इस चर्चा से जो लोगों में भय पैदा हो रहा है उस भय से लोगों को मुक्त किया जाय और डकैतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। उनको पकड़ने की पूरी व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह हो चुका है....

श्री प्रभुलाल पटेल : वह, प्रशासन ने थोड़ी उसमें कमी रखी है....

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा हो चुका है। माननीय श्री हेमराजजी मीणा....(व्यवधान)... सारी बातों पर विवाद हो चुका है....(व्यवधान)....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल का जवाब दिया है, अभी तो 295 हमारा चला है। मेरा पहला 295 लगा है... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण बर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रमाकान्त वर्मा : आसन ने मुझे इजाजत दी थी कि खाद बीज के मामले में बोलूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)—माननीय सहकारी मंत्री ने कहा है कि खाद-बीज उपलब्ध है... मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गांवों में डी. ए. पी.

(श्री रमाकान्त वर्मा)

बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। आप जाकर कृषि क्षेत्र में देख लीजिए....(व्यवधान).... सरकार का दायित्व हो जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप माननीय बैरवा साहब .. (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : कि खाद काश्तकार को उपलब्ध करवाये। खाद नहीं होने से काश्तकार बुवाई नहीं कर पा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके, बैठिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : और हालत यह है कि सरकार के पास सही रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, सरकार के पास जब सही रिपोर्ट नहीं है. सरकार की एजेंसी काम नहीं कर रही है, कॉआपरेटिव के व्यवस्थापक मौके पर काम नहीं कर रहे हैं.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप, आप अपनी बात कह चुके हैं।....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : किसान बरबाद हो रहे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)....सारी की सारी हालत खराब है....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बैरवा साहब। बोलने दीजिए बैरवाजी को....

श्री रामनारायण वर्मा : हम यह कहना चाह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान) + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बैरवा साहब, बोलिये आप।....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता। हालत बड़ी खराब है काश्तकार की। काश्तकार के प्रति क्या सोचना चाहते हैं....(व्यवधान)....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : 295....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा साहब, विराजिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा :....खाद बीज उनको उपलब्ध नहीं हैं, बरबाद हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप अपनी बात कह चुके।....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : आपने बिजली की दरें बढ़ा दी....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके है, विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं नहीं कह चुका, यह सारे राजस्थान की जनता की आवाज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप कह चुके अपनी बात को।

श्री रामनारायण वर्मा : इसको प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : एक बात को सौ बार रिपीट कर रहे हैं, यह बात वही है, खाद बीज ।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार को चाहिए कि खाद ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : कल चर्चा होगी, उस समय बोल देना । कल चर्चा होगी इस विषय पर ।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन ने थोड़ा गुमराह किया था आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, रामसिह को प्रशासन बिल्कुल पकड़ना नहीं चाहता । तमाशा देख रहा है । जबकि रामसिह के डिलीवरी हुई थी. दो बच्चे हुए हैं. ऐसे समय में उसकी औरत को 5-10 दिन एक जगह रुकना जरूर पड़ा था और उसने बच्चे को जन्म दिया था । रंगरेलियां मनायी गयी थीं, प्रशासन कहां गया हुआ था ? कहां सी. आई. डी. गयी थी ऑफिसर लोग कहां गये हुए थे ? जबकि डांग के बीच में तम्बू लगा कर के सरकार, वह कहता है किंग ऑफ फोरेस्ट. मुझे कोई मारने वाला नहीं, मेरे सामने कोई आने वाला नहीं और ऐसी सूरत में मैंने आपसे 3 साल पहले निवेदन किया था, पार साल निवेदन किया, इस साल भी निवेदन किया था । 10 गांव के आदमी और मवेशी मार-मार कर सब बाहर निकाल दिये । भुवड़ा गांव के सौ आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर के और सब को जूते लगाये उसकी औरत बच्चूसिह ने । तीन-तीन लठ एक-एक आदमी के लगाये । जितना घी था, जितना पैसा था, जितना अन्न था, सारे ले गये और कह के गया था पूरणमासी के दिन 50 हजार रुपये और 10 पीपा घी आ जाये, नहीं तो सब के गोली निकाल दूंगा । ऐसा अत्याचार और उसको भी सहन कर रहे हैं और उसने कहा है यदि सरकार ने हम से मुकाबला किया तो सरकार ही नीचा पड़ेगी । या सरकार को चाहिए, यदि मुझ से आकर माफी मांगे तो मैं मेरे इस क्रियाकर्म को समाप्त कर सकता हूं नहीं 10 साल हो चुके, उसके लिए और वह 10 साल तक भी सरकार के उसमें नहीं आ सकता । उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी स्थिति देखियेगा, कोई भी आदमी वहां पर सुरक्षित नहीं, कोई भी आदमी, शाम, सुबह, दिन में कभी भी आदमी को वह गन शोट कर सकता है और इतनी बुरी पिठाई करता है, मैंने खुद आखों से देखा है, उपाध्यक्ष महोदय, एडी से लेकर चोटी तक, एक इन्च जगह नहीं छोड़ता । एक इन्च जगह नहीं छोड़ता और इतना भय व्याप्त है, कोई को मारता भी है तो किसी से कहता नहीं कि किसने मारा, वह सिर्फ ईश्वर का नाम लेता है । आज ऐसे हालात हैं और उसमें प्रशासन और सरकार का क्या फर्ज बनता है ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को परसों सारे इलाके ने घेर लिया, एम. एल. ए. साहब, आप क्या करते हो विधानसभा में ? भाई मैं क्या करूं, जोआपकी याचिका है उसको मैं हाऊस में पेश कर दूंगा । अब मेरा पेश करने का फर्ज है, मैं तीन साल से लगातार पेश करता आ रहा हूं । हल कोई निकल नहीं रहा । इतनी निर्दयी सरकार, जो एक डकैत को पनपा रही है और आज भी उसका कोई हल नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं ।

श्री प्रभुलाल पटेल : यदि आपने अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया तो उसके खिलाफ

(श्री प्रभुलाल पटेल)

हमको कानून हाथ में लेना पड़ेगा और इस पर आन्दोलन चलाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पटेल साहब, विराजिये। हां विराजिये, कह दिया। हां, बैरवा साहब, क्या कह रहे हो। नाम पुकार लिया।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : यह मेरे क्षेत्र से लगा हुआ मामला है, इसको गम्भीरता से सोचा जाये। वास्तव में डांग एरिया में वह भयभीत है। बिल्कुल लगा हुआ मामला है, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे का भय है? आप गये हो उस एरिया में? आप गये हैं क्या डांग क्षेत्र में?

श्री दलजीत सिंह : हमारे से लगा हुआ क्षेत्र है। मठरैल और बाड़ी क्षेत्र लगा हुआ क्षेत्र है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह चाहें कि इस डकैत की जानकारी हमको नहीं है या जिस प्रकार का आतंक उसने फैला रखा है, परसों आपसे ज्यादा लोग मुझे सवाई माधोपुर में मिले हैं, उसी समय पुलिस आफिसर्स वहां थे, मैंने भी उनको कहा है, आपको जितनी फोर्स की आवश्यकता हो वह फोर्स ले जाओ और यहां पर यह डकैत यद्यपि किसी प्रकार की डकैती नहीं डाली है अभी तक....

एक माननीय सदस्य : नहीं, सामान तो सारा ले गये, रुपया पैसा सारा डकैती डाल कर ले गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लो। आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनो, मुझे मुझे खुद को मालूम है। उनको किसी न प्रकार पकड़ा जाय, आज शाम को मैंने फिर उनसे रिपोर्ट मांगी है कि परसों मैंने जो इस्ट्रक्शंस दिये थे उसके आधार पर आपको फोर्स की है विशेषाधिकारी की आवश्यकता है वहां मैं आपको विश्वास देता हूं कि डकैत से कोई मिला हुआ नहीं है। आप कहें कि सरकार डकैत से मिली हुई है, मैंने तो सरकार और डकैत को देखा नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, यह नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही कहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक आदमी जो दस साल से आतंक फैला रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है, उसमें आपको सहयोग करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है।

एक माननीय सदस्य : सरकार मिली हुई नहीं है।

श्री प्रभुलाल पटेल : मिली हुई की बात नहीं कही है, सर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो जानकारी आ गयी, सदन में कहा है उसकी पहले से ही जानकारी आ गयी, सरकार उस पर आज से नहीं लगभग 15-20 दिन से इस चीज को मानीटर कर रही है कि किस प्रकार उनको पकड़ा जाय। डकैत घूमते रहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसमें हमारी भी कोई तारीफ नहीं होती है। हम भी चाहते हैं कि डकैत जल्दी से जल्दी पकड़े जायं। माननीय सदस्य खुद ही कह रहे हैं कि मैंने डकैत लोगों को पीटते हुए देखा है, उस समय थोड़ा पौरूष दिखाते तो और भी मैं समझता हूं समस्या का समाधान हो जाता।

श्री यदुनाथ सिंह : इनको भी करवा दो।

श्री प्रभुलाल पटेल : नहीं. मैंने तो, वह आदमी मारा है उसने, वह देखा है, सर।

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंहजी, विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ। पूरी इसकी व्यवस्था करेंगे, चिन्ता मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आश्वासन मिल गया पूरा। हां, बैरवा साहब, क्या कह रहे हैं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनुसूचित जाति के सदस्यों की कृषि भूमि का गलत इन्द्राज

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से जयपुर जिले के सहायक जिलाधीश कैम्प चाकसू, सांगानेर व फागी के द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों की कृषि भूमि सवर्णों की खातेदारी दर्ज किये जाने के नये तरीकों की जांच कर दोषियों को दण्डित किये जाने जाने के सम्बन्ध में।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़ेंगे यह, 295 है इनका।

एक माननीय सदस्य : पढ़ दिया इसको।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, वापस पढ़ना था।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : निवेदन है कि जयपुर जिले के सहायक जिलाधीश सांगानेर श्री एम. बी. जेम्स, आर ए. एस. ने अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकारों की जमीन सवर्ण जाति के लोगों को अपने निर्णय में एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 6-5 89 को डिग्री कर भींवां, रामरतन किशनलाल पिसरान मोहरिया (बैरवा) निवासी ग्राम रामपुरा ऊति तहसील सांगानेर की खसरा नम्बर 757, 761, 763 764 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा जमीन को गणेश मोलू पिसरान बक्षराम जाट निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर हिस्सा 1/2 व लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मोहरीलाल जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस प्रकार दिनांक 29-3-90 को सहायक जिलाधीश सांगानेर ने घासी पुत्र रूप बैरवा निवासी ऊंति रामपुरा की खसरा नम्बर 56/2 रकबा 5 बीघा, रामचन्द्र पुत्र रुगया बैरवा निवासी ऊति रामपुरा की खसरा नं. 56/3 रकबा 5 बीघा, दामोदर, रामेश्वर, हनुमान पुत्र झूता बैरवा निवासी ऊति रामपुरा खसरा नम्बर 56/4 रकबा 5 बीघा सुवा पुत्र रूपा बैरवा निवासी ऊंति रामपुरा खसरा नं. 56/3 रकबा 5 बीघा कुल 20 बीघा जमीन, मंगली पत्नी रोडूराम जाट निवासी रामपुरा ऊति के नाम नामांतरण नम्बर 87 के द्वारा दर्ज कर दिया।

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा),

इसी प्रकार गोविन्दराम पुत्र लक्ष्मीनारायण खटीक निवासी रामपुरा ऊंति को खसरा नम्बर 56 रकबा 10 बीघा, तेरया पुत्र ठाकरसी बैरवा निवासी रामपुरा ऊंति खसरा नम्बर 53 रकबा 10 बीघा इस प्रकार कुल 20 बीघा जमीन भगवानाराम पुत्र रामू जाट निवासी रामपुरा, ऊंति के नाम दिनांक 29-3-90 को कर दिया जिसका नामान्तरण नम्बर 87 है। इस प्रकार सहायक जिलाधीश ने इस जमीन पर 20 वर्ष से सवर्णों का कब्जा मानते हुए इनकी डिक्री कर फैसला दिया है जबकि उपरोक्त भगवानाराम व मंगली पत्नी रोडूराम जाट 1983 से पूर्व न तो ऊंति रामपुरा के निवासी थे, न ही वहां पर इन्होंने खेती की, न ही इनके राशन कार्डों में नाम दर्ज है, न ही वोटर लिस्ट में नाम, न ही इनके रहने का सबूत है। इसी प्रकार तहसील फागी, चाकसू में भी अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन सवर्णों के नाम लगा दी है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि पूरे राजस्थान में इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन को साजिश कर सवर्णों के नाम लगाने की कार्यवाही को रोकें तथा जिन अधिकारियों ने साजिश कर इस प्रकार के फैसले किये हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करावें तथा उपरोक्त मामलों में जो सवर्णों के लग गयी है वापिस अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लगाई जावे तथा सरकार इनको सख्ती से कब्जा दिलावे तथा जयपुर जिले में ऐसे कितने मामले हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन सवर्णों के नाम लगा दी गयी, सूची सदन की मेज पर रखें तथा कब तक इनकी जमीन वापिस अनुसूचित जाति के लोगों के लगा दी जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेमराम मीणा।

सिंचाई विभाग में रोस्टर प्रणाली के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति नहीं दिये जाने बाबत

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सिंचाई विभाग में आरक्षण के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, सिविल के पद पर पदोन्नति के बारे में नियमों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की अनदेखी करने बाबत प्रस्ताव इस प्रकार है—अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के रोस्टर प्रणाली के तहत सहायक अभियन्ता, सिविल के पद पर पदोन्नति करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान सिंचाई विभाग में वर्तमान में करीब 1400 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं, डिग्रीधारी 980 व डिप्लोमाधारी 420, इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के मात्र सात सहायक अभियन्ता ही हैं। डिग्रीधारी दो व डिप्लोमाधारी पांच। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक विभाग ने सिर्फ एक डिग्रीधारी को सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत किया है। श्री प्रतापराम फुलवारिया, कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी ने पदोन्नति बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने अपने फैसले में विभाग को बैकलॉग कोटे के तहत पदोन्नत करने का फैसला वर्ष 1989 में दिया। उसके

(श्री हेमराज मीणा)

बाद की विभागीय पदोन्नतियों में अब तक एक भी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी गयी।

डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में 228 उन लोगों के नाम हैं जो विभाग छोड़कर किसी दूसरे विभाग में चले गये हैं तथा 30 उन लोगों के नाम हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ता बन चुके हैं। इस प्रकार कुल 258 नाम वरिष्ठता सूची से नहीं हटाने की वजह से पदोन्नति के समय जोन आफ कंसीडरेशन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कनिष्ठ अभियन्ता समय पर पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। श्री फुलवारिया ने क्रम संख्या के उन लोगों के नाम शासन सचिवालय, सिंचाई मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं न्यायालय में प्रस्तुत किये है मगर आज तक उन नामों को वरिष्ठता सूची से हटाकर सूची में संशोधन नहीं किया गया है। इसी प्रकार डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची में भी विसंगतियां व्याप्त हैं। वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा आज तक जारी नहीं की गयी है। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, जयपुर के आदेश क्रमांक 8165 दिनांक 9-6-81 के द्वारा कुछ व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश निरस्त किये जा चुके हैं उनके नाम भी वरिष्ठता सूची में यथावत् हैं।

शासन सचिव महोदय, सिंचाई विभाग, राजस्थान के आदेश संख्या एफ-1511 दिनांक 15-4-85 द्वारा कुल 84 कनिष्ठ अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति की गयी। इन 84 पदों में रोस्टर प्रणाली के तहत 13 पदों पर अनुसूचित जाति के और 10 पदों पर अनुसूचित जनजाति के कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नत करना चाहिये था परन्तु 23 के स्थान पर मात्र एक अनुसूचित जनजाति के कनिष्ठ अभियन्ता की ही पदोन्नति की गयी जो आज तक की पहली और अन्तिम पदोन्नति है। इस प्रकार 84 पदों पर की गयी पदोन्नति के समय रोस्टर प्रणाली की नियमानुसार पालना नहीं की गयी।

विभागीय पदोन्नति की जाती है तब आवश्यक पदों की संख्या को अलग-अलग वर्ष की बता कर उन्हें टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे जोन आफ कंसीडरेशन का दायरा सीमित कर पदोन्नति नहीं दी जाती। जैसा कि सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति को पेचीदा बना रखा है जिससे समय-समय पर विभाग डी. पी. सी. नहीं कर पाता है मगर कार्य चलाने हेतु कार्यकारी व्यवस्था, वर्किंग अरेन्जमेन्ट के तहत कई लोगों को सहायक अभियन्ता का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है, इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पूर्णतः वंचित रखते हुए रोस्टर की अवहेलना की जाती है।

उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग में उच्च अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। श्रीमान् से अनुरोध है कि पदोन्नतियां, नयी नियुक्तियां दिलायें और रोस्टर प्रणाली के

(श्री हेमराज मीणा)

तहत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति सहायक अभियन्ता, सिविल पद पर दिलाने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवनीतलालजी नीनामा ।

पीपल खूंट के गांवों में लिफ्ट सिंचाई योजना

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं बांसवाड़ा जिले के पूर्वी हिस्से तहसील घाटोल में जो हर साल सूखा पड़ता है और इस साल भी बारिश देर से होने से फसल पक नहीं पायी, ऐसे एरिया की इत्तला दे रहा हूं । महोदय जी, राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा की उप तहसील पीपलखूंट के 95 गांव सूखे के प्रभाव से पीड़ित है । उन्हीं गांवों में होकर एराव नदी बहती हुई माही नदी में शामिल होती है । जहां पर ऐराव नदी के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट लगाई जाकर किसानों के खेतों में पानी उपलब्ध कराने योग्य स्थान निम्नलिखित है :—

1. गांव कुशलपुरा में पाडलीया डोंदरा नामक स्थान पर । दूसरा स्थान है,

2. कालीया कुंडदरा पर ।

उक्त दोनों स्थानों पर लिफ्ट योजना लगाने योग्य स्थान व ऐराव नदी में पानी उपलब्ध है । अतः मैं सरकार को जानकारी देता हुआ निवेदन करता हूं कि उक्त दोनों स्थानों पर सर्वे के लिए सिंचाई विभाग खण्ड बांसवाड़ा के अभियंताओं को तत्काल आदेश देवे । ताकि आने वाली रबी फसल में गरीब किसान अपने-अपने खेतों में पानी सप्लाई कर अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बन सकें व अन्य जगह पर मजदूरी के लिए भटकना बन्द होकर अपनी खुद की जमीन पर परिवार सहित जीवित रह सकेंगे ।

यह है कि यह पीपलखूंट का क्षेत्र पूरा सूखा (अकाल) की स्थिति में है । हर वर्ष स्थानीय किसान अपना घर व खेत छोड़कर मजदूरी के लिए अन्य प्रांतों–गुजरात, मध्यप्रदेश में चले जाते हैं जिससे अपना घर व पशु भटक जाते हैं । अतः मैं, क्षेत्रीय विधायक, सरकार से निवेदन करता हूं कि सूखे से प्रभावित किसानों को अकाल का मुकाबला करने का आधार यही है कि स्थाई रूप से नदी में बहते हुए पानी को लिफ्ट योजना द्वारा सूखे खेतों में सप्लाई कर किसानों को सहारा दिया जावे तो हमेशा के लिए स्थाई आधार अपने परिवार के लिए बना रहे, यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्दकिशोर जी शर्मा ।

छबड़ा एवं छीपा बड़ौद में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत छबड़ा विधान सभा में अध्यापकों के रिक्त पदों के बाबत निवेदन हैं कि गत 2 सालों से छबड़ा-छीपाबड़ोद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अध्यापकों के पद रिक्त चले आ रहे हैं जो अभी तक भरे नहीं गये । कई स्कूल खाली पड़े हैं । उदाहरणस्वरूप :—

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

1. हुरनावदाशाह जी गर्ल्स मिडिल स्कूल में केवल एक ही अध्यापिका है। जबकि पद 7-8 हैं।

2. सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल छीपाबड़ोद में 5 पद रिक्त हैं तथा मिडिल स्कूल में कुल मिलाकर 11 पद रिक्त हैं।

3. हाई स्कूल जैपला, पाली, केडवा-नोहर फलिया में भी कई पद रिक्त हैं।

(4) मिडिल स्कूल बठावदा पार में गत 2 साल से केवल 2-3 अध्यापक हैं।

ऐसे अन्य मिडिल स्कूलों की भी हालत यही है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार मिडिल स्कूल जिसमें 8 कक्षाएं हों वहां केवल 2–3 अध्यापक हों, से कैसे पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री शीघ्र व्यवस्था करें अन्यथा पढ़ाई तो चौपट हो जावेगी। क्या कारण है कि मिडिल स्कूलों में सब जगह अध्यापकों की पोस्ट कम है। शीघ्र इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों के पद शीघ्र भरने की व्यवस्था करावें। मिडिल स्कूल मात्र खोलने से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की पढाई की व्यवस्था के लिए अध्यापकों की पूर्ति प्रथम है उसके बाद उनकी देख के लिए योग्य व्यक्ति हो, जो देखें कि अध्यापक पढ़ाई भी कराते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। उनकी क्या कार्यवाही होती है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण जागरूकता से कार्य करेंगे तब ही ग्रामीण शिक्षा सफल हो पावेगी। मेरा निवेदन है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधाराम चौधरी।

जमवारामगढ़ में अवैध खनन

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर मार्बल निकालना चाहिए, मार्बल की जगह डोलोमाईट के पट्टे जारी करने से राजकोष को होने वाली हानि के बारे में राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव इस प्रकार है। खनन पट्टा एम. एल. 2/69 सानकोटड़ा तहसील जमवारामगढ़, जयपुर में मैसर्स राजस्थान खनिज एजेन्सी, सोप स्टोन के लिए 1969 में श्री कैलाश चन्द्र मंगला द्वारा आवेदित किया गया व 169 हैक्टयर के लिये स्वीकृत किया जाकर संविदा निष्पादन किया गया व उक्त खनन पट्टा 22.7.70 से प्रभावशाली हुआ। बाद में उक्त खनन पट्टा मैसर्स राजस्थान खनिज एजेन्सी के पक्ष में स्थानान्तरित किया गया एवं इसके अधिकार क्षेत्र में डोलोमाइट भी सम्मिलित किया गया। बाद में 1984 में इस खनन पट्टे का नियम विरूद्ध अधिकृत बेचान, एग्रीमेण्ट की प्रति विभाग के समक्ष कई बार प्रस्तुत की गई परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात् खनन पट्टे के क्षेत्र में मार्बल व लाम स्टोन के करीब 10 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये। इनमें से दो मार्बल के खनन पट्टे एम. एल. 9/85 व 10/85 श्री रघुवीर शरण अग्रवाल की माताजी स्व. श्रीमती भोरी देवी के नाम पर स्वीकृत किये गये जो कि वास्तव में खनन पट्टा एम. एल. 2/69 में स्थित न होकर दूसरे खनन पट्टे एम. एल. 25/60 श्री ग्यारसीलाल

(श्री बिरधाराम चौधरी)

अग्रवाल के क्षेत्र में स्थित है। एम. एल. 25/60 राज्य सरकार द्वारा खण्डित होकर राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वयं राज्य सरकार भी इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं कर सकती। परन्तु विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त दोनों खनन पट्टों में अवैध व अनाधिकृत खनन किया जा रहा है। अनाधिकृत खनन से सम्बन्धित करीब सवा करोड़ को राजस्व बकाया की भी वसूली की जानी है, जिस पर विभाग एवं राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

बाद में 1986 में इस खनन पट्टों एम. एल. 2/69 की सीमा में परिवर्तन किया जाकर इसे पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों एम. एल. 25/60 व एम. एल 2/62 के ऊपर ओवरलेप्ट किया गया। नियमानुसार केन्द्र सरकार ही 'मेजर मिनरल" के खनन पट्टों की सीमाओं में परिवर्तन के अलावा स्वीकृत आदेश दे सकती है, अथवा राज्य सरकार को इस संदर्भ में अधिकृत कर सकती है। परन्तु इस खनन पट्टे के सन्दर्भ में नियम सम्बन्धी प्रक्रिया को पूर्णतया भुलाकर मात्र एक अधीक्षण खनि. अभियन्ता ने बिना कोई आदेश प्रसारित किये उक्त ओवरलेप कर दिया व खनि अभियंता, जयपुर कार्यालय में मात्र एक नक्शा है जिस पर इस प्रकार की टिप्पणी अंकित है। केन्द्र सरकार से भी प्रसारित जांच सम्बन्धित आदेशों, अनियमितताओं व बकाया वसूली को नजरअंदाज करके राज्य सरकार ने उक्त खनन पट्टे एम. एल. 2/69 का नवीनीकरण कर दिया है, जबकि इससे राजकीय कोष को कम से कम 50 लाख रुपये प्रति वर्ष की हानि है। खनन पट्टे के 169 हैक्टेयर क्षेत्र में वास्तव में मार्बल उपलब्ध है और आज तक भी यहां से निकाले पत्थर को मार्बल के रूप में बेचा जा रहा है।

ऐसा ही तथ्य राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार काटेन्स ट्रिब्यूनल के साथ शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। मार्बल डोलोमाइट के डेड रेण्ट व रायल्टी की दरों में जमीन-आसमान का अन्तर है। चालू दरें निम्न हैं :—

	डेड रेन्ट	रायल्टी
मार्बल	25,000/- रु प्रति वर्ष/प्रति हैक्टेयर न्यूनतम	100.00 प्रति टन
डोलोमाइट	150 00 प्रति वर्ष प्रति हैक्टेयर अधिकतम	10.00 प्रति टन

इस प्रकार 169 हैक्टेयर क्षेत्र को मार्बल के स्थान पर डोलोमाइट के रूप में आवंटित करने पर राज्य कोष को होने वाली हानि स्वतः स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त यदि उक्त खनन पट्टे एम. एल. 2/69 का नवीनीकरण डोलोमाइट व सोप स्टोन

(श्री बिरधाराम चौधरी)

के लिए न दिया जाए तो इस क्षेत्र को मार्बल के खनन क्षेत्र व मण्डी के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रिछपाल सिंह जी मिर्धा।

सदाशिव राम, निवासी ग्राम मोड़ी कला की हत्या

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के अन्तर्गत ग्राम मोडी कला में दिनांक 14-3-87 को श्री सदाशिवराम पुत्र हंसाराम के मर्डर के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख उपरोक्त विषय में ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के ग्राम मोडी कलां में सदाशिवराम पुत्र हंसाराम किराना की दुकान किया करता था। दिनांक 14-3-87 को अमरसिंह पुत्र मोफतसिंह दिन के 11 00 बजे उसकी दुकान पर आया तथा सामान उधार मांगा। उधार देने से मना कर देने पर अमरसिंह ने गाली-गलौच किया तथा वहां से चला गया। करीब 10–15 मिनट बाद अमरसिंह पुत्र मोफतसिंह, अमरसिंह पुत्र हरिसिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी मोडी एव लाल मोहम्मद पुत्र पाबुदीन तथा इस्माईल खां पुत्र पाबुदीन एक साथ धारियां तथा लाठियां लेकर आये एवं सामूहिक रूप से सदाशिवराम को दुकान से बाहर घसीट कर लाये एव हमला किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा घायलावस्था में उसे हरसौर के चिकित्सालय में उपचार हेतु ले जाया गया। बेहोशी की हालत में हरसौर चिकित्सालय प्रभारी डॉ. सत्यनारायण शर्मा ने अजमेर रेफर कर दिया। वहां से अजमेर ले जाकर उसे नेहरू अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जहां दिनांक 17-3-87 को रात्रि 2·20 बजे उसने दम तोड़ दिया। इसका मुकदमा नं. 13/87 पुलिस थाना धावता में हंसाराम द्वारा 6·30 बजे शाम को 14-3-87 को पंजीकृत कराया गया जो धारा 147, 148, 323 और 451 भा. द सं. में दर्ज किया गया तथा तफ्तीश शुरू की गई। दिनांक 17-3-87 को सदाशिवराम की मृत्यु हो जाने पर पुलिस द्वारा भा. द. सं. की धारा 302, 147, 148, 149 एवं 459 प्रस्तुत की गई। इसका निर्णय सत्र न्यायाधीश मेहता द्वारा 16-3-89 को दिया गया जिसके अनुसार 302/149 में प्रत्येक मुलजिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन मुलजिमों में लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहन सिंह सहायक जन स्वा. अभि. विभाग नगर उपखण्ड द्वितीय द्वारा असत्य डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त कर 28-9-87 से 30-8-88 तक वापिस ड्यूटी ज्वाइन कर राज्य सेवा में रहा तथा विभाग को धोखा दिया। वह भी एक अभियुक्त था तथा मर्डर में शामिल था। दिनांक 18·3 87 से 28·9·87 तक जेल मे रहा, बाद में हाईकोर्ट से उसकी जमानत हुई। जेल से छूटते ही अनुपस्थिति का दूसरा कारण बताते हुए डॉक्टरों के फर्जी सर्टिफिकेट प्राप्त कर गलत एफेडेविट देकर 30-8-88 तक पुन: राज्य सेवा में कार्यरत रहा। श्री हसाराम मृतक के पिता द्वारा बार-बार निवेदन करने पर अधिशाषी

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

अभियंता, नगर खण्ड, द्वितीय, जयपुर द्वारा 30-6-88 को उसे नोटिस दिया गया तथा 30-8-88 को सेवा से निवृत्त किया गया। इतनी बड़ी धोखाधड़ी होने के बावजूद उसके खिलाफ विभाग द्वारा पुलिस कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई। अत: मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र मोहनसिंह के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

सुश्री कंचन ओझा की महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में समुचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रियां एवं नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत कुमारी कंचन, छात्रा, द्वितीय वर्ष जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर की महात्मा गांधी अस्पताल के आपात कक्ष में फिजिशियन के अभाव में प्रदत्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से असामयिक मृत्यु की ओर ध्यान आकर्षित कराने बाबत निवेदन है कि कंचन ओझा को दिनांक 20-6-92 को रात्रि 11.00 बजे महात्मा गांधी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में हृदय व श्वांस में तकलीफ के कारण लाया गया। कुमारी कंचन को ट्रोली से साधारण पलंग तक शिफ्ट करने की जरूरत नहीं समझी गई। अन्ततोगत्वा ट्रोली पर ही एक घण्टे से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर कठिन परिस्थितियों में मृत्यु का शिकार हुई। मेडिकल छात्रों के भरोसे आपात कक्ष व आने वाले गम्भीर मरीजों को छोड़ना कहां तक युक्ति संगत है। एक सर्जन डॉ. एस. जी. सिंह, उन्होंने कहा कि मरीज मेडिकल का है मेरे कार्य क्षेत्र का नहीं है तथा वे पुन: अपने आराम कक्ष में चले गये। महात्मा गांधी अस्पताल के आपात कक्ष में ही इन्सेन्टिव यूनिट है जिसमें हृदय आदि की गम्भीर शिकायतों वाले मरीज को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु उपयोग में लाये जाने का प्रावधान है तथा हृदय रोग की गम्भीरता को देखते हुए लाखों रुपये से निर्मित सी. सी. यू. व आई. सी. यू. में भी भर्ती किये जाने का भी प्रावधान है। सबसे बड़ी आवश्यकता जो थी यदि अनुभवी फिजिशियन या कोई भी विशेषज्ञ होता तो मरीज के रोग व हालत की गम्भीरता को समझ सकता था तथा प्राथमिकता भी निश्चित कर सकता था कि मरीज को ट्रोली से आपात कक्ष के साधारण पलंग पर लेना है या आपात कक्ष के स्टेण्ड इन्सेटिव यूनिट में लेना है या उसे सी. सी. यू. अथवा आई. सी. यू. में भेजना है। हुआ यह कि एक घण्टे से अधिक मरीज ट्रोली पर ही तड़पता रहा और दम तोड़ दिया।

अत: जनहित व आम गरीब बेसहारा मरीजों के जीवन रक्षार्थ निवेदन है कि छात्रा कंचन ओझा की मृत्यु के प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जावे। प्रकरण में दोषपूर्ण अस्पताल व्यवस्था के जिम्मेदार को दण्डित किया जावे तथा फिजिशियन का ड्यूटी पर नहीं होने की स्थिति में भी दण्ड दिया जावे एवं आइन्दा इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो उसके सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध किया जावे।

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि फिजिशियन डाक्टर की लापरवाही के कारण और उनकी अनुपस्थिति के कारण एक छात्रा की अकाल मृत्यु हो गई इसलिए ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध तत्काल अविलम्ब जांच की जाये तथा दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह जी।

कोटपूतली के रोडवेज डिपो की दयनीय स्थिति

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली रोडवेज डिपो की हालत बहुत खराब है। वर्कशाप में बसें मरम्मत के लिए जाती हैं और खड़ी रहती हैं। पूरे डिपो की हालत बहुत ही खराब है। रोडवेज के अधिकारी नाकारा हैं, अकर्मण्य हैं, अव्यवहारिक हैं और भ्रष्ट हैं। समय पर ड्यूटी पर नहीं आना, मन चाहे जब सीट छोड़कर अवैध सुविधा शुल्क वसूल करने चले जाना, डिपो बिना अधिकारियों के लावारिस हो जाता है। बचे कर्मचारी आपस में मौज उड़ाते हैं। समय पर बस नहीं चलती, बसों में कूड़ा करकट भरा रहता है, कभी साफ नहीं की जाती, सीट टूटी हुई है, कोई मरम्मत नहीं करता, डीजल और ऑयल पूरी तरह फैला रहता है। बस की खिड़की के कब्जे टूटे हुए हैं। चिटकनी गायब है। बसें धुंआ फैलाती हैं। पूरी बॉडी खड़खड़ करती है। ड्राइवर वर्कशाप में गाड़ी ले जाता है तो वहां वर्कशाप में कर्मचारी या फोरमेन नहीं मिलते। बस खड़ी रहती है। इस तरह राम राज्य है। चौकीदार अपने आपको राष्ट्रपति समझता है, कोई अनुशासन नहीं मानता। बल्कि हमारे मियां घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं वाली कहावत चरितार्थ है। टिकट घरों में न पंखे हैं, न कोई कुर्सी है। डिपो नगर पालिका का है। किसी भी बस, टैक्सी को टैक्स देकर खड़ा कर देता है। स्थान की बहुत कमी होती है। चारों तरफ बहुत गंदगी पड़ी रहती है। खड़ा रहना भी दुश्वार है। यात्री गंदगी में ही खड़े रहते हैं। बदबू से परेशान हैं। शौचालय गन्दगी से भरे रहते हैं। पानी का कोई प्रबन्ध नहीं, किसी भी शौचालय में पानी का कोई प्रबध नहीं है। अत: आपसे आग्रह है कि इन डिपो को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो परिवहन निगम इसे खरीद ले। इस डिपो के लिए नई बसें दी जावें व्यवस्था सुधारी जावे। समय-समय पर उच्च अधिकारी जांच करें। केवल देहली-जयपुर मार्ग पर यह स्थान बसा हुआ है इसलिए आने-जाने में कोई परेशानी नहीं।

श्री मोतीलाल मीणा : इस पर आप गौर करें। यह पूरे राजस्थान का मामला है, दोनों मंत्री बैठकर बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये मोतीलाल जी।

श्री मोतीलाल मीणा : दोनों बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं। आप सुनिये ना।

श्री मोतीलाल मीणा : पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ना। गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है, मैं भी उधर से गुजरता हूं, मैंने भी देखा है वाकई में ऐसी स्थिति है, सुधारने की निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का आश्वासन बहुत ज्यादा होता है। श्रीमती सूर्यकांता व्यास। (अनुपस्थित)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क वसूली में कथित भ्रष्टाचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा कोटा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क वसूली में किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि उपज मण्डी कोटा में शुल्क में भ्रष्टाचार के सबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि मण्डी सचिव, कोटा द्वारा सन् 1987 से अगस्त, 1992 तक मण्डी क्षेत्र के बाहर देशी घी और तेंदू पत्ता आने के सम्बन्ध में मण्डी शुल्क वसूली के बारे में कोई भ्रष्टाचार किया गया हो, न ही यह सत्य है कि उसके कारण कोटा कृषि उपज मण्डी समिति को लाखों रुपये का नुकसान हुआ हो तथा यह क्षेत्र विकास से पिछड़ गया हो। क्योंकि सचिव, कृषि उपज मण्डी, कोटा द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, अतः उनके खिलाफ कार्यवाही की जाकर उनको दंडित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि 1 मार्च, 1987 से जुलाई, 1992 तक कोटा मण्डी समिति ने देशी घी व तेंदू पत्ता की आवक संकलित की जो निम्नानुसार है :—

दिनांक 1-3-87 से 31-7-91 तक कोटा खण्ड कृषि मण्डी समिति में देशी घी व तेंदू पत्ते की आवक की सूचना, देशी घी 21 हजार 919·49 क्विटल चुंगी रिकार्ड के अनुसार आवक 11,476.58 क्विटल। देशी घी की आवक चुंगी नाकों पर कम दर्ज है जबकि मण्डी समिति में अधिक दर्ज है। तेंदू पत्ते 15,450 क्विटल मण्डी रेकार्ड के अनुसार आवक, चुंगी रेकार्ड के अनुसार आवक, आवक 21,522·91 क्विटल। तेंदू पत्ते की मण्डी में आवक अनुज्ञापत्रधारी की सूचना के आधार पर नियम 58/4 के अनुसार है। चुंगी नाकों पर दर्ज व मण्डी में दर्ज आवक की मात्रा की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि मण्डी में देशी घी चुंगी नाकों से अधिक मात्रा में दर्ज है। इसलिए इसमें किसी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की सम्भावना जाहिर नहीं होती है।

जहां तक तेंदू पत्ते का प्रश्न है, यह सही है कि मण्डी में दर्ज आवक चुंगी नाके में दर्ज आवक से कम है। इस अन्तर की विस्तृत जांच करने के लिये कृषि विपणन निदेशालय से सहायक निदेशक, संरक्षण एवं सतर्कता को जांच के लिये नियुक्त किया गया है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांशतः तेन्दू पत्ता मण्डी क्षेत्र में नहीं होते हैं, तेंदू पत्ते मध्य प्रदेश के व भीलवाड़ा के आस-पास के इलाकों में होते हैं। तो वहां के वन विभाग द्वारा ठेके से विक्रय किये जाते हैं। यह सही है कि तेंदू पत्ता बाहर से मण्डी क्षेत्र में आता है जैसा कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर विदित है लेकिन अधिकांशतः तेंदू पत्ते बीड़ी उद्योग वालों के काम में आता है और मण्डी के प्रागंण में यह विक्रय नहीं होता और न ही मण्डी प्रांगण में तौल आदि ही की जाती है। उद्योग में काम में लेने वालों के लिये राजस्थान कृषि विपणन नियम 1963 के नियम संख्या 58/4 का शुल्क मण्डी को प्राप्त नहीं होता। कोटा मण्डी द्वारा 5 बीड़ी उद्योगों को अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं जो निम्न प्रकार है :—

राजस्थान बीड़ी फैक्टरी, कोटा, मांगी लाल अजीमुल्ला, कोटा, अब्दुल हकीम अब्दुल, कोटा, एशिया बीड़ी, कोटा, शिव कुमार अग्रवाल व श्री लक्ष्मी नारायण, कोटा। यह अनुज्ञा पत्र धारी उपरोक्त नियमों के नियम 58/4 के अन्तर्गत उनके द्वारा काम में लाये गये तेंदू पत्तों की सूचना मण्डी को अवश्य दें। इस वर्ष से कोटा के वन विभाग को कहा गया है कि जब भी कोटा क्षेत्र में तेंदू पत्तों का ठेका लिया जाय तो क्रेता का नाम तथा मात्रा मय कीमत मण्डी समिति को भिजवायी जाय। तो ऐसे ठेकेदारों को बीड़ी शुल्क देने हेतु पाबन्द किया जाय। दिनांक 22-7-1992 को एक तेंदू पत्ते के ठेकेदार ने कोटा क्षेत्र में वन विभाग से क्रय किये तेंदू पत्तों की मण्डी शुल्क के 5 हजार 298 रुपये जमा कराये। मण्डी शुल्क के अपवचन को रोकने के लिये राज्य सरकार पूर्णतया सजग है और इस कार्य को गति देने के लिये 5 उप निदेशक, पर्यवेक्षण एवं सतर्कता के नये पद क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर के लिये स्वीकृत किये गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में जुलाई, 1992 से कार्य शुरू कर दिया है इसके अलावा राज्य मुख्यालय पर दो सहायक निदेशक निदेशक-कृषि विपणन की देखरेख में सतर्कता का कार्य कर रहे हैं। सरकार का यह पूरा प्रयास है कि कर अपवचन पत्तों से न हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी के द्वारा बताया गया कि घी की आवक मण्डी में ज्यादा दर्ज है और नाके नगरपरिषद् में दर्ज रेकार्ड है वह कम है। मैं आपको फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं। मेरे पास रसीद नम्बर, डेट और कितनी मात्रा में आया है वह सारा का सारा उपलब्ध है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूं, केवल चार माह का रिकार्ड के आधार पर 5 साल में इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया होगा,

(श्री मदन दिलावर)

करोड़ों रुपयों का, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1991-92 में देशी घी की आवक जो इन्होंने बतायी, एक प्रश्न के माध्यम से मेरे को बताया गया था कि 2 हजार 83 क्विंटल 92 किलोग्राम एक साल का बताया है जबकि नका चुंगी के रिकार्ड के अनुसार केवल चार माह का देशी घी की आवक 2 हजार 713 क्विंटल 21 किलोग्राम है जिसका अन्तर 649 क्विंटल 7 किलोग्राम अधिक है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं क्रमवाइज। श्री जी कार्पोरेशन का उन्होंने बताया कि निल, मैं बता रहा हूं कि जुलाई चार माह का केवल 265 क्विंटल 15 किलोग्राम घी आया है। श्री जी डेयरी, रामपुरा, कोटा का 24 क्विंटल घी आया है। श्री नाथ ट्रेडर्स, रामपुरा, कोटा का 315 क्विंटल घी आया है। इसी तरह से मैसर्स लाल एण्ड कम्पनी का 159 क्विंटल घी आया है। लालचन्द लक्ष्मी चन्द का 144 क्विंटल घी आया है। गेंदीलाल ग्यारसीलाल का 96.73 क्विंटल घी आया है, राधेश्याम मनोज कुमार....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, इसको पढ़ने से क्या साबित होगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो कि हमारे यहां जो दर्ज है वह कम है। मण्डी में जो रेकार्ड है कि आया हुआ ज्यादा है और नाके पर है वह कम है। मैं विस्तार से बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दस्तावेज के आधार पर मेरे पास सारा रेकार्ड है और फिर भी इस प्रकार से गलत तथ्य देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : अब यह इससे क्या सिद्ध होगा। 21 हजार आवक और 10 हजार चुंगी पर आया है....

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रसीद मय डेट बताना चाह रहा हूं, टोटल काउण्ट कर लें कि वास्तव में यह बताया जो कम है या मैं बता रहा हूं वह कम है। यदि मैं इसमें झूठ पाया जाता हूं तो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। परन्तु इस प्रकार सदन को गुमराह करना ठीक नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार माह का रेकार्ड इतना है, पांच साल में कितना घोटाला किया होगा। जो डी. एन. गोस्वामी है उसने किस प्रकार से लेबर गुट पाल रखी है जिन्होंने 744 रुपये की लगभग 188 पर्चियां तौल की बनती थीं वह वहां से उठा ली गयी और उनके आधार पर फर्जी तरीके से मण्डी शुल्क वसूल किया। वहां पर जांच करने पर कहा कि पर्चियों का मूल्य कितना था। उनको बरी कर दिया। आप कल्पना करें कि 188 तौल की पर्चियां थी कितना इन्होंने मण्डी शुल्क इकट्ठा किया होगा। जिन पर आरोप है, जो फर्जी हैं उनको डेपुटेशन पर रख लिया, क्योंकि वे चौथ वसूली करके लम्बी राशि ला सके, उनको पेट भर सकें और ईमानदार वहां के कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया। यह कैसी विडम्बना है। मैं इस

(श्री मदन दिलावर)

आधार पर बताना चाह रहा हूं सदन को, मेरा ऐसा निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के मामले सामने आने चाहिये । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मित्तल एण्ड कम्पनी से 149.77 क्विंटल घी आया है, मन्नालाल चेनसुख से 82.25 क्विंटल घी आया है, गोकुल ट्रेडर्स से 3.77 क्विंटल घी आया है, शंकर लाल फतेहलाल से निल है । इसी प्रकार से आदर्श सेल्स एजेन्सी से 205.5 क्विंटल टोटल घी आया है, इसी प्रकार से खन्नालाल एण्ड सन्स से....

श्री उपाध्यक्ष : आप दिलावरजी, आगे चलिये । यह घी वाला हो गया, तेंदू पत्ते पर बोलें....

श्री मदन दिलावर : अब मैं आपको इनकी स्थितियों के बारे में बताना चाह रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से जो घी आया है, आप देख लें, रसीद नम्बर आप सुन लें 21-5-90 को....

श्री उपाध्यक्ष : इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं ।

श्री मदन दिलावर : माननीय महोदय, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी ने बताया, एक प्रश्न में कहा कि तत्काल सचिव ने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया, तत्कालीन सचिव ने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती, वह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और यह साबित करना चाह रहे हैं कि ईमानदार है और जनता ने उनको खूब टोका है और उस क्षेत्र का कितना विकास अवरुद्ध हुआ होगा । आपने यह बताया कि इस क्षेत्र का कोई विकास अवरुद्ध नहीं हुआ । मैं यह बताना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को आप लोगों ने इनाम दिया, इनाम देकर उनको वहां पर डेपुटेशन पर लिया । यहां पर सरकार कह रही थी कि जिन लोगों का ट्रांसफर हमने किया है वापस नहीं होना चाहिये । मैं भी ईमानदार लोगों से इस पक्ष में मिला था अधिकारियों से उन्होंने कहा कि एक बार स्थानान्तरण हो गया तो हो गया । नीति है, नीति अन्तर्गत हुआ है लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों को डेपुटेशन पर किस आधार पर लिया गया ? वे आज भी वसूली कर रहे हैं, खुले आम वसूली कर रहे हैं । इनको रोकने वाला कोई नहीं है । मंत्री महोदय इसका जवाब दें । क्या यह मेरे तथ्य असत्य है या उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे तथ्य सही हैं तो । आप इसका जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : तेंदू पत्तों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे ।

श्री मदन दिलावर : तेंदू पत्तों के बारे भी तथ्य गलत है लेकिन जैसा बताया कि तेंदू का शुल्क हम नहीं लेते, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता । घी के बारे में स्पष्ट बताया है कि क्या हुआ, वहां पर भ्रष्टाचार है ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने यह बताने की कोशिश की है, जो तथ्य दिये गये हैं वह शायद ठीक नहीं है । मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है माननीय सदस्य से कि जो कोई सूचना वह देंगे उस सूचना के आधार पर जांच करवा ली जायेगी और कोई कर का अपवचन हुआ, किसी भी अधिकारी को

(श्री रामनारायण विश्नोई)

दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट कर्मचारी जो डेपुटेशन पर लगा रखे हैं जो उगाहीं कर रहे हैं उनका डेपुटेशन क्या निरस्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए आप अलग से मिल लें। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो भी जानकारी दी उसकी जांच कराने का आश्वासन दे दिया है।

श्री मदन दिलावर : विधान सभा के प्रश्न पर मुझे उत्तर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह ट्रान्सफर का मामला यहां नहीं लायें।

श्री मदन दिलावर : ट्रान्सफर का मामला नहीं है। निलम्बन करिये। ट्रान्सफर मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : आरोप सिद्ध होगा तो कार्यवाही करेंगे, यह आश्वासन मिल चुका है।

श्री मदन दिलावर : सरकार ने मान लिया, यह एक सवाल के उत्तर में आया है। विधान सभा का जवाब है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। सारा आश्वासन मिल चुका है।

श्री मदन दिलावर : गोलमाल करते हैं, यह गलत है।

बाल विकास और राष्ट्रीय पोषाहार परियोजना, उदयपुर में व्याप्त अव्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह सदस्य, विधान सभा राष्ट्रीय पोषाहार परियोजना, उदयपुर में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : उदयपुर सम्भाग में चल रही बाल विकास परियोजना में मिलावट, खाद्य सामग्री में चोरी की शिकायत प्राप्त हुई है। इससे पोषाहार आपूर्ति की अव्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रतनलाल जाट (महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, उदयपुर सम्भाग में कुल 14 परियोजना संचालित है तथा उनमें पोषाहार आपूर्ति के सम्बन्ध में, पोषाहार चोरी की कोई शिकायत नहीं है। अलबत्ता परिवहनकर्त्ता जे. एम. एण्टरप्राइजेज, उदयपुर द्वारा राज्य भण्डार गृह, फतेहनगर से परियोजना मुख्यालयों तक पोषाहार आपूर्ति का काम निविदा एवं अनुबध की शर्तों के अनुसार नहीं करने से उसके विरुद्ध समय पर कार्यवाही की जा रही है तथा पोषहार परिवहन कार्य निर्धारित अवधि से विलम्बित करने पर शुल्क भुगतान में से नियमानुसार कटौती कर भुगतान किया गया। झाडोल परियोजना को आपूर्ति में 116.7 किलोग्राम तेल कम होने से भुगतान रोका गया। झाडोल,

(श्री रतनलाल जाट)

राजसमन्द, देवगज, धरियावद, पोषाहार आपूर्ति में परिवहनकर्त्ता के तेल कम डिलीवर करने के कारण भुगतान में से संबंधित तेल की राशि काटकर भुगतान करने हेतु जारी है। इसी प्रकार से उक्त परिवहनकर्त्ता द्वारा दिनांक 30-7-92 को फतेहनगर से प्राप्त पोषाहार में 249 पीपे तेल दिनांक 1-8-92 को शाम धरियावद पहुंचाया गया जिसमें मिलावट की शिकायत 7-8-92 को प्राप्त होते ही प्रयोगशाला परीक्षण करने हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी, धरियावद ने दिनांक 16-8-92 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर को उक्त परीक्षण हेतु निवेदन किया जिस पर 2-9-92 को तेल के चार नमूने लिये गये। उनकी परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16-9-92 तक प्राप्त नही हुई। जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चार में से 3 नमूने पानी की मिलावट के पाये जाने की दूरभाष पर सूचना दी गई है। 249 पीपा तेल में पानी की मिलावट की शिकायत पर परियोजना अधिकारी, धरियावद को परिवहनकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी किये गये हैं। पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था ठीक बनाये रखने के लिए अन्य परिवहनकर्त्ता से समान दरों पर कार्य कराया गया है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत प्राप्त पोषाहार में फतेहनगर गोदाम में क्षतिग्रस्त, सील टूटने, या कम वजन के प्राप्त हुए हैं उन्हें तौलकर तलपट्टी बनाकर जारी किया जाता है तथा परियोजना मुख्यालय पर भी तौलकर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था स्पष्टतया ठीक है। दोषियों के विरूद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेण्ट माननीय मंत्रीजी ने पढ़कर सुनाया है उससे लगता है कि इतनी शिकायतें होने पर भी बहुत सन्तुष्ट हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर रहते हैं इस प्रकार पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था स्पष्टतया ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विश्व फूड प्रोग्राम की जो मोनेटरिंग अथोरिटी है उनकी सबसे बड़ी शिकायत तो राजस्थान सरकार के काम से है। जिस प्रकार से वेयर हाउसिंग में सामान रखा जाता है वह सही नहीं है। जो पौष्टिक तत्व है इससे उसमें भी क्षति होती है। इसके साथ-साथ परिवहन कर्त्ता जिसको ठेका दे रखा है ट्रांसपोर्टर के पास पूरी पर्याप्त रूप से गाड़िया नहीं होने से जिस समय पर माल पहुंचना चाहिए धरियावद या सेन्टर्स पर वहां नहीं पहुंचता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उसकी क्वालिटी, जिस क्वालिटी का पोषाहार पहुचना चाहिए, वह पूरी नहीं होती है क्योंकि दो तत्व तो आते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, इसके साथ-साथ मसाले आदि दूसरे मिलाने पड़ते हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब होने से उसमें जो पौष्टिक तत्व होने चाहिए वह क्वालिटी पूरी नहीं होती है। तीन पाइन्ट्स पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मोनेटरिंग अथोरिटी ने ओब्जेक्शन किया है। राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा है और

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

जो मिलावट की बात है, एक केस कोर्ट कर दिया धरियावद में 250 टिन जा रहे थे वह खाली मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकारियों और ट्रान्सपोर्टर की सबसे बड़ी मिलीभगत है। सब जगह यह तेल जाता है खाली करके और उसमें पानी भरकर भेजते हैं। जामनगर पोर्ट से फतेहनगर तक माल आता है, रास्ते में गुजरात खाली होते हैं, तस्करी होती है, यहां पहुंचते हैं तो उसमें पानी भरकर बराबर कर देते हैं। दो केस तो अभी-अभी पकड़े हैं। इसके पहले भी कई बार पकड़े और छोड़ दिया जैसा अभी स्टेटमेन्ट में कहा है ट्रांसपोर्टर को समय-समय पर उसके पैसे रोककर ठीक करने की कोशिश करते हैं, केवल पैसा रोककर, थोड़ा पैसा रोककर, थोड़ा बहुत जुर्माना करके पनिशमेण्ट देना चाहते हैं, वह पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि इसकी तस्करी होती है। 100 गुना पैसे ऐसे ही कमा रहे हैं। माल को रास्ते में बेचने से उसका थोड़ा-बहुत पैसा रोक देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। इसकी पूरी जांच होना आवश्यक है। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि आज से दो साल पहले जयपुर के आस-पास सेन्टर्स है उनमें मोडर्न फूड इण्डस्ट्री जो गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया का अण्डरटेकिंग है वह पोस्टिक आहार बनाती है और सरकार को सप्लाई करती है। 14 से 20 सेन्टर्स हैं जयपुर के आसपास जिसको सप्लाई करती है। उसने ऐसा ही प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रस्ताव, मोडर्न फूड इण्डस्ट्री का सरकार के पास आया हुआ पड़ा है। गवर्नमेण्ट ने उसे जमीन भी अलाट की है पर जमीन अलाट करने के बाद गवर्नमेण्ट और उसके बीच कोई रेट तय नहीं होने से फैक्ट्री चालू नहीं हुई। चार करोड़ का प्लान्ट लगता, एम्प्लायमेंट लोगों को मिलने वाला था और रास्ते में ट्रांसपोर्ट में क्षति होती है वह नहीं होती। चूंकि फैक्ट्री चालू नहीं होने के कारण राज्य सरकार को इतना नुकसान भुगतना पड़ रहा है और जिन बच्चों के लिए पौष्टिक माल पहुंचना चाहिए उनको घटिया माल आज दिन तक पहुंच रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मई, 90 में जब शरद यादव सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट में फूड मिनिस्टर थे उस समय यह उद्घाटन हुआ है और उस दिन से लगाकर आज दिन तक केवल बाउण्ड्री वाल बनी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इसमें व्यक्त अव्यवस्था का लिखा है और उसको हाइलाइट कर दिया। सप्लाई में गड़बड़ी हो रही है, यह बतायें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस अव्यवस्था के कारण क्या हैं और कैसे ठीक हो सकती है।

(2.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस फैक्ट्री के लगने से आसपास के एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगा। जैसा माल वहां बनता है, जिस क्वालिटी का माल बनता है वह क्वालिटी का माल बच्चों के पास आना चाहिए। वह आज के दिन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ध्यानाकर्षण करना

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

चाहता हूं। सरकार ने अड़चन लगा रखी है, सरकार ही रेट तय नहीं कर रही है। सरकार ने ही लिखकर दिया था कि पांच साल तक इस माल को हण्ड्रेड पर्सेण्ट हम उठाएंगे इस काम के लिए। उसके बाद सरकार चुप बैठी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह लग जाती है और यह काम चालू हो जाता है तो इसकी जो आपूर्ति नहीं हो रही है, जो टाइम पर माल नहीं मिल रहा है, क्वालिटी सही नहीं मिल रही है, इसमें फर्क पड़ सकता है।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 135 आई. सी. डी. एस. के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पोषाहार सप्लाई का जो कार्यक्रम है, उसमें से विश्व खाद्य कार्यक्रम भी एक कार्यक्रम है। इसके तहत राजस्थान में 135 में से 33 परियोजनाओं में विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत हमें पोषाहार मिलता है। जहां तक पोषाहार पहुचने का सवाल है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जामनगर, गुजरात पोर्ट पर इसको उतारा जाता है। वहां से राजस्थान के स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों में इसको लाया जाता है। जहां तक उदयपुर रीजन का सवाल है, वहां हमारी 14 इस प्रकार की परियोजनाए कार्यरत हैं। उनमें से पांच जगह पर स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदाम बने हुए हैं। उनमें से एक गोदाम फतेहनगर में बना हुआ है। माननीय सदस्य ने खास तौर से धरियावद काण्ट्रक्टर के द्वारा तेल की सप्लाई में अनियमितता और डिले की बात की है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस काण्ट्रैक्टर का उदयपुर रीजन का ठेका है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के पोषाहार को विभिन्न केन्द्रों पर सप्लाई करने का यह ठेका टेण्डर के आधार पर लोएस्ट रेट पर मैसर्स जे. एम. एण्टरप्राइजेज, उदयपुर को मार्च, 1992 में दिया गया था। इसी आधार पर इसने अपना ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया था। इसके खिलाफ सबसे पहली शिकायत देर से माल सप्लाई करने के बारे में प्राप्त हुई। इस शिकायत के आधार पर 25-7-1992 को तुरन्त इस काण्ट्रैक्टर को नोटिस दे दिया गया था। इसके बाद दूसरी शिकायत डिले के साथ-साथ शार्ट सप्लाई की प्राप्त हुई। इस शार्ट सप्लाई की शिकायत पर तुरन्त उसके बिलों में से 3577 रुपए की वसूली कर ली गयी थी। इसके साथ-साथ 420.35 किलोग्राम शार्ट सप्लाई की एक और शिकायत प्राप्त हुई थी। इस बाबत 16816 रुपए की बिलों में से कटौती की कार्यवाही विचाराधीन है।

माननीय सदस्य ने खास तौर से तेल के पीपों में एडल्ट्रेशन की जो बात कही थी, उसकी बाबत दिनांक 1-8-1992 को 249 तेल के पीपों में मिलावट करने की शिकायत हमें प्राप्त हुई है। उसके आधार पर 18-8-1992 को इसमें सैम्पल ले लिये गये। उन सैम्पल्स के आधार पर 16-9-92 को चार में से तीन सैम्पल में इस तरह के एडल्ट्रेशन की शिकायत साबित हो चुकी थी। उसके बाद कार्यवाही करके 18-9-1992 को धरियावद थाने में धारा 379 के तहत केस नम्बर 121/92 उन ट्रांसपोर्टर महोदय के खिलाफ जे. एम. एण्टरप्राइजेज के खिलाफ स्थानीय सी. डी.

(श्री रतनलाल जाट)

ओ. के माध्यम से दायर किया जा चुका है। समय-समय पर इसके खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उन पर बराबर कार्यवाही कर रहे हैं। आपने इसके पनिशमैण्ट के बारे में कहा था कि हम कटौती बिलों में से कर लेते हैं, माननीय सदस्य को मैं सूचित करना चाहूंगा कि विभाग ने त्वरित कार्यवाही करके उस काण्ट्रैक्टर के खिलाफ न केवल एफ. आई. आर. दर्ज करायी, बल्कि उसके साथ जो संविदा चल रही थी उसको भी निरस्त कर दिया गया है। उसको निरस्त करने के बाद जो दूसरा लोएस्ट रेट का ट्रांसपोर्टर था उनको विभाग द्वारा आदेश प्रदान कर दिये गये हैं। दिनांक 19-9-1992 से उसके तहत पोषाहार की सप्लाई उस काण्ट्रैक्टर के माध्यम से की जा रही है।

माननीय सदस्य ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मानिटरिंग के बारे में उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 33 परियोजनाओं में सामग्री विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। उसके तहत मानिटरिंग कार्य वहां का दिल्ली का कार्य, वहां के ग्राफिसर्स करते हैं। यहां के विभाग द्वारा समय-समय पर मंथली, क्वार्टरली, ईयरली स्टेटमैण्ट दिल्ली कार्यालय को भेजे जाते रहे हैं। न केवल यह बल्कि समय-समय पर वहां के कई अधिकारी, हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, मानिटरिंग करने के लिए आते रहते हैं। जून ही में वहां के प्रोग्राम आफिसर मिस्टर बन्ना और माइकल हैरिस, दोनों ही इस कार्यक्रम को राजस्थान में देख चुके हैं और इस कार्यक्रम को देखकर उन्होंने पूरी प्रसन्नता जाहिर की है। इसलिए इसमें अव्यवस्था वाली जो बात थी निश्चित रूप से विभाग इन शिकायतों पर बराबर ध्यान देकर उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है।

दूसरी माननीय सदस्य ने उदयपुर में मार्डन फूड वाली बात कही थी कि सरकार से संविदा के आधार पर फैक्ट्री का उद्घाटन हो चुका है। सरकार से इस प्रकार की कोई संविदा नहीं है कि मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड वहां शुरू करना चाहती है। अभी केवल पांच योजनाओं में वर्तमान में जयपुर की फैक्ट्री से माल सप्लाई कर रही है। मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड अधिकारियों की सरकार के साथ कई बार चर्चा हुई है। सरकार ने कई प्रकार की क्वैरीज उनकी रेट वगैरह के बारे में की हैं। जब भी उन क्वैरीज का हमारे पास जवाब आ जाएगा, निश्चित रूप से उनके साथ फैक्ट्री चलाने और माल लेने की बात पर विचार किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक आध सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछिये।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। 16.9 तक की मेरे पास जो सूचना है, तब तक तो नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : 19 तारीख बता रहे हैं। उसको बिलकुल हटा दिया, सप्लायर को ही हटा दिया।

श्री कमलेन्द्र सिंह : एफ. आई. आर. की अर्ज कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। काण्ट्रैक्टर इतने महीने से काम कर रहा है, काण्ट्रैक्टर की कई शिकायतें आ चुकी हैं। उसका पैसा जरूर रोका है इन्होंने। एफ. आई. आर. फर्स्ट टाइम कह रहे हैं आप की 18-9- को....

श्री रतनलाल जाट : जब हमने सूचना विधान सभा को दी थी उस समय।

श्री कमलेन्द्र सिंह : आप फरमा रहे हैं मानिटरिंग अथारिटी बहुत प्रशंसा कर रही है। मानिटरिंग अथारिटी ने यह स्पष्ट कहा है कि आपका सुपरविजन बहुत कमजोर है। सुपरविजन कमजोर होने के कारण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि वहां सी. डी. पी. ओ. की जो पोस्टिंग होनी चाहिए, वह पोस्टिंग पूरी नहीं हुई है। जैसे धरियावाद की बात है, 201 सेन्टर्स केवल धरियावाद पंचायत समिति में हैं। वहां सी. डी. पी. ओ. की एक भी पोस्ट भरी हुई नहीं है। सुपरविजन की कमजोरी से ट्रांसपोर्टर भी मौज कर रहा है। यह क्वालिटी का सवाल है। गुड़ की खरीद में भी शिकायत हुई थी कि सर्वप्रथम कितना खराब गुड़ खरीदा गया था कि उसकी जो पौष्टिक क्वालिटी होनी चाहिए वह बनती नहीं थी। यह भी मानिटरिंग अथारिटी ने इनको पाइण्ट आउट किया है।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत चलने वाले पोषाहार में गुड़ और नमक की क्वालिटी की जो बात कही है, हमारे यहां आज की तारीख में केवल 9 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें इस प्रकार की स्थानीय सामग्री खरीदी जाती है। वह स्थानीय सामग्री भी हम सरकारी, अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों से खरीदते हैं। जहां तक नमक की बात है, हम सांभर साल्ट मिलिटेड से नमक खरीदते हैं। राज संघ, उदयपुर से गुड़ का क्रय करते हैं। इसलिए घटिया स्तर की सामग्री की अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे। यह कोई जनरल जो है नहीं, पण्डित जी, सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री रामकिशन : साहब सुनिये तो सही। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जिस दिन यह व्यवस्था दी गयी थी कि मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे उस दिन काल अटेंशन और एडजार्नमेंट मोशन थे। आज चूंकि पंचायत का बिल विचारार्थ लिया जा रहा है अगर पहले मुख्य मंत्री जी बयान दे देंगे तो उसके बाद बहुत-सी चीजें ऐसी हो जाएंगी जिनकी सफाई के लिए वे फिर बोलेंगे और सदन का समय जाएगा। इससे दूसरे जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री, उनकी स्थिति भी गिरती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी, आपको अधिकार है इन्टरवीन करने का लेकिन जब बहस हो और बहस के बीच में आप इन्टरवीन करें बजाय इसके कि आप वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बहुत सारी शंकाओं का पहले ही समाधान हो जायेगा। (व्यवधान) आपको बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी अभी कि पंचायत पर जब बहस होगी तब जिन्होने स्थगन प्रस्ताव दिये थे, उनको....

श्री उपाध्यक्ष : इनको स्टेटमेंट लिस्टेड है, इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह बहुत रेलेवेंट है। रेलेवेंट इस मायने में है कि इस आर्डिनेंस को रिप्लेस कराने के लिये बिल आज सदन में विचारार्थ लिया जाने वाला है। इस सदन के 8-9 माननीय सदस्यों ने कास्टीट्यूशन के आर्टिकल 213 के नीचे स्टेट्यूअरी मोशन, परिनियत संकल्प भी प्रस्तुत किया है कि इस आर्डिनेंस को आउटराइटली रिजेक्ट करें यह सदन। अगर यह सदन उसको रिजेक्ट करता हैं तो मुख्य मंत्री जी, आपको कोई भी यहां पर स्टेटमेंट या वक्तव्य मायने नहीं रखता। इसलिये जब आर्डिनेंस और बिल साइमलटेनियसली सदन में कंसीडरेशन में हो उस वक्त सदन के नेता का कोई भी स्टेटमेंट होना यह प्रिएम्प्ट करता है पंचायत मंत्री और प्रभारी मंत्री के सभी अधिकारों को और उनकी शक्तियों को।

आप इस तरह से, मुख्य मंत्रीजी, इनकी जो, मैं जानता हूं, संताप और जो वेदना है, आप इनको इतना जलील मत कीजिये। ये दया के पात्र हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ कि मुख्य मंत्रीजी जो कुछ भी यहां पर नई परम्परा और परिपाटी डाल रहे हैं, यह अभी सदन में विधेयक या आर्डिनेंस जो आया है और रिप्लेस हुआ है आर्डिनेंस विधेयक के द्वारा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुख्य मंत्री खड़े होकर, जो प्रभारी मंत्री नहीं हैं, विषय वही है जो आज ग्राम पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में है, इस पर विस्तृत चर्चा होगी, माननीय सदस्य उस डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस बेकग्राउण्ड और भूमिका में, मुख्य मंत्रीजी, आप स्टेटमेंट देने के बाद में पंचायत मंत्री की हवा निकालना चाहते हैं, यह कहां तक उपयुक्त है, कहां तक उचित है और क्या प्रोप्रायरिटी है, मेरी समझ में नहीं आया।

इसलिये मेरा यहां पर पाइण्ट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एतराज नहीं कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बीच में व्यवधान खड़ा नहीं कर रहा हूं, मेरा यह पाइण्ट आफ आर्डर है। पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जब बिल सदन में आने वाला है, आर्डिनेंस रिजेक्ट होने के प्रस्ताव यहां पर भी पेंडिग पड़े हैं, उस वक्त कोई भी स्टेटमेंट उस सम्बन्ध में देना, या तो मुख्य मंत्रीजी बीच में इण्टरवीन करते लेकिन उससे पहले लेकर और एक फेट एकम्पली बनाना चाहते हैं और यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति की शतरंज पर जो दांव लगाने की महारत आपमें हासिल है, दूसरे मंत्री में नहीं है। पहले दांव फेंक दोगे फिर बेकार बैठें रहोगे, इसका हाल फिशर का और कारपोव का है, वैसा हो जायेगा।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप

(श्री परसराम मदेरणा)

मंत्रीजी को पहले जवाब देने दीजिये आर्डिनेंस के ऊपर। आर्डिनेंस के बाद में जब बिल कंसीडरेशन स्टेज पर हो तब अगर आप वक्तव्य देना चाहते हो तो आपका इण्टरवेंशन भी हो जायेगा और आपका वक्तव्य भी हो जायेगा।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह वक्तव्य मैं आपके आदेश से दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : उसी सन्दर्भ में मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल लेना। आपको खुली छूट है बोलने की।

इस सदन का आदेश था, उस आदेश की कम्प्लायेंस में मैं यह स्टेटमेंट दे रहा हूं। आज यह एजेण्डा में रखा गया। जिस समय स्टेटमेंट देने की बात आई थी, उस समय भी माननीय सदस्यों का आग्रह था कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य दो। मैं अब आपकी इच्छा का पालन कर रहा हूं। एक बात।

दूसरा, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे राज्य मंत्रीजी के बारे में जो सहानुभूति प्रकट की है, उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन नाराजगी इसलिये प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इनके लिये सहानुभूति क्यों प्रकट की, औरों के लिये क्यों नहीं की ?

श्री परसराम मदेरणा : Some thinges my address is singular. सिंगुलर का मेरा मतलब प्लूरल से था। वह तो गृह मंत्रीजी खुद जानते हैं कि यह स्थिति क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है. अब आपने एक तीसरा प्रश्न खड़ा किया, मैं कोई इसके लिये इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं कि मुझे वक्तव्य देना ही है, लेकिन आपने एक तीसरा प्रश्न जो पाइण्ट आफ आर्डर के साथ उठाया, माननीय राज्य मंत्रीजी अभी एक विधेयक पेश करने वाले हैं और आर्डिनेंस को रिप्लेस करते हुए उसका स्टेटमेंट आफ रीजन्स भी देंगे कि क्यों हम आर्डिनेंस लाये लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो वक्तव्य दे रहा हूं उसका उल्लेख उस विधेयक में नहीं है, वह सब्जेक्ट बिलकुल अलग है। इसलिये मैं समझता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी फिर भी आप कहोगे, वह मान लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : देखिये, ऐसा है, जो कुछ भी प्रोसीजर उसमें प्रेस्क्राइब किया गया है, जो बिल अभी आ रहा है, बिल बाद में आयेगा, पहले आर्डिनेंस पर विचार होगा। क्योंकि माननीय सदस्यों ने इस आर्डिनेंस को प्रोमुलगेठ करने के बारे में परिनियत संकल्प रखा है, उसका डिस्पोजल होगा पहले और उसके बाद कंसीडरेशन स्टेज आयेगी। मेरा निवेदन करना यह है कि अगर आप कुछ और बात कहना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कुछ नहीं है, मैं तो इलेक्शन का प्रोग्राम बताना चाहता हूं। आप कहते हो तो बता दूं, नहीं कहते तो बाद में बता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : इलेक्शन के प्रोग्राम के अन्दर, मुख्य मंत्रीजी, आप बहुत

(श्री परसराम मदेरणा)

बड़े डेमोक्रेट हैं और ग्रासरूट तक आप पहुंचना चाहते हैं और बार-बार आपके स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हैं। 15 अगस्त को भी आपने यह वक्तव्य दिया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कह देना उस समय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कह नहीं रहा हूं लेकिन चुनाव के प्रोग्राम का ऐलान तो करें आप और बाकी का बिल के बारे में, प्रावधानों के बारे में, जो कुछ भी उसके बारे में चर्चा होगी, या लोगों के आक्षेप रहेंगे, उन आक्षेपों का उत्तर देंगे सम्माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी मैं दे दूंगा। वह जवाब भी मैं दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके आक्षेपों का जवाब भी दे दूंगा, आप क्यों चिन्ता करते हो? फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मुझे दिक्कत कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि किसी को भी दिक्कत हो कि मुझे वक्तव्य नहीं देना, शायद आपको यह भ्रम हो रहा है कि मेरे वक्तव्य देने के बाद में सारा मामला जैसा भी है, वैसा रह जायेगा, आपकी डिबेट अच्छी हो इसलिये मैं अपना स्टेटमेंट नहीं देता हूं। यह सारी बातें वह ही कह देंगे। मैं चाहता हूं कि डिबेट आपकी अच्छी हो, मेरे वक्तव्य देने के कारण से आपकी डिबेट खत्म होती है तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी डिबेट सुनकर जो भी आप वक्तव्य देने जा रहे हैं, शायद आपको मजबूर होना पड़े, उसमें सुधार करने को। अभी तो आप अपने बल पर दे रहे हैं, यहां सदन के सदस्यों की राय के बाद आप अपने वक्तव्य में सुधार रख सकते हैं। इतनी आशा तो हम रख सकते हैं आपसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं सुधार करने की दृष्टि से तो हमेशा सहमत हूं लेकिन मैं इससे भी सहमत हूं कि मेरे वक्तव्य के बाद यदि आपकी डिबेट उस प्रकार की नहीं रहे तो वह डिबेट का मैं असर कमजोर नहीं करना चाहता हूं। इसलिये मैं नहीं दूंगा, आप अपनी डिबेट चालू रखिये।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री निम्न प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कितना अकोमोडेट करता हूं माननीय सदस्यों को, वह मेरी प्रशंसा तो करें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां), (2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) (3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल) एवं विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1990-91 सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन–1992-93) एवं अतिरेक अनुदान की मांगों का उपस्थापन (1984-85)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) तथा वर्ष 1984-85 के लिये अतिरेक मांगें उपस्थापित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1984-85 के लिए अतिरेक मांगें उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामकिशन : आपका नाम लिस्ट में है तो एक बार ही बोल जाएंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो मेरे नाम से ही चिढ़ है, मैं करूं क्या? वह चाहे लिस्ट में आए, चाहे जुबान पर आये।

श्री रामकिशन : मुझे आपके नाम से चिढ़ नहीं है, आपके काम से चिढ़ नहीं है, आपकी शकल से चिढ़ नहीं है। मुझे तो आपके व्यवहार से चिढ़ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, पंडितजी मुझे तो आप शिक्षा दे देंगे कि आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाये, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि उसी प्रकार से पालन करूंगा।

डा. चन्द्रभान : वह तो पहले से ही तय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी वर्मा।

याचिकाओं का उपस्थापन

ग्राम पंचायत गुढ़ा सदावर्तियां, तहसील नैनवां के पाठशाला भवन का निर्माण

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत गुढ़ा सदावर्तिया, तहसील नैनवां (बूंदी) के पाठशाला भवन (ग्राम देवपुरा) के निर्माण कार्य बाबत 6 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. जितेन्द्रसिंहजी।

ग्राम बारठ का गांव, जिला जैसलमेर सड़क का डामरीकरण

श्री जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पोकरण से ग्राम बारठ का गांव जिला जैसलमेर सड़क का डामरीकरण किए जाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन–श्री हीरालाल देवपुरा सभापति, जन लेखा समिति, 1992-93 समिति के 3 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति 1992-93 का 76, 77 एवं 78 वां प्रतिवेदन

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, जनलेखा समिति) उपाध्यक्ष : महोदय, मैं, सभापति, जनलेखा समिति, 1992-93 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हू :—

(1) जनलेखा समिति, 1975-76 के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (पांचवी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 76वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन :

(2) जनलेखा समिति, 1977-78 के प्रथम प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट विनियोग लेखों 1972-73 में बताये गए दत्त-मत्त अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 77वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन : एवम्

(3) जनलेखा समिति, 1977-78 के चौथे प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 78वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य-पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक। माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हू।

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा। राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःथापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरलालसिंह जी खर्रा–प्रभारी मंत्री राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं....(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण एवं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइए।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सत्र के प्रारम्भ में, 16 सितम्बर को प्रभारी मंत्रीजी ने पंचायत आर्डिनेंस सदन की मेज पर रखा था। उसके बाद में आज यह उस बिल को इन्ट्रोड्यूज करने जा रहे हैं। बिल को इन्ट्रोड्यूज करने के साथ-साथ जो आर्डिनेंस के कारण हैं वह सदन की मेज पर रखने जा रहे हैं। मैं चाहता था कि आर्टिकल 213 के नीचे स्टेच्युटरी मोशन सदन में मूव करू लेकिन माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने इस प्रकार के रीजन्स प्रामलगेटेड आर्डिनेंस के थे वह सदन की मेज पर नहीं रखे हैं और इसलिए दूसरे माननीय सदस्यों ने जो परिपाटी चलती है उसी तरह से कर दिए हैं। मैं अगर रीजन्स से सेटिस्फाइड हो जाता तो मैं नहीं करता लेकिन वह रीजन्स भी नहीं आये हैं और अब माननीय सदस्य इसके बाद में जो परिनियत संकल्प पर बोलने वाले हैं अब ये हाउस की टेबल पर रखने के बाद में, वह अभी यहां हाउस में सर्कुलेट होंगे। यह जो इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 63–"Statement in connection with Ordinance :–(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance." यह कहेंगे कि मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

तो आज ही इन्ट्रोड्यूज कर रहा हूं इसलिए मैं रूल 62 की अनुपालना कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने एक बिल जो पुरःस्थापित किया है वह आज नहीं लिया जा रहा है, लोकल सेल्फ मिनिस्टर का दूसरा जो बिल था वह इन्ट्रोड्यूज किया है वह बाद में लिया जायेगा। एक बिल जो इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं कन्सीडरेशन के लिए और जो पारित करने का भी प्रस्ताव रखने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा और आपकी स्मृति को मैं ताजा करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में आखिरी दिन, अर्थात् 8 अप्रेल, 1992 को एक यहां जो सप्लीमेंटरी बिजनैस सर्कुलेट हुआ था और वह सर्कुलेट हुआ था अनुपूरक कार्य सूची के रूप में, इस अनुपूरक कार्य-सूची के अन्दर 3 बिल, ये इन्ट्रोड्यूज करना चाहते थे—(1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955, एक जो प्रभारी मंत्रीजी यही राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 को संशोधित करने के लिए विधेयक और यही मंत्रीजी राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 को संशोधित करने के लिए विधेयक और उसके एक घण्टे बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को बाई पास करने के लिए बुलेटिन भाग 2, नम्बर 2 आया। उस वक्त मैंने सदन में एतराज किया था कि इन्ट्रोड्यूज करवाइए और सदन शायद आज एडजोर्न होने जा रहा है, सदन को एडजोर्न नहीं किया जाय और इसकी अवधि 3 दिन के लिए और बढ़ाई जाये। क्योंकि इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं तो ये तीनों ही बिल पारित कर रहे हैं। बाद में आपने जो बुलेटिन इश्यू किया उसमें लिया कि हम नहीं, नहीं, पुरःस्थापित नहीं करना चाहते हैं, इस सप्लीमेंटरी बिजनैस को विथड्रा कर रहे हैं। मैंने कहा कि सप्लीमेंटरी बिजनेस विथड्रा कर रहे हैं तो आप आर्डिनेंस का सहारा लेंगे। इस सदन में एक दफा इंटीमेशन देने के बाद में असेम्बली को बाई पास करेंगे और मैंने यह कहा था माननीय सदस्यों से कि यह पूरे सदन को यह सरकार ठेंगा बताना चाहती है, हम तो लाएंगे आर्डिनेंस आप जैसा मरजी आए वैसा करो। सरकार उसमें आर्डिनेंस ला रही है, उन तीन में से 2 पर तो आर्डिनेंस इसलिए आये लेकिन पंचायत एक्ट के ऊपर आर्डिनेंस भी इश्यू कर दिया। आर्डिनेंस इश्यू करने के बाद में आप विलेटेड जो इस आर्डिनेंस के रीजन्स को हाउस की टेबल पर रख रहे हैं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास में कहां समय है कि रीजन्स को पढ़ने के बाद में वह परिनियत संकल्प पर रखने का अधिकार है उससे माननीय सदस्यों को वंचित रखा गया है। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि रीजन्स को सर्कुलेट किया जाय और उसके बाद में हम को समय दिया जाए कल 1·00 बजे तक का ताकि हम परिनियत संकल्प दे सकें। नहीं तो मेरा सदन के सदस्य की हैसियत से अधिकार है, उस पर कुठाराघात हुआ है। मैं चाहता हूं आप हमारे अधिकारों के प्रोटेक्टर हैं इसलिए मैंने व्यवस्था के प्रश्न को रखा है उस पर निर्णय देकर माननीय मंत्रीजी को निर्देश दें कि इस बिल को, जो आप ला रहे हैं पूरा समय हमें मिलने के बाद में यह बिल सदन में कंसीडरेशन में लाया जाए। पहले आर्डिनेंस पर चर्चा हो और आर्डिनेंस के रीजन्स के बाद में स्टेट्युटरी मोशन मूव करने का हमको अवसर मिलना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पाइंट आफ आर्डर रेज किया है.... (व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : आप व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप व्यवस्था दे रहे हैं क्या, आसन देगा व्यवस्था तो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल नहीं सकता ? व्यवस्था तो वह देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था देने का समय होता है तब दे दी जाती है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, तो आपसे सलाह लेकर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप नहीं दे रहे हैं क्या ?.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए । पांइट आफ आर्डर रेज किया है उसका उत्तर आ रहा है ? विराजिए आप ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सलाह लेकर देंगे क्या ? आप व्यवस्था दीजिए । ··· (व्यवधान) ····

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए । .... जब टाइम आएगा तब व्यवस्था दे दी जायेगी । आप विराजिए ।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं । व्यवस्था तो उपाध्यक्षजी ही देंगे । शायद भ्रम पैदा हो गया, मैं बोलने खड़ा हो गया तो कि मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप व्यवस्था सुझा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि सदन में सब सदस्यों को अधिकार है कि कोई भी पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया जाता है तो इस सम्बन्ध में उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य के इस एतराज का जवाब देना चाहूंगा कि उनको परिनियत संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इसी आज के दिन के एजेण्डा में यदि आप देखेंगे तो श्री रामनारायण वर्मा, श्री कमलेन्द्रसिंह, श्री अमीन खां, श्री रामस्वरूप, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती मदन कौर, श्री नत्थी सिंह, प्रो. केदारनाथ, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे । इसका मतलब इस गरज से कि यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाये इस कारण से आज बिल इन्ट्रोड्यूज नहीं किया गया । अब इतने माननीय सदस्य सावधान है तो मैं यह आशा करता था कि भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य भी बहुत जागरूक है, सावधान होंगे और यदि संकल्प इनको प्रस्तुत करना था तो वह निश्चित रूप से संकल्प प्रस्तुत कर सकते थे, इसमें कोई सन्देश नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि माननीय सदस्य अब भी कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये इनके संकल्प को उसी आधार पर स्वीकार कर लिया जाये ताकि उस पर चर्चा हो सके ।.... (व्यवधान)

श्री रामकिशन : यह नियम के तहत होता है । ऐसा कैसे हो जायेगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको स्वीकार करना चाहिये कि सदन की तरफ से लेप्स हुआ है । किसी ने दे दिया इस वजह से कि किसी ने नहीं दिया हो, तो उसको कहने का और मुद्दा उठाने का अधिकार तो है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है । मैंने अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दी है । अगर अध्यक्ष महोदय, चाहें और सदन इस प्रकार की अनुमति देना चाहे तो मुझे क्या आपत्ति होगी । मुझे तो अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है । दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि आज के दिन बिल पेश किया जा रहा है, आज के दिन इसको पारित किया जा रहा है और आपने आर्डिनेंस दिया लेकिन क्या आर्डिनेन्स पहले पेश नहीं किया गया था, आर्डिनेन्स पहले पेश कर दिया गया.... (व्यवधान)........मैं बता दूंगा आपको । मैं वही बात कह रहा हूं । आर्डिनेन्स के इन्ट्रोडेक्शन के साथ कारण और उद्देश्य बताये जाने चाहिये लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की है कि बिल इन्ट्रोड्यूज किया जाये । उस बिल के साथ कारण और उद्देश्य बताये जाते हैं, आर्डिनेन्स के साथ नहीं बताये जाते हैं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हर आर्डिनेन्स के साथ कारण और उद्देश्य बताये जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बीच में क्यों टोक रहीं है । मुझे कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान अपने पास रखिये । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स के साथ आज तक विधान सभा में किसी ने कारण प्रस्तुत नहीं किया । आर्डिनेन्स की शक्ल बिल लेता है और बिल इन्ट्रोड्यूज किया जाता है तब कारण और उद्देश्य बताये जाते हैं । वह कारण और उद्देश्य बता दिये गये । अब कोई आपत्ति हो कि मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत नहीं कर सका तो आप पेश कर दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह कही कि 8 माननीय सदस्यों ने आर्टिकल 213 के नीचे जो स्टेट्यूटरी मोशन मूव कर दिया है, उनके पास रीजन्स नहीं थे और उन्होंने सोचा कि यह सरकार लापरवाही बरत रही है, हमको रीजन्स नहीं दे रही है और इसलिए हमको परिनियत संकल्प ले जाना चाहिये, मैंने इसलिये नहीं दिया । मेरा यह दुर्भाग्य है मुख्य मंत्री जी कि मैं कान्स्टीट्यूशन के प्रोवीजन 213 को अच्छी तरह जानता हूं और आपकी जानकारी के लिये यह बात भी कह दूं कि 213 के नीचे परिनियत संकल्प इस सदन में प्रथम बार 1963 में आया है । 1952 से लेकर 1963 तक 11 साल तक किसी को मालूम नहीं था कि परिनियत संकल्प कहां रखा है, उस वक्त माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल पहली दफा परिनियत संकल्प लाये थे और उस बिल को मैं ही फाइल आउट कर रहा था आर्डिनेन्स के पीछे से, मुझे क्लास की तरह पूछा था कि मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

यह स्टेट्यूटरी मोशन लाया हूं वह किस कानून के अन्दर लाया हूं, मैंने उनको कहा कि मैं बाद में उत्तर दे दूंगा, जब नहीं माने आप बताइये यह कोई क्लास रूम तो है नहीं, आर्टिकल के नीचे यह परिनियत संकल्प लाये हैं, जिस आर्टिकल के अन्तर्गत इन्टर सेशन के अन्दर आर्डिनेन्स को पावर्स है प्रोमलगेट करने की इसलिये मैं यह कह रहा हूं। मुझे भी इसकी जानकारी है कि अभी तक आपने दिया नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि बिल में ऐसी व्यवस्था है, बिल के साथ में, जब बिल इन्ट्रोड्यूज करेंगे तो आर्डिनेंस के रीजन्स सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि पांच बिल इन्ट्रोड्यूज हो चुके हैं। आप कंसीडरेशन नहीं आ रहा है, न उन पर आज विचार हो रहा है, फिर पुरःस्थापित कर दिया गया है। आपने जो टिनेन्सी का बिल पुरःस्थापित कर दिया कि नहीं, राजस्व मंत्रीजी कइयों ने कर दिया है, पुरःस्थापित कर दिया है और कंसीडरेशन का 2-3-4 दिन का समय माननीय सदस्यों को दे रहे हैं। यह ऐसा बिल है जो आर्डिनेंस को रिप्लेस कर रहा है। 16 तारीख को आर्डिनेन्स सदन के पटल पर रख दिया गया लेकिन आज इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं बिलेटेड, जब यह पारित की स्टेज पर आ गया है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा लेप्स है और लेप्स करने की वजह से ही रीजन्स नहीं आये और रीजन्स नहीं आये तो मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में हूं इसके लिये मैं 213 के द्वारा, बाकी माननीय सदस्यों ने जानकारी के लिये एग्जोनरेट कर दिया। Ignorance of the constitutional provision is done, no convincing in the reply, you see, of the Government. इसलिये मेरा निवेदन है कि मैंने जान बूझ कर, मैंने कहा कि रीजन्स पढ़ूंगा और रीजन्स पढ़ने के लिये मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं कि यह आर्डिनेन्स के लिये अगर सेटिस्फाई है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आखरी दिन 8 अप्रेल को आप आये थे और इन्ट्रोड्यूज करना चाहते थे, इन्ट्रोड्यूज नहीं करेंगे, बाद में आर्डिनेंस निकाल दिया। मैंने वार्निंग दी थी सदन के माननीय सदस्यों को कि यह आर्डिनेंस को निकालेंगे, इस हाउस को बाइ पास करना चाहते हैं और वैसा ही किया और वैसा करने के बाद आज पांच दिन तक बैठे रहे लिये हुये 16 तारीख से, आज इन्ट्रोड्यूज कर रहे आप फ्राइडे को कर सकते थे, आप शटरडे को कर सकते थे थे इन्ट्रोड्यूज। आप दो दिन पहले बिल लाये हैं हमारे पास में। अगर आपके पास बिल प्रिन्स नहीं होता तो आप कह सकते थे कि बिल सर्कुलेट नहीं हो रहा है, प्रिन्ट नहीं हुआ है इसलिये मैं टेबिल के ऊपर इन्ट्रोड्यूज नहीं कर सका, इसको आज इन्ट्रोड्यूज कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि इन्ट्रोडक्शन के साथ ही आर्डिनेंस के रीजन्स रखे जाते हैं लेकिन आज आर्डिनेंस के रीजन्स अब रख करके आज ही इसको पारित करना चाहते हैं तो परिनियत सकल्प कब रखेंगे, यह बता दीजिये। मेरे अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, और परिनियत संकल्प, अक्सर आपने देखा होगा कि आर्डिनेंस पर स्टेट्यूटरी मोशन रखता हूं, मैं इससे वंचित रह गया हूं। यह लेप्स आफ प्रोसीजर है इसलिये कि प्रभारी मंत्रीजी ने देरी की इन्ट्रोडक्शन के अन्दर, इसलिये कि शायद इनको इन्ट्रोड्यूज

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं करने दिया होगा आदरणीय सदन के नेता ने। कुछ भी स्थिति हो लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला हो गया है, मैं अपने अधिकार से वंचित हो गया हूं। मैं स्टेट्यूटरी मोशन के बारे में अब रीजन्स पढूंगा और रीजन्स पढ़ने के बाद में मैं अपना दिमाग बनाऊंगा, माइण्ड अप्लाई करूंगा। माइण्ड अप्लाई करने के बाद में मैं निश्चय करूंगा और वह निश्चय करने के बाद मुझे स्टेट्यूटरी मोशन देना चाहिये कि नहीं देना चाहिये, इस अपोरच्यूनिटी से जो मुझे महरूम रखा गया है उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सारा स्पष्टीकरण करने के लिये माननीय सदस्य ने जिस रूल को कोट किया है वह पढ़ कर सुना दूं : Rule 63—"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance." यह तो आपको आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे आपत्ति तो है। आपत्ति मुझे यह है कि इन्ट्रोड्यूस आप बिलेटेड ओर आज लास्ट आवर में, लास्ट मिनट में आप लाए हैं, इसलिए आप रीजन्स जो रख रहे हैं और रीजन्स रखने के बाद में आप जो बिल इन्ट्रोड्यूस करके, वह बाद में बिल आया........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : बिल बाद में सर्कुलेट हुआ वह और जो पहले दिन तक........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : ....16 को जो दोनों आर्डिनेंस हाउस की टेबल पर रखे गये थे, उनके बिल आज इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और जो आर्डिनेंस रख रहे हैं, उस रीजन्स को रखने के बाद मुझे स्टेट्यूटरी मोशन का मौका कहां से मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह आया, आज ही पास कराने की बात है, आज ही चर्चा कराने की बात, इसका निर्णय मैंने नहीं किया है। इसका निर्णय किया है कार्य सलाहकार समिति ने। उसमें आपके प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे, उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के आधार पर यह बिल आज विचारार्थ लिया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, नहीं। यह बी. ए. सी. ने निर्णय लिया लेकिन बी. ए. सी. यह मानकर चलती है कि जो परिपक्व अवस्था में बिल आ चुका है उनके सामने रखकर के उन्हें पारित करेंगे। बी. ए. सी. यह नहीं पूछेगी कि इसके ऊपर आर्डिनेन्स लाने के लिए जो आपने कारण दिये हैं, कारण बताये वह आए है या नहीं आए हैं, यह बी. ए. सी. नहीं पूछेगी। यह आफिस का काम है। यह सरकार को जताने की बात थी क्योंकि सरकार भी उतनी ही रेस्पोंसिबल है, सरकार केवल यह कहकर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

नहीं बच सकती कि यह विधान सभा के सचिवालय का काम था। विधान सभा के सचिवालय में भी अगर कोई बात रहती है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि सरकार बतावें कि इसमें यह चीज रह गई है इसलिए रूल्स की फार्मेलिटी के लिए इसको पूरा कराना जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि बी. ए. सी' में आप भी थे।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो नहीं थे तो मैं समझता हूं, जोशीजी थे।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, कोई भी हो। मैं हूं, चाहे जोशीजी हो, कोई भी हो.. ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझ गया आपकी बात। वह मैं समझ गया।

श्री हीरालाल देवपुरा :....लेकिन एक प्रोसीजर की बात आपने बताई, उसके लिए मैंने निवेदन किया है। मैंने बी. ए. सी. के फेक्ट्स, मैं नहीं कह रहा हूं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, बी. ए. सी. से ....

श्री हीरालाल देवपुरा : बी. ए. सी ने निर्णय लिया होगा, निश्चित रूप से निर्णय लिया है, यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्णय लिया है, उसी निर्णय के आधार पर जो यह आज का एजेण्डा लिया गया, यह मैं कह रहा हूं। अब मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता था। माननीय मदेरणा साहब ने कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने ... (व्यवधान) आप बाद में बोल लेना।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लीजिये (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने आधा सुनाया, उसका सैकण्ड पार्ट पढ़कर नहीं सुनाया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में सुना दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सैकण्ड पार्ट तो पढ़िये आप। आधा पार्ट पढ़कर सुनाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको चांस मिलेगा (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मै नहीं बैठूंगा, आप बाद में सुना देना। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, बैठने की बात नहीं कह रही हूं। सेकण्ड पार्ट सुनाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में आपका यह कहना कि जिन माननीय सदस्यों ने परि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नियत संकल्प प्रस्तुत कर दिया है, वह इम्मोरेंट होंगे....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप इस तरह से....यस, यस। आप यह कहें, जो बात इम्फेटिकली कह रहा हूं, आप यह कह करके हमारे बीच में झगड़ा डालना चाहते हैं। यह छोड़िये, यह कर दीजिए। माननीय सदस्य जानते हैं कि उनके पास आर्ग्युमेंट नहीं है, रीजन्स नहीं हैं और ये कोई दलील देते हैं अच्छी-अच्छी लेकिन अब ये भी महरूम रह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपकी बात दोहरा रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, आप हमारे बीच में झगड़ा मत कीजिये। जनाब, आप सीधे-सीधे जवाब दीजिए रूल्स के बारे में....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि बी. ए. सी. की मीटिंग में जब यह मामला आया, उस समय यदि कोई आपत्ति करते तो भी यह समझते कि....

श्री नत्थी सिंह : बी. ए. सी. में कोई आपत्ति नहीं की जाती हैं। सरकार लाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपत्ति हो सकती थी कि बिल कल नहीं रखा जाय। यह बिल अगले दिन रखा जाय। मुझे उसमें....(व्यवधान) आप एक मिनट ठहर जाइये। बाद में बोल लेना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप खूब बोलें। उसमें कोई भी माननीय सदस्य आपत्ति करता कि यह बिल आज अगर पेश हो रहा है तो यह सर्कुलेट नहीं हुआ, आब्जेक्शन्स, रीजन्स सर्कुलेट नहीं किये गये इसलिए कल नहीं लिया जा सकता। तो हमारी तरफ से कोई जिद नहीं थी कि आज ही बिल पेश हो, यह आज के अलावा कल भी पेश हो सकता था। दो दिन बाद में भी पेश हो सकता था। उस लिस्ट के आधार पर हमने यह बिजनस लिया है। अब उस स्थिति में आप यह चाहें कि हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, अभी जब मैं स्टेटमेंट दे रहा था, परसराम जी मदेरणा उसके पहले, जिस रूप में बोल रहे थे, उससे तो ऐसा लगता था इस बिल की पूरी स्टडी करके आए हैं, कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी है और....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर दूं आपसे विनम्रतापूर्वक कि, मैंने, जब फ्राइडे था, लास्ट डे था, सेटरडे को तो मैंने अपने पी. ए. को यहां पर भेजा था स्पीकर साहब के सेक्रेटरी के पास में मैंने कहा यह बिजनस आ रहा है और आप मेहरबानी करके मुझे आर्डिनेन्स के रीजन्स दे दीजिये, परिनियत संकल्प है और 12 बज रहे हैं, 1 बजे देना है है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम नहीं दे सकते क्योंकि हाउस की टेबल पर नहीं रखा है, आप पूछ लीजिये और हाउस की टेबल पर नहीं रखा हैं और इसलिए हम आपको देंगे नहीं। जब नहीं देंगे तो मैंने देखा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं देने के बाद भी आप तैयारी करके आ गये, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, तैयारी-वैयारी कुछ नहीं है। मैंने तैयारी तो... 8 अप्रेल को मैं तो समझ गया था कि आप क्या करने जा रहे हैं, वह तो मैंने फोरकास्ट कर दिया था और मेरा फोरकास्ट 101 प्रतिशत सही आया है लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं। मुझे दिया नहीं और आप पूछ लीजिये कि उनका सेक्रेटरी है, उनके पास मेरा पी. ए. आया, मैंने टेलीफोन पर दो टके बात की। मैंने कहा आप चुपचाप, सीक्रेटली दे दो, आप इण्ट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं-नहीं। हाउस की टेबल के बिना आपको कोई डाक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो इन्होंने अच्छा किया। ये वह नहीं दे सकते। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि....

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने तो अच्छा इसलिए किया कि रूल 62 की अनुपालना की है, अनुपालना में वे नहीं दे सकते थे। टेबल पर नहीं रखा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जैसा बताया है कि अभी तक इस विधान सभा में कई प्रकार की परम्पराएं रही हैं जिसमें यह भी है। इस सदन के कई माननीय सदस्य जानते हैं कि हाथ ही हाथ ही बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं किया जाता है आर्डिनेंस की भी कापी रखी जाती है और इस प्रकार की आपत्ति नहीं होती। अगर आप यह समझते हैं कि हमने कोई जान-बूझकर इस प्रकार का किया है, बी. ए. सी. कभी भी, किसी भी समय कोई आपत्ति करती, तो उस आपत्ति के आधार पर कल भी ले सकते थे, परसों भी ले सकते थे, जो भी नेक्सट वकिंग डे आता, उसमें ले लेते, हमें कोई जल्दी पास कराने की नहीं थी, आज ही पास कराने की इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि ऐसी स्थिति में इस बिल को ले लिया जाय। जो भी माननीय सदस्य परिचित हैं, अच्छी तरह से अध्ययन किया है और खास तौर से मदेरणा साहब ने तो एक एक, ए टू जेड, ऊपर जो वर्ड आर्डिनेंस लिखा हुआ है, वहां से लेकर नीचे तक जहां तक जहां हरलालसिंह जी के दस्तखत हैं, वहां तक उसको पूरा गम्भीरता से पढ़ा है। उसके बाद में कोई चीज इसमें से बाकी नहीं रह जाती, इसलिए मैं चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप, मुख्य मंत्रीजी, यह समझते हैं कि आपने 17 जून को तो आर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया तथा 17 जून से लेकर 21 सितम्बर तक क्या मैं कुम्भकर्णी नींद में सो रहा था, मैं तो 18–19 को ही जो आर्डिनेंस आया गजट में, उस समय मैंने देख लिया था कि आर्डिनेंस क्या है। आर्डिनेंस तो पब्लिश हो गया था 17 जून को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस तो फिर क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप क्या कह रहे हैं। हां, सुमित्रा सिंह जी, क्या कह रही हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे एक बात कहनी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि बी. ए. सी. ने जो पास कर दिया इस वास्ते हम इसको बिजनस में लाए हैं। बी. ए. सी. इस बात को एग्जामिन

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं करती कि कौन-सा बिल मेच्योर हो गया है या नहीं हो गया है। जैसे आप 29 तारीख को सप्लीमेंट्री ग्रांट ला रहे हैं, क्या बी. ए. सी. यह आपसे पूछती कि आपने गवर्नर साहब से इसके लिए सहमति ले ली है। इसलिए बी. ए. सी. यह मानकर चलती है कि जो कुछ भी बिल आप सजेस्ट कर रहे हैं वह मेच्योर हो चुका है, इस वास्ते लिया जा रहा है। अगर हमको उस समय आप बता देते कि यह मेच्योर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से बी. ए. सी. इस पर आपको सहमति कभी नहीं देती। इस बात में बी. ए. सी. की कोई गलती नहीं है, गलती है तो सरकार की है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अध्यादेश की जगह.... हां, फरमाइये।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शब्द मैं कहना चाहूंगा। माननीय मदेरणा साहब ने जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया है, वह बहुत ठीक है। मैं मानता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, ऐसी परम्परा नहीं है कि रीजन्स बाद में दिये गये। आर्डिनेंस के रीजन्स बाद में दिये गये हैं। मगर जो रूल है 62, स्ट्रिक्ली हम इसको इम्प्लीमेंट करें, फोलो करें यह है कि जिस दिन बिल इन्ट्रोड्यूस हो उसी दिन आर्डिनेंस के रीजन्स हमारे सामने आ जाने चाहिये क्योंकि आर्डिनेंस को अस्वीकार करने का मोशन है हमारा, कि यह सदन इस आर्डिनेंस को अस्वीकार करें। इस आर्डिनेंस के, इसके रीजन्स हमारे पास में नहीं है, आर्डिनेन्स कौनसा, जिसके रीजन्स हमारे सामने नहीं है, इसलिए यह तो एक लेप्स है। इसलिए आइन्दा के लिए स्ट्रिक्टली 62 रूल को हम फोलो करें.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आइन्दा के लिए नहीं, आज से।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डिनेन्स की जगह बिल भी आने वाला था और मैं आपत्ति अमान्य करता हूं और माननीय प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपना बिल इन्ट्रोड्यूस करें। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मूव करने से पहले....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने बिल को इन्ट्रोड्यूस करने के लिए माननीय प्रभारी मंत्रीजी को पुकार लिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहें पुकार दें, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं व्यवस्था दूंगा, रात को 12 बजे दोगे क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आप मुझे एक मिनट का समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक मिनट बोलिये आप ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सदन के नेता ने रूल 62 का जो हवाला दिया इसमें पार्ट–I तो कह दिया लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : वो सारा देख चुके हैं सुमित्रा सिंह जी, अगले वाला पोर्शन भी देख चुके हैं और इसी के ऊपर सारा वाद-विवाद हुआ है । अभी जो वाद-विवाद हुआ है, माननीय परसरामजी और सदन के माननीय नेता ने जो सारी बात रखी, सारे सदस्यों ने बात रखी है वह इसी बात पर रखी है । सैकण्ड पार्ट भी है इसका लेकिन उसके बारे में भी काफी बात आ चुकी है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन मुझे अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके अधिकारों को रोक नहीं रहा हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बात तो कम्पलीट करने दीजिए ।

श्री परसराम मदेरणा : रूल 62 का पार्ट-टू है उसका एक भी वर्ड सदन में न तो मैंने कहा और न मुख्य मंत्रीजी ने 63, पर कुछ चर्चा की और आप कह रहे हैं इस पर सब चर्चा हो चुकी है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, मैंने तो देखा है इसे । अब चर्चा करना कोई जरूरी थोड़े ही है, मैंने भी तो पढ़ा है और इसके पहले माननीय सुमित्रा सिंह जी बोल चुकी थी कि माननीय नेता महोदय, इसका दूसरा पार्ट पढ़िये । आप कह चुके हैं इसके बारे में ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने बोलने का समय तो नहीं दिया मुझे । आपने मुझे बोलना ही अलाउ नहीं किया, तो मैं क्या बोलूं ? मुझे बात तो कहने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो कहिये ना अपनी बात को ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह कह रही हूं । मैं सेकण्ड पार्ट पढ़कर सुनाऊंगी । सेकण्ड पार्ट में यह है कि "Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstance which had necessited immediate legislation by ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation on the Ordinance इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जब इस बात का स्पष्ट प्रावधान है तो या तो सरकार माफी मांगे और माफी मांगकर कहे लैप्स हुआ है on the part of the Government. और इसको फिर यहां लाये । इसमें मुझे यह निवेदन करना है....

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(2.52 म. प.)

(श्री हरिशंकर मामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

आपने अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात नहीं सुनी ।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया । मैंने आपको भी सुन लिया । देखिए बात यह है कि बहुत शॉर्ट सेशन है और इसलिए यह मजबूरी भी कहिए कि जल्दी से जल्दी सरकार करती तो कब करती ? 16 साल पहले तो कर नहीं सकती थी । 16 को ऑर्डिनेन्स जारी हुआ और यह आज रखा है निश्चित रूप से वह स्टेटमेंट....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 17 जून को हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : बिजनस एडवाइजरी कमेटी में इसी एक्ट को आगे भी रख सकते थे लेकिन चूंकि आज मुख्य मंत्रीजी का जो एश्योरेंस था कि हम स्टेटमेंट देंगे तो इसीलिए यह तय किया कि स्टेटमेंट और बिल साथ आये । यह बात सही है कि माननीय सदस्यों को परिनियत संकल्प पेश करने का सफिसियेंट समय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें उनको इतना समय नहीं मिला जिससे वे अपना माइण्ड अप्लाई करके सब फिगर पेश कर सकें, इसमें कोई दो राय नहीं । लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ही उस स्टेटमेंट से जोड़कर कि सोमवार को जब स्टेटमेंट की बात कही है तो उसी दिन बिल लेंगे । इन परिस्थितियों में इस बिल को आज लिया गया है वरना कोई भी यह कहता कि हमें इसमें देखना है तो आगे हो सकता था, 28 को ले सकते थे, 30 को ले सकते थे, कभी भी ले सकते थे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसको कल ले लीजिए ।

श्री रामकिशन : सेशन शॉर्ट हो लेकिन नियमों की अवहेलना का अधिकार किसी को नहीं है और इसमें सरकार की तरफ से लेप्स है । अभी समय है हमारे पास । आज की बजाय बिल को कल ले सकते हैं क्योंकि ऑर्डिनेन्स का समय समाप्त नहीं हुआ है और परिस्थितिवश कोई गलत काम हो जाय, मैं यह कहकर बच निकलना चाहूं कि मैंने परिस्थितिवश हत्या कर दी तो कोर्ट मुझे बरी कर देगा क्या ? कभी बरी नहीं करेगा । इसलिए नियमों का पालन निश्चित तौर पर होना चाहिए और मुख्य मंत्रीजी, आप खुद समझ रहे हैं, आप खुद कन्वींस्ड है कि गलती हो गई लेकिन आपमें साहस नहीं है, नहीं तो कह दें कि गलती हो गई । कल ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो ऐसा है कि एक बीमारी का इलाज करने के लिए दूसरी बीमारी पैदा हो गई । अब बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने बिजनस तय कर दिया, हाउस ने अप्रूव कर दिया और ज्यादा से ज्यादा आप चाहें तो कल रख सकते हैं....

श्री रामकिशन : बीमारी नहीं, यह हाउस का हिस्सा है ।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं कह रहा हूं ।

(श्री अध्यक्ष)

बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने सारे बिलों की परिस्थिति देखकर ही आज रखा है कि कल आपको लम्बी-चौड़ी बहस करनी है। कल तो और कोई बिजनस होने वाला ही नहीं है। कॉल अटेन्शन, 295 वगैरह कल कुछ भी नहीं होंगे ताकि पूरा समय आपको बहस के लिए मिल जाय। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही आज रखा है और मैं समझता हूं कि आज के बाद आप किसी भी दिन लेंगे तो उतना ही कार्यक्रम आपका टफ है... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 25–26 को रख दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मुझे जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ हूं। कल तो दो बिल हैं।

श्री अध्यक्ष : दो बिल रखे हैं खाली, और कोई बिजनस नहीं रखा है। केवल दो ही बिल रखे हैं और वे भी बहुत छोटे-छोटे रखे हैं। बाकी कोई बिजनस नहीं, केवल बहस रहेगी।

श्री परसराम मदेरणा : काहे की बहस ?

श्री अध्यक्ष : आपको पता नहीं है ? कल खाद पर, बिजली पर, पैट्रोल पर है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बिजनस में कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : है।....(व्यवधान) यह तो कल आयेगा। यह कल की कार्य सूची में आयेगा। यह बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है, कल की कार्य सूची में आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन जब इन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और वह कार्य सूची कल आने वाली है और जब बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने यह निर्णय लिया कि वहां पर कोई बहस होगी। 14वें प्रतिवेदन में ...

श्री अध्यक्ष : बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने लेजिस्लेटिव डिस्कस किया है बाकी बातें तय होती है। अब रोडवेज पर बहस है यह है क्या इसमें ?

श्री परसराम मदेरणा : है। कार्पोरेशन की जब भी बहस होगी तो बिजनस में आता है। इसमें लास्ट डे को, 30 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 27वें प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पर विचार, यह है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार की मजबूरी का आपको ख्याल है लेकिन सदस्यों की भी तो मजबूरी हो सकती है। सदस्यों की मजबूरी पर भी ध्यान दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मानता हूं। This is the lapse on my office part. यह बात सही है, आना चाहिए। यह लेप्स रह गया। यह तय हुआ है और यह कल के लिए है इसलिए यह इसमें आ गया जो लेप्स रह गया।

श्री नत्थीसिंह : जिस वक्त यह प्रस्ताव सचेतक महोदय ने पेश किया था तब भी मैंने एतराज उठाया था कि यह फैसला हुआ

(श्री नत्थीसिंह)

है कि 22 तारीख को इस पर बहस होगी तब यह कहा गया था कि नहीं, इनको लाने की जरूरत नहीं, यह तो हमने अलग से कर दिया है इसमें तो लेजिस्लेटिव बिजनस है। उस वक्त भी मैंने एतराज उठाया था। यह इसमें आना चाहिए। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि डीजल पर, पेट्रोल पर खाद पर बहस होगी तब कहा था कि इसको लाने की जरूरत नहीं, यह तो अलग से आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तय तो हुआ है ना।

श्री अध्यक्ष : आगे चलें अब ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार कम से कम अपने लेप्स के लिए माफी मांगे। सरकार कम से कम यह करे।

श्री अध्यक्ष : सारी बात स्पष्ट कर दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार इस बात की माफी मांगे कि उसने अपने ऑब्जेक्ट और रीजन्स नहीं दिए।....(व्यवधान) यह इस लेप्स के लिए माफी मांगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : काहे की माफी मांगे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं। अब मेरे कान के तो आंख नहीं है, सुन रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इतना बड़ा लेप्स हुआ है सरकार कम से कम माफी तो मांगे।

श्री अध्यक्ष : मुझे सुनने तो दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इतना बड़ा लेप्स हुआ है, ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में ऑब्जेक्ट्स व रीजन्स नहीं दिए।

श्री अध्यक्ष : इस तरह का प्रोसिजरल लेप्स है, यह तो कॉमन चीज है। अब इसके लिए माफी मांगे, इतना बड़ा लेप्स नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो बहुत बड़ा लेप्स है।

श्री अध्यक्ष : अब आपको सारी स्थिति मैंने बता दी।.. (व्यवधान) जब आपको मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि मैं तो हर बात के लिए तैयार था। इसकी कोई इन्सिस्टेन्स नहीं थी। आज चूंकि उनको स्टेटमेंट देना था इसलिए बाकी सब लोगों ने, बिजनस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर्स ने ही इन्सिट किया कि स्टेटमेंट के साथ ही बिल रखा जाय।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

हां पक्ष जीता।

(ध्वनि मतदान)

(श्री अध्यक्ष)

फिर पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(ध्वनि मतदान)

फिर पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(ध्वनि मतदान)

(3.00 म. प.)

(मत विभाजन घण्टी)

फिर मैं एक बार पूछ लेता हूं, फिर डिवीजन कराते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे अधिकारों का क्या हुआ, अब आप तो बहुत लेट पधारे हैं। मेरे अधिकारों का जो हनन हुआ है उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैं अन्दर बैठा-बैठा सुन रहा था कि जब आपने भैरोंसिंहजी की इस बात पर वहां भर ली कि मैं 17 जून से जानता हूं कि क्या आ रहा है, मैं सो नहीं रहा हूं। यह आपने कहा कि मेरी तैयारी पूरी है। फिर भी ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, वह तो मैंने कहा, उसका मतलब नहीं है, पढ़ने की बात थी, वह पढ़ा कब ? मैंने कहा वह 17 जून को गजट नोटिफिकेशन....

श्री अध्यक्ष : आपने कहा-मैं सो नहीं रहा हूं। इसलिए मैं पूरे तौर से जागृत था, जब से आर्डिनेन्स निकला है तब से।

श्री परसराम मदेरणा : पर रीजन्स मालूम तो नहीं थे न। आर्डिनेन्स के रीजन तो मुझे मालूम नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : वह तो सारी बात हो गई न, वह तो हो ही गई बात।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह तो परम्परा है, यह तो नियमों की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के किसी भी सदस्य को....

श्री अध्यक्ष : देखिये, सामान्यतया परम्परा यह भी है कि बिल के पुर:स्थापन पर डिवीजन की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह परम्परा भी है। अब मगर आप परम्पराएं (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : यह असामान्यतया है, आज तो यह विशेष परिस्थिति पैदा हुई है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए परम्परा तो हाउस चाहे तो परम्परा रखे, हाउस चाहे तो छोड़े। बाकी यह परम्परा है। आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। मैं एक बार और पूछ लूंगा....(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कोई ऐसी अनियमितता पहले हुई है....

श्री अध्यक्ष : खैर, मैं आखिरी पूछ लेता हूं फिर एक बार।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर स्थापित करेंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अब यह सर्कुलेट तो करवा दो विवरण को।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कारणों का विवरण रख दिया न। सदस्य श्री रामनारायण वर्मा अपना परिनियत संकल्प देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : Reasons for the promulgation of the Ordinance. यह सर्कुलेट कब हो गया हमको ?

श्री अध्यक्ष : अब टेबल पर रख दिया है, सर्कुलेट हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अभी कराइये।

श्री नत्थी सिंह : अब करवाइये साहब।

श्री अध्यक्ष : अभी करवा रहे हैं आपको। बोलिये आप।

परिनियत संकल्प

राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992 के सम्बन्ध में मैंने परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17 जून, 1992 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया उस समय हमारे पास रीजन्स वगैरह नहीं थे। आज जब बोलने खड़ा हुआ उस समय यह रीजन्स हमारे समक्ष आये हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय पर यह सर्कुलेट नहीं हने से इस सम्बन्ध में मैं उस ढंग से बात नहीं कर सकता। सदन में जिस तरीके से हमें सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, लैप्स ऑन दी पार्ट आफ गवर्नमेंट, कोई माननीय सदस्य बोल करके, भाई महावीर जी की यह आदत जरूर है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या नहीं करती है, यह समझे बिना बोलते

(श्री रामनारायण वर्मा)

हैं, गवर्नमेंट आपको पे नहीं करती भाई महावीरजी, मुझे तकलीफ है इस बात की.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नाम लेकर बोलने की परम्परा नहीं है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आते हैं उससे सम्बोधित करके बोलते हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : फिर आप एडवोकेट हैं, प्रोविजन्स समझते हैं और जिस बात पर चर्चा हो चुकी है वह चर्चा कर रहे हैं अपने अज्ञान को बताने के लिए, इसका मुझे बहुत दुख है, टोंक में होकर आते हैं इसलिए दुख है वह।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि प्रेस की गैलरी आदि खाली हो चुकी हैं, आप इतना इम्पोज नहीं हो सकते पेपर्स में, जितना आप होना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन अध्यादेश 17 जून को जारी किया। जैसी सदन में भी इस बारे में चर्चा हुई, जिस तरीके से सरकार सामने आई है, तरीका ठीक नहीं है, प्रजातांत्रिक नहीं है। 17 जून को निर्वाचित बाडी कोई भी राजस्थान में पंचायत की काम नहीं कर कर रही थी। वैसे हां यह हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान निवासियों का दुर्भाग्य है कि जो सरकार आज की तारीख में इस राजस्थान में रूल कर रही है उस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, पचायत के माध्यम से जो गांवों में काम हो रहे थे, पंचायतों के माध्यम से जो चीजें हो रही थी, पंचायतों का जो ढांचा था उसको जिस तरह से नेस्तनाबूद करने की बात की, प्रजातन्त्र का जिस तरह से गला घोंटने की बात की, वह नहीं किया जाना चाहिए। 17 जून को इस अध्यादेश में जो बात लिखी है—न्याय उप समिति नहीं होगी....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय जा रहे हैं, मुझे अवसर मिलेगा क्या इसमें, परिनियत संकल्प पर अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : हां, बोल लेना।

(3.10 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश पेश किया गया है उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। ग्राम सभा के बारे में इस अध्यादेश में कोई नई चीज पेश की गई है? ग्राम सभायें, पंचायत एक्ट में पहले से ग्राम सभाओं का प्रोविजन था उपाध्यक्ष महोदय। साल में दो ग्राम सभायें कम्पलसरी हों, उसके बजाय साल में ग्राम सभा हो, ग्रामवासियों की सभा हो, ग्रामवासी अपनी पंचायत के बारे सोचें, अपने गांव के बारे में सोचें, यह प्रोविजन पहले भी पंचायत अधिनियम में थे। उपाध्यक्ष महोदय, नई चीज इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार क्या लेने आई, क्या करने आई है, ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में जो रीजन्स दिये गये हैं, जो प्रख्यापन के कारण बताये गये हैं उनमें भी इस बारे में कुछ विशेष बात नहीं कही गई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।... जो कारण बताये गये हैं यह हमारा सौभाग्य होता कि इस सदन में सरकार के द्वारा भी, आसन के द्वारा भी कि जो

(श्री रामनारायण वर्मा)

कारण आये उनको बिना पढ़े कोई माननीय सदस्य इस सदन में बोले यह सदन की सर्वोपरिता साबित नहीं होती माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से अध्यादेक्ष पेश किया गया है और जो प्रोविजन्स इसमें ले डाउन किये गये हैं वह सारे के सारे ऐसे प्रोविजन्स हैं जिनकी 17 जून को कोई आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान पंचायत अधिनियम में जिस तरह के संशोधन सामने आये हैं वह मुझे ऐसा लगता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि यह सरकार जब से शासन में आई है यह प्रचार और प्रसार के माध्यम से जिन्दा रहना चाहती है। प्रचार-प्रसार हो पर एक दफा जब अध्यादेश पेश कर दिया, अखबारों में घोषणा कर दी, प्रेस कान्फ्रेन्स कर दी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार चलाने का कोई तरीका नहीं है। मैं इन सारे कारणों को देखते हुये जिस तरीके से यह अध्यादेश पेश किया गया हैं, जिस तरीके से सरकार सदन के सामने आई है और सदन में जो आज चर्चा हुई है और कारण पेश किये गये हैं वह समय पर पेश नहीं किये गये हैं। इनकी ओर जो सदन का ध्यान आकर्षित किया भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उस परिपाटी को सदन में यदि रखा जाता और दो दिन इसके ऊपर चर्चा होती तो मेरा जहा तक ख्याल है, और भी माननीय सदस्य इस बारे में विचार करते और पंचायत एक्ट में जो बहस होती उसकी बात और होती।

मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो अध्यादेश पेश किया गया है उसको यह सदन आउट राइट रिजेक्ट करे, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह

श्री कमलेन्द्र सिंह : (बल्लभनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेन्स पंचायत एक्ट के अन्दर अमेन्डमेन्ट करने के लिए पेश किया है और आर्डिनेन्स में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फेमिली प्लानिंग जो एक नेशनल प्रोग्राम है उसको कानूनी रूप देना बहुत व्यवहारिक हो सकता है किन्तु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक इन्डीविजुअल की फ्रीडम पर जो कि एक कान्सटीट्यूशनल राइट है उस कान्सटीट्यूशनल राइट पर सरकार ने एक नया इम्पोजीशन किया है, एक नयी सीमा लगाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस आर्डिनेन्स से है जो इन्डीविजुअल राइट पर आघात हुई हैं उसी आधार पर इस आर्डिनेन्स को खारिज कर देना चाहिए पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस आर्डिनेन्स निकालने के पीछे पंचायतों के बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स सरकार की तरफ से आये हैं पिछले सेशन के और इस सेशन के बीच में उन सब को इकट्ठा करके हम देखें और सदन देखें और सदन के मेम्बर्स देखें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से एक तस्वीर सामने आती है कि हर स्टेटमेन्ट के पीछे मानस यही होता है कि पंचायतों के इलेक्शन किसी न किसी तरह से टाले जायें। प्रथम तो जो डिलिमिटेशन का एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था, एक नाटक बना था और गवर्नमेन्ट ने कलेक्टर्स से सुझाव मांगे थे उस स्टेज पर भी जनता से आब्जेक्शन्स मांगे थे, आब्जेक्शन्स पेश किये गये। फिर सरकार ने कहा कि जो कलक्टर्स

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

की रिपोर्ट आई है वह सही नहीं है इसलिए एक कमीशन बैठाया जाये। एक कमीशन बैठाया गया। कमीशन ने आब्जेक्शन्स मांगे और वहां आब्जेक्शन्स पेश किये गये। उसके बाद कि कमीशन के पास बहुत काम है, इतने जिले इकट्ठे नहीं देख सकते, कमीशन का हिस्सा करकें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आब्जेक्शन्स की जांच करने के लिए अलग-अलग कमिश्नर्स को भेजा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमिश्नर्स जब बैठे और जनता के आब्जेक्शन्स आये, आब्जेक्शन्स पर चर्चा हुई तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कमिश्नर आये थे उन्होंने यह क्लियर-कट बात कह दी कि हम तो थोड़े-बहुत जो आब्जेक्शन्स थे एक या दो पर्सेन्ट ही देख सकते हैं और इनको चेंज करने के लिए आपने कमीशन और कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्-वाइज भेजा तो जो सुझाव जनता ने भेजे उनके ऊपर आपको विचार करना ही नहीं था तो आपने फिर कमिशन का बड़ा नाटक किस वजह से किया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी यह कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्टवाइज गये उसके पहले भी एक रास्ता चला था। यह क्या था कि गवर्नमेंट लेवल पर, डाइरेक्टरेट लेवल पर एक एक्सरसाइज चली थी कि हर डिवीजन की फलानी-फलानी तारीख को हम लिस्ट को देखेंगे। पंचायत के डिलिमिटेशन को देखा जायेगा और आपके कोई सुझाव हों तो यहां भेज दिये जायें। उन तारीखों के हिसाब से जैसे उदयपुर डिवीजन को 12 दिसम्बर दी थी, 12 दिसम्बर को कई लोग यहां पर आये, अखबारों में प्रचारित किया गया आब्जेक्शन्स फाइल करने के लिए पर यहां कोई आब्जेक्शन्स लेने वाला ही नहीं था। माननीय मंत्री महोदय घर से गायब थे। उनको ढूंढा कि किस जगह मिलेंगे तो कि यह इन्दिरा गांधी इन्सटीट्यूट है यहां ऊपर की मंजिल पर आप बैठे थे। वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। आम जनता वहां तक जा नहीं सकती थी। उसकी निचली मंजिल में इन्होंने बी. जे. पी. के कार्यकर्त्ता भी बैठा रखे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर डिवीजन का सवाल था। कई कार्यकर्त्ता वहां गये थे और जो वहां पर बैठे थे बी. जे. पी. के कार्यकर्त्ता के जिनको कि इन्चार्ज बना रखा था और एक रिटायर्ड आई.ए.एस. आफिसर वहां बैठे थे और वहां लिस्ट ले रहे थे। जनता के जितने भी प्रतिनिधि आये लिस्ट लेते लेते वह यह कहते रहे कि फलां आदमी को आपके डिस्ट्रिक्ट का इन्चार्ज बना रखा है पार्टी के हिसाब से, उसके दस्तखत करवाकर लाये या नहीं। कई लोगों ने कहा कि यह प्रक्रिया हमें पता नहीं थी और हम तो दस्तखत करवाकर नहीं लाये। वह उन्होंने वहीं रिजेक्ट कर दी। अच्छा अभी नहीं लाये हो तो आप बी. जे पी. के आफिस में जाइये और फलां आदमी के दस्तखत हो जायेंगे तो आपके जितने भी चेन्जेज हैं उनको कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई है उसमें केवल पालिटिक्ल आस्पेक्ट को देखा गया है। न तो इसमें जोग्राफी देखी गयी है, जनता की जो मांग थी, आवश्यकता थी, जो जनता ने आब्जेक्शन्स पुटअप किये उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और आरोप लगाना चाहता हूं बहुत क्लियर

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

कट कि उस टाइम पर जब यह डिलिमिटेशन का काम चल रहा था, यह कमीशन जब आई थी, डिस्ट्रिक्ट में कई शिकायतें आई थीं। सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि बी. जे. पी की तरफ से जिन लोगों को इन्चार्ज बनाया था वो पैसे लेकर एक गांव को एक पंचायत से हटाकर दूसरी पंजायत को करवा रहे थे ...

एक माननीय सदस्य : असत्य है।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस आरोप को इस सदन में दोहरा रहा हूं मैं आपको स्पष्ट कहता हूं मेरे पास कितने ही प्रूफ हैं, कितने ही मैम्बर्स हैं जो यह कहने के लिए तैयार हैं कि पैसे लेकर हमारे गांवों को इधर से उधर चेन्ज किये हैं और चेन्ज कराने के लिए हमने फलां फलां आदमी को पैसे देने पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन का नाटक सरकार की तरफ से इन्होंने रचा था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल कलेक्टर्स ने जो सुझाव दिये थे और जिसने जोग्राफी के हिसाब से बनाये थे उनको भी मान्यता दे देते। उनको मान्यता नहीं देनी थी तो वास्तविक रूप से आब्जेक्शन्स पर उनको विचार करना चाहिए था। यह भी नहीं हुआ। उसके बाद जब यह कमीशन की बात खतम हुई तो कर्नाटक में एक कमेटी बनाकर भेजी गयी कि पंचायत की प्रणाली को देखकर फिर अपने यहां वह प्रणाली लागू हो सकती है या नहीं यह निर्णय किया गया। ऐसा स्टेटमेंन्ट सरकार की तरफ से आया। माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रणाली से कर्नाटक की पंचायतें बनी हुई है उसका जो केस है वह अशोक मेहता कमेटी जो 77 में बैठी थी वही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस टाइम भी माननीय भैरोंसिंहजी यहां के चीफ मिनिस्टर थे.... पंचायतों के चुनाव को टालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और इनके समय में पंचायत समिति के चुनाव तो हुए ही नहीं केवल पंचायतों के चुनाव करके और रोक दिया गया। इस समय के मुख्यमंत्री उस समय भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अशोक मेहता कमेटी जब आ जायेगी, जिस दिन रिपोर्ट आ जायेगी, उसकी जांच हो जायेगी उस प्रणाली को लागू करने के लिए पंचायत समितियों का चुनाव हम आगे बढ़ा रहे हैं, वह की वह एक्सक्यूज, वह का वह बहाना जो 77 में तैयार था, आज 92 में भी तैयार है कि कर्नाटक की प्रणाली कैसी है, उसकी कमेटी जांच करेगी, जांच कर के फिर यहां आयेगी, फिर इस प्रणाली को लागू रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इस पर निर्णय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा था, जैसा मैंने शुरुआत में सदन में निवेदन किया था कि यह सब स्टेटमेण्ट वगैरह जो कुछ भी हैं, इन पंचायतों के चुनाव को टालने का एक रास्ता बना रखा है। रोज, एक 20 अगस्त को स्टेटमेण्ट आता है कि कल की केबिनेट मीटिंग में यह तय कर लिया जायेगा कि कौन सी तारीख को पंचायत चुनाव होंगे। दूसरे दिन, 25 तारीख को फिर स्टेटमेण्ट आता है कि यह किया गया है कि सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट जो एक्ट ला रही है उसको देख कर और उस हिसाब

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

से फिर हमारे चुनाव किये जायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, हर कदम पर इसको टालने की कोशिश की जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह भी चर्चा चली थी कि सरपंचों के चुनाव, अखबारों में आया था स्टेटमेण्ट कि सरपंचों के चुनाव प्रधान के चुनाव, जिला प्रमुख के चुनाव, यह प्रणाली बदल दी जायेगी । इस प्रणाली में यह है कि डाइरेक्ट चुनाव होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस प्रणाली के अन्तर्गत आज दिन तक पंचायतों के चुनाव हुए हैं

(3.25 म. प

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

इस एक्ट को लागू करने के बाद सन् 58 से लगा कर के आज तक किसी तरह की जनता को कोई आपत्ति नहीं है, जनत इस प्रणाली को एक्सप्ट कर चुकी है और जनता इसी प्रणाली में अपनी रूचि रखती है । अपने यह सजेशन दिया है कि एक ही दिन चुनाव होगा । एक ही दिन वोट पड़ेंगे, तीनों पोस्ट के लिए । इसमें, उपाध्यक्ष महोदय एक बहुत शका होती है कि एक ही दिन पड़ेंगे, केवल वहां की पंचायत वाले वहां के जो पंच चुन के आयेंगे वही सब कार्य उस समय कर देंगे, एक कमरे में बैठ कर सब तय हो जायेगा । जनता के सामने कुछ नहीं होगा । आज की प्रणाली के हिसाब से जो चल रही है, उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रधान का चुनाव होता है तो पूरे क्षेत्र की जनता देखती है कि उनका इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव है, किस तरह से अपना वोट डाल रहा है ? जनता के सामने यह सब-कुछ होता है । कोई अंधेरी कोठरी में चुनाव कराना, मैं समझता हूं कि अपने जनतंत्र के खिलाफ एक प्रणाली आप चालू कर रहे हैं ।

दूसरा, सजेशन यह आया था कि पार्टी का सिम्बल भी काम में लिया जायेगा । सभापति महोदय, मैं आपसे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पंचायती राज का कन्सेप्ट शुरू में बना था, जो पहले गांधीजी के दिमाग में यह पंचायत राज का कन्सेप्ट आया था, उसमें यह स्पष्ट था कि कोई भी पार्टी, पार्टी के हिसाब से ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं लड़ेगी । हर आदमी, जो किसी पार्टी से कमिटेड नहीं है वह भी चुनाव लड सकता है, ऐसी परिस्थिति रखनी चाहिए और 58 में पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ था उस समय भी इसी कन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था कि उसमें किसी तरह की राजनीतिक पार्टियों की दखल नहीं होना चाहिए । सभापति महोदय, यह जो खुला काम है सब के लिए खुली हुई पंचायती राज है उस खुलेपन में यह आप वापस सिम्बल लगा कर, पार्टी का नाम लेकर इसको आप संकीर्ण बनाना चाहते हैं, इसको राजनीति में डालना चाहते हैं और साधारण जनता जो राजनीति में रूचि नहीं रखती, वोट देने की रूचि रखती है उसके आगे नहीं रखती, रोज प्रणाली अपनी जिंदगी में राजनीति में कोई नहीं है, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने से आप रोकना चाहते हैं । सभापति महोदय, जब अपन कहते हैं कि डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए, भारत का डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए तो एक बार पार्टी का सिम्बल लागू हो गया तो डिसेन्ट्रलाइजेशन खतम होकर सेन्ट्रलाइजेशन होगा । जयपुर में तय होगा कि

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

कैण्डीडेड कौन होगा ? दिल्ली में तय होगा जिला परिषद का केण्डीडेड कौन होगा ? तो यह जो कन्सेप्ट बना है, जो गांधीजी का कन्सेप्ट था कि भाई, ग्राम स्वराज बनाना चाहिए, उस कान्सेप्ट को ही आप बदल रहे हैं। एक पार्टी के हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से आप चुनाव लड़ेंगे तो इससे यह कान्सेप्ट बिल्कुल खतम हो जायेगा और सरकार यह चाहती है कि यह कन्सेप्ट खत्म हो जाय, और अगर सरकार यह चाहती है तो स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि अब हम ग्राम पचायतों को किसी तरह से आज की राजनीतिक प्रणाली में डालना चाहते हैं ताकि जयपुर तय कर सके कि कौन कैण्डीडेट बनेगा, या दिल्ली तय करेगी कि जिला परिषद में कौन जीत कर आयेगा। तो इससे 70 प्रतिशत 80 प्रतिशत जनता, जो राजनीति में रूचि नहीं रखती है, इस प्रणाली से बाहर रहेंगी। इसमें रूचि कम हो जायेगी। सभापति महोदय, आज चुनाव टालने के कई नतीजे निकले हैं। आज चुनाव टाल दिया है। सरपच किसी गांव में नहीं है। कोई भी रिप्रजेंटेटिव आदमी. जनता का रिप्रजेंटेटिव उसमें बैठ नहीं सकता। आज परिस्थिति ऐसी है, सभापति महोदय, कि जो ग्राम सेवक है, जो बी. डी. ओ. हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, पंचायत समिति लेबल तक उनकी स्थिति बहुत अलग तरह की बन गयी है। ग्राम सेवकों में आप यह जांच कर लीजिए कि ग्राम सेवकों ने, जिनके पास मोपेड नहीं उनके पास मोपेड आ गये, जिनके पास मोपेड थे उनके पास स्कूटर, जिनके पास स्कूटर थे उन्होंने पास मोटर साइकिल खरीद ली क्योंकि पैसों का सब हैंडलिंग, जब हर योजना के अन्तर्गत जो जनता की रिप्रजेंटेटिव का जाना चाहिए था, आज गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट उसे काम में ले रहा है। सभापति महोदय, मैं सदन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जवाहर योजना की जो अभी किश्तें आयी हैं पंचायत में उसका कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। उसमें केवल हिसाबों का समायोजन हो रहा है जो पिछले सालों में बी. डी. ओ. ने ग्राम सेवक ने और सरपंच ने मिल कर जहां कहीं भी पैसा उठाया है और उसका हिसाब नहीं है उस हिसाब का समायोजन आज हो रहा है। तीनों ही बैठ कर, पुराना सरपंच और आपके ऑफिसर बैठ कर उसका समायोजन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, एक जीवनधारा का जो कुएं खोदने का प्रोगाम चला है, 22 हजार रुपये फ्री मिलते हैं, उस 22 हजार रुपये फ्री वाली जीवनधारा की योजना में, सभापति महोदय, पैसा उस आदमी का जिसका सेंक्शन हुआ, जिसका कुआं खुद रहा है उसको पूरा नहीं मिला। 22 हजार मिलना था उसमें 4 हजार रुपये दे दिये, चार हजार देकर और दस्तखत 13 हजार के करा लिये। यह रिपोर्ट कलक्टर के पास गयी है, कि भाई भलाना ग्राम सेवक ने बी. डी. ओ. ने यह किया है, कलक्टर ने उसकी जांच करवाई, ग्राम सेवक को सस्पैण्ड कर दिया। सस्पैण्ड करने के बाद बयान लिये गये आपका यह समस्या समाधान जो चला था उसमें बयान लिये हैं, सबके सामने गांव के सामने, वह जो आदमी पैसा रिसीव करने वाला था उसने कहा कि, साहब मेरे पास तो चार हजार रुपए ही आये हैं मैंने आठ

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

हजार का काम कर दिया, आप मुझ से पैसा ले लीजिए। यह समस्या समाधान में हुआ है। बयान लिये गये हैं क्लियर कट। वह बयान चेन्ज कर दिये गये, बी. डी. ओ. ने उस बयान को चेन्ज कर दिया और आज ऐसी स्थिति है जिसने भी शिकायत की है इसकी उसको नोटिस पकड़ा रखा है कि चार हजार रुपए, सात हजार रुपए, 11 हजार रुपए तुमने उठाये, इन पैसों का आप हिसाब दीजिए, आपने कुआ पूरा नहीं किया, यह स्थिति हो रही है। कलक्टर के पास पावर नहीं कि वह इसको देख सके। जांच कर दी, सस्पैण्ड कर दिया और बीच में जनता को जो परेशानी हो रही है वह कोई सुनने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह चुनाव टालने का डाइरेक्ट नतीजा है कि जब आप चुनाव टालते हो और ग्राम सेवक को इतना पॉवर दे देते हो तो वह 10 और 15 हजार रुपए इकट्ठे जो आते हैं एक किश्त में वह काम में लेते हैं तो वह अपना ही काम करेंगे। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज के दिन। यह स्थिति आपकी पंचायतों की है। जवाहर योजना का पैसा आ रहा है, पुराने जितने गबन किये हैं उसका समायोजन करके, कैश में उनको कम्पलीट करा कर वह कम्पलीट हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक और कम्पेन चल रहा है सरकार की तरफ से, सरपंचों को डिसक्वालिफाई करने का। पुरानी 79-80 की कोई आडिट रिपोर्ट है उसको खोद-खोद कर निकाल रहे हैं कि आडिट रिपोर्ट में यह आपने क्लियर नहीं की इसलिये आपको डिसक्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे कई केसेज हैं, कई नोटिसेज गये हैं, कई लिस्ट बन चुकी हैं कि भई, इन आदमियों को डिसक्वलिफाई करो। माननीय सभापति महोदय, कई सरपंचों ने अपनी आडिट रिपोर्ट क्लियर करा दी, सरकार को यह दे दिया कि हमने क्लियर कर दी, उस तारीख को क्लियर हो गयी, उसकी कोई सुनवाई नहीं करके पालिटिकल आधार पर उनको डिसक्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसके सामने खड़ा होने वाला बी जे पी का कैण्डीडेट कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिये यह डिसक्वालिफिकेशन का हथियार काम में ले रहे हैं। पालिटिकल हथियार है, इसको काम में लेकर आप पंचायत चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, इस मामले में रूलिंग पार्टी बिल्कुल फेल रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, 17 (4) का जो मिसयूज हो रहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। डिसक्वालिफिकेशन का तो हो गया जिनको डिसक्वालिफाई करना था। दूसरा एक ओर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ यह लगे हैं इसलिये हम डिसक्वालिफाई करेंगे नहीं तो हमारी पार्टी में आओ। माननीय सभापति महोदय, यह भी एक बहुत बड़ा कम्पेन चल रहा है। मैं समझता हूं जब अपन ने जनतत्र को स्वीकार कर लिया है, ऐसी परिस्थितयों में अपने को यह स्ट्रेटेजी लाने की की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता किसको इलेक्ट करती है, कैसे इलेक्ट करती है, यह सब चीजें खुले में होनी चाहिये।

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को निवेदन करना चाहता हू कि जो कुछ भी इस अॉर्डिनेंस के अन्तर्गत हो रहा है, जो कुछ भी स्ट्रेटेजी अपने पंचायती राज के लिये चालू हो रही हैं, इस सब में बन्द कमरे के अन्दर कैसे चुनाव हो सकते हैं, हमारी पंचायत की लिस्ट को हम कैसे अनाउन्स कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी चल रही है। माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी कदम उठाया जा रहा है वह पचायती राज का जो कन्सेप्ट है उसके खिलाफ है इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस आर्डिनेंस को खारिज कर दिया जाय। इस आर्डिनेन्स की एवज में जो बिल है उसको भी जनता के सामने प्रेषित किया जाय ताकि उनकी ओपिनियन आ सके।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, पंचायत अधिनियम, 1953 में संशोधन लाने के लिये राज्यपाल मोहदय से 17 जून को एक अध्यादेश जारी कराया। आज उस अध्यादेश को पास करने के लिये मंत्रीजी ने सदन में प्रस्ताव किया। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायती राज की जो नीति और सिद्धान्त जिस तरह चला आ रहा था उसमें ज्यादातर ग्रामीण लोगों की ही एक हुकूमत मानते हैं। इन पंचायतों के चुनावों को लगातार बहानेबाजी से दो साल से टाले रखा। इसमें कुल मिला करके धीरे-धीरे आम आदमी और हमारे खुद के भी यह समझ में नहीं आया, जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने गुजारिश किया, वह बिल्कुल सही है कि किसी प्रकार से पंचायतों का पुनर्गठन इस ढंग से किया जाय जिसमें सत्ताधारी दल के लोगों की जीत अवश्य हो जाय। उस सत्ताधारी दल में भी पंचायतों के पुनर्गठन के हमने अच्छी तरह से देखा, जो इनका जनता दल (डी) है उन लोगों की बात को 95 पर्सेन्ट नजरअन्दाज किया। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, सरकार ने मई से लेकर अगस्त तक सक्यूलर निकाले डवलमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि पचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है उस पुनर्गठन में पंचायत का हैडक्वार्टर आठ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं हो. इतनी दूर जाना किसी ग्रामीण को नहीं हो और मिनिमम एक पंचायत में दो हजार में कम आबादी नहीं हो। वह प्रस्ताव चाहे गये सिर्फ तहसीलदार से और तहसीलदारों ने उस आदेश की पालना के लिये प्रशासनिक तौर पर भौगोलिक स्थिति के आधार पर पटवारी और आर. आई. के सुझाव पर पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार किये। वह प्रस्ताव फाड़े गये। फिर दूसरी बार जून में प्रस्ताव चस्पा हो गये उनको भी फाड़ा गया। फिर तीसरी बार वह प्रस्ताव कलक्टर के दस्तखतों से चस्पा किये गये। कलक्टर ने कहा कि हम सबकी सुनवाई करेंगे। कलक्टर के यहां लोगों ने आपत्तियां पेश कीं। उसके बाद यह तय हुआ कि एक कमिश्नर लेवल का आदमी डिविजनल हैडक्वार्टर तक आयेगा और वन मैन कमीशन होगा वह तमाम जनता की या जन प्रतिनिधियों की आपत्तियों को सुन कर अन्तिम निर्णय देगा। आखिर में वह मैन कमीशन हटा। अलग-अलग कमिश्नर मुकर्रर किये गये। उन कमीशनर्स में जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसे कमीशनर्स नियुक्त किये जिनके खिलाफ गबन या और किसी मामले की शिकायतें राज्य सरकार के सामने

(श्री अमीन खां)

विचाराधीन हैं। उनको मुकर्रर करके यह कहा गया, आपको इसमें कुछ नहीं करना करना है, जो प्रस्ताव तैयार पड़े हैं उनको डिटो करना आपका फर्ज है, वहां ड्रामा दिखा देना कि हम बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करने आये हैं। तो हकीकत है, हमारे जिले में हजारों एप्लीकेशंस आपत्तियों की आयी हैं, लोगों ने आपत्तियां पेश कीं। बाड़मेर जिले की आपत्तियों में एक भी आपत्ति कमिशनर ने सही नहीं मानी। क्या प्रजातंत्र में सौ की सौ आपत्ति असत्य होती हैं? जो प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा दिये गये, डिटो आप करते जा रहे हैं वह सौ पर्सेन्ट सही हैं? ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर पंचायतों के गठन में लोग पार्टी का ध्यान रखते हैं और फिर भी पार्टी का अनुमान करते हैं। चुनाव में पता नहीं कौन जीतेगा यह अनुमान सारे फेल हो गये फिर करते हैं जाति के हिसाब से अपनी पार्टी का हिसाब। हमारी तहसील में मेघवाल रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, भील रहते हैं, जाट रहते हैं और राजपूत रहते हैं और राजपूत रहते हैं और पुरोहितों की संख्या आधा पर्सेण्ट भी नहीं है। उनके गांवों में तो तीन पंचायतों के हैड क्वार्टर बने 19 नयी पंचायतों के। एक भी मुसलमान के गांव में पंचायत का हैडक्वार्टर 19 में नया नहीं हुआ। एक भी भील के गांव में पंचायत हैडक्वार्टर नहीं बना, एक भी जाट के गांव में पंचायत हैडक्वार्टर नहीं बना। उसके साथ-साथ और तो और, क्या किया, मैं सही बताऊं, आपत्ति के लिये बहुत अफोसस करना पड़ता है एक राजपूत शिव में प्रधान बना जो हो गया कांग्रेस के साथ और एक छोटे गरीब परिवार का था उसका गांव उसकी पंचायत से निकाल दिया। निकाला कैसे? जैसे उसका गांव यहां है सैक्रेटेरियेट, तो पंचायत हैडक्वार्टर बनाया सैक्रेटेरिएट में उसका गांव है और आगे जो गांधीनगर है वह उसका गांव है उस गांव को सैक्रेटेरिएट के ऊपर जो पंचायत बन रही है उसमें नहीं रखा है, यहां आगे रखा यानि उसके खुद के पंचायत हैड क्वार्टर से निकाल कर उसको और उसके गांव के मतदाताओं को जाना पड़ेगा तो एक पंचायत हैडक्वार्टर छोड़ कर सामने चार किलोमीटर पर एक नयी पंचायत बनायी जा रही है वहां जाना पड़ेगा। यह कलक्टर साहब के सामने प्रस्ताव रखा। हमको बड़ा फख्र था कि बाकी माने न माने लेकिन ऐसी बात तो उनको माननी ही पड़ेगी कि एक गांव से दूसरे गांव को क्रोस करके कैसे जायें। तो कलक्टर साहब ने पहले तो हमें जाने नहीं दिया। अन्त में चैम्बर में खुला कहा कि एम. एल. ए. साहब आपकी बात सौ प्रतिशत सही है लेकिन हमें सरकार का आदेश है कि प्रधान के गांव का आदमी नहीं जीतना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं यह हकीकत है और उसके बारे में मैं पंचायत मंत्रीजी से 10 बार मिला हूं, कोई असर नहीं। कमिश्नर से मिला हूं, कोई असर नहीं। मुख्यमंत्रीजी को पत्र लिखे। मुख्य मंत्रीजी ने एक काम जरूर अच्छा किया, कम से कम उन्होंने हमको पत्र तो लिखा कि हमको आपकी शिकायत मिली। आपकी शिकायत पर सहानुभूति से विचार करने के लिए विभाग को आदेश दिये जा रहे हैं। विभाग को आदेश तो वही थे जो नीचे कमिश्नर साहब ने सुनाये लेकिन उन्होंने जवाब तो दिया। हम उनके शुक्र-

(श्री अमीन खां)

गुजार हैं। बाकी तो कहीं जवाब ही नहीं है और इसी आधार पर मैं आपको बताता हूं कि उसी पंचायत समिति में एक आध पंचायत बनायी जा रही है एक हजार की आबादी पर और एक आध पचायत बनायी जा रही हो 5,700 की जनसंख्या पर। यह बिल्कुल जाति के हिसाब से गांव अलग किये हैं और ग्रामीण एरिये में बैठने वाले सभी लोग यह सोचते हैं कि किसानों की चार चीजों की एक प्रशासनिक इकाई है। को-आपरेटिव सोसायटी का सर्किल, पचायत सर्किल, रेवेन्यू लैण्ड के पटवारी का सर्किल, जहां तक हो सके इनका हैड क्वार्टर एक होना चाहिए अगर कोई बहुत बड़ी पंचायत है तो उसमें दो सर्किल पटवारी के हो जायें तो कोई हर्ज नहीं। हमारे यहां जाति के हिसाब से गांव तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया है कि यह मेघवालों का गांव आ गया उस पटवारी सर्किल में दो गांव थे। एक गांव को 23 किलोमीटर बंगडा में जाकर रखा और दूसरा उनके गांव को तोड़कर 25 मील ग्राम पंचायत में रखा। क्योंकि उनको यह था कि यह मेघवाल, मुसलमान और जाटों की आबादी का गांव है। यह एक जगह रह गया तो सरपंच इनका ही न हो जाये। तो हमने अन्तमें यह कहा कि हमारी पंचायतें किसान वर्ग की ज्यादा नहीं बनने देनी है तो मत बनाओ लेकिन सरकार ने हिदायत दी है कि 8 किलोमीटर से ज्यादा एरिया मत करो तो यह 25 किलोमीटर, हम गरीब लोगों ने क्या गुनाह किया है कि आप पंचायत हैड क्वार्टर से दूर रख रहे हैं और दूसरी जो आप पंचायत बनाने जा रहे हैं, वह तो 4 किलोमीटर के हैड क्वार्टर पर ही बनाने जा रहे हो तो भी उनकी सुनवाई नहीं। मैं, पंचायत मंत्री जी, आपसे दो बार मिला हूं, फिर आपको बताता हूं। हालांकि मैं समझता हूं इसमें होना-करना कुछ नहीं है लेकिन तब भी हमारा फर्ज बनता है कि आपको इत्तला दें। इजाबा में एक पंचायत बनायी है जिसकी 1165 जनसंख्या है। रोयेडी में एक पंचायत बनायी है जिसकी जनसंख्या 1075 है और स्फून्दरा एक पंचायत बनायी है जिसकी 1220 जनसंख्या है और अब यह दूसरी कौम के जैसे मैं आपको गांव बताता हूं, इन पंचायतों का आपने ग्राफ बनाया है 2500 का। गड़रा रोड पचायत बनायी है 5738 की और जयसिंदर ग्राम बनाया है 2117 का और यह भियाड पंचायत बनायी है 3800 की और जयसिंदर ग्राम पंचायत बनायी है 3814 की। इनमे भी 4-4, 5-5 रेवेन्यू गांव थे लेकिन इन सारे लोगों की आपत्तियों में से एक भी आपत्ति स्वीकार नहीं की गई। सिर्फ एक ही ख्याल था कि मेघवाल, जाट, मुसलमान, भील इनकी पंचायतों के नम्बर बढ़ने नहीं चाहिए, पहले से भी घटाना चाहिए मैं निवेदन करूं कि सारी पंचायत समितियों में कुल मिलाकर 13-14 पंचायतें सिर्फ ऐसी हैं। हमारी तहसील की आबादी सबसे कम है, 1981 को जनगणना के अनुसार एक लाख की आबादी है और पूर्व में 26 पंचायतें थीं। उसमें 19 पंचायतें हमने बनायी करीब यानि डबल पचायतें थी। वह सिर्फ इसलिए की गई कि उस एरिया में, उस पूरे रेगिस्तानी सीमावर्ती एरिया में कांग्रेस का में एक ही एम. एल. ए. आया, सबने मिलकर यह एलान किया कि इसको हराने के लिए ही बन्दोबस्त करो। चाहे

(श्री अमीन खां)

हजार पर पंचायत बनानी है तो बनाओ, कोई और बनानी है तो बनाओ और उनकी कोई सुनवाई नहीं। यह हुआ, पचायतों के पुनर्गठन की धारा 86 की उपधारा 1 के तहत पहले भी मैंने लिखा और हमने कांग्रेस के राज में पुनर्गठन कराये। पूरे 40 साल में तीन पंचायतें बना सका और मदेरणा साहब भी यह कहते थे पंचायत तब बनेंगी जब सम्बन्धित पचायत का प्रस्ताव हो, उस पंचायत समिति का प्रस्ताव हो और सम्बन्धित जिला कलक्टर की इसमें अपनी राय स्पष्ट हो और उसके बाद टूटने वाली पचायतों पर प्रभाव क्या पड़ता है? बनने वाली पंचायत की पोजीशन क्या है? कलक्टर द्वारा उन संस्थाओं के प्रस्तावों को भी सही माना जाये, तब पंचायत बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी। लेकिन हकीकत में उन तीन का मेरे कहने का अर्थ यह है गैर वाजिब अगर हम हमारी मनमानी से भी कोई पंचायत बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते थे और इन्होंने जो लोग मानते ही नहीं थे, ऐसी पचायतें बनायी। वह पचायतें इसलिए बनायी जैसे मैंने प्रधान की बात की। प्रधान सिर्फ राजपूत हमारे साथ थे। उनको खुले आम कहा कि+ + + आप असल राजपूत हैं तो कांग्रेस का साथ छोड़ दो तब आपके गांव में पचायत बना देंगे। कांग्रेस अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको गांव कोस करके आगे दूसरी पंचायत में जाना पड़ेगा क्योंकि आपको सबक सिखाना चाहते हैं कि आप कांग्रेस में रहकर क्या करते हो। उसने कहा भई रहूंगा तो कांग्रेस में ही। मेरी पंचायत बने तो बने। अंत में बी. जे. पी. के अध्यक्ष से उसकी बोलचाल हुई बाड़मेर में, उसने कहा कि अगर प्रधान साहब सबक सिखायेंगे, तो आखिर में उस प्रधान ने यह कहा कि सबक क्या सिखाओगे? हिन्दुस्तान से तो निकाल नहीं सकते। मेरी पंचायत आप पाकिस्तान में भेज नहीं सकते? कौन सा सबक सिखाओगे? तो इस तरह से तो हुआ है पंचायतों का पुनर्गठन। अब पचायतों के चुनाव में यह धांधली होगी। जिस तरह से इन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन किया है, पंचायत मंत्रीजी, तहसीलदार होम तहसील में लग नहीं सकता। हमारे यहां होम डिस्ट्रिक्ट का तहसीलदार उस तहसील में लगाकर उससे शर्त यह मांगी है कि आपको यहां लगा देंगे, पर पंचायतों के प्रस्ताव हम चाहें जैसा कर दें। तो अब के इन पटवारियों को ऐसे वहां लगाया जा रहा है। उनको यह कहा जा रहा है कि दो, तीन जाति के वोटरों को आप कतई मत लिखो और बाकी वाले वोटरों को लिखो, तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे तो अच्छा है आप बाई आर्डर यहां से गजट नोटिफिकेशन सरपंचों के नाम जारी कर दो। इस तरह से आपका है यह पंचायतों का पुनर्गठन का एक ढोंग। एक बी. पी. आर्य के खिलाफ शिकायत की। विभाग ने इसको दी। उसने किसी आदमी की सुनवाई नहीं की। वह कहते थे आपकी आपत्ति है तो कलक्टर साहब को दे दो। हमने कहा साहब कलक्टर के प्रस्ताव के ऊपर आप आपत्ति सुनने आ रहे हैं, आप कहते हैं कलक्टर से से ही बात करो। हम तो कलक्टर के प्रस्ताव का विरोध करने आपके पास आये हैं, सरकार ने आपको जज बनाया है। तो

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमीन खां)

वह कहते हैं नहीं-नहीं, कलक्टर ने लिखा है, वही करेंगे। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो आखिर, पंचायत मंत्रीजी, आप गांव के आदमी हैं, मैंने आपको रूबरू मिल कर कई बार कहा और आपका असर कुछ नहीं चलता। आखिर में मैं मेरी यह बात कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो यह अध्यादेश जारी किया, यह पब्लिक को धोखा देने का अध्यादेश है और इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाना चाहिए और पंचायतों के चुनाव में सरपंच का चुनाव अब के पता नहीं कैसे आप कराओगे ? आम जनता से होना चाहिए। पंचों का चुनाव आम जनता से होना चाहिए। आप हमेशा अपने आपको कांग्रेस से ज्यादा डेमोक्रेट बताते हो तो प्रमुख और प्रधान के चुनाव भी आम जनता से कराओ। यानि पब्लिक का ज्यादा महत्व रखो तो हम मानेंगे कि आप आम जनता को इसमें इनवोल्व कर रहे हो। अगर इसमें घटाते हो, कोई बड़े-बड़े आदमियों के ही वोट इसमें करके प्रमुख, प्रधान बनाते हो तो आप जनता की भावनाओं के खिलाफ काम करेंगे। इससे पब्लिक में भारी रोष होगा। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सेवकों को आपने बहुत बड़ा हाकिम बनाकर रख दिया है। सारी जवाहर योजना का पैसा खा गये। सारे विकास के काम में किसी राय और प्रस्ताव नहीं, मर्जी आये वहां ग्राम सेवक बी. डी. ओ. ने बैठकर विकास कर दिया, मर्जी आये उतने पैसे खा गये और मर्जी आये वहां कर दिया। अब रहा सवाल आपके यहां 17.4 की कार्यवाही का 17.4 की कार्यवाही में सरकार के वफादार पार्टी के आदमियों के खिलाफ जो कार्यवाही विभाग में आयी पड़ी है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और दूसरों की कार्यवाही ढूंढ-ढूंढकर, निकाल-निकाल कर चाहे रिपोर्ट नहीं भी आयी है तो कलेक्टर से टेलीफोन करके रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि इनको पंचायत चुनाव तक डिसक्वालिफाई किया जाये। तो यह तरीका प्रजातन्त्र के हित का नहीं है। यह प्रजातन्त्र के खिलाफ है और इसके भी मंसूबे जैसे को-आपरेटिव सेण्ट्रल बैंक के अभी चुनाव हुए, किया तो आपने सब कुछ उसमें भी, लेकिन बैंकों के चुनाव का जो नतीजा आया है वही का वही पंचायत मंत्रीजी, नतीजा चुनावों में आयेगा लेकिन लोगों को परेशानी में जरूर डाल दिया है एक फर्जी पुनर्गठन का ढोंग करके। मैं आखिर में यही सदन से दरखास्त करूंगा कि दिनांक 17 जून, 1992 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या–1) को अस्वीकार करें।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992 जो 17 तारीख को पेश किया गया है, बड़े दुःख की बात है कि जानकारियां अंत समय पर दी गयी, बोलने के लिये कह दिया गया, जब सारी बातें हमको पता ही नहीं है और उस चीज के बारे में कहें, बोले। सबसे पहले दुःख की बात तो यही है कि हमको इस बात से छुपा कर रखा गया। मैं निवेदन करूंगा आपसे, यह जो अध्यादेश लाया गया है वह वास्तव में अध्यादेश नहीं है यह

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जनतन्त्र का गला घोंटने वाला एक अध्यादेश है। महात्मा गांधीजी की यह इच्छा थी कि ग्राम का राज्य हो ग्राम की जनता राज करें, ग्राम की अपनी पंचायत हो, गांव के लोग उसमें बैठे और निष्पक्ष भाव से वह अपना न्याय करें। इस भाव से पंचायत राज बनाया गया था लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय सभापति महोदय, कि अब किस प्रकार जहां जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता हो और चुना गया हो और सरकार उस प्रतिनिधि को सब से पहले हटा दें। उसके स्थान पर, उस प्रतिनिधि के अधीनस्थ रहने वाले एक साधारण कर्मचारी जिसको पूरा ज्ञान भी नहीं है, अब जनता की भलाई के लिये उसे क्या करना है, एक साधारण नौकर और उसको आप बिठा दो सरपंच के पद के ऊपर। यह सबसे बड़ा धोका जनता के साथ किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे किसी पार्टी का राज हो, जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, उन पर अगर कुठाराघात किया जाता है तो जनता उसको बख्सेगी नहीं। ठीक है आप चाहे कोई भी संशोधन करें, चुनाव एक दिन में आप करायेंगे. बहुत खुशी की बात है। एक दिन में आप चुनाव करवायेंगे लेकिन एक दिन में जो चुनाव होंगे उससे क्या जनता का कुछ होगा। जनता जिसको चुनती है जिस पर अहसान करती है वही व्यक्ति जनता के प्रति वफादार होता है। आप एक दिन में चुनाव करायेंगे, जो पैसे वाला व्यक्ति होगा वही मेम्बरों को इन सबको खड़ा कर देगा, अपने को जीतवा लेगा और वही सरपंच बन जायेगा या प्रधान बन जायेगा या कोई जिला प्रमुख बन जायेगा। आम जनता को इसका पता भी नहीं चलेगा, एक कोटड़ी में बैठ कर चुनाव एक दिन में ही हो जायेंगे, आम जनता पर इसका कोई अहसान किसी प्रकार का नहीं होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि आज जो कुछ भी अध्यादेश लाया गया है और जिस प्रकार का परिवर्तन किया गया है वास्तव में यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और जनता के साथ ही धोखा नहीं है एक जनतन्त्र की हत्या है, शुरूआत है हत्या करने की। आप यह समझते हो कि इस अध्यादेश को लाने के बाद में जो सरकार सत्ता में बैठी हुयी है उसी के प्रधान बनेंगे, उसी के सरपंच बनेंगे, उसी के मेम्बर बन जायेंगे, उसी के जिला प्रमुख बन जायेंगे, बिल्कुल भ्रम है कोरा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने जनता को दो साल तक गुमराह किया है। जो सरपंच जनता के द्वारा चुना गया था, प्रधान चुना गया था, जिला प्रमुख चुना गया था, माननीय सभापति महोदय, उनको हटा दिया गया है यह समझ कर कि अब यह जितने भी लोग बैठे हुये हैं ये सब कांग्रेसी लोग है, यह कांग्रेस ने बैठाये हैं। अब यहां सारी जनता कांग्रेस को चाहती है इसलिये इनको हटा दिया जाय। आप यह समझो कि कांग्रेस के सरपंच, प्रधान बैठे हैं इसलिये आपने हटा दिया, जनता में इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, सारे विकास के कार्य रूके हुये हैं। बहुत से

(श्री रामस्वरूप मीणा)

तो ऐसे + + + बैठे हुये हैं जो समझते कुछ भी नहीं है उनको बना दिया, सारी सरपंच की पावर दे दी, कुछ ने बिल्कुल काम नहीं किया। वह कहते हैं कि हम तो कितने दिन रहेंगे, बाद में हमारी नौकरी और चली जायेगी। कुछ ने काम नहीं किया और कुछ ने ऐसा किया जिसको पैसा मिला है, जो होशियार है और होशियारी से पैसे को ही डकार गये विकास अधिकारी से मिल करके। जीवनधारा के अन्दर जो पैसा मिला, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे क्षेत्र का ही मामला है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जीवनधारा का पैसा मिला और उसके अन्दर जिस गांव में कुआ तक नहीं बना और पूरा पैसा दे दिया गया। आखिर में यह किसने किया। वही ग्राम सेवक इन सब से मिला गया। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेसवा में ऐसा हुआ है जिला कलक्टर ने स्वयं जाकर मौका देखा है और मौका देखने के बाद में रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट सरकार के सामने आने वाली है। दूसरा उदाहरण मैं निवेदन करूं, जीवनधारा के अन्दर ऐसे व्यक्तियों को पैसे दिये गये जिस व्यक्ति का चयनित लिस्ट में नाम भी नहीं था। वह चयन लिस्ट भी देखें। उसके बाद उस चयन लिस्ट में दुबारा एक नाम काट कर वह लिस्ट दी गयी। दोनों लिस्ट की माननीय मंत्रीजी, तुलना कर लेना और उस व्यक्ति का नाम काट कर छोड़ कर + + + पैसा दिया गया। इस बात की जांच सरकार के सामने आने वाली है और सदन के सामने इस बात को रख रहा हू। तीसरा, मैं निवेनन करूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जो ग्राम सेवक वगैरह सरपंच वगैरह बन कर बैठे हैं उनको जो पैसे मिले हैं वह विकास अधिकारी से मिल कर उस पैसे को डकार गये जिसकी शिकायत हमने पंचायत समिति में की है, पंचायत समिति नादौती में शिकायत की है, इस बात की टोडाभीम में भी शिकायत हुयी है। उसके बाद मामले भी दर्ज हुये लेकिन कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुयी। ऐसा एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह तो छोटे-मोटे उदाहरण मैंने पेश किये हैं, बड़े-बड़े भयंकर घोटाले भी हैं। अगर आपने इन सरपंचों को नहीं हटाया होता तो कम से कम वे जनता से तो डरते कि भई हमको वोट लेने के लिये इनके पास जाना है। इसलिये इनको हटा कर जनतन्त्र का गला घोंटने का, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। इसलिये यह जो अध्यादेश लाया गया है, केवल मात्र चुनाव में डिले करने के लिये लाया गया है. देरी से चुनाव हो, चुनाव नहीं कराये जाय। एक तरफ तो सरकार अपनी पार्टी को लाना चाहती है, दूसरी तरफ सरकार डर भी रही है कि अगर चुनाव करवा देंगे तो हमारा तो क्या पता पत्ता ही साफ हो जाय और आगे इसका प्रभाव एम. एल. ए. चुनाव पर पड़ेगा वहां भी सफाया हो जायेगा, इसका आगे भी और चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा इसलिये यह चुनाव भी नहीं कराये जाय। बार-बार घोषणा की गयी, जुलाई के महीने में चुनाव हर हालत में करवा दिये जायेंगे, माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, सदन में भी घोषणा कर दी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुये और यह अध्यादेश लाकर एक रोडा अटका दिया बीच में और समय को लम्बा खींच गये और अब भी मुझे तो विश्वास है कि माननीय सभापति महोदय, जो घोषणा की जाती है वह भी निश्चित असत्य है, कोई चुनाव नहीं होंगे ओर हो सकता है चुनाव भी पहले सरकार के ही चुनाव हो जाय, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह का असत्य बोलने वाली सरकार निश्चित समझी जा सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। इसलिये मुझे विश्वास है कि असत्य घोषणा होगी। सरकार जो कुछ भी कहती है वह असत्य कहती है अब भी वह असत्य ही कहेगी। मैं विश्वास के साथ सदन के सामने निवेदन कर रहा हूं कि यह चुनाव नहीं होंगे किसी भी हालत में अगर उन्होंने करवा भी दिये तो उप सरपचों के करायेगी, बाकी चुनाव ही नहीं करवानो चाहती। यह जो पद्धति इन्होंने लागू की है वास्तव में चुनाव नहीं कराने की पद्धति है। क्योंकि निश्चित ही कोई स्टे आ जायेगा, लोग हाई कोर्ट में चले जायेंगे और इसके इन्तजार में यह बैठे हुये हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो लोग हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आयेंगे और चुनाव नहीं होंगे। यही मुख्य मंशा इस सरकार की है. इस अध्यादेश के प्रति यही मंशा है। अगर हम इस प्रकार का कानून बना दें तो जनता पर लागू नहीं होगा और जनता उसको पसंद नहीं करेगी। यह सोच रहे हैं कि हम आराम से थोड़ा भी जो समय बचा है उसको पास कर लें। चुनाव तो आगे भविष्य में विधायकों के होने वाले हैं इसलिये यह जो कानून अध्यादेश लाया गया है, वास्तव में यह जनतन्त्र के साथ धोखा किया गया है। इसके साथ दूसरा एक निवेदन और है, पुनर्गठन के नाम से यह जो नाटक रचा गया है कि हर पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है, वास्तव में सब जगह सही पालन नहीं होगा। नियम तो यह था, एक जो प्रस्ताव रखा गया था, पंचायतों से, तहसील हैड क्वार्टर से या कलक्टर के यहां से क्षेत्रफल के बारे में जो प्रस्ताव आया था उसके आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जो प्रस्ताव वास्तव में मान्य होना चाहिये था,... प्रस्ताव कहीं-कहीं माने हैं ऐसी बात नहीं है।

(4.00 म. प.)

लेकिन फिर भी ज्यादातर पार्टीबाजी के आधार पर आपने एक कमिश्नर बनाया, यह आपने एक आधी कमेटी बनाई जो जिला हैड क्वार्टरों पर गई थी उसमें बी. जे. पी. के भी लोग थे। मुख्यतौर से तो वे ही थे। हम भी बुलाये गये। हमको तो यहां तक नहीं पूछा गया कि हमारी पंचायत का पुनर्गठन करने के लिए माननीय विधायक महोदय आप भी तो कुछ दो सलाह। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुनर्गठन से पहले किसी को भी नहीं पूछा गया है इसलिए सब लोग मिलकर विरोध करो। माननीय सभापति महोदय, किसी भी विधायक को नहीं पूछा गया है इनकी तो मात्र यह तैयारी थी कि जिस प्रकार से आगे चलकर ज्यादा से ज्यादा हमारी सत्ता वालों के प्रधान आ जाएं, सरपंच आ जाये। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अगर आता है तो उसी को कमेटी जाकर के मंजूर कर दे। जिलाधीश महोदय को कुछ नहीं करना। उस निर्णय

(श्री रामस्वरूप मीणा)

को जो जिलाधीश ने रखा था अपना बनाकर भी उसको नहीं माना गया है। माननीय सभापति, मैं मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण दूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर बार पंचायत है। इस प्रकार से जो नादौती बनाई गई जिनका मतलब पंचायत हैडक्वार्टर सब से बड़े गांव में होना चाहिए, सब से ज्यादा आबादी हो उस गांव को तो छोड़ दिया गया और उसके बजाय एक छोटे से गांव में पंचायत हैड क्वार्टर बना दिया गया। जिस गांव में पंचायत में सड़क जा रही थी उसको हैडक्वार्टर नहीं बनाया गया। जहां कोई स्कूल हो उसको पचायत हैडक्वार्टर नहीं बनाया और एक ऐसे गांव को पचायत हैडक्वार्टर बना दिया गया जिसकी आबादी कम, जहां सड़क नहीं, स्कूल का अभाव उसमें पंचायत हैडक्वार्टर बनाया। माननीय मंत्री महोदय को मैं लिस्ट भी पेश कर सकता हूं इस प्रकार की। ऐसा हुआ है, मेरे क्षेत्र में हुआ है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि माननीय सभापति महोदय, पुनर्गठन किया, बहुत अच्छी बात है। पंचायतें बढ़ाई यह भी बहुत अच्छी बात लेकिन वो ईमानदारी से नहीं हुआ है। उसके अन्दर भ्रष्टाचार, उसके अन्दर भेदभाव की नीति, उसके अन्दर हमको न पूछने की मतलब एक पद्धति अपनाई गई है जिससे जनतन्त्र की बहुत बड़ी हानि हुई। केवल मात्र कुछ जातियों के सरपंच बन जाये इस बात का विशेष ध्यान वास्तव में पुनर्गठन में रखा गया है। आप चाहो तो इसकी पूरे सदन के सामने लिस्ट मंगवाकर माननीय सभापति महोदय एक उसकी भी चर्चा करवा लें तो पता लग जायेगा कि किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ है। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर माननीय सभापति महोदय एक बात अन्त में और निवेदन करूंगा। अब यह जो अध्यादेश है इसके जरिये चुनाव कराये जाएंगे, यह कहा गया है कि एक ग्राम सभा होगी उसकी दो साल में दो बार मीटिंग कराई जायेगी बजट उसके सामने पेश होगा। यह सारी पद्धति तो पहले भी थी। पहले भी सारी पद्धति थी उस सारी पद्धति को पहले ही क्यों नहीं लागू किया गया। क्यों नहीं उन पर ध्यान दिया गया? अब यह कानून नया लाने की जरूरत भी क्या थी इसमें? क्या पहले वाली पद्धति में कोई कमी थी। कोई शिकायत है जो अब आई, अब यह पद्धति गलत है। फिर क्यों प्रावधान किया गया। आम जनता से इस प्रकार की कोई राय ली गई थी कि यह पद्धति जो अब से पहले की है वह पद्धति गलत है। इसके बारे में कोई राय किसी प्रकार की नहीं ली गई थी इसलिए मेरा यह कहना बहुत जरूरी है कि इस अध्यादेश को जो कि आम जनता के लिए ग्रामों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब अवरोधक है ऐसे अध्यादेश को अस्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, आज जो परिनियत संकल्प सदन के सम्मुख इस समय प्रस्तुत है उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि राज्यपाल द्वारा 17 जून का जो राजस्थान पंचायत संशोधन अध्यादेश संख्या एक है, इसे सदन अस्वीकार करे क्योंकि इस अध्या-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

देश के अन्दर जैसा कि सरकार ने स्वयं भी माना उस समय 17 जून को कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्यादेश निकालने की इसलिए जारी करने की आवश्यकता नहीं थी कि जब सरकार जानती थी कि चुनाव दिसम्बर से पूर्व कराएंगी नहीं और उससे पहले हमें विधान सभा का सत्र बुलाना पड़ेगा तो यह प्रख्यापित करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी और इसलिए भी इससे मेरी बात को बल मिलता है। चूंकि उस समय इनके पास न उद्देश्य थे, न कारण थे, न ओब्जेक्ट था कि किस वजह से हम आर्डिनेन्स नहीं कर पा रहे हैं और न ही कारण थे इनके पास कि कौन से कारण थे। वरना हमेशा हर आर्डिनेन्स के साथ-साथ ओब्जेक्ट और रीजन्स दिये जाते हैं लेकिन उनके पास थे ही नहीं उस समय इसलिए दे भी नहीं सके थे। मैं इस बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस अध्यादेश के जरिये जो एक ऑप्शन न करके और महिलाओं के लिए वार्ड बनाने, अनुसूचित जाति और जन-जातियों के लिए तो पहले से ही थे लेकिन यह सरकार जिसे कहना चाहिए बहुत ही प्रतिक्रियावादी इस बात से नजर आती है कि सरकार ने केवल वार्ड पंचों तक महिला को समिति रखा है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए तो सरपंच के लिए भी रिजर्वेशन हैं लेकिन महिलाओं को केवल आपने वार्ड पंच तक ही सीमित रखा। क्यों नहीं सरपंच में उनके लिए आपने स्थान रिजर्व किये, कोन्सीट्यूएसी रिजर्व की, क्यों न पंचायत समिति में की, क्यों न जिला परिषद में की। क्या आप यह समझते हैं कि आपने मंत्रिमण्डल ने जो विद्या पाठक और पुष्पा जैन को ले रखा है, क्या ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? क्या महिलाओं पर आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि महिला केवल वार्ड पंच तक तो ठीक है और वार्ड पंच के आगे सरपंच के कर्त्तव्य निर्वहन वह नहीं कर पायेगी या पंचायत समिति के प्रधान का निर्वहन नहीं कर पायेगी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि बिना रिजर्वेशन के भी जो महिलाएं सरपंच बनी या प्रधान बनी है या प्रमुख बनी है तो व मुकाबले पुरुषों के उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है इसलिए मैं माननीय पंचायत राजमंत्री जी को बताना चाहूंगी। वैसे तो आपके बारे में भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले ही कह दिया है कि मैं क्या कहूं। लेकिन मैं चाहूंगी कि कम से कम अब तो आप इतनी एक्सेप्ट करियेगा इस बात को और आप इस बात को सिद्ध करियेगा यह जो आप भूल गये हैं या जान-बूझकर नहीं किया। हो सकता है भूल गये हों आप। इसलिए यह महिलाओं का रिजर्वेशन सरपंच के पद पर भी महिलाओं का रिजर्वेशन, पंचायत समिति के स्तर पर भी और महिलाओं का रिजर्वेशन प्रमुख स्तर पर भी करें जब तो राजस्थान की सरकार एक नया उदाहरण पेश करेगी कर्नाटक की तरह से। वरना तो केवल अपने आपको प्रगतिशील कहलाने की +++ महिलाओं के आंसू पौंछने वाली बात होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस अध्यादेश के जरिये ग्राम सभाओं को प्रभावी और

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ग्राम सभाओं को अधिक सक्षम बनाया गया है। ठीक है यह तो अच्छा किया लेकिन इसके अन्दर एक जो आपने प्रावधान किया है कि पहले तो 1/10 पहली मीटिंग में कोरम रखा 1/10 1/10 पोपुलेशन का रखा है। मतदाताओं का रखा है यह स्पष्ट नहीं है इसलिए और उसके बात दूसरी मीटिंग हो जाये उसमें कोरम रखा ही नहीं तो यदि पंचायत के अन्दर 2 हजार मतदाता मान लिये गये तो 1/10 वाली विधि से मतदाताओं में से 200 आदमी ग्राम सभा में उपस्थित होने चाहिए। मान लीजिये 100 ही आदमी होते और सौ ही आदमी उपस्थित होते तो दूसरी मीटिंग में आपने यह कर दिया कि कोरम की जरूरत नहीं है तो फिर काहे की हुई। तो फिर यह ग्राम सभा को सक्षम बनाने वाली, प्रभावी बनाने वाली बात क्या हुई। उसमें जो कुछ सरपंच ने चाहा कर लिया। फिर या तो आप उसमें ग्राम की उपस्थिति को ऐसा रखिये कि जो ऐसा लगे कि सचमुच में इसमें पंचायत के मतदाताओं का, या पंचायत निवासियों का इन्वोल्वेमेण्ट है और यदि वह आप नहीं कर सके तो 1/10 कोरम तो वैसे भी बहुत कम और उसके बाद सैकेण्ड मीटिंग के अन्दर बिल्कुल ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई मतलब ही नहीं निकला फिर तो आप जो मर्जी आये वैसे ही करेंगे फिर यह असप्र सक्षम बनाने वाली, यह सब लिखने वाली जरूरत ही नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि प्रशासन की अवधि जो है वह इस अध्यादेश के जरिये आपने एक वर्ष से दो वर्ष कर दी। इस बार मैं मानती हूं कि चूंकि साल भर बीत गया और साल के अन्दर जून से जून के 12 महीने हुए और जून के बाद जितना आप दिसम्बर तक चुनाव जो आप अपनी मंशा के मुताबिक करवाना चाहा तो अभी तो कोई भरोसा नहीं है क्योंकि 17 जून को जब आपने यह अध्यादेश निकलवाया उस दिन पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव आपके पास नहीं आये थे। जब पंचायत के पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं आया उससे पहले अध्यादेश निकलवा दिया तो अध्यादेश का मतलब नहीं था। उसी तरह यद्यपि आपने इन पंचायतों का कार्यकाल तो 3 से 5 वर्ष तक कर दिया किन्तु आपने जो प्रशासक की अवधि 2 वर्ष करके चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ और हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधार इकाई पंचायत है उसमें दो साल लगातार प्रशासक रखेंगे। यह मैं समझती हूं कि प्रजातन्त्र के साथ कुठाराघात है। दिसम्बर तक चुनाव नहीं करा सके यह था। यदि आपका इरादा दिसम्बर में चुनाव कराने का है तो उसे और किसी तरीके के करते लेकिन एक साल से दो साल बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं इस पर पुनर्विचार करें और एक साल का रखें तो उचित होगा।

इसके साथ-साथ एक यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पहले जो को-आप्शन का प्रावधान था उसमें यह होता था कि उस सहवरण के जरिये वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेता था। दो आदमी अपनी मर्जी के लेता था उसके बाद पंचायत का काम ठीक तरीके से चला पाता था अब मान लीजिए आपने सहवरण को तो खत्म कर दिया। एक वार्ड के अन्दर एक सरपंच जीता और एक दूसरा और जीत गया बाकी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उसके खिलाफ जीत जाते हैं तो वह जनादेश लेकर आया है। जिस तरह एम. एल. ए. आता है, विधायक के खिलाफ तो कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव पांच साल तक पास नहीं कर सकता है वह भी जनादेश लेकर आया है चाहे वह थोड़ी आबादी का लेकर आया हो, तो उस डायरेक्ट चुने हुए आदमी को को-आप्शन तो आपने हटा दिया, या तो इसमें यह प्रावधान कीजिए कि उसके खिलाफ भी कोई अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं होगा या इस को-आप्शन को दूसरे तरीके से जारी रखें ताकि वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके पंचायत का काम चला सके वरना आये दिन आप देखियेगा चुना कोई, 6 महीने बाद सिलसिला शुरू होगा अमुक सरपंच हटा दिया गया, अमुक के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और उसके बाद एक मखौल बनकर आपकी पंचायतें रह जायेंगी और पंचायती राज का जो बेसिक यूनिट है वह डिफैम हो जायेगा तो मानकर चलिए कि नीचे का ढांचा ठीक तरह से काम नहीं करेगा माननीय सभापति महोदय, तो ऊपर का ढांचा भी ठीक तरह से काम नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस अध्यादेश के जरिये आपने एक नया प्रावधान किया है वह यह किया है कि सरपंच अथवा उप सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच। दो माह तक कोई मीटिंग ......माननीय सभापति महोदय, मैं डिस्टर्ब हो रही हूं, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य जोर से बोल रहे इसलिए उन्हें कहें कि शान्त रहें।

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। प्लीज केरी आन।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी, यह प्रावधान किया है कि सरपंच या उप सरपंच यदि दो महीने तक पंचायत की मीटिंग नहीं बुला सकता है तो वह अपने पद पर नहीं रह सकेगा। इस बारे में मान लीजिए सरपंच बाहर चला गया दो महीने के लिए। उपसरपंच बीमार पड़ गया तो आप दोनों पर तलवार लटका देंगे या किसी भी एक को क्योंकि दो महीने का समय बहुत अल्प समय है इसको पहले की तरह चार-पांच महीने रखिए क्योंकि दो महीने के अन्दर हो सकता हैं बीमारी की वजह से। बाहर विदेश में नहीं, सरपंच क्यों विदेश जायेगा फौरन यह बात कह देंगे। मान लीजिए विदेश नहीं, किसी प्रान्त में, किसी और काम की वजह से, तीर्थ यात्रा है, घर का काम है, लम्बा बीमार हो, कुछ भी हो सकता है। दो महीने का समय बहुत कम है। दो महीने के समय को मानकर हटाना शुरू कर दिया तो यह चुनाव और चुने हुए आदमी के साथ जबरदस्त अन्याय होगा इसलिए पुनर्विचार करें और इसे दो माह से बढ़ाकर चार-पांच माह करें। चार से कम मत रखिए, नहीं, तो पहले वाली व्यवस्था पांच महीने की करना उचित होगा।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धन्यवाद किस बात का, अभी तो बोल रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अध्यादेश में चूंकि जो कुछ नये संशोधन किये गये है, मुझे अपने आपको उन्हीं तक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सीमित रखना है इसलिए अपने को उन्हीं तक सीमित रखते हुए सरकार से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगी कि इस अध्यादेश को अस्वीकार करें।

श्री सभापति : मैं तो धन्यवाद दे सकता हूं। धन्यवाद। माननीय श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव 17 जून, 1992 को जो पंचायत राज अध्यादेश जारी किया गया उसको अस्वीकार करने के सम्बन्ध में है। मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी अचानक परिस्थितियां आ पड़ी थीं, कौन सा पहाड़ गिर रहा था या कौनसे ऐसे रीजन्स थे जो इन्हें यह प्रावधान लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ा। 17 जून, 92 और 16 सितम्बर, 1992 के बीच में अगर इस अध्यादेश का एक भी प्रावधान लागू हुआ हो, अमल हुआ हो तो समझ में आने वाली बात है लेकिन जब इस अध्यादेश के अनुसार कोई प्रावधान लागू नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ तो यह सांफ बात है कि इस अध्यादेश को लाने का कोई औचित्य नहीं था, यह निरर्थक था और इसे सदन को सर्व-सम्मति से अस्वीकार करना चाहिए।

मान्यवर, वास्तविक स्थिति यह थी कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से इस प्रदेय के जन मानस में एक भ्रम पैदा करना चाहती थी। एक असत्य घोषणा की कि हम चुनाव कराने वाले हैं और चुनाव 15 जुलाई तक हो जायेंगे। यह भ्रम पैदा करने के लिए इस अध्यादेश को लागू किया था और आर्टिकल 213 के तहत राज्य सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उसका भी दुरुपयोग किया गया।

मान्यवर, जितने जोर-शोर से यह सरकार और सरकार के मंत्री 15 जुलाई तक पंचायत राज के चुनाव कराने की घोषणा कर रहे थे, आप विश्वास कीजिए पढ़े-लिखे आदमी नहीं, गांव के प्रबुद्ध वर्ग के लोग नहीं, ठेठ ढाणी में बैठने वाला आदमी जानता था, कहता था पंचायत के चुनाव तो नहीं हो सकते हैं। भ्रम पैदा करने वाली यह बात क्यों की गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सरकारी असत्य, भ्रामक घोषनायें की और उसके प्रति जन मानस का अविश्वास यह बहुत गम्भीर बात है। इससे जन मानस में लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति जो अविश्वास पैदा होता है तो यह स्थिति बहुत मामूली स्थिति नहीं है, यह बहुत खतरनाक स्थिति का संकेत देती है। इस हालत को पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने सहयोग दिया है, सहायता दी है।

मान्यवर, इस अध्यादेश के प्रावधान को हम देखें तो इसमें नया क्या था, इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी। सरकार खुद जानती थी कि हम चुनाव नहीं करा सकते थे, एक मंत्रिमण्डलीय समिति बनी कि पंचायती राज का ढांचा कैसा हो? थ्री टायर सिस्टम हो, टू टायर सिस्टम हो, महाराष्ट्र का पैटर्न लागू करें, कर्नाटक का लागू करें, इसके बारे में पूरी सोच चल रही थी। जब तक पंचायतों के पुनर्गठन की

(श्रीमती मदन कौर)

प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक चुनाव कराना सम्भव नहीं था। आपको चुनाव आयोग ने स्पष्ट राय दी थी कि जब तक पंचायत राज के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाय, उसके बाद भी कम से कम तीन महीने चुनाव कराने में लगेंगे तो असत्य बात सरकार ने क्यों की और इस अध्यादेश को अपने असत्य को लोगों में साबित करने के लिए हथियार के रूप में लिया है इसलिए यह बहुत गलत काम किया है।

इस प्रावधान को देखें तो इसमें नयी बात क्या है? इसमें आम सभा की बात कही है। ठीक है इसको कानूनी जामा पहनाया है लेकिन व्यवहार में तो वैसे ही ग्राम सभायें होंगी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव मैं मानने को तैयार नहीं हूं। महिलाओं के आरक्षण की बात, अनुसूचित जाति, जन जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात है, यह सारी व्यवस्थायें पहले के कानून में विद्यमान थी, इसमें नयी बात कौनसी की है।

परिवार नियोजन की मुख्यमंत्री ने बड़े जोर-शोर से बात की। ऐसा लगा कि बड़ा भारी परिवर्तन आने वाला है लेकिन जब प्रावधान को देखा तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। हां, इतनी बात जरूर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जताया है। बाकी, इससे कोई ठोस असर पड़ने वाला है या जनसंख्या पर कोई रोक लगने वाली है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। इससे बेहतर तो यह होता, आज गांवों में नशीली चीजों का व्यसन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विभिन्न प्रकार की नशीली चीजें गांवों में जाती जा रही हैं। वे न जाने कितनी बीमारियों की जननी बनने वाली हैं। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, अगर आप कुछ ठोस काम करना चाहते हैं इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, तो नशीली चीजों के व्यसन पर पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिबन्धात्मक रोक लगा सकें, इस प्रकार का प्रावधान करें तो निश्चित रूप से पंचायती राज संस्था गांवों में सामाजिक परिवर्तन का एक रास्ता बन सकेगी।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मौजूदा अध्यादेश में आपने न्याय समितियों को समाप्त करने की बात कही है। स्वतन्त्रता संग्राम के समय पंचायती राज व्यवस्था उस सारे संघर्ष का मूल मंत्र बनी। विकास के दायित्व के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया में गांव के लोगों की, पंच लोगों की बैठकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बात थी। आपने इस बात को कहा कि चूंकि ये न्याय समितियां निष्क्रिय पड़ी थीं इसलिए उस सम्बन्धी प्रावधानों को हमने विलोपित कर दिया। पहला सवाल यह है कि अगर ये निष्क्रिय थीं तो क्यों निष्क्रिय थीं? क्या इनको सबल बनाने के कोई प्रयास अब तक किये गये? मैं आज भी यह समझती हूं कि छोटी-छोटी बातों का सही न्याय जो ग्राम स्तर पर हो सकता है वह तहसील में आकर नहीं, थाने में आकर नहीं, किसी जज की कोर्ट में आकर नहीं हो सकता। गांव में बड़ी आसानी से बड़ा अच्छा न्याय हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को आप पुनः लागू करें

(श्रीमती मदन कौर)

और इस चीज को सशक्त करने का प्रयास करें।

लेकिन, मान्यवर, जिस प्रकार का इस सरकार का व्यवहार रहा, यह उम्मीद करना इस सरकार से निरर्थक होगा। जिस सरकार ने पिछले डेढ़ साल से पंचायती राज संस्थाओं को एकदम मृत बना रखा है, उनका सरकारीकरण कर दिया है। मैं समझती हूं इस सरकार की पीड़ा। इस सरकार को यह बेचैनी थी कि प्रधान और प्रमुख इसकी पार्टी के नहीं थे। मैं समझ सकती हूं इस बेचैनी को। तो आप उन प्रधानों और प्रमुखों को हटा देते लेकिन गांवों में पंच और सरपंच को कायम रखना बहुत जरूरी था। उनके अभाव में गांवों में लीडरशिप का एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है और सारा काम सरकारी अधिकारियों के हाथों में आ गया है। आप किस तरह पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना चाहते हैं? आज सुबह प्रश्न काल में एक जवाब था, ग्राम सेवकों का इतना बड़ा अभाव। आप यह नहीं बता सके कि प्रति ग्राम पंचायत आप एक ग्राम सेवक रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक नहीं होगा तो उसका काम सुचारु रूप से कैसे चलेगा? आज हमारे बाड़मेर जिले की स्थिति मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। धोरीमन्ना पंचायत समिति में चार ग्राम सेवक हैं और एक ग्राम सेवक के पास 9 ग्राम पंचायतों का काम है। सिणधरी पंचायत समिति में सात ग्राम सेवक है। और पंचायत समितियों में क्या स्टाफ है? पंचायत समिति में कोई प्रसार अधिकार नहीं। एस. डी. आई. की तीन पोस्ट हैं, एक भी वहां पोस्टेड नहीं, है। कृषि का कोई प्रसार अधिकारी नहीं, पशुपालन का कोई नहीं, अध्यापक नहीं, यहां तक कि पंचायत समिति कार्यालय में क्लर्क नहीं, लेखाधिकारी नहीं। तो फिर कैसे पंचायती राज संस्थाओं को आप सुदृढ़ करना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप अगर पंचायती राज संस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो इसको शक्ति दीजिए, इसको स्टाफ दीजिए, अधिकार दीजिए। सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों को पंचायती राज संस्थाओं पर हावी होने का मौका मत दीजिए। तुरन्त चुनाव कराइये और चुनाव कराकर इन संस्थाओं को चुने हुए जन प्रतिनिधियों के हाथों सुपुर्द कीजिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं, जो अध्यादेश प्रस्तुत हुआ है उसे अस्वीकार करने के अपने संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रातः काल ही जब यह सवाल उठा और भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की कि कारण तो दिये नहीं, परिनियत संकल्प कैसे लाये, मैंने तब भी अन्दाजा लगाया था और जब परिनियत संकल्प के कारणों का कागज ही हमारे पास आ गया तो उससे तो मेरा अनुमान पूरी तरह पुष्ट हो गया। मैंने विरोध इसलिए किया, इसको अस्वीकार करने का प्रस्ताव इसलिए दिया कि यह जो अध्यादेश आया है यह सरकार की नीयत में खोट है दोष है इसलिए पेश किया है। उसी विरोध के लिए इस अध्यादेश को

(श्री नत्थी सिंह)
अस्वीकार करने का प्रस्ताव मैंने दिया। सभापति महोदय, जनतन्त्र में विश्वास रखता है वह हरेक यह चाहता है कि लोकतन्त्र अगर इस देश में मजबूत बनाना है तो पंचायती राज संस्थाओं को तो मजबूत बनाया ही जाना चाहिए। लोकतन्त्र केवल एक शासन पद्धति ही नहीं, हमारी जीवन पद्धति के रूप में विकसित हो, तभी इस देश में हम सही रूप में जनतन्त्र को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन यह जो अध्यादेश लाया गया है, यह बहुत ही विशेष परिस्थितियों में आना चाहिए। मालूम था इनको, विधान सभा अगर 16 सितम्बर को नहीं बुलायी जानी थी तो आठ अक्टूबर से पहले तो जरूर बुलायी जानी थी। नहीं बुलाते, लेकिन मजबूरी थी संवैधानिक कि 6 महीने में बुलायी जाय। और तब ये चुनाव करा नहीं रहे थे। पंचायती राज अधिनियम, पंचायत समिति, जिला परिषद् अधिनियम, इन सबमें परिवर्तन और सर्वांगीण संशोधन लाने की जरूरत इस दृष्टि से थी कि हमारी पंचायती राज संस्थाएं मजबूत बनें। लेकिन वह नीयत इस सरकार की नहीं है। वह सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ नहीं बनाना चाहती। ये जो अध्यादेश लाये हैं यह इनकी स्ट्रेटेजी का एक अंग है। स्ट्रेटेजी यह है कि चुनाव भी हम कराएं नहीं और जनता में छवि भी हमारी बरकरार ऐसी रहे कि ये चुनाव तो कराना चाहे रहे हैं, पर +++ मजबूर हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं इसलिए चुनाव बार-बार टालने पड़ते हैं। जिस दिन से पचायत समितियां, जिला परिषदें भंग हुई, एक महीने में दो बार, कम से कम, मुख्यमंत्रीजी का वक्तव्य जरूर आया कि बहुत जल्दी फलां तारीख को चुनाव करा देंगे जून में करा देंगे। अबके 15 जुलाई की तो हदीस थी। लेकिन हमेशा बढ़ते गये। अभी ताजा-ताजा एक बयान दिया उन्होंने और कहा कि बड़ा मुश्किल मामला इसलिए पड़ रहा है कि केन्द्र ने एक संसदीय बिल पास कर रखा है, उसमें बड़े आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। इसको कर देंगे तो फिर करना पड़ेगा, फिर दुबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। यह कैसे करें? यह अभी कहा, आर्डिनेंस जारी करने के बाद का वक्तव्य है उनका यह। लेकिन कौन नहीं जानता कि पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में जो बिल है वह तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने 1989 में पेश किया था। यह सरकार बनी थी तब भी उसके प्रावधानों का मालूम था। उसके सम्बन्ध में ये बहाने क्यों टटोले जाते हैं? इसलिए मेरा पहला जो विरोध है इस अध्यादेश के सम्बन्ध में, वह सरकार की +++ के कारण है।

दूसरी बात बात जो मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि आप विधान सभा को बाईपास करके आर्डिनेंस के जरिये राज करना चाहते हैं। यह पद्धति क्यों? यहां जब भैरोंसिंह जी साहब बैठते थे विरोध पक्ष के नेता के रूप में, तब हमेशा बड़ी कड़ाई से और सुदृढ़ता से विरोध करते थे इस बात का। आज वे सब भूल गये। कुर्सी जैसे ही आयी वैसे ही चिपक गये। मैं जानता हूं, सभापति महोदय, जिस दिन से सरकार बनी थी, हम भी उस सरकार में भागीदार

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थी सिंह)

थे। उस दिन से सरकार की और सरकार का साथ देने वाले कुछ लोगों की यह व्यग्रता थी कि पंचायती राज संस्थाओं को भंग करें। हम लोगों ने दृढ़ता के साथ विरोध कि नहीं, चुनी हुई संस्थाओं को भंग नहीं किया जाना चाहिए। पहले उनको अधिकार दो। कमेटी बनी एक। मैं भी उस कमेटी में था यह तय किया, बहुत जोर से यहां पर बात उठायी गयी थी। सदन के बहुत से माननीय सदस्य उस बात के हामी थे, संयोग से या दुर्भाग्य से या दुर्भाग्य से मैं उस बात का समर्थक नहीं हूं आज भी। यह बात उठायी गयी थी....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पाइण्ट आफ आर्डर, सर। क्या यह ब्रीच....?

श्री नत्थी सिंह : नहीं है कोई ब्रीच।

श्री रघुवीर सिंह : यह केबिनेट की बात यहां कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय नत्थी सिंह जी, सुन तो लीजिए। पाइण्ट ग्राफ आर्डर है। बोलिये, क्या पाइण्ट आफ ग्रार्डर है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कह दिया मैंने। केबिनेट की बात जो कि गोपनीय रहती है उसको सदन में कह रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : मैं केबिनेट की बात नहीं कह रहा, ग्रापकी बात कह रहा हूं। आप लोगों ने एक बात यह उठायी थी कि यह पंचायती राज संस्थाओं को जो शिक्षा दे दी गयी है, उस शिक्षा को वापस लिया जाय। बड़े जोर से बात उठायी गयी थी। मैं विशेष तौर से उस बात का विरोधी था कि नहीं, पहले पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार तय करो कि क्या उनको अधिकार होंगे। अगर जनतन्त्र को सफल करना चाहते है, तो हमको इस बात का फैसला करना ही पड़ेगा कि गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत करेगी, पूरा। और पंचायत समिति जिला परिषद का प्रशासन पंचायत समिति और जिला परिषद को देना होगा। वह कलक्टर नहीं, रण्टायर फण्ड्स कलक्टर के पास, और कोई दूसरी बात कलक्टर के पास। आप आमूलचूल परिवर्तन कीजिये। खैर, वह कमेटी अभी चल रही है। अभी दूसरा मिनिस्टर है उसमें। कमेटी ने दौरे भी किये हैं लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो यह आर्डिनेंस लाई है आधे-अधूरे मन से, शिक्षा तो ले ली, मिडिल की शिक्षा ले ली पंचायतों से और कह दिया कि शिक्षाधिकारी ज्यादा कण्ट्रोल करेंगे। ये कभी नहीं कर सकते हैं, मेरी आज भी मान्यता है। इसलिये कि क्या वे बिना पढ़े-लिखे लोग हैं। जो लोग हैं हर जिले में, वे कण्ट्रोल नहीं कर सकते लेकिन जो स्पाट पर हैं, वह ही ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यह खराबी किसमें नहीं है ? आपका राज बहुत बढ़िया चल रहा है ? केन्द्र का राज बहुत बढ़िया चल रहा है ? कहीं खराबी नहीं है ? इस मापदण्ड पर जो शिक्षा पंचायत राज से ली गई, यह बहुत ही गलत काम हुआ है। यह दिखाता है सरकार की संकल्प और निष्ठा का अभाव पंचायती राज संस्थाओं में है। वे पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत नहीं बनाना चाहते इसलिये यह अध्यादेश भी लाये हैं और जो आज बिल का रूप ले रहा

(श्री नत्थी सिंह)

हैं, वह भी आधे-अधूरे मन से लाया गया है। आधे-अधूरे मन से लाये, अर्जेंसी भी नहीं, आर्डिनेंस के जरिये लाये। विधान सभा आ रही थी, आप पूरा समग्र बिल लाते, इस विधान सभा में उस पर पूरी चर्चा करते और जरूरत पड़ती तो सलेक्ट कमेटी को जाता और तब वह पूरा बनता, चुनाव भी होते। आप चुनाव की बात कह रहे हो, अभी हमारे मुख्य मंत्री महोदय बयान भी देना चाहते हैं और बयान देंगे। मेरा आज यह सवाल था। सभापति महोदय, उस सवाल का जवाब दिया है आपने आज। मेरा सवाल था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब तक करा देंगे। जिला परिषद और पंचायत समितियों में भी आपने प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं। जी हां, और आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 15 दिसम्बर, 1992 तक करा दिये जाने के निर्देश निर्वाचन विभाग को दिये जा चुके हैं। किनके पंचायत राज संस्थाओं के। मैं पूछना चाहता हू अपने जवाब में बता दें मुख्य मंत्रीजी पंचायत राज मंत्रीजी, पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम पचायत भी है, पचायत राज संस्थाओं में पचायत समिति भी है और पंचायत राज संस्थाओं में जिला परिषद भी है, क्या 15 दिसम्बर तक इन सब के चुनाव करायेंगे? जवाब तो यह है कि पंचायत राज संस्थाओं के। पंचायत राज संस्था का मतलब केवल ग्राम पचायत तो होता नहीं। मैं डेफिनेटली कह सकता हू इस पवित्र सदन में कि आप जिला परिषद और पचायत समितियों के चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं रखते। कभी नहीं रखते। इसलिये नहीं रखते, मैं कहता हूं कि सरकार की नीयत में खोट है और खोट इसलिये है, एक बात छेड़ी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोर से, मुख्य मंत्रीजी नारे उछालने में बहुत पारंगत है इनके सहायक भी ऐसे हैं जो नये-नये नारे गढ़ कर लाते हैं, इन्होंने नारा उछालना एक तो सारे हिन्दुस्तान में वाहवाही लूटने के लिये कि नई परिवार नियोजन करना है इसलिये जिसके दो से ज्यादा बच्चे हों, उसको चुनाव में खड़े होने की इजाजत नहीं दी जायेगी। पहले यह था, शुरू में। एक दिन मे मिला, मैंने कहा कि कानून में और विधान सभा में इसका क्या बनेगा? आप, बहुत अच्छा है, जनसंख्या नियन्त्रण के लिये कह रहे हैं, यह चलेगा क्या? उन्होंने कहा, नहीं चलेगा, अब दुबारा सोच रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी ने बड़ी प्रशंसा की है, हमको चिट्ठी भी लिखी है। नहीं, यह तो सही है, प्रमाण-पत्र दे दिया आपको लेकिन फिर कहा कि अच्छा, ऐसा करते हैं हम कि अब जितने बच्चे हैं, आइन्दा ज्यादा नहीं हों उस पर नियन्त्रण लगाते हैं, जो इसमें इन्होंने किया, यह आर्डिनेंस में, यह प्रावधान आपने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत वास्तव में इसको लागू करने की है तो जिस वक्त नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे थे, आप सो रहे थे? नहीं, नगरपालिका के चुनाव में आशा थी कि भा. ज. पा. जीतेगी इसलिये वहां तो चुपचाप चुनाव करा लिये पर यह ग्राम पचायत, पंचायत राज संस्थाओं में अपनी गति नहीं है इसलिये ऐसी उलझनें डालो कि कोई सिरफिरा अगर अदालत में चला जाय और स्टे ले आयें ....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, व्यवधान न डालें।

श्री नत्थी सिंह : यही बात आप कहते थे, मुझे छेड़ों मत, यही बात आप कहते थे बड़े जोर से कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव जिस वक्त होंगे, व सहकारी बैंकों के चुनाव जिस वक्त होंगे, ये सब धराशाही कर दिये जायेंगे। अब नहीं है। सवाई माधोपुर में 4-5 के मुकाबले आये हो मेरे यहां तो चुनाव कराने की हिम्मत ही नहीं पड़ी आप लोगों की। लेकिन 23 में हुए हैं और 22 में धराशाही हुए हो। क्या जवाब दे रहे हो? 22 में भा. ज. पा. नाम की चीज नहीं रही है।....(व्यवधान) वह खो गई, बैठ गई, नष्ट हो गई। इसलिये साबित हो गया है कि जनता में जाने की... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : इससे + + + हो नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : आप बिराजो। (व्यवधान) मैं जानता हूं जो आपकी औकात है।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री परसादीलाल मीणा : इस्तीफा दे दीजिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : इनकी तो शुरुआत को आपरेटिव से है और अन्त को-आपरेटिव से है। विधान सभा, लोक सभा और पंचायतें, इनसे आपको कोई लेना-देना नहीं है।....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्ति से सुनिये।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन लोक सभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवानी यह गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन कर दिया जाय कि दो बालक से ज्यादा जिसके होंगे, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है यह हिम्मत करो लाओ तब तो पता चलेगा कि तुम्हारी नीयत कितनी साफ है और स्ट्रेटेजी कितनी है? कोई चला जाय हाई कोर्ट में और स्टे ले आये इसी बात पर, पंचायतों के चुनाव रुक जाय और अपने कार्यकाल में पंचायतों के चुनाव नहीं हो, यह स्ट्रेटेजी है इस संशोधन के पीछे। संशोधन के पीछे स्ट्रेटेजी है, और कोई बात नहीं। आपकी नीयत साफ नहीं है। आप साफ शब्दों में कहिये और नहीं तो निश्चित रूप से चाहे विधान सभा हो, चाहे लोक सभा हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायत राज संस्था हो, सब में यही प्रावधान होना चाहिये जो प्रावधान आप यहां लाये हैं और जब तक यह नहीं लाये तब तक आप केवल ग्राम पंचायत और पंचायत राज संस्थाओं को छांट करके लाये है, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य, नगरपालिका में यह प्रस्ताव छप गया है।

श्री नत्थी सिंह : चुनाव करा दिये तब।

श्री भंवरलाल शर्मा : राज्य सरकार तो यही कर सकती है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अभी तो चुनाव होने हैं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री नत्थीसिंह : अभी थोड़े से रह गये हैं। अभी वहां रह गये हैं आपको आशा नहीं है। जहां आशा थी, वहां करा लिये। जहां आशा नहीं है, वहां ले आये हो।

तो मैं यह कहता हूं कि आप तो लाइये। लोक सभा और विधान सभा में करिये, हम इसका स्वागत करते हैं। जनसंख्या के लिये कोई इस तरह का कानून लाये लेकिन पालिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं। यह पॉलिटिकल बिल होनी चाहिये ईमानदारी के साथ। वह नहीं।

और मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात.... (व्यवधान) बैठिये आप। आपको कोई पूछे नहीं, ताछे नहीं, आप भी बोल रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री नत्थीसिंह : आपको तो सेक्रेटरी ही आपको मिनिमाइज़ कर देता है। आप क्यों बोलते हो बार-बार ? (व्यवधान) कोई पूछता-ताछता है नहीं, बेकार बोलते हो (व्यवधान)....

तो मैं कहना चाहता हूं कि विधान पर अंकुश लगाकर, विधान सभा के अधिकारों को कुंठित करने के लिये, जनतन्त्र की मूलभूत संस्था के अधिकारों को छीनने के लिये बिना वजह, अकारण ही, कोई एजेन्सी नहीं, फिर आप अध्यादेश के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान लाते हैं, यह बिलकुल गलत है और नीति विरूद्ध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरूरत क्या थी ऐसा कानून बना दिया। कभी विचार किया इस बात पर कि आपने जो प्रावधान कर डाला, प्रावधान यह है, पहला तो यह कि हमें इलेक्शन करने हैं और डाइरेक्ट पद्धति की वजह से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसके लिये असाइन किया है। अब तक हम करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से अब कानून में प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिये आर्डिनेन्स की जरूरत थी क्या ? नहीं थी। यह बिना आर्डिनेन्स लाये ही आप कर सकते थे।

आपने कहा है कि हम ग्राम सभाओं को मजबूत करना चाहते हैं समय पर उनकी मीटिंग्स होनी चाहिये, समय पर डिसकस होना चाहिये नहीं तो हम सरपंच को हटा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, विशेष तौर से पंचायत राज मंत्री से, आप प्रधान भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं, आपको मालूम है सन् 1959 में इसी राजस्थान का जो कानून था पंचायत राज का, कितनी ताकत थी पंचायत राज संस्थाओं को ? नौकरशाही पर अंकुश था, मिनिएचर विधान सभाएं थीं। पंचायत समिति और जिला परिषद में हर महीने डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर को आकर सदस्यों के सवालों का जवाब देना पड़ता था, लेकिन वह सब हवा हुए, कांग्रेस के राज में ही संशोधन हो गये, आफिसरों से यह ही दब गये तो। पर आपने तो कर दिया कमाल। उन्होंने किया था यह कि चुनाव नहीं कराये, जो एक बार चुन गया, हमारे पण्डित राम किशन जी जैसे महानुभाव तीन बरस के लिये चुने गये और 13 बरस रह गये। उन्होंने तो यह किया। लेकिन आपने तो गजब कर लिया, नाम का

+ + × अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नत्थीसिंह)

भी प्रतिनिधित्व नहीं। सबको मिस मार कर सरकारी नौकर बिठा दिये और सरकारी नौकर के हाथ सारी शक्ति दे दी। और चुनाव आप करायेंगे नहीं। आप चुनाव करायेंगे नहीं पंचायत राज संस्थाओं के, यह आपकी नीति साफ झलकती है।

मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि हमारे मंत्रीजी एलान करें कि पंचायतों की, पंचायत समितियों की और जिला परिषदों की तिथियां घोषित करें। नहीं करेंगे ये, क्योंकि उसके लिए तो 2 बच्चों तक का कानून बना रहे थे, अब रोज अखबारों में बयान छपते हैं। मैं कह रहा हूं कि मंडल पंचायत बनेगी पंचायत समितियों की जगह और एक दिन में ही पंचायत समिति और जिला परिषद् के भी चुनाव हो जायें, पंचायत चुनें और सरपंच चुनें और वोट वहीं डल गए। ये हमारे पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये पंचायत राज मंत्री रहे हैं—कहीं कानून है, कानून मंत्री बैठे हैं श्री शान्तिलालजी चपलोत साहब, कहीं यह कानून अब तक बना है कि वोटर लिस्ट सायां नहीं हो, पता यह चले नहीं कि मतदाता कौन हैं, कौन इलेक्टोरल कालेज बने नहीं और चुनाव हो जायेंगे, मजाक है ये। कैसे चुनाव हो जायेंगे, कौन है मतदाता, जब तक आप यह पंच चुनेंगे नहीं, सरपंच चुनेंगे नहीं, बाकायदा नोटिफिकेशन होगा नहीं, इलेक्टोरल तब बनेगा। आप कहते हैं कि नहीं, पंचायत के चुनाव के ही वोट डल जायेंगे। कैसे डल जायेंगे। कोई ऐसा कानून है, कानून नहीं बना सकते हैं, सब गैर कानूनी, यह तो हवा में उछालने की बात है। और यह बताती है कि आपकी नियत साफ नहीं है। कैसे आप ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने की बात करते हैं, कैसे ग्राम सभाएं मजबूत बनेंगी, मीटिंग करने से ग्राम सभायें मजबूत बन जायेंगी? नहीं बनेंगी, क्योंकि ग्राम सभा कानून आज भी है, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का प्रावधान आज भी है.... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : जैसे घोटाले भरतपुर में हो गए, वैसे नहीं होंगे।

श्री नत्थीसिंह : आज भी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का कानून है, आज भी बी. डी. ओ. तक उस मीटिंग में हाजिर रहेंगे—यह प्रावधान है ग्राम सभा की मीटिंग में, विकास अधिकारी उपस्थित रहेगा यह आज भी है। फिर क्यों नहीं होती है ग्राम सभा की मीटिंग? वह इसलिए नहीं होती है कि पंचायत राज संस्थाओं को आपने पंगु बना रखा है। दिलचस्पी तब होगी जब उनको अधिकार होंगे। आप दीजिए ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार; अपने गांव और अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी शक्ति दीजिए; उसमें शक्ति हो. फाइनेंशियल पावर्स भी हों, उनकी वैधानिक अधिकार हों, अपने आप उपस्थित होंगे; अपने आप ग्राम सभा मजबूत होगी, अपने आप उपस्थित होंगे। वह तो करेंगे नहीं, केवल कागजों में प्रावधान करने से कुछ नहीं होगा।

आपने दूसरी बात कही की सरपंचों को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? यह तलवार लटका रहे हैं सरपंचों के ऊपर। देने को तो भट्ट की

(श्री नत्थीसिंह)

भूसी भी नहीं है – आपके पास, कुछ नहीं– "सूत न पौंरी और पौरियों में लट्ठम-लट्ठा । यह हो रहा है हमारे यहां कुछ तो दो पंचायतों को ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नहीं है । मैं करेक्ट कर दूं ।

श्री नत्थीसिंह : यही है । समझ जायेंगी अपने आप । आपको बहुत दिन हो गए भरतपुर छोड़े इसलिए पता नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रावधान लाए हैं इसकी बजाय यह प्रावधान लाना चाहिए था कि पंचायत राज संस्थाओं को यह डेफिनेट अधिकार हम दे रहे हैं जो और कई प्रदेशों में है, चाहे कर्नाटक में है, चाहे बंगाल में है, चाहे केरल में है, चाहे गुजरात में है जहां पंचायतें और जिला परिषदें सही मायने में चल रही हैं, क्योंकि वहां पर जो अधिकारी है सी. ओ., वह कलक्टर से सीनियर आफिसर होता है । सारी पावर्स जिले के विकास की जिला परिषद् को होती है । आप संशोधन करना चाहते हैं तो वह भी साथ ही लाते । वह साथ में नहीं लाये । इसलिए आप नहीं लाए, केवल ग्राम सभा के सरपंच को हटाना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, दो महीने में गैर हाजिर रहेगा तो साथ-साथ पंच-सरपंच को हटा देंगे । आपने एक प्रावधान इसमें रखा है । इस आर्डिनेन्स में जहां प्रावधान किया है कि सरकारी अधिकारियों पर पंचायत राज संस्थाओं का नियन्त्रण रहेगा यह तो किया नहीं पंच और सरपच को हटाने की बात करते हैं आप तो । उन्हीं पर तलवार लटकाते आप तो । आप तो इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करिए, पूरा संशोधन लाइए, पूरी शक्ति दीजिए और उनको सक्षम बनाइए । यह बात चल रही है इनको फाइनेंशियल पावर्स दीजिए, फाइनेंशियल कमीशन बनाया जाय, जो आज तक नहीं बना । पंचायत राज संस्थाओं को ऊपर से नीचे तक मजबूत बनाने का कानून आप लाइए, उस पर विधान सभा में पूरी बहस करवाइए, माननीय सदस्यों के विचार लीजिए. आपको मदद मिलेगी इससे, अच्छे सुझाव मिलेंगे, अच्छा कानून बनेगा । 1959 के बाद धीरे-धीरे करके इस कानून का सारा कचूमर निकाल दिया, अब कुछ रहा नहीं । जब किसी अफसर से पूछते हैं, तो वह कहते हैं कि साहब यह प्रावधान तो यह है । प्रावधान कागजों पर है लेकिन क्रियान्विति कभी नहीं होती है । इसलिए जरूरत तो इस बात की है, सभापति महोदय, समग्र रूप से संशोधन लाने का बिल लाया जाता और यहां पूरी चर्चा होती । अब भी कोई समय गया नहीं है, 3–4 दिन और बढ़ा दीजिए असेम्बली का समय । इसको तो वापस ले लिया जाय । नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सब मिल कर इसको अस्वीकार कर दीजिए, लच्चर बेस, बेकार का अध्य देश है, कोई इससे खास फायदा नहीं है और फिर सोचिए । जैसा अभी कह रही थी माननीय सदस्या श्रीमती मदन कौर, यह कल्पना तो ऐसी थी कि ग्राम पंचायतें जो होगी वह निश्चित रूप से हमारे गांव के झगड़ों को निपटाने की संस्थाएं भी होंगी लेकिन यह तो हम करना नहीं चाहते हैं हम तो उनको पालिटिकल अखाड़ा बनाना चाहते हैं । पालिटिकल अखाड़ा नहीं है हम उन्हें गांव की काया परिवर्तन का आधार बनाएं, उपाय बनाएं

(श्री नत्थीसिंह)

इसके लिये पूरे अधिकार इनको दें। तभी काम चलेगा। आज क्या हो रहा है, मन में तो माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, आप भी जब सोचते होंगे, जानते होंगे कि जवाहर रोजगार योजना का जो पैसा जा रहा है उसका बंटवारा पंचायत समिति के दफ्तर में ही हो जाता है। बहुत कम जाता है गांव में। इसलिए आप कार्य क्या कर रहे हैं, किसको मजबूत बनाना चाहते हैं इस कानून के जरिए। मैं कहना चाहता हूं कि इसको आप वापस लीजिए और पूरा कानून लाइए, विधान सभा का 3 दिन का सत्र बढ़ाइए और पूरा कानून बनाइए और जिला परिषदों तक के चुनाव करवाइए। यह नहीं कि मण्डल-कमण्डल का झगड़ा आप कर लें, बहुत कर लिया, आप भी पंचायत समितियों में मण्डल-मण्डल करने लग गए हमारे मुख्य मंत्रीजी... फिर बढ़ा देना कोई बहाना करके ...(व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आप कह रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : मंडल कमेटी को कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने तो अभी मण्डल-कमण्डल कहा है, आप कैसे बोलते हैं?

श्री नत्थीसिंह : हां, मण्डल को कमण्डल खा गया। दूसरे मण्डल को आपका कमण्डल निगल गया। यही तो है, और क्या है, झगड़ा ही सारा यही है।

श्री सभापति : कृपया सीधे बात न कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप-अपने उद्देश्यों के प्रति इतने अपमानजनक ढंग से बोलते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री नत्थीसिंह : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)....

श्री सभापति : आप जरा जल्दी समाप्त कीजिए। बहुत लम्बा हो गया है।

श्री नत्थीसिंह : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके जरिए यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को आप स्वयं वापस लें, नहीं तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सर्वसम्मति से इसको अस्वीकार करें-और सरकार को मजबूर करें कि विधान सभा के सामने सर्वांगीण विधेयक लेकर वह आए।

श्री सभापति : धन्यवाद।....(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है।....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, सदन का समय निश्चित समय के लिए बढ़ाया जाता है घण्टा, दो घण्टे; ये इस तरह से सदन का समय....(व्यवधान)....

श्री सभापति : नहीं, ऐसे ही बढ़ाया जाता रहा है। कृपया व्यवधान न डालें। माननीय श्री केदारनाथ शर्मा।..(व्यवधान)... कृपया बिराजिए। पहले भी ऐसा हो चुका है। अभी आप बिराजिए। ऐसा कई दफा हो चुका है। (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, यह गलत परम्परा है।

श्री सभापति : यह सदन की परम्परा है। (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं है परम्परा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है. (व्यवधान)....

श्री सभापति : सदन की यही परम्परा रही है इसलिए आज इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय श्री केदारनाथ शर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुन लीजिए, हमारा निवेदन करना यह है कि.... (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय मुख्य सचेतक महोदय को मालूम नहीं है. ये खुद नए हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : यदि 15 घण्टे तक सदन की कार्य–सूची पूरी नहीं हुई तो क्या कल तक के लिए बढ़ेगा ?

श्री सभापति : हां, ऐसा हुआ है कि कल तक भी बैठे हुए हैं। माननीय श्री केदारनाथ शर्मा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उन्हें एक-एक घण्टे के लिए समय बढ़ाना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया बिराजिए। काफी समय हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आइन्दा के लिए आप कहें कि इस तरह से ना करे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापतिजी, परम्पराओं का कोई उल्लंघन नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता ही नहीं है कि क्या परम्परा है।

श्री रामनारायण वर्मा : उल्लंघन तो आप करते रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परम्पराओं का ध्यान ही नहीं रखते हैं आप।

श्री सभापति : कृपया, माननीय कल्ला साहब, निवेदन है कि इस तरह से व्यवधान न डालें। बिराजिए आप, मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति।

(श्री सभापति)

बिराजिए आप। अब तक मेर हाजिर थे क्या आप?

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : सभापतिजी, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बड़े अच्छे आरग्यूमेंट्स दिये हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। अगर यह अध्यादेश न आता तो हमारी ग्रामीण लाइफ में कौन सा ऐसा विकास का काम था जो रुक जाता, ऐसी कौन सी ईमरजेंट सिचुएशन पैदा हो गई कि इस आर्डिनेन्स को आपको लाना पड़ा, कोई औचित्य नहीं था। मैं ज्यादा आरग्यूमेंट्स नहीं देना चाहता हूं।

सभापतिजी, 64वां कान्स्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट पेश हुआ था लोक सभा में पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीवजी का कुछ हालत ऐसे थे कि वह अमेण्डमेंट पास नहीं हो पाया। उसमें पंचायतों का भी था और म्युनिसिपेल्टीज के बारे में भी था। वह अमेंडमेंट आप 74वें अमेंडमेंट के रूप में लाए हैं। लोक सभा में एक सलेक्ट कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी लेकिन साया नहीं हुई है। उसका कुछ पार्ट्स अखबारों में पढ़ने को मिला है। उन्होंने, पंचायत समिति और जिला परिषदों का मोड़ आफ इलेक्शन है, वह बेसिकली बदल दिया है। हमारा यह मौजूदा आर्डिनेंस है इसके बाद मैं इसको रिप्लेस करेगा बिल। वह सारी वही बातें हैं। पर हम 6 माह बाद मीटिंग करेंगे। हो सकता है इलेक्शंस हो जायें। हम सारे अंधेरे में रहेंगे कि आखिर मोड आफ इलेक्शन क्या होगा। पंच, सरपंच से लेकर वही रख दिया है। यह बात ठीक है, कोई चिन्ता नहीं है। मगर पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में आपका क्या सोच है? इसमें यह कहा गया है, सभापति जी, कि पंचायत समिति की अलग कान्स्टीट्युएन्सी बनी हुई है और जिला परिषदों की अलग बनेंगी और डाइरेक्ट चुनाव होगा। और इन पंच सरपंचों का कोई उपयोग नहीं होगा। बड़ा कम्बरसम हो जायेगा सभापति महोदय, इसके बारे में मेरी यह राय है कि जिस दिन पंच-सरपंच का चुनाव हो उसी दिन पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषदों के प्रमुख का चुनाव हो। अगर हम चाहते हैं कि मेन इन दी स्ट्रीट इलेक्शन में आ जाये, यहां की सोशियल लाइफ की लीडरशीप कर पाये, सिवाय इसके आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सोचता हूं कि हमारी मौजूदा सरकार इस ओर सोचेगी।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसको अस्वीकार करने के पक्ष में हूं। मगर कुछ बातें आपने अच्छी की है, बधाई हो। हमारी सब कमेटी बनी केबिनेट की, कुछ स्टेट्स में गई, उन्होंने अपने सुझाव दिये और आपने उनको एडॉप्ट कर लिया, बिल्कुल, लाइफ आप उनको देना चाहते हैं। कुछ काम की बात की, रिपरकशन्स की बात की आपने, सरपंचों पर पाबन्दी लगा दी। दो माह में आप उसकी मीटिंग्स बुलाओ, यह भी कहा कि बजट पेश हो उसमें अगर पास ना हो तो बजट लागू ना हो। एडमिनिस्टेटिव रिपोर्ट पेश हो। लोगों में पंचायत राज के प्रति जो उदासीनता हुई थी उसको दूर करने के लिये आपने सुझाव दिये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। कुछ और इम्प्रूवमेंट्स कीजिये क्योंकि हम देखते

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हैं सभापति महोदय, समस्याओं का समाधान होगा। पंचायतों में कोई पंच-सरपंच नहीं था, कोई आदमी इनीसियेटिव लेने वाला नहीं था इसलिये सारा फ्लाप हो गया सारी आपकी एनर्जी, सारा आपका पैसा सारी मशीनरी को जो डिप्लाय किया था वह बेकार हो गई. कोई फायदा नहीं मिला। जो पावर्टी रिमूव करने के लिये मेजर्स उठाये, सेन्टर से पैसा मिला. इसका फायदा नहीं उठाया। 10 लाख दिये और तीस प्रतिशत....(व्यवधान)... जो वहां से मिला उसका 1/3 भी खर्च नहीं हुआ। 100 करोड़ रुपया जवाहर रोजगार योजना में सेन्टर से मिला. अभी तक चालीस लाख रुपये रिलीज हुये हैं और चालीस लाख में से केवल बीस लाख खर्च हुआ है। बाकी बेकार पड़ा है, कोई खर्च नहीं हुआ। हमें पांच लाख रुपये दिये वह भी खर्च नहीं कर पाये देहातों के विकास का काम स्टेनस्टिल हो गया। सभापति महोदय, मैं एक बात और कह रहा हूं, देहातों के डवलपमेंट में एक डिस्टारशन पैदा हो गया। देहात की सोशियल लाइफ में अलग-अलग रूझान पैदा हो गया, और बड़ा गलत तरीके से रूझान पैदा हो गया। सम्बन्ध बिगड़ गये। इसका क्या स्टेप उठा रहे हैं? यह ठीक है आप ग्राम सेवकों की टर्म पांच साल की कर दोगे, आपने कुछ औरतों के लिये 1/3 सीटें रिजर्व कर दीं तो आप बेचलर्स के लिये भी बन्दोबस्त करिये, आप एस. सी. के लोगों को आबादी के लिहाज से कुछ सीट्स दे दोगे जहां वह सरपंच बने, यह अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी हैं। फैमिली प्लानिंग में आपने अच्छा किया, आप स्ट्रिक्टली कीजिये कि जिसके दो बच्चे से ज्यादा हैं वह खड़ा नहीं हो पायेगा। यह नेशनल प्रोगाम है उसमें आपने एक फिलिप दिया है, एक प्रोत्साहन दिया है। दूसरी स्टेट भी आपको फॉलो करेगी कि राजस्थान ने अच्छी शुरुआत की है। यह बात आपकी सब ठीक है मगर आप देखिए-इकॉनामी में आप कर रहे हैं। पावर्टी रिमूवल के लिये जो मेजर्स आपने उठाये हैं आप पर कितना असर पड़ा, कितना उसका फायदा हुआ, कितने लोगों को फायदा हुआ। काफी बातें मेरे साथी सदस्य ने कह दी है। मोड आफ इलेक्शन, पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का, अगर आप मण्डल लेना चाहते हैं, बलाऊ कर दो आप। मेरी आपसे एक्सपीरियंस के आधार पर पर्सनल राय है कि जिस दिन पंचायत के पंच, सरपंच का चुनाव हो उसी दायरे में बैठ करके यू शपथ ग्रहण करें एक बाक्स उसके पास हो, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव भी हो जाये और वही सरपंच जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव लड़े। अगर आप चाहते हो करेप्शन नहीं हो, मनी बेग बन्द हो, माफिया गैंग बन्द हो तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान की सोशियल लाइफ में एक नया चेन्ज आप लाओगे। इन बातों को कहते हुए इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, इस सदन की लेजिस्लेटिव पावर है कानून बनाने की। 8 अप्रेल को दो बिल इन्ट्रोड्यूज करना चाहते थे प्रभारी मंत्रीजी, उन्होंने इस सदन पर बहुत असीम कृपा की है कि एक का तो आर्डिनेन्स उन्होंने

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रमोलगेट गवर्नर साहब से करवा दिया अन्दर आर्टिकल 213 लेकिन दूसरा जो बिल यहां सर्कुलेट हुआ था सदन में, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 को और संशोधित करने के लिये विधेयक, बड़ी कृपा की है कि लेजिस्लेचर की पावर्स इन्होंने स्लाइट नहीं की है, छीने नहीं है ओर शायद उस सम्बन्ध में जब कभी भी संशोधन की आवश्यकता होगी, मंत्रीजी इस सदन की उपेक्षा नहीं करेंगे। आर्टिकल 213 बहुत क्लियर है। सभापति महोदय, आर्टिकल 213 यह कहता है—

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both House of the Legislature are in session...." Jab donon session mein nahin hon, "... the Governor is satisfied...." The Governor is always satisfied with the advice of the Council of Ministers, "... that the circumstance exist...." aisi paristhitiyan aur aadhar maujood hain upasthit hain, "....which render it necessary for him...." Governor ke liye apariharya hain, "....for him to take immediate action...." aur turant karyavahi karna aroori hai, otherwise the heavens are going to fall,...."he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require,"

(4.56 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आर्डिनेन्स प्रमोलगेट करवाया है गवर्नर साहब से इन्टर सेशन पीरियड में, जो लेजिस्लेटिव पावर हिन्दुस्तान में कान्सीच्यूऐन्ट असेम्बली ने गवर्नर को कन्फर की है, वह इसलिये करवाया है कि इमीजियेट सरकम स्टान्सेज है जिसकी वजह से बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत प्रभारी मंत्रीजी से और पंचायत राज मंत्रीजी से, जो पहले पंचायत राज संस्थाओं में काम कर चुके हैं, काफी अनुभवी है, आप मुझे बताइये के आर्डिनेन्स कौनसे प्रावधान के ऊपर आपने एक्शन किया है 17 जून से लेकर आज तक ग्राम पचायतों का एस्टेबलिशमेंट अण्डर सैक्शन 386 है उसमें कोई अमेण्डमेंट नहीं है। आपने जो आबिट्रेरी पावर्स दे रखी है पंचायतों को सस्पेण्ड करने की और सरपंचों को रिम्यू करने की, उसमें कोई अमेण्डमेण्ट नहीं किया है। आपने ग्राम सभा में नया चेप्टर बनाया है। क्या मैं आपसे जान सकता हूं अगर ग्राम पंचायतें, ग्राम सभायें पहले नहीं होती थी या ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें आपने रीडेन्डेन्ट किया। इस प्रावधान में भी कर सकते थे सैक्शन 23 (ए) के अन्तर्गत। यहां यह प्रावधान है कि उसमें ग्राम सभा बुलाई जा सकती है। इसके लिये क्या कोरम होगा। सभा के जो मेम्बर्स इलेक्ट हैं वह ग्राम सभा में उपस्थित होंगे, साल में दो बार आयेंगे। यह सब

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रावधान थे और उसी को इस पीरियड के अन्दर आपने रिजर्वेशन किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रावधान तो थे लेकिन उनका पालन कितना होता था।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। इसको आप टालम टोल मत कीजिये। मुख्य मंत्रीजी, आप इसको साइट-ट्रेक करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक-एक पाइन्ट का जवाब देऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप जवाब क्या देंगे, आपके पास जवाब है ही नहीं। I am confining myself to the promulgation of the Ordinance only.

Shri Bhairon Sing Shekhawt : That is right.

(5.00 म. प.)

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे यह बतायें कि इस पीरियड के अन्दर जब आप रिप्लेस बिल से कराना चाहते हैं, कोई न कोई एक्शन लेने वाली बात है, आपने कौन सा एक्शन लिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूंगा बाद में।

श्री परसराम मदेरणा : आप बता दें तो इनका पोर्टफोलियो भी चेंज कर दीजिये। मंत्रीजी बतायेंगे, प्रभारी मंत्रीजी हैं, आप बीच में....आप बता देंगे। आप क्या बता देंगे। आप तो जो हैं, यही तो मैं सुबह कह रहा था। आपने कहा कि नहीं, एक को जो है सिंगल आउट किया है। मैंने एक को सिंगल आउट नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता देऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : ये पास में देख रहे हैं कुटर-कुटर, जिस वक्त आप खड़े होकर जोर से यहां बोलते हैं तो मैं समझता हूं, तब आप पीछे देखते हैं तो उनको लगता है एक मिल गया नहीं तो हम मारे जाते सब। इसलिये मैं निवेदन यह कर रहा था, आप मुझे बताइये कि आपने एक एक्शन लिया है ? ग्राम पंचायतों का, वार्डों का गठन अभी हुआ नहीं है, पुनर्सीमन हुआ नहीं है इसलिए रिजर्वेशन जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपकी आर्डिनेन्स इश्यू कराने की जरूरत क्या थी। वीमेन का रिजर्वेशन अगर आपने किया है, इसमें भी अभी तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की। अभी तक वार्डों का परिसीमन भी नहीं हुआ है और जब वार्ड्स का पुनर्सीमन नहीं हुआ है तो ना तो रिजर्वेशन आपका एस. सी. का है और न ही वीमैन की रिजर्वेशन की बात है। यही एक प्रावधान नया डाला है आपने, और तो कोई प्रावधान नया डाला नहीं है और आपने ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अपनी सीट से बोलिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह कहने के लिए आया था कि मैं जा रहा हूं। अब आप चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। और क्या है ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : वार्ड्स का

(श्री परसराम मदेरणा)

परिसीमन भी नहीं हो पाया है। इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं थी। यह सदन मीट हो रहा था और यह सदन जो कम्पीटेन्ट है, वह बिल ले आते जैसाकि आप लाये लेकिन आपने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया, आप कहेंगे कि हम इलेक्शन विभाग से कराना चाहते हैं। वह इलेक्शन भी नहीं हुए और इलेक्शन भी होंगे तब क्या होगा। इसलिए 2 (ए) में अमेण्डमेंट लाए हैं। डाइरेक्टर, इलेक्शन्स यह तो कोई मतलब नहीं है। ग्राम सभा के बारे में कह चुका हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को निवेदन करना चाहता हूं, जैसाकि मेरे से पूर्व आने वाले माननीय सदस्य जो परिनियत संकल्प यहां पर लाए हैं, उन्होंने 64 अमेण्डमेंट की बात कही है संविधान के अन्दर और वह अब 72 वां अमेण्डमेंट है। उस अमेण्डमेंट के ऊपर जो जोइन्ट सलेक्ट कमेटी बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बैठी है, उसने प्रतिवेदन अपना पार्लियामेंट को दे दिया है और देने के बाद में कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद, पहले के ऐसे प्रावधान होंगे जिन प्रावधानों को इस लेजिस्लेचर ने अधिकार दिये हैं कि वे उसके अनुरूप और कंफोनेन्स यहां पर उसका प्रावधान करें। इसलिए जब आप एक तरह से यह अमेंडमेंट लाए हैं और लाने में भी आपने एकरूपता नहीं रखी है, बेसिक स्ट्रक्चर पंचायत राज संस्थाओं के बारे में आप गोल हो गये हैं, पंचायतों के बारे में तो आप प्रावधान लाये हैं, आपने एक्शन नहीं लिया अभी तक, आपने एक्शन नहीं लिया है तथा आपको आर्डिनेन्स प्रमोलगेट कराने की आवश्यकता क्या थी और जब आपने आर्डिनेन्स प्रमोलगेट कराया, इसका मतलब इस सदन को आपने बाई पास किया है। यह बात मैं वर्णन कर चुका था। यह जो है, भौंडे तरीके से सरकार सदन को चुनौती दे रही थी 8 अप्रेल को, कि हम आर्डिनेन्स लायेंगे, आप देखते रहना। और यह आर्डिनेन्स लाए हैं और यह उस आर्डिनेंस के लाने के बाद, आपने किसी भी प्रावधान पर कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ एक पर लिया है और वह न्याय पंचायतों को आपने खत्म किया है। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय पंचायतों को समाप्त कराया... (व्यवधान) खत्म तो उसके साथ ही हो गई थी पंचायतों के साथ।

श्री रामकिशन शर्मा : पहले न्याय पंचायतें थीं, आपके समय में खत्म हो गई। अब न्याय उप समिति है।

श्री परसराम मदेरणा : न्याय उप समिति के जितने भी जो प्रावधान थे.... (व्यवधान) मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध के समय में हमारे यहां पंचायतें थीं और पंचायतें आपस के अन्दर बिरादरी के झगड़े निपटाने के लिए नहीं थी, वह न्याय पंचायतें थीं। न्याय पंचायतों के अधिकार या न्याय पचायतें नहीं रहना, बेसिक स्ट्रक्चर में न्याय पंचायतों का आधार गांवों पर नहीं रखना, सुलभ और सस्ते न्याय की परिभाषा के बिल्कुल विपरीत है। आपका प्रतिकूल कंडक्ट है, रवैया है, आचरण है। एक तरफ तो लोक अदालतें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह इन झगड़ों को जल्दी निपटाने के लिए, वे लोक अदालतों की व्याख्या कर रहे हैं ताकि करीब लोगों को मौके पर

(श्री परसराम मदेरणा)

ही न्याय मिल सके और सस्ता, सुलभ और स्थानीय न्याय मिलने का जो प्रावधान था, उसको समाप्त करने के लिए इस आर्डिनेंस के जरिये रट्रोगेट स्टेप आपने लिया है. प्रावधान रखा है क्योंकि इस प्रावधान के ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ है। इस आर्डिनेन्स, के आर्डिनेन्स के किसी भी प्रावधान के ऊपर आपने इसको फोर्स में नहीं लिया है। हाउस की लेजिस्लेटिव अथोरिटी आपने इरोड किया है। सदन का जो कानून बनाने का अधिकार है, उसको इरोड किया है और आपने गवर्नर को+++ही नहीं किया है लेकिन आपने मिसइन्फोर्म किया है और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में एक ही बात पूछना चाहता हूं कि 17 जून से लेकर आज तक कोई भी एक्शन इस आर्डिनेन्स के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने या प्रभारी मंत्रीजी ने या उनके विभाग के किसी भी अधिकारी ने लिया है क्या और जब नहीं लिया है तो प्रकार के इन्टरसेशन पीरियड में गवर्नर को लेजिस्लेशन के अधिकार थे उस अधिकार का आपने+++दुरूपयोग किया है, उसका फ्लेगरेन्ट वायलेशन हुआ है और इस तरह से हाउस को बार-बार बाईपास करते रहेंगे तो इस सदन को यह सोचना पड़ेगा कि यह सरकार निरंकुश होती जा रही है और लेजिस्लेटर के हित पर कुठाराघात कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल लाया गया है और जो अमेंडमेंट किये गये हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बिल तो विचारार्थ ही नहीं लिया है अभी तक आर्डिनेन्स में चल रहा है मैटर, विचारार्थ नहीं लिया गया है बिल, आप आर्डिनेन्स कहिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मेरा निवेदन है इसमें, यह... (व्यवधान) जो अमेंडमेण्ट किये गये हैं....

श्री परसराम मदेरणा : कोई बड़ा बिल हो तो कह दें-यह जरख का बिल है. छोटा हो तो कह दें खरगोश का है, उससे छोटा हो तो चूहे का है, यह बिल कहीं से ले आए आप। आर्डिनेन्स की बात हो रही है, विचारार्थ तो बिल आया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, बोलने दीजिए क्योंकि ये अध्यादेश ही कहेंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा : 4-5 बातें रखी गई हैं। पहली तो निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव कराना ग्राम सभा को ज्यादा पावरफुल करना, 3 वर्ष से कार्यकाल 5 वर्ष करना दो से अधिक सन्तान वाले व्यक्तियों को आगे जाकर अयोग्य घोषित करना....

एक माननीय सदस्य : आगे कब ?

श्री उपाध्यक्ष : आगे साल भर बाद में।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : न्याय उप

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

समितियों की समाप्ति के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने खास तौर से यह एतराज किया कि 17 जून को आर्डिनेन्स लाने की क्या जरूरत थी ? 17 जून के पहले जो एक साल का समय पंचायतों के प्रशासकों का बढ़ाया गया था वह खत्म होने वाला था इसलिए आर्डिनेन्स लाना जरूरी भी था अधिकार दिये जायऔर उस समय सरकार की मंशा जो पुनर्गठन के लिए कमिश्नर नियुक्त किये गये थे उनकी रिपोर्ट आने के बाद सितम्बर के आस पास चुनाव हो जायेंगे इस मंशा से यह आर्डिनेन्स लाया गया था । सरकार की कोई गलत मंशा नहीं थी । 30–32 वर्ष बाद जो पुनर्गठन किया गया है, इसमें पहले एक्ट में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन और अन्य सदस्यों को अधिकार थे फिर वन मैन कमीशन बनाया गया, फिर माननीय विपक्षी सदस्यों से, नेताओं से विचार-विमर्श किया गया तो इसमें बात यह आयी कि जिले में जाकर यह कमीशन एतराज सुने और एतराज सुनने के बाद पुनर्गठन फाइनल हो । तो सरकार ने 12 कमिश्नरों को इस बात के लिए अगल-अलग जिलों में नियुक्त किया और जो मापदण्ड तय किये गये थे उनके आधार पर उन्होंने सुनवाई करके पुनर्गठन की रिपोर्ट दी और रिपोर्ट आते ही राज्य सरकार ने उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया और उसमें जो चुनावों की अभी माननीय परसरामजी ने बताया कि 15-12-92 तक या उससे पहले करवा दिये जायेंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि आर्डिनेन्स का विरोध हो सकता है क्यों निकाला ? और किसी बात का विरोध हो सकता है लेकिन जो एक्ट में अमेण्डमेंट किया गया इनका विरोध क्यों ? 3 साल से 5 साल करना आप नहीं चाहते । ग्राम सभा, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, पहले भी थी । वास्तव में थी और जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं रह गया था और सरपंच जैसा चाहता था वैसा हो रहा था । ऐसे सरपंच को अयोग्य घोषित करने के लिए इसमें प्रावधान रखा गया जिससे एक तरह से डर पैदा हो । सरपंच नहीं तो उप-सरपंच साल में दो बार ग्राम सभा की मीटिंग बुलाये और उसमें विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि हाजिर हो । प्रोसिडिंग लिखे और वह प्रोसिडिंग कलक्टर व बी. डी. ओ. के पास जाय और उस पर एक्शन हो और काम भी निश्चित हो कि ये–ये काम उसमें होंगे ।

इसके साथ ही एस. सी. और एस. टी. का जो पार्लियामेंट में बिल आ रहा है उसके अनुसार राज्य सरकार ने सोचा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले जब वार्ड बनेंगे और वार्ड बनेंगे तो उसमें यह संशोधन किया जाय जिसमें महिलाओं एस. सी. और एस. टी. का भी रिजर्वेशन हो । इसी तरह दो सन्तान वाला जो राष्ट्रीय काम था उसमें भी थोड़ी गति लाई जाय, यह संशोधन किया गया और न्याय उप समितियां, पहले पंचायत राज में अलग न्याय पंचायतें थी, पूर्व सरकार ने उसको भंग किया और पंचायतों में ही न्याय उप समितियां बनाई गई । उनके चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए और वे एक तरह से निष्क्रिय पड़ी हुई थी । इस सरकार की मंशा थी कि जो पंचायत राज है, जिला परिषदों के लेकर पंचायतों तक उसको विकास के सारे कामों के अधिकार दिये जाय ।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

इसके लिए सरकार ने प्रयास भी किया है। दूसरी स्टेट्स में जाकर वहां का अनुभव भी प्राप्त किया है और सरकार की मंशा है कि इस इकाई को ग्रामों के विकास के लिए जिला लेवल पर सारे अधिकार इनको दिये जाय जिस पर विचार चल रहा है।

तो मेरा निवेदन करना यह है कि इन संशोधनों का विरोध क्यों? आर्डिनेन्स का विरोध हो सकता है। आप रिजर्वेशन नहीं चाहते? आप 3 से 5 साल नहीं चाहते? आप ग्राम सभा को पावरफुल नहीं करना चाहते तो यह मेरी समझ में नहीं आता।

माननीय परसरामजी ने कहा कि आर्डिनेन्स लाने के बाद इनमें आपने किसी को भी एक्ज़ीक्यूट नहीं किया। तो यह तो संस्थायें जब चुनकर आयेगी, यह तो प्रक्रिया थी चुनाव की और जो समय खत्म हो रहा था, जो पार्लियामेन्ट में बिल आया था उसके हिसाब से यह संशोधन किया गया था क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में 2–3 महीने लगते हैं। यदि आज आर्डिनेन्स भी आता और आज यह संशोधन होता तो यह बिल आता तो फिर प्रक्रिया में और डिले होता। तो चुनाव कराने की मंशा से हमने ऐसा किया था।

श्री परसराम मदेरणा : वार्ड परिसीमन करने की बात आती है, अब आयेगी। एक महीना उसमें लगेगा और बिल तो आज अगर पास होगा तो गवर्नर के इसमें परसों दस्तखत हो जायेंगे और फिर यह कानून बन जायेगा। वार्ड का कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए कानून आलरेडी है उसमें। वार्ड का परिसीमन करना, डिटरमिन करने का कानून है और वही कानून लागू है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : वार्डों का परिसीमन करने का काम चालू हो गया। वोटर लिस्ट का काम चालू हो गया। मेरी समझ में नहीं आता, कई माननीय सदस्यों ने पुनर्गठन के बारे में पार्टीबाजी और कई-कई तरह की बातें कहीं। सरकार के कलक्टर्स को स्पष्ट आदेश थे कि इन मापदण्डों के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किया जाय। कलक्टर्स ने पुनर्गठन किया।

श्री परसराम मदेरणा : इसका आर्डिनेन्स से क्या सम्बन्ध है? सेक्शन 3 और 86 में कोई अमेण्डमेन्ट नहीं किया आपने? सेक्शन 3 और 86 जो पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में है उसमें तो कोई संशोधन किया नहीं है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : एतराज मांगे और मांगने के बाद जो फाइनल लिस्ट उन्होंने बनाई उसमें गवर्नमेण्ट की तरफ से कोई दखलन्दाजी नहीं हुई, निष्पक्ष रूप से कलक्टर्स ने पंचायतों का पुनर्गठन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व बजट सेशन में स्पष्ट रूप से कहा था कि कलक्टर्स की लिस्ट पर आप पुनर्गठन मानते हैं तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं लेकिन इसी सदन ने उस बात को नहीं माना और जिले में जाकर फिर कमिश्नर से जांच कराने की बात कही थी इसलिए उसमें डिले हुआ। कमिश्नर ने भी निष्पक्ष रूप से एतराज लेकर टाइम फिक्स करके और जिले में जाकर सारे एतराज सुने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अध्यादेश को लाने के कारणों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। पहले चुनाव कराने थे इसलिए अध्यादेश लाना जरूरी था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई कारण नहीं बताया अध्यादेश का। क्या कारण बताया ? (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको सुन लीजिए। बिराजिए आप। आपको कई बार बोलने के मौके मिलेंगे।.... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने भी कह दिया कि यह अध्यादेश नहीं होता तो चुनाव कैसे होते ? इस आर्डिनेन्स से न चुनाव का सम्बन्ध है है। और के पुनर्गठन यह आर्डिनेन्स तो दूसरा है। सवाल यह था कि यह आर्डिनेन्स लाने की जरूरत थी क्या जब आप बिल ला रहे हैं ? उसका जवाब तो मंत्रीजी दे ही रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्रीजी, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : प्रशासक का टाइम खत्म हो रहा था उसके लिए मैंने निवेदन किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने अच्छी तरह से बता दिया, समझ में नहीं आये उसकी जिम्मेदारी थोड़े ही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन्होंने कौन सी बात बता दी ?....(व्यवधान) ...

श्रीमती रमा पायलेट : जयपुर की जगह जोधपुर का रास्ता बतायेंगे, कैसे पता लगेगा... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी सुनो।

श्रीमती रमा पायलेट : पता ही नहीं लग रहा, क्या करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, सुन लो फिर (व्यवधान) .. आप सुनिये, बिराजिए फिर।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसा है मुख्य मंत्रीजी, इन्होंने बताया वह आप बताओ, देखें कैसे बताया है उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मैंने निवेदन किया है कि जून में प्रशासक का टाइम खत्म हो रहा था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : राजस्थान में तो इसलिए यह आर्डिनेन्स लाना जरूरी था।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या कहा, इसलिए जरूरी था... (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने पंचायतें तो भंग कर दीं, पंचायतों की तो चिन्ता थी नहीं, किसका समय खत्म हो रहा था, किसको बचा लिया आपने ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि चुनावों में डिले

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

हो रहा है या और कोई बात हो रही है उसका विरोध हो सकता है लेकिन इन अमेण्डमेंट्स का विरोध क्यों ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह किया ही नहीं किसी ने। .. (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं तो आर्डिनेंस क्यों लाये ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मेरा निवेदन करना यही है कि इस संकल्प को रद्द किया जाय और... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अपनी बात चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ कर दो।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : और इसको विचारार्थ लिये जाने की कृपा करायें।

श्री हेतराम बेनीवाल : असल में लाये तो इसलिए थे कि दो वोट मिल जायेंगे, वह कहो न सीधी बात कि लोगों से वोट मांगेंगे इस नाम से .. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यादेश क्यों लागू किया और इसका क्या उपयोग किया जून से लेकर अब तक, एक शब्द नहीं बोले माननीय मंत्रीजी कि अध्यादेश क्यों लागू किया, इसके कारणों के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो आप।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17 जून, 1992 को प्रख्यापित राजस्थान पचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करता है, प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नो-नो। ना पक्ष जीता।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने सही कहा है, अब आप अपनी बात पर कायम रहिये। सही कहा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् हरलाल सिंह जी खर्रा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री हरलाल सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत अधिनियम, 1953 का जो

(श्री अमीन खां)

श्रौर संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है उसमें जहां तक संशोधन का सवाल है वह यह है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के पंचों, सरपंचों का आरक्षण किया जायेगा, महिलाओं का आरक्षण किया जायेगा। पहले यह लोग कोप्शन द्वारा लिये जाते थे। मेरा यह निवेदन हैं कि इस अधिनियम में या अध्यादेश में यह चीज पूर्व के हिसाब से साफ कहीं लिखी हुई नहीं है। जैसे पूर्व में तो यह था कि पांच प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति या जन जाति की आबादी किसी पंचायत समिति में नहीं है तो उसका आरक्षण कोप्शन द्वारा नहीं होगा। तो जब यह आरक्षण किया जा रहा है तो मान लो किसी पंचायत समिति में तीन प्रतिशत आबादी, एक लाख की आबादी एक पंचायत समिति की है उसमें तीन प्रतिशत आबादी अनुसूचित जन जाति की है तो यह अभी भी शंका है कि तीन प्रतिशत के हिसाब से भी अनुसूचित जन जाति के कम से कम 1·50 से अधिक सरपंच हो सकते हैं। अगर ऐसा आरक्षण नहीं किया गया तो उस पंचायत समिति में चाहे 40–45–50 पंचायतें हों तो उसमें अनुसूचित जन जाति का कोई भी सरपंच चुन कर नहीं आ सकता तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह है सरकार की मंशा साफ तो इसमें फिर जाहिर करना चाहिए कि जितने प्रतिशत की आबादी उस पंचायत समिति की हैं उतना प्रतिशत चाहे अनुसूचित जाति या जन जाति हो, सरपंच का आरक्षण होना चाहिए और वर्तमान जो आपका एक्ट है उसमें यह साफ नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें वार्डों का पुनर्गठन अब करोगे। इसमें पहले जो वार्ड आपने बनाये हैं वह भी बिल्कुल धांधली में बनाये हैं और उसमें भी जातिवाद साफ लिया गया। जैसे मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं कि शिव तहसील में जेसीन्दर स्टेशन गांव है, यह पूरा मेघवालों का है, उसकी 990 की आबादी है उसमें दो वार्ड रखे। और एक असली गांव है जिसकी आबादी 425 की है, वह नान शिड्यूल कास्ट का गांव है उसमें भी वार्ड दो रखे। तो इस तरह कानून में क्लियर, साफ होना चाहिए और प्रशासन को इन्स्ट्रक्शन होना चाहिए, नहीं तो यह आरक्षण की मंशा सिर्फ ऊपर है, नीचे से फिर अनुसूचित जाति, जन जाति के रिजर्व हैं यह उनको धक्का लगायेगा। मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि उसमें जितने प्रतिशत की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से चाहे अनुसूचित जाति हो और जन जाति हो उनका श्रारक्षण किया जाय और पंचायत चुनावों के समय एक दिन में ही पंचायतों के चुनाव होने चाहिए चाहे जिला परिषदों के प्रमुख के हों, प्रधान के हों और पंच-सरपंचों के हों। इतना ही मैं कह कर राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, यही सदन से निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी (अनुपस्थित) माननीय श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सारे तर्क पहले दे चुका हूं लेकिन फिर भी चूंकि अध्यादेश को अस्वीकार नहीं किया गया और विधेयक आ गया है तो जनता भी अपनी राय दे इसलिए उन्हीं तर्कों के आधार

(श्री नत्थी सिंह)

पर मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, इसे एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय चुनाव कराने की तैयारी में है मैं इसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगी... (व्यवधान) आप लोगों ने 63 में चुनाव करवाने के बाद हम 77 में आये, तब तक चुनाव नहीं कराये थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई तर्क होता है क्या....

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात। दूसरी बात, जब हमने चुनाव करा दिये, उसके बाद 80 से आपने कब चुनाव कराये, आपका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, आपका विकेन्द्रीकरण में विश्वास नहीं, कहां से तर्क ले आये, तर्क सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरोड़ाजी, आप तो आसन से बात करिये।

श्री रामनारायण वर्मा : महिलाओं को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं, शिड्यूल कास्ट के हितों की बात सोचते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा साहब बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई मुझे नहीं टोकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई रोक-टोक नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतनी सुरक्षा तो आप करेंगे मेरी।

श्री उपाध्यक्ष : हां करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर कोई टोकेगा तो जवाब मैं दूंगी, यह तो जानते ही हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी तरफ मत देखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आपने तैयारी की है वरना महिलाओं को पंचायतों में कोई लेता नहीं था और लेते तो मनोनयन के लिए लेते और अहसान करते थे (व्यवधान) अब आप पहले सुनेंगे, बोलेंगे बाद में। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार को इससे और कदम भी आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम सहकारी समितियों में भी जब चुनाव हों उनमें भी इस तरह का यह तय करें कि इतनी महिलायें आनी चाहिए तथा जो....

श्री यदुनाथ सिंह : फिर तो जनसंख्या के हिसाब से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब आप बोलेंगे नहीं, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोलती।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दीजिए माननीय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि विधायकों के चुनाव के सम्बन्ध में भी केन्द्र सरकार को सुझाव दें

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि इस प्रकार का कानून लाया जाय, साथ ही सांसदों के चुनाव में भी और इससे बढ़कर ऊपर के चुनाव में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति के चुनाव में भी तय कराना चाहिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप प्रस्ताव रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जितने पुरुष हैं लगभग बराबर महिलाएं हैं, किसी प्रदेश में ज्यादा होगी तो किसी में कम, इस प्रकार मान कर मैं चलती हूं कि 50 प्रतिशत महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व जब तक पूर्ण रूप से नहीं होगा, उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी बात नहीं कही जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी—"नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर।" यह कभी कहा गया था लेकिन अब माननीय मंत्रीजी के इस कार्य से मैं कहना चाहूंगी, झुठला दिया गया है। मैं इस सरकार को निवेदन करना चाहूंगी कि सभी प्रकार के चुनावों में महिलाओं का, अनुसूचित जाति और जन जातियों का प्रतिनिधित्व हो, इसका प्रयास करेंगे वरना यह प्रयास अधूरा रहेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वार्ड्स का परिसीमन हुआ। कई कमियां रह गयी। इतने बड़े काम में कमियां होना स्वाभाविक हैं लेकिन जहां पर नगरपालिकाओं को नगरों में शामिल किया गया, उनको पंचायतों से हटाया गया मेरा अपना अनुभव है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। मेरे यहां की पंचायत जयसिंहपुरा खोर बिलकुल जयपुर से थोड़ी दूर जाकर है। पंचायत उसमें थी और पहले उसमें काम होते थे लेकिन नगर-परिषद में आने के बाद वहां का एक तीरंगारी स्कूल है, पैसा उसके लिए मंजूर है लेकिन कह दिया गया कि चूंकि अध्यादेश निकल चुका है और वहां पर इन नियमों के तहत हम स्कूल नहीं बनवायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार की दिक्कतों का सामना उन पंचायतों को करना पड़ेगा जो कि बड़ी नगर परिषदों की सीमा में आ गयी। माननीय मंत्री महोदय देखें कि किस प्रकार का यह कार्य हो रहा है। जब से पचायतें भंग हुई, हमारी 27 प्रकार की योजनायें गांवों में है, मंत्री महोदय बतायेंगे कि किन-किन में क्या-क्या काम हुआ ? मुझे कहां भी काम नजर नहीं आया। आपने अभी बोलते वक्त यह कहा भी था कि काम बिलकुल नगण्य हो गये थे इसलिए हम यह बिल लायें हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी पंचायतें जो शहरों में शामिल हो गयी हैं किस प्रकार से वहां कामों की योजना बनेगी, आप स्पष्ट करें और योजनायें बनें इसको भी देखें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी जो 27 प्रोग्राम की योजनायें हैं वह भी आप देखें कि यह ढांचा जो कांग्रेस ने बिगाड़ा है, 11 प्रतिशत केवल विकास कार्यों पर खर्चा होता है और 86 प्रतिशत वहां के प्रशासन की साज संवार में खर्च होता है, इसमें मेरा सुझाव है कि 55 प्रतिशत तो विकास कार्यों में खर्च हो उतनी व्यवस्था आप करके चलेंगे। जब 86 प्रतिशत हमें प्रशासनिक सुविधाओं के लिए खर्चा करना पड़ेगा और विकास के लिए केवल 11 प्रतिशत होगा तो क्या गांवों में विकास होगा। इसको कौन देखेगा ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस मामले को तय करें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आपने यहां पर न्याय समितियों को हटाने की बात कही, यह बिलकुल गलत हैं। न्याय समितियां होनी चाहियें। समय पर मीटिंगें होनी चाहिए, मिनिट्स लिखनी चाहिए और आगे जाकर प्रस्ताव पास होने चाहिए। इन सारी परिस्थितियों को देखकर चलना पड़ेगा अगर आपने न्याय समितियां समाप्त कर दी तो क्या कोर्ट में जायेंगे इसके लिए? आपने क्या सोचा है यह बतलाइये आप। मान्यवर मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने अपवादों के साथ सरपंचों के चुनाव की बात की है। पहले आपने कहा था कि दो बच्चे वाले ही लड़ पायेंगे। मुझे आशा बंधी थी कि नवयुवकों और नवयुवतियों को अवसर मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप परिवार नियोजन के समर्थन में यह बिल लाये हैं, मैं आपकी प्रशसा करना चाहूंगी। यह हमारी राष्ट्रीय समस्या है पर यह भी ध्यान रखें कि ऐसा कानून जिसको जनता स्वीकार नहीं करती और शारदा एक्ट की तरह से एक तरफ रह जाता है, मैं यह नहीं कहना चाहूंगी कि वह एक्ट नहीं बनना चाहिए था, मैं इसके लिए भी नहीं कहना चाहूंगी लेकिन जो आप कार्य नियम के अनुसार बनाकर चलें उसको पालना कितने लोग करते हैं, इसको आपको देखना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी....

श्री उपाध्यक्ष : काफी कह चुकी हैं आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें सीमा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : सीमा तो नहीं है लेकिन आगे और भी हैं।

श्रीमती उजला अरोडा : नत्थी सिंह जी कितना बोले थे और परसराम जी मदेरणा कितने मिनट बोले थे? मुझ पर ही क्यों बंधन लगाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन यह कि रिपीटीशन नहीं होना चाहिए। जो बात आ चुकी है हाउस में वह रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं लिमिटेशन के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आप सब की सहूलियत के लिए कह रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा मानते हुए, मेरी बात को विराम देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे—(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत अमेण्डमेंट बिल, 1992 नम्बर 28 के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन में लाया गया है उसमें जो अमेण्डमेंट सरकार की तरफ से किये गये हैं सरकार इस बिल के माध्यम से जो अमेण्डमेंट लाई है वह प्रजातांत्रिक तरीके में कितने खरे उतरते है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण व्यवस्था में गांव के लोगों को न्याय देने में कहा तक फुलफिल करते हैं—यह सारी बातें विधेयक में नहीं की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामनारायण वर्मा)

गांवों में एक कहावत है कि पुरानी मटकी होती है और जिस ढंग से मटकी पुरानी होने के बाद फेंक दी जाती है इस विधेयक को भी उसी तरह से यही समझ कर फेंक देना चाहिए। ग्राम सभायें होती आई हैं, ग्राम सभा नहीं हो, सरपंच डिस्क्वालिफाई हों एक साधारण से उसके लिए, मेरा जहां तक ख्याल है अटरू से आने वाले माननीय विधायक इस बात को भली भांति जानते हैं कि शासन कैसे किया जाता है। अपने साथियों से कैसे व्यवहार किया जाता है, पंचायतों में कैसे व्यवहार किया जाता है, कर्मचारियों से कैसे व्यवहार किया जाता है, इसलिए मैं उचित समझूंगा कि सदन में समय बरबाद नहीं करें। जो बिल यहां पेश किया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा और पूरे हिन्दुस्तान को ध्यान होगा इस बात का कि 13 अक्टूबर, 1989 को राज्य सभा में स्वर्गीय राजीव गांधी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी तो उसके कुछ एक्सटेक्ट्स लिये गये। उसकी जो मंशा थी कि महिलाओं का रिजर्वेशन हो। गांवों में तहलका मचा और महिलायें वन थर्ड मेजारिटी में आयेंगी उस थीम पर चलकर जो बिल लाया गया वह भारत सरकार की मंशा के मुताबिक कांग्रेस शासन के टाइम पर जो बातें कही गयी हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया जायेगा वही बात इन्होंने रखी है। मेरा जहां तक ख्याल है मैं इस बात को कहां तक कह पाऊंगा कि पंचायती राज और नगर पालिका के विधेयकों के ऊपर जो राज्य सभा में बहस हुई है और जिस ढंग से राजीव गांधी ने इस बात को कहा है वह क्या राजस्थान फुलफिल कर पाई है इस विधेयक के माध्यम से? मेरा विनम्र निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बिल के कुछ सेक्शन को देख लीजिए और केवल एक चीज इन्होंने नयी इस बिल के माध्यम से इन्ट्रोड्यूस की है 'उप सरपंच हिन्दी नोइंग होना चाहिए।' इसके अलावा इन्होंने, आप बतायें, कौनसी नयी बात इस बिल के माध्यम से की है? आप न्याय समितियों को खतम कर रहे हैं। न्याय समिति वह बाडी है जिसके माध्यम से गांवों में न्याय किया जता है। इस बिल के माध्यम से पंचायत के कर्मचारियों पर कन्ट्रोल होगा? किस तरह से न्याय कन्ट्रोल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मीटिंग पंचायतों की होनी चाहिए पुराने एक्ट में वीकली मीटिंग का हवाला है। नये एक्ट में पार्टली मीटिंग का हवाला है। आप एक तरफ तो पंचायतों को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, पंचायतों का लेखा-जोखा रखने की बात करते हैं और पंचायतों का लेखा-जोखा आज की तारीख में क्या हो रहा है इस शासन के आने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवक या सेक्रेटरी हैं नयी मोटर साइकिलें कस रहे हैं। जितना करप्शन इस पंचायत राज का जब तक आप चुनाव नहीं करायेंगे, आपको इस बिल में यह लाना चाहिए, आपको स्पेसीफाइड डेट देनी चाहिए कि इतने तारीख से चुनाव होंगे। एक्सेक्शन का इसमें अमेण्डमेंट होना चाहिए था। उसको इन्होंने नहीं कहा है और मुझे तो इस बात पर शंका है उपाध्यक्ष महोदय, कि जब विधान सभा के चुनाव होंगे तब तक पचायतों के चुनाव नहीं होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यह सरकार पंचायतों के चुनाव नहीं करायेगी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पिछले दिनों तब यह पार्टी शासन में आई थी 78 में सरपंचों के चुनाव हुए थे सरपंच के चुनावों के बाद प्रधानों के चुनाव नहीं हुए। ग्रामीण व्यवस्था को जिस तरह से छिन्न-भिन्न किया गया है वही की वही हालत पूत के पैर पालने दीखने वाली बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय— यह सारी की सारी बातें इसमें इंगित होती हैं। मैं एक बात इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक संस्था के चुनाव हुए थे, उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, महिलायें आयें कितनी, महिलायें पढ़ी–लिखी हैं या नहीं हैं, जिस तरह से यह कहा गया है, उप-सरपंच यदि कोई महिला हो, गांवों में आज भी बहुत-से गांव ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां महिलायें पढ़ी-लिखी नहीं हैं, हिन्दी नोइंग नहीं हैं, क्या उनका उप-सरपच बनने का राइट नहीं है, उप-सरपच की जो परिपाटी है, जिस तरह से इन्होंने थीम दिया है, जिस तरह के कानून के संशोधन हैं उसमें एक्सेप्शन महिलाओं के लिए होना चाहिए, बहुत-सी पंचायत ऐसी हैं जहां आज की तारीख में साक्षर, साक्षरता नहीं है। यह बातें सारी की सारी इस बिल में देखनी चाहिए थी।

मैं इस आशा के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार ईमानदारी बरतेगी चुनाव कराने में, ग्रामीण व्यवस्था जो छिन्न-भिन्न कर रखी है, पंचायतों के माध्यम से, जो भंग कर के उन्होंने बिगाड़ दी है उसको वापिस लायेगी। पंचायत राज की पुनः-स्थापना की जायेगी, यह हम सरकार से आशा करते हैं। चुनाव की डेट जो निश्चित की जायेगी उसको आगे से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में, सदन में जो बातें कही उससे उल्टा हुआ है। जो तारीखें निश्चित की हैं उससे उल्टा किया गया है। अब की बार ईमानदारी बरतेगी सरकार, यही आशा हम आपके माध्यम से सरकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणाजी।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव दिया कि राजस्थान पचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय और यह प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है उपाध्यक्ष महोदय, कि जो बिल आज सदन के सामने विचाराधीन है, जो आर्डिनेन्स रिप्लेस कर रहा है यह, पंचायत राज के बारे में जो पिछले 89 से बार-बार इस देश में आज डिबेट्स चल रही हैं, उस के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने जोनल मीटिंग्स प्रधानों की और प्रमुखों की बुलाई थी उसमें कुछ चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री उन राज्यों में जाकर सीधे कलक्टरों से क्यों बात कर रहे हैं? उसके बाद में कांस्टीट्यूशन का अमेण्डमेन्ट 64 आया, वह एक वोट से गिरा। और उसको गिराने में जिन लोगों ने वोट दिया वह आज इस बात का गर्व कर रहे हैं कि वह इस प्रकार का एक बहुत-बड़ा रिज्योल्यूशनरी बिल लाये हैं यह ट्रंकेटेट बिल है। उपाध्यक्ष महोदय, थ्री टायर सिस्टम के अन्दर जहां पर कि आप इण्टिग्रेटेड स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं चाहते, बेसिक–मूल ढांचा है, उसके बारे में आपकी

(श्री परसराम मदेरणा)

कोई परिकल्पना नहीं । ग्राम सभा के लिए हम आ गये, ग्राम सभा वहां हो जायेगी । ग्राम सभा का तो मैंने पहले कहा, 23 (ए) में अगर ग्राम सभा में कोई कमी थी तो उसमें आप अमेण्डमेंट कर देते लेकिन वह स्ट्रेट्यूट बुक से यों का यों रखा है । आपने ग्राम सभा, यहां परिभाषा का जो सेक्शन 2 के एक्ट में उसके आगे 2 (ए) जोड़ के और यह राजस्थान की जनता के और राजस्थान के मतदाताओं के लिए, जिनकी आयु अब 18 साल हो गयी है, जिनको वोट देने का अधिकार है, उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न है कि कोई पंचायत राज स्ट्रेन्थन करने की बात ही नहीं है । अगर पंचायत राज स्ट्रेन्थन करने की बात होती तो आज आपने जो पावर्स ले रखे हैं चीफ कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी के, वह पावर इतने स्वीपिंग पावर हैं गवर्नमेण्ट के पास पंचायतों को डिजोल्व करने के और पंचायतों को सस्पेण्ड करने के कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेंट में इस बात का प्रावधान है कि पंचायतें निलम्बित नहीं की जा सकतीं, अगर वह की जायेंगी और उनको हटाया जायेगा तो ग्राम सभा में सिम्पल मैजोरिटी से सरपंच को हटा दिया और वह भी ग्राम पंचायत का रिज्योल्यूशन जायेगा ग्राम सभा में, यह है । अभी मेरे से पूर्व, उपाध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो परिसीमन और जो पुनर्गठन ग्राम पंचायतों का किया जिसमें कंसीडरेशन कर रहे हैं, कमिश्नर लगा दिये, यह ब्यूरोक्रेसी है इसने तो पंचायत राज खत्म किया है राजस्थान में उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये, जहां ब्यूरोक्रेस किसी कारपोरेशन में है और चाहे वह लोकतन्त्रीय संस्था में जाकर बैठ गयी हैं, उसमें करोड़ों रुपए का घाटा है । सीप एण्ड वूल कारपोरेशन को देख लीजिए, फेडरेशन को, डेयरी फेडरेशन को देख लीजिए, आप राज फेड को देख लीजिए, जहां पर यह गये हैं, बैठे हैं राज्य के अधिकारी और यह बात सही है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे अभी कि पंचायत राज संस्था 1959 के बाद जिस तरह उन्होंने फंक्शन करना शुरू किया, धीरे-धीरे, उसकी उपेक्षा हुई और आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि जब हम यह बात कहते हैं कि यह जो प्रजातन्त्र में जनता की सरकार है, जनता द्वारा और जनता के लिए है, तो जनता के द्वारा सरकार है उस सरकार के प्रभारी मंत्रीजी से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरा बिल क्यों नहीं लाये ? आप पूरा का पूरा ढांचा खड़ा करने के लिए, आप यह ट्रंकेटेड बिल लाये हैं, पंचायत समिति क्या होगी ? उसकी चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी ? एक तरफ कांस्टीट्यूशन में अमेण्डमेंट होने जा रहा है, 72 अमेण्डमेंट इन दी कांस्टीट्यूशन जो कि रिपोर्ट में अभी मैंने पहले उल्लेख किया था, उपाध्यक्ष महोदय, इसके आर्टिकल 243 (सी) में जो अमेण्डमेंट करने जा रहे हैं हम और निश्चित तौर से नैक्स्ट पार्लियामेंट के सैशन में यह कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेंट होने वाला है और मैं सदन को जानकारी भी देना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी ऑफ बोथ दी हाऊस थी, इसके चेयरमैन इस सदन के जो पिछले 5 साल माननीय सदस्य थे, नाथूरामजी मिर्धा, वे इसके चेयरमैन थे । उन्होंने अपना प्रति-

(श्री परसराम मदेरणा)

वेदन दे दिया है । अभी दिया है, करीबन महीने भर पहले, उसके आर्टिकल 243 (सी) में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है 'All the seats in the panchayats shall be filled by persons chosen by direct election territorial constituencies in the panchayat area and for this purpose each panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each consituency, and the number of seats allotted to it, shall, as far as practicable, be the same throughout the panchayat area,"

पंचायत के एरिया का मतलब यह ग्राम पंचायत नहीं है सभी में, इसलिए एक वर्ड पंचायत दिया है । इसको इसलिए डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है । पचायत समिति है उसको भी पंचायत रखा है, जिला परिषद भी पंचायत रखा है । अभी शिव से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे; कुछ पचायतें 8015 की है, उसी जगह पर उसी पंचायत समिति में पंचायत 1165 की, 1075 की, 1602 की, मेरा निवेदन करने का मतलब है कि यह जो कुछ भी पुनर्गठन किया गया है यह बहुत भारी पक्षपात है और यह बात सही है जो कमिश्नर वहां पर आया था, सदन में मैं ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लेना चाहता, जोधपुर के लिए वही कमिश्नर था । और यह कह रहे थे कि हम जब मिले तो उन्होंने कहा कलक्टर से बात कर लो । मेरे भी एतज थे, उपाध्यक्ष महोदय । मैं कमिशनर्स के सामने गया क्योंकि अपीलेट अथारिटी है, गवर्नमेंट ने अपने पावर्स कन्फर कर दिये । अभी मंत्रीजी कह रहे थे । पहले एक कमेटी थी, चार की कमेटी थी, रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन था । रेवेन्यू बोर्ड में एक मैम्बर हायर जुडिशियल सर्विस का भी होता है । आप किसी कमेटी में बैठकर जब आब्जेक्शन कर रहे हो, आब्जेक्शन हो रहे हैं प्रपोजल कलक्टर के खिलाफ कलक्टर ने प्रस्ताव भेजे हैं आपके पास रूल 342 में, उसको डिस्पोज करने का गवर्नमेंट को अधिकार है 344 और 345 में । गवर्नमेंट ने कमेटी कांस्टीट्यूट नहीं की गवर्नमेंट ने कमेटी कांस्टीट्यूट नहीं करके कमिश्नर को गवर्नमेंट के तमाम पावर्स कन्फर कर दिये । मैं जब गया वहां पर तो मैंने पूछा, लोग आब्जेक्शन कर रहे थे, मैं भी आब्जेक्शन कर रहा था, बीच-बीच में कलक्टर इंटरफियर कर रहा था । वहां बाड़मेर का कलक्टर अलग इंटरफियर कर रहा था । उसको तो कह दिया कलक्टर के पास जाओ, मैं तो कुछ नहीं, जो है वैसा ही करूंगा मैं । वहां पर भी वही कमिश्नर था । मैंने कहा कि यह प्राम्प्ट कर रहा है और बार-बार बीच-बीच में इंटरवीन कर रहा है. इसको क्या अधिकार है, इससे तो एग्रीव्ड हो करके हम लोगों ने आपके सामने अपील की है You are an Appellate Authority और जब अपीलेट अथारिटी हो, he is a party to the prosal We are aggrieved We have preferred an appeal to the Government You are the Government here for all practical purposes. क्योंकि गवर्नमेंट ने तुम्हारे को पावर्स कन्फर कर दी हैं । इस

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकार से जो आपने यह पंचायतें बनायी हैं, जाति के आधार पर जैसा कि इन्होंने कहा-इससे ज्यादा कोई +++ बात किसी सरकार के लिये नहीं हो सकती, जिस ब्यूरोक्रेसी की आप पैरवी करते है। ब्यूरोक्रेट्स ग्रानेस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स निष्पक्ष भी हैं लेकिन ज्यादातर लोगों की जो है, यह बीच में स्पाइनल कोड है. यह सब गायब है आज कल क्योंकि उनमें भी कुछ कमियां आ गयी हैं और इसका परिणाम यह हैं कि जो हम यह समझते हैं कि हमारे साथ में न्याय होगा अपील में जोधपुर जिले को भी यह स्थिति रही। मेरे खुद को एक ग्राम पचायत बनायी हैं वहां पर कलक्टर ने पहले दो पंचायतें भेजी, अब तीन पंचायतें की है। गांव बहुत बड़ा है, रेन्यु विलेज उसमें चार हो गये अभी दो ढाई साल पहले, करीब 95000 बीघा का गांव है। नागौर और जोधपुर की बार्डर पर है। उसमें जिस तरह की कलक्टर ने दो दो की जो पंचायतें बना कर भेजीं उसमें कुछ कम्पेक्ट एरिया रह रहा था। अब क्योंकि इन्होंने तीन पंचायतें बनायी हैं, कृष्ण नगर और रामनगर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है पैरेलल और यह इसलिये बनायी हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें पक्षपात हुआ है। और पक्षपात यह सोच करके किया गया है, पहले दो भेजी थीं, फिर तीन भेजने के लिये कलक्टर को आदेश मिले और फिर यह तीन पंचायतें बनी हैं। आप यह समझते हैं कि हम जो है यह जाति के आधार पर या इस तरह से पंचायतों को इधर उधर कर कराकर जन प्रतिनिधि ले आयेंगे मैनुपुलेशन से, यह जनता आपको कोई जनादेश देने वाली नहीं है। यह चुनाव जो.स्टेटमेंट मुख्य मंत्री जी अभी थोड़ी देर बाद में हो जायगा, जनता सब अच्छी तरह से आपको जान रही है क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह बहुत जो है, आपमें कोई न तो संकल्प शक्ति है, न विल पावर है, न पचायती राज में जहां आप है और जिस समाज के जिस वर्ग का आपको समर्थन मिलता है, आपके साथ में यह आर्टिकल आफ फेट है ही नहीं। आप तो इसलिये कर रहे हैं और करने जा रहे हैं और करेंगे क्या, इतनी जल्दी-जल्दी क्यों कर रहे हैं, इस सदन को यह जानकारी होनी चाहिये कि सलेक्ट कमेटी ने यह रिकमण्डेशन की है कि इस कांस्टोट्यूशन अमेण्डमेंट से पहले अगर कोई भी ग्राम पंचायत बन जायेगी, कांस्टीट्यूशन के प्रावधानों के प्रतिकूल अगर कोई प्रावधान है तो एक साल के अन्दर वह इनइफेक्टिव हो जायगा या फिर लेजिस्लेचर अमेण्ड कर लेगी, सब पावर्स लेजिस्लेचर को दिये हैं। लेकिन टर्म जो है, शेष रहेगी, यथावत रहेगी। इसका मतलब है कि आज पहले चुनाव करा दो, यह अमेण्डमेंट तो जाकर मार्च में, अप्रेल में होगा ताकि पांच साल यह पंचायतें रहें। पंचायत के बाद में जब आपने कोई प्रारूप पंचायत समिति का बनाया ही नहीं है, जिला परिषद का नहीं बनाया है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, उन्होंने फाइनेन्स कमीशन की बात की है, ग्राम सभा की यह मंत्रीजी रट लगा रहे हैं और डिसक्वालिफाई हो जायगा अगर वह ग्राम सभा नहीं बुलायेगा तो सरपंच, आप मुझे यह बताइये कि आपने उसको कोई

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

फाइनेन्शियल पावर दिये हैं क्या ? कौन से अधिकार आप हस्तान्तरण करने जा रहे हैं ग्राम पंचायतों को ? कौन सी शक्ति आप उनको सुपुर्द करने जा रहे हैं नये तरीके से ताकि वह सक्षम इकाई बन सके ? कौन से निर्णय अन्ततोगत्वा वह अपने आप लेने में सक्षम हो जायेंगी आपके इस अमेण्डमेन्ट से ? कौन सी निधि और फण्ड्स का आप ट्रांसफर कर रहे हैं और किस हैड में से कर रहे हो और कब कर रहे हो ? कोई इनको साधन, संसाधन नहीं दिये गये हैं। ग्राम सभा बुला लेंगे। ग्राम सभा बुलाने के बाद जब उनके पास निधि ही नहीं होगी, फण्ड्स नहीं होंगे, धनराशि नहीं होगी तो वह संस्थाएं लोगों की आम समस्याओं का कैसे निराकरण करेंगी और उनको कैसे राहत पहुंचायेंगी ? न्याय पंचायत को समाप्त करने का जो कुछ भी प्रावधान आपने किया है, यह भारत की प्राचीन ग्राम पंचायतों में न्याय प्रणाली स्थापित हुई है, इस पूरे ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए मैं चाहता हूं, ऐसा इम्पार्टेण्ट बिल जिसमें आप नीचे की इकाई, या डेमोक्रेटिक डिसेण्ट्रोलाइजेशन को वापस रिवायटलाइज करना चाहते हैं रिफर्बिश करना चाहते हैं, रिएक्टिव करना चाहते हैं, उनको सक्षम बनाना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर से यह सही पूरे का पूरा इन्टीग्रेटेड स्ट्रक्चर का स्वरूप हमारे सामने रखना चाहिये था, सदन के सामने और दोनों ही बिल्स आपको पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजने चाहिये थे ताकि पब्लिक ओपिनियन आपके सामने आ सके। ग्राम सभा की डींग हांक रहे हो, जब ग्राम सभा के ऊपर इतना फेथ रखने की बात कर रहे हो कि सब बात ग्राम सभा के सामने भेजा, बजट भी भेज दो, परफारमेंस भी ग्राम पंचायत की है उसके सामने ब्यौरा दो, ग्राम जनता इसकी इलेक्टर है, अब उसकी राय क्यों नहीं ली ऐसे महत्वपूर्ण बिल के अन्दर ? ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का जो आप निर्माण करने जा रहे हो ? इसलिये फाइनेन्स कमीशन की बात जो कही गयी है जिसमें डिवोल्यूशन आफ फण्ड्स है टू दी ग्राम पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यह कोई आपने जो है ..

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फाइनेन्स कमीशन कहां से आ गया यहां ?

श्री परसराम मदेरणा : यह फाइनेन्स कमीशन वह फाइनेन्स कमीशन नहीं हैं जो आर्टिकल 280 के अन्तर्गत होता है। यह फाइनेन्स कमीशन अभी नया बन रहा है। अगर नहीं हो तो आज आप मेरे घर आ जाना मैं डायल पर बात करा दूंगा इसके चैयरमैन से आपको। चैयरमैन से आज बात करा दूंगा। फाइनेन्स कमीशन बनेगा इसके अन्दर, गवर्नर बनायेगा, प्रावधान है। वह डिवोल्यूशन कमीशन करेगा रिसोर्सेज को गवर्नमेंट के और पंचायत राज संस्थाओं के बीच में, यह है फाइनेन्स कमीशन। वह फाइनेन्स कमीशन नहीं है के. सी. पंत वाला। इस फ़ाइनेन्स कमीशन में अन्दर फिर किसी ब्यूरोक्रेट को बैठा देना जैसा अभी बैठाया है इन्होंने, जो यह की जा रही है लीपापोती अपील्स की। बहुत शर्मनाक बात है। जाने के बाद में जिन लोगों को अपीलेट अथारिटी बनाया गया है, जो न्याय करने गये थे वह लोगों के साथ में अन्याय करके आये हैं। मिस कैरिज आफ जस्टिस करके

(श्री परसराम मदेरणा)

आप यह चाहते हैं कि राजस्थान का इलेक्टर आपके इन कारनामों पर कन्सेन्ट दे? वह कभी कन्सेन्ट देने वाला नहीं है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जिस दिन एक बहुत नाटकीय ढग से यहां आप रिजोलूशन पास करवा रहे थे जो कलक्टर के प्रस्ताव हैं उनको इमीजिएटली आज जो है सब हाउस एक हो जाता है तो आगे जो है अपील के लिये गवर्नमेंट किसी अधिकारी को नामीनेट नहीं करेगी, हालांकि चार अप्रेल की बात है, जब तक यह प्रस्ताव साया हो चुके थे, गजट में हो चुके थे, ग्राम पंचायतों के हैडक्वार्टर पर नोटिसेज जा चुके थे, यह तो कोर्ट में चलेन्ज होते, मैंने उस वक्त एतराज किया था कि एक अवसर दिया जाय लोगों को. अवसर देने के बाद जो पंचायतें पालिटिकल कंसीडरेशन से बनायी गयी हैं, आपके लक्ष्य की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, यह तो जनता खुद अपना जनादेश देगी।

(6.00 म. प.)

लेकिन आपने अपनी तरफ से जो सरकार को फेयर एण्ड इम्पार्सियल रहना चाहिए, वह नहीं रहकर के और पार्टी विशेष के स्वार्थों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और इसी तरह से उन्होंने पंचायतों को सस्पेण्ड या निलम्बित करने की.... जहां सलेक्ट कमेटी में प्रावधान रखा है कि गवर्नमेंट के पास में यह अधिकार नहीं रहेगा, आप उसको लिये हुए बैठे हैं। कण्ट्रोलिंग आथोरिटी शनैः-शनैः जो यह ब्यूरोक्रेटस एक के बाद एक परपज लॉ में यह बीड होता चला जाता है जिस पर सीढ़ी होती है और नतीजा यह है कि कोपरेटिव एक्ट के अन्दर जितने प्रावधान हैं, मैं नेशनल काउंसिल में गया था, उसमें इस बात का उल्लेख किया हुआ था कि राजस्थान का कोपरेटिव एक्ट इसमें टाइम टू टाइम अमेण्डमेंट करके इसको इतना रिट्रोगेट प्रतिगामी बना दिया है, यह कोपरेटिव का मूवमेण्ट पनप ही नहीं सकता। धीरे-धीरे इसमें दोष सभी का है, मैं यह नहीं कहता कि इसमें आपका दोष है लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को चारों तरफ से जकड़ कर रख दिया है और प्रेशर में बांध कर इसको दबा दिया है और उन प्रेशर पाइण्टों को लेट प्रधान मंत्री खोलना चाहते थे और सत्ता हस्तांतरित करना चाहते थे ग्रास रूट लेबल पर और उस समय तो लग गया लेकिन अब सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेण्ट के सामने दे दी गई है और उसको पार्लियामेण्ट को देने के बाद इसमें काफी आपको स्वीपिंग चेंजेज करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते हैं तो प्रावधान आपके आटोमेटिकली डिलीट हो जायेंगे। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड रीडिंग के ऊपर बात करूंगा कि कई जगह इन्होंने डिलीट-डिलीट तो रख दिया है पूरा लेकिन फिर रीनम्बरिंग नहीं किया है इस चैप्टर का। यह भी इन्होंने एक गलती रखी है इसलिए मैं अन्त में यह कहते हुए कि इस बल्क के द्वारा ग्राम पंचायतों को न तो कोई शक्तियां सुपुर्द की जा रही हैं, न कोई निधि ट्रांसफर हो रही है, न संसाधन दिये जा रहे हैं न यह कांसटीट्यूशनल अमेण्डमेन्ट हो रहा है। उसके गम्भीरता में प्रावधान है और पूरे ढांचे का एक प्रारूप और एक फोरमेट राजस्थान की जनता और इस सदन के सामने है। एक टेंटेटिव बिल लाया गया है। अच्छा होता कि आप इण्टीग्रेटेड बिल बनाकर पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजते लेकिन जैसा कि

(श्री परसराम मदेरणा)

बिल है, मेरी आज यह राय है कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है पब्लिक ओपीनियन में जाने के बाद, गांव के लोग अनपढ़ हो सकते हैं, कम पढ़े-लिखे हो सकते हैं लेकिन वह बुद्धिमान लोग हैं और उनमें अभी तक न्याय करने की उनकी इनहेरेन्ट क्वालिटी है और इसलिए आम जनता की जब यह सरकार है, जनता द्वारा सरकार है तो जनता की राय ली जानी चाहिए, उनकी ओपीनियन ले लेनी चाहिए और ओपीनियन लेने के बाद एक नया बिल जनता की राय को ध्यान में रखकर लाया जाना चाहिए। इसलिए मेरा सदन से नम्र निवेदन है कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक 1992 जो विचारार्थ सदन में लाया गया है उस पर मैं अपने आम विचार रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, यह विधेयक कर्नाटक पैटर्न के ऊपर लाया गया है। करीब-करीब उसी पैटर्न की ओर चलने की अभिमंशा रखी गई है इस विधेयक में। उपाध्यक्ष महोदय, साउथ के अन्दर जो साक्षरता का प्रतिशत है, 80, 85 प्रतिशत साक्षर मिलेंगे। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? आज अपन जो यह उसी पैटर्न के ऊपर चलना चाहते हैं, हमारा पड़ौसी राज्य गुजरात है वहां पर जो पंचायत की मीटिंग होती है उसके अन्दर जो सदस्य हैं, उनको क्या अधिकार हैं? मैं भी एक मीटिंग के अन्दर देखने के लिए गया था। वहां एक सदस्य एक्स. ई. एन. को खड़ा होकर पूछता है कि आप जवाब दीजिए कि यह काम क्यों नहीं हुआ। विकास अधिकारी को वह पूछता है कि यह काम क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिया जाना चाहिए। राजस्थान में यह स्थिति कहां है? राजस्थान में तो जो सरपंच है वह अधिकारियों के पीछे अपने बिल पास करवाने, अपने दूसरे काम करवाने के लिए हाथा-जोड़ी करते हैं। उनके पीछे-पीछे घूमते हैं और यह जो अधिकारी हैं, उनकी ओर कतई ध्यान नहीं देते जब तक कि उनका खुद का कोई स्वार्थ न हो। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ है, उसमें जो राजनीति अपनाई गई है, मैंने जो उसमें स्टेडी की है, मेरे हिसाब से इसमें मैंने देखा है....

श्री रामसिंह विश्नोई : इस तरह से सरपंच का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं है। कोई गुजरात और कर्नाटक इससे बहुत पीछे हैं यह बात... (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़कर पचायतों के पुनर्गठन में जो राजनीति अपनायी गई है जो सत्ता पक्ष ने उसका दुरूपयोग करने की कोशिश की है, उसकी ओर सरकार का ध्यान में दिलाना चाहता हूं। हमारे जालौर जिले के अन्दर पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जिलाधीश ने जो प्रस्ताव रखा था उसके अगेनस्ट जो अपील सुनने के लिए अधिकारी आया था, जो कमिश्नर आये थे, उन्होंने छुट्टी के दिन सुनवाई की और जिस अधिकारी के खिलाफ, जिस जिलाधीश के

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

खिलाफ कोई मांग थी, उसके खिलाफ जो बात कहनी थी, उसकी उपस्थिति में कहने के लिए बाध्य किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, इन पंचायतों के अन्दर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आप प्रधानों को नहीं रखना चाहते थे, या प्रमुख को नहीं रखना चाहते थे परन्तु पंचायतों में सरपंचों को रहने देना चाहिए था । आपने पंचायतों के अन्दर ग्राम सेवकों को प्रशासक बना दिया है । मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, जानकारी में लाना चाहता हूं मंत्रीजी के कि सरपंचों के टाइम में जो विकास कार्य हुए और इन ग्राम सेवकों के टाइम में विकास जो कार्य हुए उनमें रात-दिन का फर्क क्यों है ? इन्होंने जो काम किये हैं, उसमें कितनी धांधली हुई है, उसके ऊपर आप क्या करने जायेंगे ? मंत्रीजी इसकी अगर आप जांच करें तो जितने सरपंच हैं 80 प्रतिशत, यह जितने भी आपने प्रशासक लगा रखे हैं, ग्राम सेवक लगा रखे हैं, 80 प्रतिशत ग्राम सेवक सस्पेण्ड होंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इन पंचायतों के अन्दर जो क्वालिटी है काम की, उसकी देख-रेख करने वाला नहीं था । तीन तीन पंचायत समितियों के अन्दर एक-एक कनिष्ठ अभियन्ता था । वह सिर्फ बिल... पूरे बिल भी नहीं बना सकता था । आज स्थिति यह है कि मेरे यहां पर भीनमाल पंचायत समिति में जितने विकास कार्य हुए हैं, पक्के काम हुए हैं उनकी सबकी छतें चुई हैं । एक चौथाई काम ऐसे हैं जो बारिश के अन्दर डेमेज हो गये । यह इस तरह से जो पैसे की बरबादी हुई है, उसके ऊपर सरकार क्या करने जायेगी ? भविष्य के अन्दर इस तरह की बरबादी न हो, उसके लिये सरकार क्या करेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के अन्दर जो विकास अधिकारी नियुक्त किये गये, उसमें नये आर. ए. एस. आफिसर्स जो अण्डर ट्रेनिंग है उनको लगाया गया । पंचायत समितियों को तो इस सरकार ने +++ बना रखा है और उसमें इस नये आर. ए. एस. आफिसर्स को लगाने से क्या आप उनको भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देने के लिए लगा रहे हैं । उनका कोई काम करना तो दूर रहा, मेरे यहां जो आर. ए. एस. अधिकारी लगाया गया और जिसका स्थानान्तरण हुआ, स्थानान्तरण के तीन दिन पहले वह हर पंचायत समिति में, हर पंचायत हैड क्वार्टर पर गया और हर ग्राम सेवक से उसने सौदा किया । आप उसकी निष्पक्ष जांच करवाइये । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1992 को क्रमश: 15 दिन के लिये जनमत हेतु प्रसारित किया जाया । इसी प्रस्ताव के साथ धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामकिशन जी ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी यह प्रस्ताव किया है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय और इसका कारण यह है कि जब यह सरकार बनी उस समय से इस प्रदेश में धारणा पैदा की जाती थी कि यह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री रामकिशन)

सरकार कुछ नयी दिशा ग्रहण करेगी, समाज में कुछ नया परिवर्तन लायेगी, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करेगी और ग्रामवासियों के लिये ज्यादा अधिकार देगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना सा कहना चाहूंगा कि इस बिल में जो संशोधन किया है उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि अन्य माननीय सदस्यों ने जिक्र कर दिया है और भी कोई संशोधन ऐसे है जिनकी मैं तारीफ करता हूं मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कोई विरोध नहीं हैं उनसे लेकिन आखिर इसमें दो बात मुख्य तौर पर है। एक तो ग्राम सभा को पहले बिल के मुकाबले, पहले कानून के मुकाबले कुछ मजबूत करने की कोशिश की है और दूसरे जो राष्ट्रीय समस्या थी आबादी बढ़ने की उसकी शुरूआत करने की चेष्टा की है। इन दोनों सुझावों पर हम लोगों का कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों की तो यह मांग है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, नकल के लिये भी अक्ल चाहिये और इस सरकार का मन असल में नकल करने का था लेकिन अकल नहीं है इसलिये नकल नहीं कर पा रही है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना सा कहना चाहूंगा....(व्यवधान) मैं तो आपको तो नहीं कहता, हिम्मत है कहां मुझ में। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आखिर इस सरकार की मंशा क्या है। सरपंचों के स्थानों को रिजर्व किया है। मुझे खुशी है कि सदन में कुछ माननीय सदस्य पुराने सदस्य बैठे होंगे। यह मांग सब से पहले समाजवादी ने की थी इस सदन में कि चाहे जिला परिषद, चाहे पंचायत समिति, चाहे पचायत हो इसमें हरिजन, महिला और पिछड़ी औरतों के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये तो उसमें थोड़ी सी नकल तो इन्होंने कर ली लेकिन इसके संस्कार तो है संकुचित और विचार है सदन के इसलिये पूरी नकल को वह कर नहीं पाये। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं अगर आपने रिजर्वेशन किया है तो फिर महिलाओं को भी स्थान देना चाहिये और महिलाओं को स्थान इसलिये देना चाहिये कि महिला मंत्री बन सकती है. महिला राज्यपाल बन सकती है लेकिन हिन्दुस्तान के गांव की व्यवस्था में महिला सरपंच बने या हरिजन कोई सरपंच बने और साथ ही किसी की अध्यक्षता करे तो हिन्दुस्तानी समाज में ज्यादा लाभ होगा। इसलिये इस क्रान्ति की शुरूआत के लिये इन सब बातों पर एक साथ एक दफे विचार करना चाहिये लेकिन सरकार ने आधे-अधूरे मन से जो थोड़ा-सा काम किया उस काम को आगे बढ़ाने का सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह हिम्मत के साथ समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे देश की जो हालत है और समाज इस तरह से टूट रहा है उसमें पिछड़े तबके के लोगों को ज्यादा मौका देना चाहिये चाहे आरक्षण के मार्फत दें। हर सूरत में आरक्षण के मार्फत देना चाहिये। एक दूसरा सवाल, मैं खास तौर पर उसका जिक्र नहीं करूंगा, माननीय सदस्या उसका जिक्र कर चुकी है। हम चुनाव करवायेंगे सीधे, हर मतदाता सरपंच का चुनाव करेगा और चुनाव होने के बाद यह सही बात है कि हमने को-आप्शन प्रणाली को समाप्त किया और यह प्रणाली समाप्त ही होनी चाहिए थी इसका कारण यह है कि को-आप्शन में होता क्या था कि सरपंच आया और उसने अपनी बीवी को को-आप्ट कर लिया, अपने किसी परिवार के लोगों को

(श्री रामकिशन)

को-आप्ट कर लिया तो वह पंचायतें किस तरह से परिवार का प्रतीक बनती जा रही है। मैं इसका तो समर्थन करता हूं कि को-आप्शन की प्रणाली को समाप्त किया लेकिन सरपंच की सुरक्षा कैसी होगी। असल दिक्कत क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, कि निर्वाचन के बाद हमारे देश में स्थिति तो यह है, और जगह तो निर्वाचन के बाद लोग यह समझते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है लेकिन हमारे यहां चुनाव के बाद इतनी कटुता पैदा हो जाती है कि पहले दिन से ही चुने हुये आदमी को हटाने की कोशिश की जाती है, नतीजा यह होता है कि विकास के काम और निर्माण के काम रूक जाते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मैं यह नहीं कहता कि सरपंच को कभी हटाने का प्रावधान नहीं हो लेकिन कोशिश यह करनी चाहिये कि कोई भी निर्वाचित सदस्य हो उसके लिए समय का मौका मिलना चाहिये कि वह काम का इजहार कर सके, लोगों का विश्वास प्राप्त कर सके। इसमें अगर यह व्यवस्था नहीं की गयी को-आप्शन हटाने की तो नतीजा यह होगा कि हर दिन अविश्वास के प्रस्ताव आते रहेंगे और अविश्वास के प्रस्ताव के मार्फत विकास की गति रूकेगी, समाज में तनाव भी पैदा होगा और राज्य सरकार का हस्तक्षेप निरन्तर बढ़ता जायेगा, इस पर इस बिल में ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात मुझे खास तौर से यह कहनी है कि बड़े-शोर से मुख्य मंत्रीजी कहा करते थे कि परिवार नियोजन की शुरूआत करने के लिये मैं पाबन्दी लगाने जा रहा हू। हो सकता है उसमें कानूनी दिक्कत हो, हो सकता है उसमें कोर्ट में लोग जाते हों, और भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन मैं आज भी इस राय का हूं। बहुत से माननीय सदस्य कहेंगे कि हम लोग सीमा को पार कर गये। कुछ है उसमें दिक्कत हमारे सामने भी लेकिन हमें करना यह चाहिये निश्चित तौर पर कि उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत देनी चाहिये, अगर हमने पंचायतों में यह कर दिया तो विधान सभा, लोक सभा सब जगह लागू होगा। जब लागू होगा तो एक आन्दोलन आयेगा राजनीति में। ऊपर से जब आचरण शुरू होगा तो जनता इसे स्वीकार करेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें दो बच्चों की सीमा निश्चित तौर पर बांधनी चाहियें और बांधने के साथ-साथ हम ऐसे लोगों को जरूर छूट दे सकते जो बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं रहे हों, एक विशेष उम्र के बाद जहां कोई सम्भावना ही नहीं है। इस तरफ अगर हम कोशिश करतें तो एक-दूसरा स्वरूप निकलता। जो भी आपरेशन करवा लें सर्टिफिकेट पेश कर दें और आज आबादी नियन्त्रण में राजनीति पूरी तरह से गम्भीर है और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने कोशिश नहीं की। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हू, गांवों में एक धारणा पैदा की जा रही है, यह कहते हैं कि ग्रामवासियों पर तो पाबन्दी लगायी जाती है परिवार नियोजन की लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि प्रसंग नहीं है पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में भी नीति बनानी चाहिये। अगर बस का परमिट लेगा तो उसको ही परमिट

(श्री रामकिशन)

मिलेगा जिसके दो बच्चे होंगे, अगर कोई कारखाने का लाइसेंस लेगा तो हम केवल उसको ही लाइसेंस देंगे जिसके दो बच्चे होंगे। अगर इस तरह हम आन्दोलन शुरु करेंगे तो जहां-जहां सरकारी काम पड़ते हैं अगर बन्दूक का लाइसेंस लेगा तो उसको ही देंगे जिसके दो बच्चे होंगे अगर इस तरह से हम इस आन्दोलन को शुरु करेंगे तो ...

श्री यदुनाथ सिंह : आप शुरू करो। आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकिशन : किस बात का इस्तीफा लेते हो आप।

श्री यदुनाथ सिंह : दो से ज्यादा बच्चे हैं।

श्री राम किशन : तो दो से ज्यादा बच्चे हो, आज से 20 साल पहले नहीं था। उस समय इसलिये नहीं था, अब आपको सारी बात समझाऊंगा तो दिक्कत खड़ी हो जायेगी।

श्री नत्थी सिंह : 20 साल पहले तो पदक मिलना चाहिये।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने छेड़ ही दिया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जेल में था....

डा चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, सुमित्राजी मंत्री थी 20 साल पहले, परिवार नियोजन में आप समझते नहीं थे कि परिवार नियोजन क्या होता है। .. (व्यवधान)

श्री रामकिशन : यदुनाथ सिंह जी की और मेरी समझ में बहुत फर्क है। क्योंकि उस समय यह पढ़ाया जा रहा था कि आबादी गरीबी का कोई कारण नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि हमारा अध्ययन कितना गलत था लेकिन आज हम इस नतीजे पर पहुचे कि हमारे तीसरी दुनिया के देशों में गरीबी का एक कारण सम्भवतः बढ़ती हुयी आबादी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, अगर सरपंचों पर यह पाबंदी लगा देते हैं तो जितने भी राज के चलने वाले काम है उसमें हमारे बच्चे अपने आप समझ जायेंगे, अगर हमें कुछ फायदा उठाना होगा तो निश्चित तौर पर सीमा बांधनी चाहिये, उसका आन्दोलन तेज करना चाहिये और इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार है इसको हमें एक राष्ट्रीय सवाल बनाना चाहिये। यह दल का सवाल नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी का है न जनता दल का सवाल है, जनता दल किसी दूसरे का सवाल है, न तीसरे का सवाल है। यह एक राष्ट्रीय सवाल है। तो मेरा निवेदन करना यह है इस सम्बन्ध में कि यहां राष्ट्रीय सवाल है यह मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई दल की राय है, या दल गम्भीरता से सोचें लेकिन इस सवाल को हमें राष्ट्रीय सवाल बनाना चाहिये और इस सरकार ने जो थोड़ी सी शुरूआत की है मैं इसकी निंदा नहीं करता बल्कि उसकी प्रशंसा करता हूं कि उसने थोड़ी बहुत शुरूआत तो की इसे आगे ले जाना चाहिए।

एक तीसरा सवाल सबसे गम्भीर सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, आखिर हम ने पचायत व्यवस्थाएं क्यों शुरू की। इसके पीछे हमारा दर्शन क्या था? हमारा सोच यह था कि हम जनता को राज में भागीदार बनाना चाहते थे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए और राज्य कार्य को इस तरह बांटना चाहिए कि केन्द्र मजबूत नहीं

(श्री रामकिशन)

हो, राज्य मजबूत न हो बल्कि छोटी इकाई गांव की समस्याओं का समाधान करे । अब पंचायत का ढांचा कांग्रेस का ढांचा है पर न कांग्रेस क्रांतिकारी थी, न भारतीय जनता पार्टी क्रांतिकारी है, केवल ढांचे की पूजा कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नहीं कर रही है । आज जरूरत इस बात की है कि हमारी ग्राम सभा, हमारी जिला परिषद्, हमारी पंचायत समिति को हमें ऐसे अधिकार देने चाहिए जिसमें राज्य सरकार उन्हीं कामों को अपने हाथ में ले जो काम राज्य सरकार के जरूरी काम हैं, बाकी काम के लिए विकेन्द्रीकरण करना चाहिए और जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हैं तो धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए । इन सवालों पर दोनों मौन हैं, चुप हैं, शान्त हैं । मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इतना समय आखिर आपने क्यों लिया ? आपने कहा था हम बड़ा क्रांतिकारी बिल ला रहे हैं । आपने कहा था हम राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं लेकिन चाहे आर्डिनेन्स देख लें चाहे बिल देख लें इसकी मन्शा केवल कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना है, इसके अलावा कुछ अर्थ नहीं है ।

अब जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं कथन को दोहराना नहीं चाहता उपाध्यक्ष महोदय, इन पंचायतों का भंग करके जितना नुकसान किया है, विकास के मामले में उसका मूल्यांकन करा लें । मेरी बात नहीं मानें, विभाग से मूल्यांकन करायें कि चुने हुए लोग होते तो कितना काम होता ? बिना चुने हुए लोगों के द्वारा कितना काम हुआ । इसके लिए आपने देखा होगा कि विकास दर में अबके साल की जो फोर कास्ट आ रही है हालांकि हमारी फसल अच्छी है लेकिन फिर भी फोर कास्ट उस अनुपात में नहीं आ रही है क्योंकि पूंजी का विनियोजन जिस तरह गांव में सरपंच अपनी मेहनत से लगन से, मैं नहीं कहता कि वह सभी ईमानदार हैं, भ्रष्ट होंगे उनको सजा देने का प्रावधान है, देनी चाहिए लेकिन हम ने विकास की गति को रोका है । इसके लिए सरकार की निंदा की जानी चाहिए, सरकार को दण्डित किया जाना चाहिए । केवल प्रशंसा नहीं, आपने दण्ड का भी काम किया है और विकास की गति को आप देखेंगे, ग्रोथ रेट, राजस्थान में जिस तरह का विनियोजन हुआ है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, सातवीं योजना में लक्ष्य रखे है उसके अनुसार नहीं आ रही है । इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका एक कारण यह है कि हम ने ग्राम पंचायतों को भंग करके विकास की प्रक्रिया को रोक दिया था या रोका नहीं था पूरी तरह से उसको कमजोर जरूर किया था आगे चलकर कहिए । आज चले जाइये गांवों में, जिनको प्रशासक बना रखा था, कई मामले मेरे सामने हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी को टेलीफोन पर एक-दो बार कहा है कई मामलों में, ग्राम पंचायत को जवाहर रोजगार में जितने पैसे मिले उसको सेक्रेटरीज ने आपस में बाँट लिया । एक पैसा नहीं मिला । बैंक से ले गये और आपस में बांट लिया । मैंने इसकी जानकारी दो तीन बार मन्त्री महोदय को दी है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे ऐसी व्यवस्थाएं करें, जो कुछ हुआ वह हो गया, आगे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं

(श्री रामकिशन)

हो। आपने कुछ अच्छे काम किये हैं। पांच साल का टाइम रखा, बधाई। आपने ग्रामसभा को मजबूत करने की कोशिश की है–बधाई। आपने निश्चित तौर पर सरपंचों को बांधा, कहा कि वह पंचायत की मीटिंग बुलाये और यह तर्क नहीं चल सकता कि सरपंच तो हो गया बीमार, उप सरपंच चला गया अमेरिका और तीसरा चला गया न्यूज़ीलैण्ड, इसलिए सरकार को अनिश्चित काल तक चलने दें यह नहीं हो सकता है। दो महीने नहीं, तीन महीने कर लें लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी पंचायतें थीं जिसके सरपंच ने कभी मीटिंग नहीं बुलायी, केवल अकेले बैठकर भरतपुर के हमारे माननीय सदस्य सभी जानते है कि सरपंच प्रभावशाली है खुद बैठकर दस्तखत कर लेता है, फिर पूरे साल मीटिंग नहीं बुलायी। इस तरह का जो प्रावधान किया है इनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। मंत्री महोदय कह रहे हैं—विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं। हम इन चीजों का विरोध नहीं कर सकते है। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि इसमें नयापन कुछ नहीं है। आपने राजस्थान को कुछ देने की कोशिश नहीं की है। राजस्थान की जनता के अधिकार जिस तरह से उसको मिलने चाहिए वह देने की चेष्टा नहीं की, हम इसकी निंदा नहीं कर रहे है। बाकी संशोधन किये हैं उससे विरोध नहीं है। कई संशोधन बहुत अनुकूल हैं, बहुत ढंग के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना है। अब इसके साथ-साथ पंचायत समिति का ढांचा कैसा हो, जिला परिषद् का ढांचा कैसा बनायेंगे। कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, यह सभी कोई माडल नहीं है। हर समय की अपनी जरूरत होती है। गुजरात में आज 25 साल का ढांचा था उसको हम आदर्श मानते थे उसके बाद कुछ समस्या आयी। आन्ध्र वाले को अच्छा समझने लगे। आज कर्नाटक वाले को ठीक मानते हैं। जहां जितने अधिकार दिये हैं। मैं न तो कहता हूं कि कर्नाटक की नकल करें, न कहता हूं कि गुजरात की पुनरावृत्ति करें। मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान की जरूरत क्या है? राजस्थान को वित्तीय स्थिति क्या है? राजस्थान के विकास की गति आप क्या रखना चाहते हैं। इन पंचायत समितियों के माध्यम से आप जो काम लेना चाहते हैं उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। केवल कुछ लोगों के पास बैठकर अपने आप चर्चा करके इन चीजों का समाधान नहीं किया जा सकता है। आज मुख्यमन्त्रीजी नहीं हैं, मैं उनसे ज्यादा बात कहना चाहता था लेकिन वह नहीं हैं तो उनकी तरफ से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके इस बिल को प्राणवान बिल बनायें। केवल नकल करके इससे ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन और आपसे करना है। आपने न्याय पंचायतें हटायीं। कांग्रेस ने पहले बैठायी, फिर हटायी तो आपको एक मूल्यांकन करना चाहिए इन सब चीजों का। अगर मूल्यांकन करा लेते तो हम समझ लेते कि हटाना क्यों जरूरी था, रखना क्यों जरूरी था। न इस पर कोई रिपोर्ट है, न उस पर कोई रिपोर्ट है, कोई मूल्यांकन हुआ नहीं, केवल आपने कह दिया कि भग पड़ी

(श्री रामकिशन)

(6·25 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

हैं, कमजोर पड़ी है। दूसरे ने कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। न तो मैं यह कहने वाला हूं और यह सच भी नहीं है कि ग्राम पंचायत है उसमें केवल न्याय होता है, ऐसा मैं नहीं कहता। न्याय भी होता है और अन्याय भी होता है। राज्य का विकास नहीं हुआ था, जब हम प्रीमिटिव एज में थे ग्राम पंचायतों का स्वरूप कुछ और था लेकिन जैसे पूंजीवादी समाज का प्रवेश हुआ, औद्योगिक साम्राज्य का विकास हुआ उस समय गांव का स्वरूप काफी बदला है। इसीलिए पुरानी न्याय प्रणाली और ग्राम पंचायत को नहीं चला सकते हैं, उसको चलाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे देश में जिस तरह की जाति व्यवस्था है, जिस तरह से बड़े लोगों का वर्चस्व है उसमें बहुत जरूरी है गरीब को न्याय मिले। इसलिए हमें इसको हटाने के बजाय इस पर चिन्तन करना चाहिए, इसको देखना चाहिए और देखकर हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गरीब आदमी न्यायालय में बगैर जाये न्याय प्राप्त कर सके। आप जानते हैं हमारे देश में गरीबी है और हर गरीब आदमी मुकदमा लड़ नहीं सकता है इसी को सोचकर छोटे-छोटे मामले न्याय समितियों के पास, न्याय पंचायत के पास थे। अब इनका प्रयोग कैसे असफल रहा? क्यों कमी रही? इसकी सरकार से कभी जानकारी नहीं दी जाती है और इसलिए नहीं दी जाती है कि जितने बिल, कानून बनते हैं अध्यक्ष महोदय, वह सरकारों की एक तरह की भावनाओं पर बनते हैं और भावनाओं के आधार पर तथ्यों को, तर्कों को बोल दिया जाता है। इससे क्रांतिकारी चीज नहीं निकल पाती है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपने हटा दिया, जैसा उचित समझा, कर रहे हैं इसके अलावा कोई बात नहीं। हमारी जानकारी के अनुसार हमें यह पता नहीं लगा कि इसका लाभ क्या हुआ और इससे नुकसान क्या होगा। जहां तक व्यक्तिगत जानकारी का सवाल है मैं समझता हूं कई बार गरीब आदमी को न्याय भी मिल जाता है और अन्याय भी हो जाता है। यह दोनों बातें सही हैं लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार की तरफ से इसका कोई मूल्यांकन करा लिया जाता तो हम शायद ज्यादा अच्छी स्थिति में होते और ज्यादा तर्कसंगत ढंग से इस बिल को पेश कर सकते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहकर आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार ने आधे मन से और लोगों को भ्रम में डालने के इरादे से यह कानून बनाया है। अगर इस कानून को मंत्रीजी पूरे मन से बनाते तो इससे राजस्थान की जनता को कुछ प्रकाश मिल सकता था और रोशनी मिल सकती थी। जितना प्रकाश और रोशनी मिली है उसका जिक्र कर दिया है।

अब निवेदन करना चाहता हूं कि इस आरक्षण के सवाल को कुछ और आगे बढ़ायें, महिलाओं को आरक्षण के लिए कुछ प्रमुख को आरक्षण दें, पंचायत समिति के आरक्षण के लिए दें और यह बात हम आज से नहीं कह रहे हैं, हम लोग 25-30 साल से कह रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय मंत्रीजी,

(श्री रामकिशन)

मुख्यमंत्रीजी और हम बैठते हैं, चर्चा की है उसका थोड़ा सा असर पड़ा है और पड़ता भी है। आप भी जानते हैं रामायण की एक चौपाई है कि संगत पाकर कौन-कौन सुधर जाता है। माननीय मुख्यमंत्रीजी इस मामले में सुधरे हैं, इसकी तो मैं प्रशसा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी संगत से केदारजी तो नहीं सुधरे।

श्री रामकिशन : नहीं, वह सुधरे हैं। आप भी सुधरे हो कुछ, लेकिन पूरे नहीं सुधरे। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा। हमारे पास पंचायत का ढांचा कैसा हो, कई कमेटियों की रिपोर्ट थी। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी, सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट थी, बलवंत सिंह मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी। इन सबको लेकर आपने कोई कमेटी बनायी है, उसको आपने कुछ दिया है। जैसे नत्थी सिंहजी कह रहे थे कि आपने कोई केबिनेट कमेटी बनायी और उस पर कोई अध्ययन चल रहा है। मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि अबकी बार जब सारे बिलों पर कोई संशोधन हो या नया बिल इण्ट्राड्यूस किया जाय, उस समय इन सब चीजों पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपकी अधीरता को समझता हूं, हालांकि काम अध्यक्षजी का है इशारा करने का, आपका नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि इस उम्र में इशारा करना अनुचित भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह इशारा आपकी तरफ कर रहा हूं जहां बेकार जा रहा है।

श्री रामकिशन : पता नहीं, मेरी तरफ कर रहे हो या पीछे को कर रहे हो ? यह तो आप जानें, लेकिन मैं समझता हूं कि इस उम्र में इशारा करना अनुचित है। मैं तो आपसे केवल इतना-सा कह सकता हूं कि मेहरबानी करके आप जो अधूरे मन से प्रचार के लिए काम करते हैं उसे बन्द कर दें। आपका प्रचार का तरीका यह है कि जब कभी कोई बात होती है तो मुख्य मंत्रीजी कह देते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूं, मुझे सब की जानकारी है। ऐसा इम्प्रेशन दे रखा है राजस्थान में कि चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे भित्ती-चित्र हों, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृत हो, वैदिक ज्ञान हो, विज्ञान हो, चाहे आइसक्रीम पर हो, जब मुख्य मंत्रीजी से कहते हैं तो वे कह देते हैं इसकी मुझे जानकारी है। कोई दूसरा मिल जाएगा तो कह देंगे, मैं खूब पढ़ता हूं। मुझे पता है आप क्या पढ़ते हो। जेल में तो पढ़ते थे लैला मजनूं के किस्से और यहां पढ़ रहे हो राजस्थान पत्रिका में अपने भाषण। इसके अलावा मैंने तो कभी देखा नहीं। आप कुछ पढ़ते हो तो केवल राजस्थान पत्रिका में आपका भाषण छपेगा आप लेकर बैठ जाओगे और सबको पढ़ाओगे। इसके अलावा क्या पढ़ते हो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जेल में मैं तो लैला मजनूं के किस्से पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आप सिवाय अपनी पत्नी के पत्रों के कुछ नहीं पढ़ते थे।

श्री रामकिशन : खैर, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करके माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को दुबारा सोचें और इस बिल में जो कमियां

(श्री रामकिशन)

रह गयी हैं उनको दुरुस्त करने की चेष्टा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्रीजी, बोलेंगे ? उत्तर देना है क्या आपको कोई ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

पारण के लिए आप प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत राज राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्रीजी। आप बोलेंगे क्या...(व्यवधान) अब तो बहुत बोल चुके। अच्छा, कल्लाजी नहीं बोले हैं, कल्लाजी को बोलने दीलिए। आप बैठिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक से सम्बन्धित कई मुद्दे भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर रखे। मैं यहां से शुरूआत करता हूं कि इस विधेयक में जो अच्छे प्रावधान करने की चेष्टा की गयी है उसको भी हाफ हार्टेडली किया गया है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायत बिल लोक सभा में प्रस्तुत किया था और उसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए ग्राम पंचायतों में आरक्षण की बात कही गयी थी। यह बिल अभी भी केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है और बहुत शीघ्र आने वाला है। उसी के अनुरूप राजस्थान में लाया जाना चाहिए। इतनी जल्दी इन लोगों को क्या थी कि अध्यादेश लेकर आये। अध्यादेश लाने के बाद अध्यादेश के एक भी सैक्शन, एक भी क्लाज का इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। अफरा–तफरी में ये ले आये। पंचायतों के और विकेन्द्रीकरण की ये बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा पंचायतों को दी थी, इन्होंने मिडिल एजुकेशन को वापस पंचायतों से छीन लिया, केवल प्राइमरी एजुकेशन पंचायतों को दी।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह तो अच्छा ही हुआ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अच्छा हुआ या बुरा हुआ, यह तो पंचायतों के चुनाव में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ग्रामीण जनता आप लोगों को बताएगी। अभी कई लोग महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की बात कर रहे थे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये समर्थन में बोले थे उस समय। इन्होंने कहा था, पंचायतों से शिक्षा वापस ले लें। खुद कहने के बाद ऐसी बात कह रहे हैं। खुद ही कहा था आपने तो।

श्री अध्यक्ष : उजला जी, इनको इण्टरप्ट क्यों कर रही हैं। बोलने दीजिए इनको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल चलाने का काम पंचायतें कर रही हैं। राजस्थान में भी अनुभवी और अच्छे लोग हैं पंचायतों में, जो अच्छा काम कर रहे थे। उनको आपने अधिकार देने की जगह उनसे अधिकार छीने हैं और पंचायतों को कमजोर किया है। रहा सवाल पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन का, तो इसमें इतनी धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार और आपाधापी हुई है कि मैं समझता हूं राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ। लोकतन्त्र में न्याय व्यवस्था या अपील का जो अधिकार होता है उसको भी आप लोगों ने छीन लिया। जिस तरीके से + + + आप लोगों ने की है उसको राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसी तरीके से आपने धारा 2 में खण्ड (2) (क) के अन्तर्गत पंचायतों के जो निदेशक हैं उनको निर्वाचन का पूरा अधिकार दिया है। यदि निर्वाचन के मामले में आप स्वायत्तशासी संस्था की स्थापना करते तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन डाइरेक्टर, पंचायत, जो कि सरकार के सीधा अधीन होता है उसको आप पंचायत के निर्वाचन का काम सौंप रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : निर्वाचन विभाग से मतलब है यह। डाइरेक्टर, पंचायत से मतलब नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जहां तक आपने महिलाओं के आरक्षण की बात की है, केवल पंच तक आपने महिलाओं को मौका दिया है। मैं समझता हूं, पूरे सदन की यह एक राय रही है कि महिलाओं को थ्री टियर सिस्टम के हर स्थान में आरक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे प्रधानों का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव हो, हर जगह आप आरक्षण करते तो यह ज्यादा स्वागत योग्य होता। इसी तरीके से आपने धारा 21 में उप धारा (10) में दो माह की की अवधि रखी है कि कोई बैठक दो क्रमवर्ती माह में आयोजित न की जाय तो उसके लिए आप सरपंच को भी हटा देंगे। इस सम्बन्ध में कम से कम तीन माह की अवधि होनी चाहिए।

न्याय उप समितियों को समाप्त करने से ऐसा लगता है कि पंचायतों के माध्यम से जो न्याय व्यवस्था की परिकल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी, उसके बिलकुल विपरीत काम आप लोगों ने किया है। न्याय उप समितियों को इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता थी। यह उम्मीद की

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जा रही थी कि राज्य सरकार न्याय उप समितियों को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ नये प्रावधान करेगी । लेकिन इसकी जगह आपने न्याय उप समितियों को समाप्त कर अच्छा काम नहीं किया ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कल्ला साहब, यह बताएंगे कि आपकी सरकार ने न्याय पंचायतों को क्यों भंग किया था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : न्याय पंचायतों की जगह न्याय उप समितियां बनाकर एक अल्टरनेट दिया था ।

इसी तरीके से, अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज में प्रशासक की नियुक्ति में इन्होंने एक वर्ष से दो वर्ष का प्रावधान किया है । ये क्या चाहते हैं ? प्रशासक की कोई अकाउण्टेबिलिटी नहीं । पंचायतों के चुने हुए सरपंच यदि सौ में से कोई एक-आध गलत भी होता है तो चुनाव में जनता उसको हटा सकती है, लेकिन प्रशासकों की कोई अकाउण्टेबिलिटी नहीं । अभी राज्य सरकार ने कई कपोल कल्पित योजनाएं— अपना गांव अपना काम, भागीरथ, गोपाल, पता नहीं कितनी ऐसी अनेक योजनाएं बनायी हैं । उन योजनाओं की क्रियान्विती प्रशासक के ऊपर । फेमिन का काम भी प्रशासकों पर । जिस तरीके से अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इन लोगों ने जो आपाधापी और भ्रष्टाचार किया है उसकी कोई इन्तहा नहीं है । अकाल राहत कार्यों में इन लोगों ने खुले आम जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है और जनता के जो काम होने चाहिए वे काम इन्होंने किये नहीं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक तो बता दें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अनेक काम । कोलायत में, लूणकरणसर में, बीकानेर तहसील में, जोधपुर जिले में, ओसियां में अनेक उदाहरण हैं जहां प्रशासक अकाल राहत....

श्रीमती तारा भण्डारी : कांग्रेस के जमाने में एक आदमी की रेट दो रुपये बत्तीस पैसे आयी थी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दावा है कि इस हाउस की एक कमेटी बनाकर इन प्रशासकों के कार्यों की समीक्षा की जाय तो आपको महसूस होगा कि 70 प्रतिशत जो प्रशासक हैं, उन लोगों ने अकाल राहत के कार्यों में और अपना-गांव-अपना-काम में भारी भ्रष्टाचार किया है, उन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं की है । (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं अन्त में एक निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इस बिल को सरकार वापस ले और हाउस की कमेटी बनाकर केन्द्र सरकार के पास जो पंचायत राज से सम्बन्धित विधेयक है, उसी तर्ज पर यहां की स्पेसिफिक प्रोब्लम्स को ध्यान रखते में हुए हाउस की कमेटी उसके ऊपर जो राय दे, उसके आधार पर बिल लाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद । (व्यवधान) जो कम बोलने वाले हैं, पहले उनको ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस पंचायत राज (संशोधन) विधेयक पर हम चर्चा कर रहे

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं । 17 जून, 1992 को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया । मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता इस सम्बन्ध में काफी विचार रख चुके हैं कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी, क्या आवश्यकता थी या उन अमेंडट्मेंस के प्रोविजन्स को सरकार कहां एप्लाई करने जा रही थी, क्या जरूरत थी अध्यादेश को जारी करने की ? लेकिन मेरे एक बात समझ में आती है कि पिछले दिनों अखबारों में खूब पढ़ने को मिला, शायद मुख्य मन्त्री का विचार इस सदन को आहूत करने का नहीं था और जैसा अखबारों में आया अध्यक्षजी चाहते थे कि बजट सेशन से पहले एक सेशन और हो, उसी की वजह से हाउस बुलाना पड़ा हो तो उन्होंने इसी हिसाब से बजट सेशन होगा और दिसम्बर में चुनाव कराने हैं और शायद यह आर्डिनेंस जारी किया हो लेकिन इसका किसी भी आधार पर, किसी भी क्लॉज पर इसका कहीं कोई असर नहीं । आज, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि परसों मैं अपने क्षेत्र में गया, लोगों ने पूछा कि पंचायत चुनाव होंगे क्या । मैंने कहा कि 15 दिसम्बर तक पंचायत समितियों के चुनाव होने की पूरी-पूरी सम्भावना है । बोले, साहब, हमको तो कतई नहीं लगता कि होंगे । मतलब लोगों की मानसिकता इसीलिये बन गई । कि गडरिया वाला मामला हो गया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया । इतनी बार माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने और मुख्य मन्त्रीजी ने और अन्य लोगों ने पंचायत चुनाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किये बिना किसी कार्यक्रम, बिना किसी योजना के, बिना किसी रूपरेखा के कि आज वास्तव में भी अगर शायद ये चुनाव कराना चाहते हो तो भी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि दिसम्बर में होंगे या नहीं । और फिर चुनाव होंगे तो क्या सिर्फ सरपंच के होंगे या पंचायत समिति के भी होंगे या जिला परिषद के भी होंगे । कोई उसका अभी तक कुछ तय नहीं है ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसमें जो यह प्रावधान रखा है सरपंच और उप-सरपंच की 2 माह की अवधि वाला, यह बिल्कुल गलत है । इसमें यह होना चाहिये कि बिना पूर्व सूचना के । अगर सूचना देकर दो महीने की कोई इजाजत चाहता है तो उसको छूट होनी चाहिये । मैं एक बात यह कहता हूं उदाहरण के लिये, राजस्थान में ज्यादा नहीं आते होंगे लेकिन एक-आध परसेंटेज तो मुस्लिम सरपंच भी आते होंगे जो हज करने जाते हैं । 65 दिन का तो उसका प्रोग्राम होता है जाने और वापस आने का । तो वह तो इसका मतलब गया काम से । उसका कोई मतलब ही नहीं । इसलिये उसमें यह प्रोविजन रखना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : हज करने का तो सीधा खुदा के पास पहुंच गया ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, साहब, ऐसा नहीं । 80 साल की उम्र में नहीं जाता है । रमजान खांजी भी तो करके आये हैं । कहां ऊपर गये, वह तो यहीं बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं इन्होंने दाढ़ी बढ़ाई । इसलिये हाजी नहीं हैं ये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दाढ़ी मुस्तुफाजी ने बढ़ा ली । दोनों में से, किसी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

को भी मानो। (व्यवधान) तीसरा अध्यक्ष महोदय, यह जो ग्राम सभाओं का प्रोविजन रखा है, यह अव्यावहारिक है। यह अव्यावहारिक है। 1/10 उपस्थिति के लिये कोरम चाहिये वह भी प्रथम बैठक में। दूसरी बैठक में वह भी जरूरी नहीं है। दो हजार आदमी आये और कोई सरपंच जीरो घटा करके 200 ही बता दें या 20 आये और एक जीरो लगाकर 20 को 200 बता दें। यानी इसका मतलब नहीं रह गया है। या तो कोरम परमानेंट हो या कोरम का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिये।

जो इसमें परिवार नियोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये प्रोविजन रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन एक शर्त पर। और वह शर्त यह है कि गुरूजी खुद तो खाये गुड़ और बच्चों को नसीहत करें, वह चलने वाली नहीं हैं। पहले आज इस सदन में हमको यह प्रस्ताव पारित करना चाहिये कि हां, विधान सभा के सदस्यों के लिये भी यह अनिवार्यता लागू कर दी जाय। पंचायत राज मंत्रीजी हंस रहे हैं, इनके स्वयं के 5 बच्चे हैं। कैसे चलेगा यह। या मुख्य मंत्रीजी यह चाहते हों कि आगे चलकर माननीय केदारजी इनकी दोस्ती भी है, ने घोषणा कर दी कि अगला चुनाव एम. एल. ए. का नहीं लडूंगा तो शायद जिला प्रमुख बनाने का विचार हो तो इनका तो नम्बर सबसे पहले आयेगा। इनका तो है ही नहीं, शादी ही नहीं की। हरिकुमारजी औदिच्य या कैलाश मेघवाल को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अगर यह प्रोविजन रखा होतो बात दूसरी है वरना मुझे इसमें कोई व्यावहारिकता नहीं लगती कि इससे कोई फर्क पड़े। या तो यह हो कि साहब, जिसके दो से ज्यादा बच्चे हो, वह नसबन्दी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें तो वह चुनाव लड़ सकता है वरना नहीं लड़ सकता। आपको या तो इस तरीके से करना चाहिये था लेकिन जो प्रोविजन आपने इसमें रखा है उसमें तो मुझे लगता है कि न तो जनसंख्या नियन्त्रित होनी है और न कुछ ओर होना। कन्फ्यूजन जरूर क्रियेट हो जायेगा। माननीय इस तरीके की बात कहना यानी सिक्के को कुए में डाल दिया जाय, फिर उसका पता ही नहीं पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कन्फ्यूजन कहां क्रियेट हुआ ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कन्फ्यूजन ही हो गया। कोई यह कह रहा है कि जिसके दो हैं, वह लड़ेगा, या नहीं लड़ेगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, 20 तरीके की बात इसमें हो गई। मतलब कोई इसका असर निकलने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि या तो ईमानदारी से, आपको कोई शंका है नहीं, आपके तो एक बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दो बच्चे हैं, नसबन्दी 8 साल पहले करा ली। इसलिये करो हिम्मत आप तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पंचायत का सरपंच तो बनना है नहीं, न प्रधान बनना है। इसलिये एक हो या दो हो, क्या फर्क पड़ता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अजी, मैं तो एम. एल. ए. के लिये कह रहा हूं। आप विधान सभा के लिये कानून बनाने की स्थिति में तो नहीं है लेकिन हम प्रस्ताव तो पास कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरीके का कानून बनाया जाय।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(समय समाप्ति सूचक घंटी) अन्त में यही कहना चाहता हूं कि यह न्याय उप-समिति जो खत्म की है, यह भी ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय पंचायत राज वह संस्था है, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे भावना भी यही थी संविधान निर्माताओं की कि प्रशासन छोटे स्तर पर भी; नीचे स्तर पर जाय। इसलिये उसमें जो कुछ चेंज करें तो बहुत सोच-समझकर व्यावहारिक दृष्टि अपनाते हुए लोकतन्त्र की जड़ें गांव-गांव में मजबूत हों; आम आदमी की उसमें हिस्सेदारी हो, उस हिसाब से करना चाहिये।

पुनर्गठन का जो तरीका अपनाया गया, मैं दावे से कह सकता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं; एम. एल. ए. की उसमें कोई राय नहीं ली। हमें जबरदस्ती जाकर कलेक्टर को कहें कि हमारे यहां ऐसे करो तो भी उसका कोई महत्व नहीं। कम से कम एक कमेटी बना देनी चाहिये थी। या तो आब्जर्वर आया था, उसकी सूचना एम. एल. ए. को दी जानी चाहिये थी कि फलां अधिकारी को अपांईण्ट किया है, आप भी आओ। तब जाकर उसमें बात करें। कोई राय नहीं ली गई। क्षेत्र के बारे में आपने उसको कर लिया। जिस मन से आयी वैसी कर ली। कह दिया 2000 होगी, कहीं 800 की है। सीमावर्ती जिलों को छोड़ दें, भीलवाड़ा की अभी लिस्ट देख रहा था, कहीं पर 1600 की बना दी, कहीं पर 4300 की पंचायत बना दी। आखिर कुछ तो उसका आधार होना चाहिये। जो आधार बनाया था, जो प्रक्रिया थी, उसकी सही तरीके से ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिये।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को पारित नहीं किया जाय। इसके विरोध में अपना मत व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पारीकजी, दो मिनट बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत संस्थाओं के मामले में आज जनभावना जितनी उद्वेलित, उसको देखते हुए यह बहुत बड़ा अहम् मुद्दा है कि पंचायत कानून में जिस प्रकार का संशोधन हम करने जा रहे हैं, उसके लिये जनभावना का जानना अतिआवश्यक है क्योंकि यह मसला पूरी तरह से जनभावना से जुड़ा हुआ है। पंचायत कानून में जिस तरह के संशोधन किये गये हैं, उस पर काफी चर्चा माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर की गई है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाकर के मात्र कुछ बात....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज तो अनहोनी हो रही है। आज इतनी संवेदनशीलता से बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह अध्यक्षजी की सोहबत का असर है।

सरकार की मंशा यदि वास्तव में ही जन जाति, अनुसूचित जाति के आरक्षण के बारे में दृढ़संकल्पित होती तो अभी हाल ही में सी. सी. बी. के चुनाव हुए हैं उसमें भी यह मुद्दा उठा था कि इस मामले में आरक्षण रखा जाना चाहिये लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की केवल लोगों को भ्रम में डालने की सी स्थिति है। पंचायत के इस कानून के मामले में काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो संशोधन करके या जिस तरह वार्डस

(श्री राजेन्द्र पारीक)

का पुनर्गठन पंचायत के मामले में किया गया है और जिन लोगों के लिये वोट देने के लिए बताया है, उनको वोट देने जैसी स्थिति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह का पुनर्गठन किया गया है, मैं अपने सीकर के बारे में तो देख ही रहा हूं, बाकी अन्य कई जगहों के बारे में मैंने देखा है कि पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में वे इतने अनभिज्ञ हैं, जिन वार्डस को इन्होंने पूर्व में, 1985 के चुनाव में शहर में ले रखा है, उनको शहर से डिमार्क किये बिना ही पंचायत में कर लिया। पिछली बार जो पंचायतों के चुनाव हुए, वह शहर में लेने की वजह से वोट से वंचित रह गये है। इस बार उनका इस में ले लिया। नगर परिषद् और नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने हैं तो वह इससे वंचित रह जायेंगे। आज यदि हम इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें पंचायतों के चुनाव करवाने हैं तो कम से कम इस तरह के जो पुनर्गठन के मामले हैं, इनको तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जैसी स्पष्ट बात हो गई। एक तरफ हम चुनाव कराने के लिए बिलकुल तैयार बैठे हुए हैं और माननीय मुख्य मन्त्रीजी 4 या 5 दफा घोषणा कर चुके हैं और आज भी घोषणा करने जा रहे हैं। जब हमने यह मानस बना लिया कि चुनाव होने हैं तो कम से कम ऐसी जो विसंगतियां हैं, इनको दूर किया जाना अत्यावश्यक है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ पुनर्गठन का मामला और दूसरी तरफ जनसंख्या वाला सवाल है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब दो लाइनं पर दो बिन्दु तो लगा चुके हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी जैसी आज्ञा।

मैं तो, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों का मामला जनभावना से जुड़ा हुआ है और बिलकुल ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ है, इस इस प्रकार के कानून में संशोधन किया जाना हो तो उन लोगों की जन-भावना जानने के बाद ही होना चाहिए। यह आम कानन जैसी बात नहीं है कि आपने कोई कानून बना दिया और उसे पास कर दिया। यह लोगों की जन-भावना से जुड़ा हुआ है इसलिए यह उन लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन लोगों की जानकारी में आना चाहिए कि सरकार क्या बनाने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस के जरिए जो यह बिल ला रहे हैं माननीय मंत्रीजी, उनसे मैं केवल 2–3 जानकारी लेना चाहूंगा और एक सुझाव भी देना चाहूंगा। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? मेरी राय में यह आपका बिल अधूरा है। आप यदि वास्तव में पंचायत राज व्यवस्था को पुनर्गठित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस बिल में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए था। जो संशोधन आपने

(डा. चन्द्रभान)

किए हैं वह तो नाम मात्र के संशोधन हैं। कार्यकाल का सवाल है, आपने ग्राम सभा के इसमें संशोधन किया, एस.सी./एस.टी के रिप्रजेन्टेशन का है वह भी अधूरा है और एक न्याय उप समिति को हटाने का काम किया है। आप यह समझते हैं कि न्याय उप समिति हटा कर आपने अच्छा काम किया है तो यह आप जाने। परन्तु यह आपने अच्छा काम नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतें जो बनाई गई थीं तो उनके साथ-साथ यह मकसद भी था कि ये ग्रामीण विकास की सुप्रीम बाडी होंगी। इसके साथ ही गांव के अन्दर सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रमुख केन्द्र होंगी और गांव में छोटे-मोटे झगड़े सुलटाने जैसी न्याय की प्रतिष्ठा थी उसको तो आपने खतम कर दिया। रहा सवाल जनतांत्रिक व्यवस्था का उसको मजबूत करने का सवाल तो आपने जो अमेण्टमेंट किए हैं और अभी आपने चुनाव के बारे में घोषणा की वह भी अधूरी थी। 15 दिसम्बर तक चुनाव होंगे। काहे के चुनाव होंगे? मेरे से पहले कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी चर्चा में कह रहे थे, अध्यक्ष महोदय, 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत थी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने केवल ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाए थे और यह कहा था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है इसलिए उसके बाद में पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव करवायेंगे। अब यह फिर केन्द्र की आड़ लेंगे, सेंटर बिल की बात कहेंगे और पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव के बारे में मौन रहेंगे। एक तो मेरा निवेदन यह है कि चुनाव की घोषणा को तो वह अधूरी की, वह अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए और जो बिल ला रहे हैं, इसमें आपने पंचायत समितियों के सम्बन्ध में तो काफी कुछ कहा है, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। हमको तो प्रसन्नता हुई कि अब पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था के जरिए कम से कम मण्डल की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे ग्रामीण स्तर पर चाहे इसे सामाजिक दृष्टि से आप स्वीकार नहीं करें, अलग बात है लेकिन मण्डल पंचायत का कंसेप्ट आपने दिया, आपके लोग बेंगलोर भी घूम कर आए हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। आप आधा-अधूरा बिल क्यों लेकर आए हैं, आप इसका पूरा बिल लेकर आते। पंचायत समिति, मण्डल कमेटी, जिला परिषद् क्या होंगी, उनके वित्तीय अधिकार होंगे यह सब कुछ आपको स्पष्ट करना चाहिए था और फिर चुनाव की घोषणा करते तो एक मुश्त करते। अधूरी घोषणा आपको नहीं करनी चाहिए थी।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिए हैं लेकिन इसको टच नहीं किया है। केवल पण्डित श्री रामकिशनजी ने कहा है। मैं उनकी बात का विरोध करता हूं। पंचायतों का जो कार्यकाल है, यह तो आपने अच्छी व्यवस्था की है कि पंचायत समितियों के कार्यकाल की अवधि जब समाप्त हो जाएगी तो केवल उन्हें 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है जो कि पहले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाता था। यह तो आपने अच्छी व्यवस्था की है।

(डा. चन्द्रभान)

लेकिन पंचायत का जो कार्यकाल है उसे आप 3 से 5 वर्ष क्यों करना चाहते हैं ? क्या विधान सभा के कार्यकाल को 5 से 10 वर्ष का करने के पक्ष में हैं ? (व्यवधान) कौन पक्ष में है ? यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : वह तो चाहते ही यह हैं ।

श्री अध्यक्ष : आज अभी 10 वर्ष कर दें तो आपके भी 10 वर्ष हो जायेंगे ।

डा. **चन्द्रभान** : नहीं, अध्यक्षजी, मैं तो पक्ष मे नहीं हूं, जनता भी पक्ष में नहीं है और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि इमरजेन्सी में जब स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 5 साल से बढ़ाकर लोकसभा का कार्यकाल 6 साल किया और फिर 7 साल किया तो आज जो सत्ता पक्ष में हैं और अभी हम जो विरोध पक्ष में हैं, उन सब लोगों ने उसका विरोध किया था, कांग्रेस के लोगों को छोड़कर । तो आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि इन सस्थाओं का कार्यकाल 3 साल ही रखा जाना चाहिए । यह व्यवस्था ठीक है । उनकी कार्य अवधि समाप्त हो जाए तो 6 महीने की व्यवस्था रहनी चाहिए । एक आपकी एस. सी./एस. टी. के रिप्रजेन्टेशन की बात का मैं समर्थन करता हूं । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसमें भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया । जहां तक अनुसूचित जाति और जन जाति का मामला है इसमें तो सरकार स्पष्ट है लेकिन महिलाओं के मामले में कुल मिलाकर इसमें अनुसूचित जाति और जन जाति की जो महिलाएं होंगी उनके साथ क्या होगा ? कृपया आप अपने जवाब में यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री हेतराम बेनीवाल ।

डा. चन्द्रभान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं चुनाव के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्पष्ट कार्यक्रम की घोषणा करें । यह 15 जुलाई और 15 दिसम्बर की बात आपने इतनी ज्यादा कह दी कि जनता विश्वास नहीं करती है आपके ऊपर ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी वर्मा, आप बहुत बोल चुके हैं, इस पर ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेण्डमेंट हमारी यह सरकार इस पंचायत बिल में लाई है मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ प्रचार का महत्व तो हो सकता है, पर बुनियादी तौर से जो गांवों में पंचायत व्यवस्था है, जिस तरह से पिछले 25-30 साल में धीरे-धीरे उसके अधिकार छीने गए हैं, और छीने जायेंगे । जिन सरपंचों को विकास के काम कराने होते थे वह कमजोर हो गए हैं और पिछले डेढ़ साल-दो साल का जो हमारा अनुभव है, हमने सरपंचों के बजाय राज्य सरकार की ओर से प्रशासक नियुक्त कर दिए । राजस्थान सरकार की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी पालिटिकल बिल तो इस बात से वास्तव में जाहिर होती है कि उन्होंने उन प्रशासकों को एक साल तक विकास का काम दिया जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (फोर्थ क्लास वर्कर्स) के बराबर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हैं। चुने हुए सरपंच की जो पांच हजार–सात हजार की आबादी के लोगों से चुना जाना है, पावर्स उनको दे दी और पुनः जो बिल लाए हैं उसके लाने के बाद भी उन्हीं की व्यवस्था क़ायम रखी गई है जो एक साल या दो साल तक प्रशासक नियुक्त किए जायेंगे। मैं समझता हूं कि जो कुछ हमने देखा एक साल में और जिसमें भ्रष्टाचार इस विकास के काम या गांवों की व्यवस्था की बरबादी हुई है, जितनी आबादी भूमि है वह पूरी की पूरी यहां तक की जोहड़, पाइप लाइन, कुये, जोड़, गलियां सब की सब इन प्रशासकों द्वारा अलाट कर दी गई और गांव की सारी व्यवस्था बरबाद कर दी गई। इससे सबक लेंगे और इस व्यवस्था को इससे हटायेंगे कि आइन्दा कोई प्रशासक नहीं होगा। किसी पंचायत की टर्म 6 महीने बढ़ाई जाए या साल बढ़ाई जाए वह अलग बात है पर उसमें कोई प्रशासक नाम की व्यवस्था नहीं होगी। चुने हुए लोग होंगे और चुने हुए लोगों को चार्ज देंगे। यह व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तक पंचायतों को मजबूत करने का सवाल है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि हिन्दुस्तान में एक मिसाल है, बंगाल में पिछले 10 साल में पंचायत बिल में अमेण्डमेन्ट करके सरपंचों को, वहां की पंचायत समितियों को जो पावर्स दी हैं और जो विकास का काम किया है वह सारे हमारे देश में एक मिसाल है। इसलिए उन्होंने यह नहीं किया कि नसबन्दी का सर्टिफिकेट मांग लिया उनसे या उन्हें यह कह दिया कि 3 साल की बजाय 4 साल करेंगे। यह जो ऊपरी आचरण है, इससे मैं समझता हूं कि यह कोई गलत है, परन्तु इस आचरण से कुछ नहीं होगा। सरपंच को जो पावर्स हों कि एक गांव के अन्दर सड़क बनती है तो सरपंच की इच्छा के मुताबिक नहीं बनेगी, सरपंच की उसमें कुछ भी भागीदारी नहीं होगी। एक गांव से दूसरे गांव तक कोई सड़क बनती है तो सरपंच की कोई भागीदारी नहीं होगी, गांव के अन्दर जो चिकित्सा व्यवस्था उसके अन्दर सरपंच का कोई दखल नहीं होगा. पूरी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारा केन्द्र है प्रान्त का, उससे नियन्त्रित होगी और उसके नियन्त्रण के कारण वह सरपंच कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होगा, गांव के जो दूसरे काम हैं सिवाय एक जी. आर. वाई. के काम के और वह भी इसलिए कि केन्द्र ने कर दिया,

(7.00 सायं)

राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। जे. आर. वाई. का जो पैसा है वह पंचायतें खर्च करेंगी इसलिये विकास के काम पंचायत के पास चले गये हैं. इसके सिवाय सारे के सारे काम आज पी. डब्ल्यू. डी., आज चिकित्सा का काम चिकित्सा विभाग या हमारे जो टैक्स कलेक्शन का काम है, गांवों के अन्दर भट्टे लगते हैं कौन सा ऐसा काम है जिसको हम पंचायतों को सौंपकर पंचायतों की स्थिति इतनी मजबूत कर सकते हैं कि सारे गांव की और पंचायत के क्षेत्र के विकास की व्यवस्था वह करे, अगर राजस्थान सरकार वाकई चाहती है तो इस तरह के पावर्स दे। मैं इसके हक में हूं। टैक्स कलेक्शन की पावर भी पंचायतों को होनी चाहिये। जो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

उस गांव में भट्टे लगे हुये हैं, खान है, उस गांव में कोई व्यवस्था है उसका टैक्स वसूल करने का अधिकार अगर पंचायत के पास हो और टैक्स कलेक्ट करे और इस तरह की पावर्स पंचायत के पास आज है तो अध्यक्ष महोदय, एक म्यूटेशन की पावर पंचायत के पास दी और हमें बड़ी खुशी थी इस बात से कि कम से कम म्यूटेशन का काम पंचायत करेगी। आज इस तरह के नियम बना दिये गये राजस्व में कि म्यूटेशन का काम भी पटवारी और तहसीलदार की सलाह से होता है, सरपंच की सलाह से कुछ नहीं होता। जब तक पटवारी को भेंट नहीं चढ़ाये या तहसीलदार को राजी नहीं करे, कोई काम म्यूटेशन का नहीं हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पावर्स, गांव में जो छोटे काम है, रेवेन्यू के काम है जिसमें गांव के लोग बहुत ज्यादा ऊंचे हुये हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत दफा कहा है कि महाभारत है उसकी मैं गुटका बनाना चाहता हूं हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा बना कर आपने पटवारियों के हाथ में दे दिया तो वह फिर महाभारत बन जायेगा। यह आप चुने हुये लोगों की पंचायत को पावर दीजिये, वह इस्तेमाल करें। अगर वास्तव में यह हुआ तो निश्चित तौर से कुछ गांवों के अन्दर हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी का स्टेटमेंट इसके बाद होगा ?

श्री अध्यक्ष : आपके बाद होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी का स्टेटमेंट होने जा रहा है, मुख्य मन्त्री जी ने एक पत्र सभी प्रमुखों को 26 मई, 1990 को लिखा था और उस पत्र में उल्लेख किया था कि एक मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि भारत सरकार इस हेतु आतुर है कि न केवल पंचायत राज संस्थाओं के ढांचे को दृढ़ता ही प्रदान की जावे बल्कि सभी राज्यों के मूलभूत ढांचे में समरूपता भी प्रदान की जावे जिससे कि पंचायत राज संस्थायें जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कारगर संवेदनशील एवं प्रभावशाली प्रशासन दिये जाने में अपने उत्तरदायित्व को सही ढग से निर्माण कर सके। मुख्य मन्त्री जी ने इस लेटर में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस है, मुझे जल्दी जाना है और आपकी परिपक्व राय मुझे जाननी जरूरी है ताकि उससे इक्विप्ट होकर आपके जो उपयोगी सुझाव हैं, उन बहुमूल्य सुझावों को मैं चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में उपयोग कर सकूं। जब यह प्रिन्सिपल्स आफ दी बिल डिसकस हो, मुख्य मन्त्रीजी का स्टेटमेंट होने वाला है पंचायती राज संस्थाओं की एकरूपता के बारे में, जो ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो खड़ा करना चाहते हैं और समग्र ढांचे की जो आपकी कल्पना है और कोई रूप रेखा या प्रारूप आपके दिमाग में है, क्योंकि माइण्ड तो आपका फर्टाइल है, मुझे मालूम है कोई न कोई आपके दिमाग में बात तो है, इसके सम्बन्ध में आप सदन को अवगत करा सकें तो ज्यादा उचित रहेगा। इस बिल के सम्बन्ध में तो मुझे जो कुछ कहना था पहले कह दिया लेकिन एक ही बात मैं जानना चाहता हूं, मेरा एक सुझाव है आपने क्लॉज 15 से चेप्टर 4 को पूरा डीलिट कर दिया है—

(श्री परसराम मदेरणा)

"The deletion of Chapter IV of Rajasthan Act No. 21 of 1953: Chapter IV of the Principal Act with all the sections contained therein, namely section 7—B to 62,........"

उसके बाद में अध्यक्ष महोदय, चेप्टर 5 जो है वह स्टेट्यूट बुक का है उसमें कोई रीनम्बरिंग नहीं किया है। यूं का यूं चेप्टर पांच पंचायत फण्ड एण्ड बजट, तो या तो उसका रीनम्बरिंग करना चाहिये या 5 का, 4 को बीच में से उड़ा दिया, वह तो अभाव हो गया क्योंकि आपके पास पावर्स है आर्डिनेन्स को प्रमोलगेट करने की लेकिन उसके बाद में मैं समझता हूं कि यह इसमें कोई गलती रही है या आपने उसमें कहीं इसका प्रावधान कर दिया है और मेरी निगाह उसमें नहीं पड़ी है, इसका रीनम्बरिंग होना चाहिये था। और अन्त में अध्यक्ष महोदय, कई दफा यहां पर मीटिंग बुलाई, मुख्य मंत्रीजी ने कुछ सलेक्टेड लोगों को बुलाया फिर बाद में प्रमुखों की मीटिंग भी बुलाई और प्रधानों को भी बुलाया। खूब चर्चायें यहां पर हुई और सभी प्रमुखों की जो मीटिंग यहां पर बुलाई थी सरकार ने, रिकमण्डेशन उन्होंने की है। रिकमण्डेशन नम्बर 21 में न्याय व्यवस्था को सुदृढ करने की बात कही गई है लेकिन न्याय व्यवस्था को समाप्त करने का जो प्रयास किया गया है इस बिल के जरिये, मैं प्रिन्सिपली इसको प्रतिगामी कदम मानता हूं और मेरी ऐसी निश्चित मान्यता है कि नीचे के स्तर पर न्याय सस्ता मिल सकता है, लोगों के आपसी झगड़े का समाधान जल्दी हो सकता है, आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, पूरी पंचायत राज व्यवस्था के सम्बन्ध में जो एक कल्पना थी, एक तरफ तो जनता की अदालतें यहां फैसला कर रही है छोटे-मोटे मामलों का और दूसरी तरफ आप कंबरसम प्रोसीजर के ऊपर कोर्ट्स में डाल रहे हैं गांव की छोटी-छोटी समस्याओं को, यह अनुचित है। इसलिये यह सुझाव देते हुये मैं चाहूंगा कि जो कुछ प्रारूप और समस्या लाना चाहते हैं तीनों ही टायर्स की थ्री टायर्स की इसमें न्याय व्यवस्था का भी प्रावधान रखेंगे ग्रास रूट लेबल पर और ग्राम पंचायतों के स्तर पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा में उन्होंने भाग लेकर अपने विचारों से इस सदन को अवगत करवाया। मोटे रूप से दो प्रकार की चर्चा हुई। एक तो पंचायतों के चुनाव करवाने में विलम्ब हुआ उसकी आलोचना की गई और दूसरा यह विषय उठाया गया कि पंचायतों के अधिकार वापस लिये जावे। अभी भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि न्याय पंचायत व्यवस्था में जिस प्रकार का परिवर्तन किया गया है वह रिट्रोग्रेड है। उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की है, कड़ी आलोचना की है लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि व्यवस्था कब समाप्त हुई.... (व्यवधान).... आपको और इस सदन को जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने आज के कुछ वर्षों पहले एक समिति का गठन किया था और उस समिति के अध्यक्ष थे श्री गिरधारीलालजी व्यास। उस समिति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने अपने प्रतिवेदन में यह अनुशंषा की थी कि न्याय पंचायतों से जनता को न्याय नहीं मिलता है और इसलिए न्याय पंचायतों को समाप्त किया जाय । उस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया । उस समय की सरकार में मैं नहीं था । उस समय की सरकार कांग्रेस पार्टी की थी और उस सरकार ने इसको स्वीकार किया... (व्यवधान) मैंने बहुत तसल्ली से सुना है । कितनी आपने आलोचना की है । मैं आलोचना नहीं करूंगा, आपकी प्रशंसा ही करूंगा (व्यवधान) मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 1980 के बाद कभी न्याय पंचायतों के चुनाव हुए हैं, क्या 1980 में मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री था.... (व्यवधान) मैं 1980 के फरवरी तक था... (व्यवधान) अब अध्यक्ष महोदय, देखिये, ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं क्षमा चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के चुनाव हर बार होते रहे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जानकारी करने की जरूरत नहीं है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 में जब चुनाव हुए पंचायतों के, क्या उस समय न्याय पंचायत के चुनाव कराये गये.... (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लें । चुनाव ही नहीं हुए । (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : चुनाव हुए हैं । मैं भी सरपंच था, न्याय समितियों के हुए हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सरपंच थे । आप बैठ जाओ । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक एक्जीक्यूटिव आर्डर से न्याय व्यवस्था को समाप्त किया गया, केवल एक एक्जीक्यूटिव आर्डर से । कानून में संशोधन नहीं किया गया । पंचायत समिति और पंचायत के कानून में संशोधन नहीं किया गया लेकिन पंचायत की व्यवस्था के विपरीत केवल एक एक्जीक्यूटिव आर्डर से इस न्याय व्यवस्था को समाप्त किया गया । आज वही माननीय सदस्य कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था को खत्म करना रिट्रोग्रेड स्टेप है । मेरी समझ में नहीं आता कि परसराम मदेरणा जैसा व्यक्ति, जिसकी स्मरण शक्ति कांस्टीट्यूशन की बहुत, कानून की बहुत, विधान सभा के नियम और प्रक्रिया की बहुत, वह आज इस प्रकार के आरोप किस आधार पर लगा रहा है । जो कुछ आपका एक्जीक्यूटिव आर्डर था, उसको कानून सम्मत बनाने का प्रयास किया है । या तो आपका आर्डर गलत था, यदि आप आलोचना उसकी कर रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं तो आपने इसमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहा कि इस न्याय व्यवस्था में क्या अधिकार पंचायतों को दिया जाय । उसका आपने कभी भी जिक्र नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर इसी प्रकार की अन्य चर्चा हुई लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो कुल विधेयक की धाराओं में संशोधन किया गया है, उसका अधिकांश माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है । वह जरूर इच्छा जाहिर की कि कानून बहुत ही काम्प्रिहेन्सिव होना चाहिये । जो इस पंचायत कानून की खामियाँ है, उनको दूर किया जाना चाहिये । उसमें कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट भी किये जाने चाहिये । मैं समझता हूं, यहां तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्यों का कहना उचित है, इस कानून में बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मैं इसको मना नहीं करता और मैं वह भी नहीं कहता कि कोई काम्प्रिहेन्सिव लाये। यह काम्प्रिहेन्सिव भी नहीं है। यह केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया, उसको किस प्रकार से जल्दी की जाय, उस दृष्टि से यह संशोधन विधेयक लाया गया। यहां यह भी पूछा गया कि आर्डिनेन्स इश्यू करने के क्या कारण थे ? यह स्पष्ट है कि 1991 में जब पंचायतों को भंग किया गया तथा एक वर्ष तक ही एडमिनिस्ट्रेटर ही वहां लग सके, इस प्रकार की पूर्व कानून में व्यवस्था थी। अगर जून में इस प्रकार का आर्डिनेन्स जारी नहीं होता तो पंचायतें तो भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर लगा नहीं सकते तो सस्पेंस में रहता सारा काम ? इसलिए विचार किया गया कि सस्पेंस नहीं रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर की अवधि बढ़ानी है और वह अवधि बढ़ाई गई और इसके लिये आर्डिनेन्स लाया गया और अब आप यह कह सकते हैं कि जिस बात के लिए आर्डिनेन्स लाया गया, उसके साथ ये धाराएं क्यों जोड़ी गई। मैं समझता हूं यह तो अच्छा है। लेजिस्लेशन पाइंट आफ व्यू से अच्छा है कि हम पीसमील लेजिस्लेशन नहीं लाये। जो कुछ आवश्यक संशोधन करना था, उस संशोधन करने की दृष्टि से जो भी संशोधन आया है, यह उसी कारण से संशोधन लाया गया है। मूल मकसद आर्डिनेन्श का यही था कि एक वर्ष की अवधि समाप्त हो रही थी, उस अवधि को एक्सटेंड किया जाय ताकि किसी प्रकार का सस्पैंस नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह प्रश्न उठाया गया कि पंचायतों के चुनाव कराने में बहुत विलम्ब हुआ। इस सदन को कई बार कह चुका हूं और बहुत बार सुन चुका हूं विपक्ष के नाते और सत्तारूढ दल के नाते, मैं ये दोनों बातें सुन चुका हूं। पचायतें यदि बड़ी होती हैं तो सरपंच अपने गांव के विकास की चिन्ता करता है और उस पंचायत क्षेत्र में बाकी के जितने गांव आते हैं, उन गांवों की उपेक्षा होती है। इसी सदन में मैंने सुना है, सरपंच अपने गांव के अन्दर हैण्ड पम्प लगवा लेवें, अपने गांव में विद्युतीकरण करवा लेवें, अपने गांव में स्कूल खुलवा लेवें का विकास के काम करवा लें और बाकी के गांवों में किसी प्रकार का विकास का काम नहीं करवाता, तो हमने विचार किया है कि पंचायतें छोटी हों और छोटी करने के लिए पंचायतों का डिलिमिटेशन कराया जाय। इसकी हमने व्यवस्था की और उस व्यवस्था के आधार पर हमने कलक्टर्स को कहा कि कलेक्टर्स एक लिस्ट प्रकाशित करें, प्रारूप के रूप में और उसमें जितने भी सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर एक लिस्ट फाइनल रूप में बना दें। जब वह लिस्ट फाइनल रूप में बनी, उसमें विधान सभा में चर्चा हुई, माननीय मदेरणा साहब अच्छी तरह जानते हैं कि विधान सभा के अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि जो कुछ कलक्टर्स ने रिपोर्ट दी है, उसी को फाइनल मान लिया जाय। केवल आपका मत नहीं था। (व्यवधान) दो-चार और होंगे लेकिन प्रमुख रूप से आपने उसका विरोध किया। आपकी पार्टी के नेता जोशीजी इस बात को स्वीकार कर गये लेकिन शायद जोशीजी की बात को मानना आपने उचित नहीं समझा, उसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आप मेरा हाल देखिये, बाकी के सब सदस्यों को नहीं मानते हुए केवल मैंने आपकी बात मानी है और आज आपने ही मेरी सबसे ज्यादा आलोचना की........

श्री परसराम मदेरणा : आपने कानून को, you have not consulted with the Law Department.

आपका नोटिफिकेशन इश्यू हो सका था, यह 4 अप्रेल की बात है और नोटिफिकेशन पब्लिक हो गये थे पंचायतों के हैड क्वार्टर पर........

(7.18 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर आपने एक अपोच्युनिटी दे दी, आपने गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया, आपने नोटिसेज सारा कर दिये, उसके बाद में अगर कोई लॉ से स्केटल कर सकते थे तो वह प्रिंसिपल आफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता, पिटीसन्स होती हैं और इसलिए यह तो मैं समझता हूं, मेरी जो राय थी, मेरा यह दुर्भाग्य है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मान गया। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस कानून की खामी को निकाल दिया और मैं आपका और आभारी हूं होता कि इस कानून की खामी से आप अपनी पार्टी के दल के नेता को भी परिचित करा देते ताकि वे उसका समर्थन नहीं करते। आप यह सारी बुद्धि अपने पास रिजर्व में ही क्यों रखते हैं....(व्यवधान) आप पार्ट विद क्यों नहीं कर रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : आप क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो यह कहते हैं कि बाकी के मन्त्रियों को काम नहीं करने देते ? उनको जानकारी नहीं देते और खुद का क्या हाल है। अपने नेता को भी जानकारी नहीं देते। अब इन दोनों में आप विचार कर लें। मेरी और आपकी नीयत काम के बंटवारे की है लेकिन लोग नहीं समझते हैं, आप भी दूसरे लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं लेकिन आप दे नहीं पाते हैं। अब इसका दोष मेरा तो नहीं है....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने तो ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनसे ज्ञान लेता हूं, मैं तो आपसे भी लेता हूं। ज्ञान देने की जिसमें भी क्षमता हो, मैं उनसे ज्ञान लेने का प्रयत्न करता हूं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जिला कलक्टर्स, इनके यहां पर सारी चीजें आईं, उसको मैंने विपक्ष के नेता से चर्चा की, उन्होंने कृपापूर्वक एक बैठक में भाग लिया और हम सबने विचार किया कि कलक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं किया जाय बल्कि कमीशन नियुक्त किया जाय। वहां तक व्यक्ति के कमीशन नियुक्त करने की बात आई, जिसको

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

स्वीकार नहीं किया गया और यह कहा गया कि एक व्यक्ति का कमीशन नियुक्त करने से, जैसा 1962-63 में डिलिमिटेशन पहले हुआ था, उसमें बहुत समय लग गया और समय लगेगा, इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि गवर्नमेंट अपने पावर्स डेलीगेट कर दें और जगह-जगह दो-दो, तीन-तीन जिलों के लिए एक-एक अधिकारी को नियुक्त कर दें। हमने उसी आधार पर अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। उनकी रिपोर्ट फाइनल हुई, फाइनल होने के बाद पब्लिश हुई। जब वह सारी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी उसके बाद में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब इसमें आप भी जानते हैं कि अगर मैं किसी तरह से इस प्रोग्रेस में कोई रोड़े अटकाता या स्केटल करता तो निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया में कहीं न कहीं स्टे हो जाता और चुनाव हम किसी प्रकार से समय पर नहीं करा सकते। चुनाव में विलम्ब हुआ इसका मुझे भी दुःख है। मैं इसके कारण से ऐसा समझता हूं कि कोई राजनीतिक लाभ मैंने कमा लिया, ऐसा नहीं है। चुनाव में विलम्ब होने के कारण से न हमें राजनीतिक लाभ मिला है, न आपको मिलने वाला है। चुनाव जल्दी हो लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी छोटी पंचायतें होगी उतना ही राजस्थान का विकास होगा। जितनी बड़ी पंचायतें होगी राजस्थान के विकास में कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न होंगे। उन अवरोधों को खत्म करने के लिए मैंने पंचायतों को ढांचा छोटा हो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए डिलिमिटेशन किया और उसी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट अब प्रकाशित हुई और वही चुनाव का एक आधार बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में यह भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि पहले पंचायतें थी 7358 और अब हो गई हैं 9158। 1800 ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। यहां डिलिमिटेशन के बारे में कहा गया कि अमुक स्थान पर यह हो गया। एक माननीय सदस्य ने तो यह भी कह दिया कि पैसे लेकर डिलिमिटेशन की कार्यवाही की गई। मैं उनका आह्वान करता हूं कि.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बाद में कह दीजिए।

श्री कमलेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी डिनाई करना पड़ेगा। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं पैसा लेकर डिलिमिटेशन के लिए रिकमण्डेशंस की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसके जनता की तरफ से एफिडेविट भी मैंने कलेक्ट किए हैं। आपकी अनुमति हो तो मैं हाउस के पटल पर रख दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि 9158 पंचायतें हैं। 9158 पंचायतों का डिलिमिटेशन हुआ है, एक-दो पंचायतों का तो हुआ नहीं।... (व्यवधान).. 7368 पहले थी, अब हैं 9158। अब इसमें जोड़-बाकी की मेरी गलती हो तो आप निकाल लीजिए। 1800 पंचायतें ज्यादा हो गई। अब इतने बड़े राजस्थान में 3 हजार रेवेन्यू विलेज हैं। 3 हजार गांवों में पंचायतों का विभाजन करने में कोई गलती हो सकती है। मैं नहीं कहता कि टोटल फूलप्रूफ सिस्टम था जिसके कारण से आबादी का, दूरी का या मुख्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केन्द्र कहां बने इस बात में कोई गलती नहीं हुई हो। गलती हो सकती है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा इसी पंचायत अधिनियम में व्यवस्था है कि इस गलती को दुरुस्त करना चाहे तो राज्य सरकार चुनाव के पश्चात् भी इस गलती को दुरुस्त कर सकती है। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई अपेरेंट मिस्टेक्स होगी और मेरे नोटिस में आयी तो मैं निश्चित रूप से उन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा मैं यह सदन को आश्वासन देता हूं।

जहां तक डिलिमिटेशन में करप्शन का सवाल है, माननीय सदस्य ने कहा। मैं आपको विश्वास से कहता हूं आप जिस अधिकारी से जांच कराना चाहें, मैं जांच कराने को तैयार हूं। नाम आप बता दीजिए, मैं जांच करा लेऊंगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह डिलिमिटेशन की प्रोसेस निकल गई। आपने डिलिमिटेशन के प्रोसेस के साथ यहां पर यह भी जिक्र किया कि 3 वर्ष से 5 वर्ष का कार्यकाल क्यों बढ़ाया? अब मेरी समझ में नहीं आता 3 वर्ष से 5 वर्ष का 5 वर्ष का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जाय? पंचायतों का जब पहले चुनाव हुए तो 5 वर्ष की अवधि थी। ...(व्यवधान).... पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। 1963 में जब चुनाव हुए उस समय 3 वर्ष ... कराये गये। मर गये लेकिन चुनाव की अवधि बढ़ती गई। 13 साल तक चुनाव नहीं कराने वाले कांग्रेस के नेता आज यह कहें कि पंचायत राज की भावना को खत्म किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 13 वर्ष तक आपका राज क्या कर रहा था? क्यों नहीं चुनाव कराये?

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रशासक तो नहीं लगाये थे। आपने तो प्रशासक लगा दिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।.... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने तो पंचायतें भंग करके जन-प्रतिनिधियों को बिल्कुल ही साफ कर दिया। कांग्रेस राज में चुनाव नहीं हुए, ठीक है, लेकिन जन-प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। आपका यह कहना है कि जन-प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे लेकिन यह तो सही है या 13 वर्ष तक आपने चुनाव नहीं कराये?

अनेक माननीय सदस्य : सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही है। तो जब 13 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये और वे लोकतन्त्र की बात करें मेरी समझ में यह नहीं आता। आज आप विधान सभा के सदस्य बन जायं और कह दें कि उम्र भर तक विधान सभा के सदस्य ... वागत करेंगे।

आपकी तरह से

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो स्वागत करेंगे जो विधायक हैं लेकिन बाकी की जनता रोयेगी। आपने 13 वर्ष तक सरपंचों के चुनाव नहीं कराये तो सरपंच तो खुश थे क्योंकि वे आपकी पार्टी के अधिकांश सदस्य थे उनकी तो आपने लाइफ बढ़ा दी लेकिन ...

श्री हीरालाल देवपुरा : वे तो फिर आयेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वे तो फिर आयेंगे यदि आपकी यही हालत रही तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपको चिढ़ क्यों हो रही है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : चिढ़ इसलिए रहे हैं कि उस समय प्रजातन्त्र में चुने हुए लोग थे। आज आपने तो पटवारी और अधिकारियों को बिठा दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : चिढ़ की बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों तो फैसला कर लें कि कौन बोलेगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी को जिन्दा रखने के लिए हिन्दुस्तान में किसी भी सरकार ने यदि +++ की है तो कांग्रेस पार्टी ने +++ की है जिसने 13 वर्ष तक चुनाव नहीं कराए। आज वो लोकतन्त्र की बात कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : +++ तो राजस्थान में बी. जे. पी. की सरकार ने की है जिन्होंने जन-प्रतिनिधियों को इग्नोर करके यहां पर उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जो जन-प्रतिनिधियों के नीचे काम करते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बोलने दो। मुझे तो आपने बहुत कुछ कहा है, मैंने भी सुना है। उपाध्यक्ष महोदय, 13 वर्ष तक चुनाव नहीं कराये। 1978 में हमने चुनाव कराये और माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये। यह एक तथ्य है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराये और कारण स्पष्ट था कि भारत सरकार ने एक कमेटी अपाइन्ट की थी जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। उस अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने वाली थी तो मैं यह विचार कर रहा था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ जाय। देखें, इसमें किस प्रकार के संशोधन आते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषदों का स्वरूप क्या बनता है। उनके अधिकार क्षेत्र और कार्यक्षेत्र क्या करते हैं उस आधार पर हमने पोस्टपोण्ड किया और पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : लेकिन प्रजातन्त्र की सरकार की बजाय आपने नौकरशाही के हाथों में सब दे दिया। आपकी सरकार ने बहुत [illegible]

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं बोलने देना है तो मैं बैठ जाऊं ऐसा नहीं है, आप चिन्ता ही मत करो इस बात की। जो कुछ कहना है आपने बहुत खुले हाथ कहा है, मुझे भी बोलने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : अशोक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट कौन से साल में दी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो साल तो आपको भी याद है, मुझसे क्यों प्रश्न-उत्तर कर रहे हो ?

श्री परसराम मदेरणा : आपके पत्र में आपने लिखा है कि 77 में दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 77 के लिए मैंने नहीं कहा।

श्री परसराम मदेरणा : आपका लैटर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलत लिखा हुआ है। मैं नहीं कहता, गलत हो सकता है। मैं किसी बात पर जिद नहीं करता।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है, मैं नहीं कहता लेकिन आपने 77 लिखा है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आया कि 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष क्यों कर दिया। मैं देवपुराजी, आपसे पूछना चाहता हूं आप तो मंत्री थे... (व्यवधान) मुझे बोलने तो दो।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप मुझसे पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, नहीं बोलूंगा। नाम नहीं लेऊंगा।

डा चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि आप 3 से 5 वर्ष क्यों कर रहे हैं ? मैंने कहा है और फिर आपसे इसका क्लियरिफिकेशन भी चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। 78 में पंचायतों के चुनाव कराये। उस समय 78 में इलेक्शन कराये थे। उस समय पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की थी। केवल पांच वर्ष की और पांच वर्ष की अवधि को आर्डिनेन्स लाकर तीन वर्ष की अवधि किया गया और 81 में पंचायतों को खत्म करके दुबारा चुनाव करवाये गये। यह कौनसा लोकतंत्र था ? यह भी कोई लोकतंत्र नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में, शायद इसके पहले वाला सत्र हो, जिस समय पंचायतों का कोई विधेयक आया था और चर्चा हो रही थी उस समय कांग्रेस पार्टी के मित्र कह रहे थे कि आपने इसको तीन वर्ष क्यों किया ? उनको इस समय ध्यान नहीं था कि तीन वर्ष मैंने नहीं किया, यह 1981 में कर दिया। उस समय उसकी आलोचना की, अब पांच वर्ष हो गये हैं और मैं समझता हूं कि पांच वर्ष में किसी प्रकार का अब परिवर्तन आ नहीं सकता और इसलिए नहीं आ सकता कि संविधान में जो अमेण्डमेंट आ रहा है उस अमेण्डमेंट में पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का रखा है इसलिए भविष्य में इसकी कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं कि कोई पांच वर्ष से तीन वर्ष का कर देगा या पांच वर्ष से घटाकर चार वर्ष का कर देगा, यह संविधान में एक प्रकार का अमेण्डमेंट आ रहा है और इस दृष्टि से कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको मिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जायेगा। तो पांच वर्ष किया तो हमने अन्याय नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह किसने कहा कि अन्याय किया है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यहां एक प्रश्न और खड़ा किया गया उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून की कई धाराओं का कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया। मुझे तो अफसोस है, कांग्रेस पार्टी को कम से कम इन धाराओं का विरोध नहीं करना चाहिये था। रिजर्वेशन का प्रश्न आया, इसका भी विरोध किया।

अनेक माननीय सदस्य : किसने किया?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : किसने विरोध किया? कांग्रेस के सिंगल मेम्बर ने विरोध नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सदन के नेता महोदय, इतना सदन को तो कम से कम गुमराह न करें आप।

श्री हीरालाल देवपुरा : सही कहो आप।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जो सही है वह तो कहिये। कांग्रेस के एक भी सदस्य ने इस बात का विरोध नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। मतलब उस संशोधन को आपने स्वीकार किया? ठीक है न? मैं यही तो कह रहा हूं। रिजर्वेशन के मामले में जो संशोधन आया उसका कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, नम्बर एक। दूसरा-महिलाओं के रिजर्वेशन का भी आपने विरोध नहीं किया। वह भी मैं समझता हूं कोई, न्याय पंचायत....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पंचों में किया है, सरपंच और आगे की स्टेज पर भी करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, वह कर रहे हैं... (व्यवधान)... चन्द्रभानजी, बैठ जाओ आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने अनुसूचित जाति का तो सरपंचों में कर दिया...

डा चन्द्रभान : एस सी., एस. टी. की महिलाओं की क्या स्थिति है?

श्री उपाध्यक्ष : अब कृपया विराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन कर रहा हूं, न्याय पंचायत में कांग्रेस पार्टी ने जो एक्जीक्यूटिव आर्डर से न्याय पचायतों की व्यवस्था बदली थी उसको कानून स्वरूप दे दिया तो क्या आप इसके विरोध में हैं? इसके भी विरोध में आप नहीं हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बिल्कुल गलत है, यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ठीक है, विरोध नहीं किया तो मुझे तो आप....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह गलत किया आपने। हमारे जमाने में रोटेशन से

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उप समितियां थीं, रोटेटेड होती थीं जैसे राज्य सभा में होती थीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। अब उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है, अब एक परिवार नियोजन का जो हमने मामला उठाया, उसका भी विरोध किया।

अनेक माननीय सदस्य : किसने किया ?

श्री नत्थी सिंह : हमने तो यह कहा कि इसे पार्लियामेंट, विधान सभा, सब जगह लगा दो, हिम्मत है तो।.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रवचन करके आप क्या कहलवाना चाहते हैं। यह तो आ जायेगा धारावाहिक, खण्डश: पास करोगे तो अपने आप पास हो जायेगा, इसको आप अपने आप ही क्यों पास करवा रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं इसको कह कर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कहलवाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है उपाध्यक्ष महोदय, लुब्बेलुबाब, कि जो कुछ संशोधन विधेयक आया और उस संशोधन विधेयक में अलग-अलग धाराओं का संशोधन किया, उसको इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है। मैं यह कहना चाहता हूं। अब उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक परिवार नियोजन का प्रश्न आया है, मैं नहीं कहता और मैं यह क्लेम भी नहीं करता कि आज जिस प्रकार से आबादी में वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए यह कोई फूलप्रूफ सिस्टम है या इसके आगे अंत है, हम आगे कुछ कर नहीं सकते। हर वर्ष हिन्दुस्तान में एक आस्ट्रेलिया बन जाय....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 77 में क्या हुआ था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका भी बता दूं, आप तो नहीं आते उस पैरामीटर से, अब आपका यदि सरपंच का चुनाव लड़ने का विचार हो तो मैं कह नहीं सकता....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 77 में किस ने विरोध किया था फेमिली प्लानिंग का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन याद रखना एक वर्ष के बाद में कोई बच्चा पैदा हो गया तो डिसक्वालिफाई हो जाओगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो-तीन बातें उठाई गई जो बातें मैंने अपनी ओर से भी उठाई कि पंचायत स्तर पर यदि हम इसको लागू करते हैं तो इसको नगरपालिका के स्तर पर क्यों नहीं लागू किया जाय, इसको विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा पर लागू क्यों नहीं किया जाय, इसको राज्य सेवाओं पर क्यों नहीं लागू किया जाय, प्राइवेट जो इन्स्टीटयूशन्स हैं उनके यहां जो सर्विस करते हैं उन पर लागू क्यों नहीं किया जाय ?

डा. चन्द्रभान : जरूर लागू किया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस सदन की जानकारी के लिए इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कल ही प्लानिंग कमीशन की सब कमेटी की मीटिंग थी, एन. डी. सी. की सब कमेटी है, मैं उसका सदस्य हूं और कल मोटे रूप से इस बात का निर्णय लिया गया है कि राजस्थान ने जो माडल लागू किया है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंचायतों का, उसको सारे देश में लागू कराया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बहुत खुशी है, मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहते हैं कि 77 में कांग्रेस ने जिस प्रकार परिवार नियोजन किया उस समय आपकी पार्टी ने जिस प्रकार विरोध किया, हमारी बात को आज आपने स्वीकार कर लिया, बहुत खुशी की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने स्वीकार कर लिया, इसकी तो आपको खुशी है न।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जी हां, खुशी है इसीलिए कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा-नगर-पालिका, इसमें भी संशोधन विधेयक ले आये हैं, वह भी आ गया। भारत सरकार की ओर से इस सब कमेटी को यह कहा गया है कि रिप्रजेण्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में अमेण्डमेंट लाया जायेगा। भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया है, एश्योरेंस दिया गया है लिखित में कि हम सेवाओं पर भी इसको लागू करेंगे। एक पंचायत में हमने संशोधन किया, उस संशोधन का यह परिणाम निकल सकता है कि सारे देश में एक वातावरण बने तो मैं समझता हूं, प्रोफेसर साहब, इसका विरोध करने से पहले आपको इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए था।

श्री नत्थी सिंह : यह तो बैचलर्स का रिप्रजेन्टेशन चाहते थे कि रिजर्वेशन में बैचलर बढ़ा दो। यह कहा था इन्होंने तो।

श्री केदारनाथ शर्मा : और कोई नहीं मिला आपको, मैं ही मिला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....नहीं, विरोध किया था।

श्री केदारनाथ शर्मा : नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा : अनमोल है मेरे लिये तो यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आज राजस्थान ने एक शुरूआत की है, इस शुरूआत के कारण से देश में परिवार नियोजन की लोगों में एक आदत बने, सीमित परिवार हो, इस तरह की व्यवस्था हो, इस आधार पर यह चिंतन करने की आवश्यकता थी और मैं इस सदन की जानकारी के लिए, बता दूं कि अगर परिवार बढ़ा हुआ तो और कोई परेशान होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ी राजस्थान की ग्रामीण जनता और ग्रामीण जनता में किसान सबसे ज्यादा दुखी होगा कि उनके सारे क्षेत्र टुकड़ों में बंट जायेंगे और टुकड़े में बटे हुए खेत जब इकोनोमिक नहीं रहेंगे, उनको बेचेंगे और शहर के लोग जाकर अपने फार्म बनायेंगे। पहाड़ियाजी जानते हैं कि दिल्ली के आस-पास लोगों के जो बड़े-बड़े, छोटे-मोटे फार्म बने हुए हैं, पूंजीपतियों के फार्म, वह काश्त-कारों की जमीन थी, वह अनइकोनोमिक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होने के कारण से उन्होंने बेची और वहां पर दूसरों के बंगले बने हुए हैं। इसलिए मोटे रूप से हमें तो इसमें और भी सख्ती करने की आवश्यकता है तो सख्ती करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है, कई सार्वजनिक सभाओं में मैंने खुले रूप से जब इस प्रस्ताव को रखा, लोगों ने यही नहीं कि इसका समर्थन किया बल्कि जवान जितने हैं वह खड़े होकर कहने लगे, इसको जो लागू नहीं किया जाय, इसको लागू इस प्रकार से किया जाय कि जिसके बच्चे ज्यादा हों, दो तक बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकता है। यहां तक जब लोगों का मानस बना हुआ है, तो मुझे तो खुशी हुई होती कि माननीय सदस्य इसमें कोई संशोधन लाकर इस कानून को और सख्त बनाने की बात करते और सख्त बनाने की बजाय इस प्रकार की व्यवस्था की है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई फाइनेंस कमीशन की बात कही गई कि नगरपालिकाओं और पंचायत में फाइनेंस कमीशन नियुक्त किया जाय। यह बात सही है कि श्री राजीव गांधी ने जब लोक सभा में एक पंचायत का प्रारूप प्रस्तुत किया था उस समय फाइनेंस कमीशन की बात कही थी। अब उसके बाद में वही कानून जिसको आप जिक्र कर रहे थे, पालियामेंट्री कमेटी के सामने गया जिसके नाथूरामजी मिर्धा चेयरमैन हैं, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ रिजर्वेशन हैं, रिजर्वेशन इस सेंस में है, मैं मदेरणा साहब की भाषा नहीं बोलना चाहता, कि आपने पंचायतों के एक साधन के लिये और पंचायतों को कोई साधन नहीं दिये। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से कि पुराने कानून में जहां संसाधन देने की व्यवस्था थी, क्या हमने कोई अमेण्डमेन्ट किया है? मैं समझता हूं कि हमने कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। पंचायतों में 1959 से लेकर आज तक जिसने संसाधन नहीं दिये, वह आज कह सकते हैं कि इनको संसाधन नहीं दे रहे हैं तो तीस वर्ष तक आपने क्या किया, संसाधन क्यों नहीं दिये, किस ने रोका था? लेकिन मुझे याद है कि आप देते थे 4 आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान और मैंने किया 2 रुपया। अब इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि संशोधन देने की भी व्यवस्था हमने की। आपने संशोधन देने की कोई व्यवस्था नहीं की। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों का जिक्र करने के बजाय, आलोचना करने के बजाय कोई एक सुझाव भी यहां होता कि अमुक प्रकार के संशोधन दिये जाये, पंचायतों को यह अधिकार दिये जायें, पंचायतों को अमुक प्रकार के आय बढ़ाने के लिए स्रोत जुटाये जावें, उसका तो जिक्र नहीं किया। किसी ने नहीं किया। माफ करना मैंने सुना नहीं है। अगर किया है तो मैं टोकना नहीं चाहता। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन अधिकार देने की बात तो करता है, संसाधन देने की बात तो करता है, लेकिन संसाधन क्या दिये जावें। क्या पंचायत एक्ट में आपने नहीं देखा, कि पंचायतें कौन-कौन प्रकार का टैक्स लगा सकती हैं? पंचायतों की आय क्या हो। अब आप यह समझो कि सारे टैक्स राजस्थान की सरकार लगाये और अपने फण्ड में से पंचायतों को ट्रांसफर करे और पंचायत अपने साधन नहीं जुटाये तो आपको आज मैं कहता हूं कि राज मेरा रहे या नहीं रहे, अगर हिन्दुस्तान में पंचायतों ने अपने संसाधन नहीं जुटाये तो पंचा-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यतों का काम जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार का काम नहीं चलेगा । पंचायतों को रिस्क लेनी पड़ेगी और अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे । विकास के कार्यों में भागीदारी करनी पड़ेगी और उस भागीदारी के आधार पर पंचायतों की व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारियां कुछ लेनी पड़ेंगीं ।

यहां उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का भी जिक्र किया गया, पंडितजी कह गये कि जवाहर रोजगार योजना में कोई ऐसा ही खर्च नहीं हुआ....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कौन से पंडित जी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केदार जी । मैं तो इनको पंडित जी के नाम से ही संबोधित करता हूं, आप कुछ भी कहें ।

आपने कहा कि जवाहर रोजगार योजना में कोई काम नहीं हुआ । आप को याद होगा मैं आपकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि 1990-91 में 128 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध 170.28 करोड़ का व्यय किया गया । राजस्थान इस काम में सारे देश में सर्वप्रथम रहा है । आप इस पर भी आरोप लगाते हैं कि कोई काम नहीं हुआ । इसी प्रकार से 1992-93 में 147, 12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया और रुपया जो खर्च हुआ है अप-टू-डेट जितना खर्च हुआ आप चाहेंगे तो मैं आपको लिखकर भेज दूंगा । लेकिन यह भी समझिये कि रुपया खर्च नहीं हुआ और यह भी मत समझिये कि हर आदमी बेईमान है । परसरामजी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कह गए । ब्यूरोक्रेसी आखिर मैंने तो अपने घर की अपाइन्ट नहीं की है । आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के स्पाइनल कार्ड नहीं है । आपने 40 वर्ष तक राज किया और कुछ किया या नहीं किया ब्यूरोक्रेसी की स्पाइनल कार्ड ही खा गये । वही नहीं छोड़ी । आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के कोई स्पाइनल कार्ड नहीं है । मैं ले गया क्या ?....

श्री परसराम मदेरणा : स्पाइनल कार्ड मैंने एसेप्शन भी दिया है । 'देयर आर पीपुल हू आर एसेप्शन्स' ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ब्यूरोक्रेसी के नाम से एज ए होल उसको कन्डेम कर दिया । अब आप तो कन्डेम कर सकते हैं क्योंकि उधर बैठे हैं और जब कभी हम चर्चा करते थे तो आप कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमें गर्व है । जो ईमानदार आदमी है, कर्मठ हैं मैं आज उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहता और जिन्होंने गड़बड़ी की है वह निश्चित रूप से सजा के भागीदार हैं । किस रूप में उनको सजा मिलती है यह देखने का सवाल है । लेकिन आज टोटल ब्यूरोक्रेसी को कन्डेम करना किसी भी प्रकार से मैं उचित नहीं मानता और उसी आधार पर ग्राम सेवक सब चोर हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि वैसे तो ग्राम सेवक कोई मांग रखने आ जायें और विधान सभा के सामने प्रदर्शन करें तो सबसे पहले कल्ला साहब बोलेंगे और फिर केदार जी बोलेंगे कि इनकी मांगों को स्वीकार किया जाये । सबसे पहले यह बोलेंगे और बोलने के बाद में आप कहते है ग्रामसेवक सब चोर हैं, मैं इसको नहीं मानता ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न खड़ा किया गया कि ग्राम सभा को अधिकार देने की बात नयी नहीं है। मैं आज मानता कि ग्रासरूट लैवल पर यदि पावर्स आपको ट्रान्सफर करनी है तो आप ग्राम सभा के रूप में ही कर सकते हैं, और कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आज हम चुने जाते हैं, मैं तो विधायकों के बारे में ही कहता हूं, लोकसभा के सदस्य हों, चाहे विधायक हों, चुनने के बाद समझते हैं कि कान्सटीट्यूशनल गारन्टी है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। वैसे ही सरपंच यह समझता है कि मुझे भी कान्सटीट्यूशनल गारन्टी मिल जायेगी पांच वर्ष तक, मैं किसी के लिए कोई काम करूंगा या नहीं करूं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरह की शिकायतें इस सदन में आई हैं। मैं तो कहूं कि यह कहा गया कि बी.एल. डब्लू. गड़बड़ कर गए और जब बी. एल डब्लू. नहीं थे तो इस सदन में सरपंच समितियों के प्रधानों के खिलाफ शिकायतें हुईं। यह गड़बड़ कर गए। यह इतनी गड़बड़ कर गए और उस गड़बड़ में तो मैं इतना ही कह सकता हूं मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, 1-4-91 को 1710 प्राथमिक जांच के मामले चल रहे थे और 1-4-92 को 1498 हो गए। जब वह मामले कोई मैंने नहीं बनाये। अब इन मामलों के आधार पर यह कहें कि केवल सरपंच ही ईमानदार हैं और बी. एल. डब्लू. सब बेईमान हैं और आप यह कहना चाहें कि सारे ही सरपंच बेईमान हैं और कुछ ईमानदार हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि ईमानदारी को जगाने की आवश्यकता है। हर आदमी को बेईमान कहना आप शुरू कर देंगे तो लोग यह समझेंगे कि ईमानदारी में क्या धरा है। ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी हम बेईमान कहे जायेंगे तो ईमानदार रहने की आवश्यकता क्या है और इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर ऐसी बेईमानी चाहे कितनी ही सीमा तक एग्जिस्ट करती हो इसको किस प्रकार से रोका जाये। मेरी बुद्धि के अनुसार सारे सदस्यों से, मंत्री मण्डल से और बाकी जनता से सबसे पूछा है, इसके सिवाय कोई हथियार नहीं हो सकता कि ग्राम पंचायतें हर छठे महीने ग्राम सभा के सामने जायें और उसने क्या किया है उसको रखें। क्या करना है उसको रखें, कितनी आय हुई उसको रखें, कितना खर्चा हुआ उसको रखें और रखने के बाद ग्राम सभा की मोहर लगें। ग्राम सभा का प्रावधान पहले था लेकिन यदि मदेरणा साहब आंकड़े उठाकर देखेंगे तो ग्राम सभा की सभायें नहीं हुई। अब ग्राम सभा कम्पलसरी हो गयी। .... (व्यवधान)....डर लगता है लाठी से, यही डर है सबसे मोटा। यह डर गांव वालों के दिमाग में बैठ जाये कि गांव वाले हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे गांव में भांग पीये हुए लोग नहीं होते। कुछ आदमी सरपंच और पंचायतें खरीद भी सकती हैं। अपने पक्ष में भी कर सकती हैं। कई माई के लाल ऐसे मर्द हो सकते हैं जो खड़े होकर कह दें कि इस हिसाब में गड़बड़ी है। यह काम अच्छा नहीं किया। यह पैसा तुम खा गये। यह गांव के हाथ में शक्ति तब ही जायेगी जब कि शक्ति के प्रति जो भी संस्थायें हैं वह अकाउन्टेबल हों। हमने पंचायतों को ग्राम सभा के प्रति अकान्टेबल बनाया है और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्राम सभा को ही अधिकार दिया है कि वह हिसाबों का सब प्रकार से विश्लेषण कर सके। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि हमने संशोधन करके नुकसान क्या किया है? संशोधन करके हमने कोई नुकसान नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर ही निवेदन करना चाहूंगा कि परसराम जी ने एक बिलकुल सही बात कही कि पार्लियामेन्ट्री कमेटी है उस पार्लियामेन्ट्री कमेटी ने सुझाव दिये हैं कि सरपंच का चुनाव सीधा हो। उस पार्लियमेन्ट्री कमेटी ने सुझाव दिये हैं कि पंचायत समिति का चुनाव डाइरेक्ट हो। उस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि जिला परिषद का चुनाव भी डाइरेक्ट हो। अब स्पष्ट रूप से व्यक्तिशः हमारे मन्त्री मण्डल ने इस पर विचार नहीं किया लेकिन व्यक्तिशः ग्रामीण क्षेत्र में डाइरेक्ट इलेक्शन हो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि जिसके पास पैसा होगा वही जिला परिषद का प्रमुख बनेगा, जिसके पास पैसा होगा वही पंचायत समिति का प्रधान बनेगा....

डा. चन्द्रभान : इनडाइरेक्ट से बन जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मान्यता होगी मैं उसके बारे में नहीं कहता। मैं वह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों पर आप कितना वजन ला देंगे? सरपंच का चुनाव डाइरेक्ट हो, प्रधान का चुनाव डाइरेक्ट हो, जिला प्रमुख का चुनाव डाइरेक्ट हो, विधान सभा का चुनाव डाइरेक्ट हो, एम. पी. का चुनाव डाइरेक्ट हो—इसका तात्पर्य यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास पूंजी होगी डाइरेक्ट चुनाव लड़ सकता है। अगर डाइरेक्ट चुनाव में कोई ऐब था कोई कमी थी तो 59 में या 55 में जब कि पंचायत का कानून बना था उस समय तक इनडाइरेक्ट चुनावों की व्यवस्था थी, आज यह परिवर्तन क्यों आया? क्या हमारा यह अनुभव है कि इनडाइरेक्ट चुनाव के कारण से पैसे का प्रभाव बढ़ता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरपंच का चुनाव इनडाइरेक्ट कभी नहीं था। हमेशा डाइरेक्ट चुनाव ही हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सरपंच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इनडाइरेक्ट की बात कह रहा हूं... अब यह जो चुनाव हो रहे हैं इन चुनावों के सम्बन्ध में हमने व्यवस्था की है कि जिस दिन पचायत के चुनाव होंगे उसी दिन प्रधान के चुनाव होंगे। प्रधान के चुनाव यह होंगे कि प्रधान के चुनाव का नोमिनेशन पहले हो जायेगा

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कैसे होगा ?... (व्यवधान) ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हो जायेगा ।....(व्यवधान)....

अनेक माननीय सदस्य : यह समझा दो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, आप तो यह कह दीजिए कर देओ, यह कर लेओ, मैं तैयार हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य-मन्त्रीजी, चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उसके बिना कौन तो उसका केण्डिडेट बनेगा, कौन समर्थक बनेगा.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हर चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज होता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसकी आप चिन्ता मत करो । कानूनी व्यवस्था अगर नहीं होगी तो चुनाव नहीं होंगे । कोई भी जाकर इसको रोक देगा । पूरी कानून की प्रक्रिया, विधि-विधान के अनुसार सारी व्यवस्था होगी, जिस व्यवस्था के अन्दर बाड़ाबन्दी नहीं होगी, हरिद्वार की यात्रा नहीं होगी, रणथम्भौर के गणेशजी के पास नहीं जायेंगे, पुष्कर में स्नान करने नहीं जायेंगे और लड्डू, पूड़ियों से छुट्टी हो जायेगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पर हम विचार कर रहे हैं और विचार करके चुनाव जो होंगे उन चुनावों में इसी व्यवस्था के आधार पर चुनाव होंगे।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर प्रो. केदार एक बात और कह गये, मैं समझता हूं उसका स्पष्टीकरण नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं होगा । आप यह कह गये कि अभियान के दिनों में सारा अभियान फ्लाप गया समस्या समाधान का, मैं आंकड़े सदन की जानकारी में बताना चाहता हूं ताकि प्रो. केदार साहब कम से कम यह धारणा बना लें कि यह फ्लाप नहीं गया । अभियान के प्रथम चरण में गरीब व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तियों का चयन किया गया, आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए ऋण मुहैया कराकर लाभान्वित किया । कृषि भूमि आवंटन के मामलों में जहां 29367 व्यक्तियों को 80 हजार, 40 हजार एकड़ भूमि का आवंटन किया, 3 लाख 64 हजार 938 नामांतरणकरण तस्दीक किये गये, जोतों के विभाजन सम्बन्धी 12801 मामले निपटाये गये, दो हजार से अधिक किसानों को 9133 एकड़ कृषि भूमि अतिक्रमणों का नियमन किया गया, इस प्रकार कई काम किये गये हैं । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मई, जून के महीने में सारी सरकार के कर्मचारी और अधिकारी गांवों में गये । मुझे इस बात की खुशी है कि प्रो. साहब ने यह नहीं कहा कि वहां काम तो हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं कहा है । आप तो यही कह गये कि फ्लाप हो गया है । अब अगर इसको आप फ्लाप समझते हैं तो मैं समझता हूं, आपको मुझे विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि डीलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स 7-10-92 को ही फाइनल....

श्री नत्थी सिंह : 7-10 नहीं 7-9 कहो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 7.10.92 को निकल जायेगा । ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट 3.11.92 को प्रकाशित होगी इनवाइटिंग क्लेम्स, यह 13.11.92 तक होंगे. फाइनलाइजेशन ऑफ क्लेम्स, यह 28.11.92 तक हो जायेंगे; फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट 30.11.92 को हो जायेगी और इलेक्शन 13 दिसम्बर, रवीतवार को पंचायत समिति और पंचायतों के हो जायेंगे । अब आप कहेंगे कि जिला परिषद की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं आप ? जिला परिषद के चुनाव इस आधार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर कि वोटर्स लिस्ट जो बनेगी इलेक्टॉरल कॉलेज उसके सम्बन्ध में हम अभी डेट तय नहीं दे पा रहे हैं लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि ज्यों ही यह चुनाव होंगे, एक वीक के अन्दर-अन्दर जिला परिषद के चुनाव करा लिये जायेंगे। इस महीने में सारी चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। अब वहां उस समय एक विचार, जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि मण्डल का विचार भी चल रहा है। हमने, राज्य सरकार ने एक समिति गठित की, वह समिति कई राज्यों में गयी है, हमारे केबिनेट के भी कई माननीय सदस्यों का रुख है कि मण्डल समिति बनाई जाय, मण्डल समिति हो चाहे पचायत समिति, चुनाव 13 तारीख को दोनों के हो जायेंगे, इसमें किसी प्रकार का सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हमने कानून बनाया है उस कानून को निर्विरोध, सर्वसम्मति से उसको पारित कराने का कष्ट करें, कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। ... (व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं इन्होंने कहा ठीक है कि मण्डल बने तब भी चुनाव हो जायेंगे, पंचायत समिति बने तब भी चुनाव हो जायेंगे, तो क्या आप पंचायत समिति की जगह मण्डल बनायेंगे? वह भी ऑर्डिनेन्स से बनायेंगे या विधान सभा का विशेष सत्र बुलायेंगे? उसमें इस पर डिस्कशन करेंगे, सब के विचार जानेंगे तब बनायेंगे? ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्याय : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक 1992 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सर्व सम्मति से विधेयक पास हुआ है।.. (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 सर्वसम्मति से पारित किया गया।... (व्यवधान)....

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 श्रीमती विद्या पाठक, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत (अनुपस्थित)

माननीय श्री जुबेर खान।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन का बिल आबकारी मन्त्री

(श्री जुबेर खान)

जी ने रखा है मैं इसके लिए प्रस्ताव करता हूं कि इसको 3 महीने के लिए जनमत जाने हेतु भेजा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह आबकारी संशोधन बिल प्रभारी मन्त्रीजी लेकर आयी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि समय सीमा को देखते हुए ही अपने वक्तव्य देवें.... (व्यवधान).... निवेदन है खाली।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आबकारी मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि आज जो सुरा की अवैध रूप से बिक्री राजस्थान प्रान्त में हो रही है, अभी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा इस सुरा के लेने से हुआ, जो लोगों की जान गयी है काफी संख्या में और यहां जो यह बिक रही है, एक आपको भारी जो आमदनी होती है आबकारी विभाग से, उस पर भी असर पड़ रहा है, तो इस सम्बन्ध में तो आपको कोई न कोई बिल लेना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और दूसरे एक-दो प्रान्तों में सुरा की बिक्री बिल्कुल अवैध घोषित कर रखी है आपको भी उस तरह करना चाहिए वरना तो इसमें आपके जो देशी और विदेशी शराब होती है उससे ज्यादा एल्कोहल मिला कर सुरा बेचा जाता है, सस्ता बेचा जाता है इससे आपके आबकारी की जो आमदनी होती है उस पर असर पड़ता है। मेरा आपके निवेदन है कि इस बिल के साथ आप इसका प्रावधान रखें कि जो सुरा बेची जाती है, सुरा के नाम से अवैध शराब यहां इस प्रांत में बेची जाती है जिससे हमेशा खतरा बना रहता है, कभी भी कोई काण्ड हो सकता है, आप उसको सम्मिलित करें। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित) माननीय श्री हरिसिंहजी महुआ (अनुपस्थित), माननीय श्री कमलेन्द्रसिंहजी (अनुपस्थित), माननीय श्री महावीर प्रसादजी जैन (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए), श्रीमती उजला अरोड़ा।

(8.00 रात्रि)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया यहां पर बिल लायी हैं, एक्साइज कमिशनर को जो अपील के सम्बन्ध में लाई हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वह एक्साइज आफिसर के विरुद्ध कार्यवाही न करके यह शक्तियां उन्होंने डिविजनल कमिशनर को दी है कि वह ट्रिब्यूनल में न ले जायं, उनके सामने प्रस्तुत करें। मैं तो आश्वस्त थी कि माननीय मंत्री महोदया और मुख्य मंत्री महोदय जो यहां पर उपस्थित हैं, जिन्होंने पूर्व में भी पूर्ण शराबबंदी यहां पर की थी, अब भी वही करेंगे। आपको ध्यान होगा, 1980 में बराबर प्रयत्न के बाद जब यह पूर्ण शराबबंदी लागू की गयी थी तब केवल हमारे प्रदेश में एक लाख पियक्कड थे जिनके कार्ड बना दिये गये थे। धीरे-धीरे शराब पीने की आदत कम पड़े, समाज स्वस्थ रहे, आचरण अच्छा रहे, यह एक विचार बना था। माननीय मंत्री महोदया तब भी मंत्री रही हैं उस समय के मन्त्रिमण्डल में, इन्होंने अपने विचार वही रखे थे जो आज मेरे हैं। मैं समझती हूं, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ होगा। न केवल शराब बल्कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जितनी भी नशे की चीजें हैं उनको समाप्त करने की बात करनी चाहिये थी। उनको सरकार बेचे, यह बात कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदया सदन को आश्वस्त करें, माननीय मुख्यमंत्री आश्वस्त करें। जितना खर्चा इस विभाग के रख रखाव में है उतनी ही आमदनी बल्कि उससे भी कम आमदनी इस आबकारी के कर से होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, जब ऐसी स्थिति है तब क्यों नहीं समाज को स्वस्थ रखा जाए? लोग दूध पीयेंगे तो भी कर देंगे, लोग अच्छी चीज पीयेंगे तो भी कर देंगे स्वस्थ रहेंगे, पैसा बचेगा तो और कोई चीज खरीदेंगे। केवल एक बात से लिपटे रहना, शराब की आय पाप की आय मानती हूं मैं। जो पाप की आय होगी उससे कभी भी समाज सुधर नहीं सकता, मानसिकता से उभर नहीं सकता। मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री महोदया इस विधेयक को लायी हैं, इसको वापस लें ...

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और सम्पूर्ण बिल लायें। पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण नशाबदी की घोषणा करें। माननीय मंत्री महोदया जाति से ब्राह्मण हैं जिन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि शराब पी जाय और पिलायी जाय। माननीय मंत्री महोदया महिला हैं, कभी भी अपने बच्चों पर आशीर्वाद के अलावा, वरदहस्त के अलावा कोई दूसरी बात सोच नहीं सकतीं। हमने समाज कल्याण विभाग बनाया है, हम कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं, मैं समझती हूं इस प्रकार के बिल को लाना नितान्त गलत है। नितान्त गलत है। मैं चाहती यह हूं, माननीय मन्त्री महोदया खड़ी होकर कह दें, मैं इसे वापस लेती हूं। पूर्ण बिल इसी सदन में लाने की घोषणा करें। मजाक के लिए बात नहीं करती हूं मैं। मेरी बात में अगर आपको मजाक लगती हो तो मैं इसको बहुत गलत मानूं। आप क्या अपने बच्चों को पीते हुए देख सकते हैं? क्या पीटेंगे नहीं उसको? आप पीयेंगे तो आपका बच्चा आपको मना करेगा। आप कैसे मजाक की बात करते हैं? मैं समझती हूं उचित नहीं है मजाक करना। आप गम्भीरता से इस बात को समझें, स्वीकार करें और इस बिल को वापस लें, सम्पूर्ण शराबबन्दी का बिल लेकर आयें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री रामनारायणजी वर्मा। आप भी बोलेंगे क्या? सिविल जुरिस्डिक्शन हटाया है खाली।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : जिनका समय हो गया वह तो चले गये। माननीय उपाध्यक्षजी, जिनका समय हो गया वह तो चले गये, अब किनको सुना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी बात का ध्यान रख रहे हैं, अपना कथन बहुत संक्षेप में कहेंगे।... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य सचेतकजी का कहना दूसरा है कि जिनका समय हो गया वह अपने आप चले गये उठकर।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : समय तो आपका भी हो गया।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुनिये थोड़ा।

श्री रामनारायण वर्मा : यह जो विधेयक के माध्यम से क्या करप्शन को जन्म दे रहे हैं ? एक। क्या सिविल राइट्स को खतम करने जा रहे हैं. जो लोगों का अधिकोर्ट में जाने का है उसको इन्वोक कर रहे हैं ? तीसरा मेरा निवेदन करना है, अभी कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले इस तरह की चर्चा हुई थी, एक बिल सदन में आ रहा है सिविल कोर्ट्स में मुन्सिफ के अधिकार को हम सीमित कर रहे हैं। क्या यह सरकार इस तरह से अधिकारों को सीमित करके प्रजातांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाने का जो अधिकार है उसका गला घोंट रही है ? कुछ मुद्दे ऐसे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके बारे में सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना पड़ेगा मन्थन का सवाल है। पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वह जो कुछ भी हो रहा है इस शासन के द्वारा आया यह उचित है, अनुचित है मैं ऐसे कुछ मुद्दे आपके माध्यम से आबकारी मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा। मैंने आपको निवेदन भी किया व्यक्तिगत मिलकर, शराब के नाम पर गांवों का जो माहौल खराब हो रहा हैं, स्कूल के पड़ोस में जो शराब की दुकानें चल रही हैं, मन्दिर के पास में जो शराब की दुकानें चल रही हैं, पार्क में बच्चे पढ़ते हैं उधर शराबी बोतल ले करके गिलास में उड़ेलते रहते हैं, पीते रहते हैं, इस तरह का जो कुछ हो रहा है रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पर, यह कतई उचित नहीं कहा जा सकता। वैलफेयर स्टेट में, उस स्टेट में, यह सारी की सारी बात हो, मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं है। मैं चतुर्भुज जी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा कि शराब से आपका सम्बन्ध है कि नहीं, मैं इस बात को समझता हूं लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कुछ यदि कहीं आपका हिस्सा हो, प्राफिट की बात सरकार की हो, शराब एक ऐसी चीज नहीं है। आप जाइये, आबकारी मन्त्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इतना रेवेन्यू आज की तारीख में लीकेजेज है आप आपकी कार के लिए क्लच प्लेट लेने के लिए जाइये, साढ़े तीन सौ रुपये की क्लच प्लेट लेने के बाद आप बिल मांगेंगे, आपको 12 पर्सेन्ट और ज्यादा टैक्स लेकर बिल देने की बात करेंगे। इतना करप्शन है, इतनी लीकेजेज जो रेवेन्यू ही हो रही हैं, आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए। शराब के माध्यम से आप रेवेन्यू की बात करें, शराब से ज्यादा आपकी जो लीकेजेज है उसको खत्म कीजियेगा। दूसरी बात मेरी निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह की बातें हो रही हैं, माननीय मन्त्री महोदया, आप व्यवहार से कुशल हैं, सब तरह से शालीन हैं, अखबारों में बात आती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं, जो कुछ शराब के ठेकेदारों द्वारा हो रहा है, पुलिस आज उनकी मदद करती है, इतने पावरफुल हैं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आपके विभाग की बंधियों को तो क्या कहता हूं, पुलिस की बन्धी की बात नहीं करता, इतना करप्शन

(श्री रामनारायण वर्मा)

आज की तारीख में इस एक्साइज के माध्यम से जो कुछ हो रहा है वह स्टेट के लिए ठीक नहीं है, जनहित के लिए ठीक नहीं है और हम सबके लिए ठीक नहीं है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ, जो आप यह बिल लायी हैं, आपके अपील के जो पावर हैं, सिविल कोर्ट को जो इस तरह से बार कर दिया है, यह बात ठीक नहीं है। इससे करप्शन पनपेगा। कमिशनर पैसे लेकर करप्शन पैदा करके जो फैसले करेंगे, धीरे-धीरे कमिशनर उसी लाइन पर चलेंगे। गवर्नमेन्ट के जो हाथ हैं, जो ठेकेदारों के और ऐसी शराब की लाबी के नाम पर जिस तरह से उनके गले कटने की बात की जाकर करप्शन की बात आयेगी शासकीय दल द्वारा, उसको हम ठीक नहीं मानते। इस बिल को आप विथड्रा कीजियेगा और शराबबन्दी का बिल लाइयेगा। आपने तो नारा दिया था शराबबन्दी के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप उससे कहां पीछे हट रही हैं? आपको पीछे नहीं हटना होगा। कथनी और करनी में अन्तर नहीं करना होगा। आप जो कहते हैं, शासन में आप करिये अन्यथा इस बात के लिए आप कहियेगा कि हम जो कहते हैं वह नहीं करते। आपके घोषणा पत्र में 77 में इस बारे में आपने कहा था। मुझे आशा है कि इस बिल को आप विथड्रा करेंगे। सिविल राइट्स जो लोगों के इन्वोक किये जा रहे हैं, उनको खतम होने से रोकेंगे। इसी विश्वास के साथ, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : पंडित श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल में केवल इतना सा अमेण्डमेन्ट है कि अभी तक फैसले के खिलाफ जो जा सकते थे ज्युडिशियल रिव्यू के लिये उसको खतम करके केवल कमिशनर को आखिरी अथारिटी बनाया गया है। अब किसी को एतराज हो तो रिट में जाय। मैं समझता हूं, शायद सरकार की लाने की मंशा यह है कि लोगों में बकाया है और बकाया वसूली में कठिनाई हो रही है। जहां तक सरकार की मंशा है, सरकार जाने। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना सा कह सकता हूं कि सरकार शराब को कभी खतम करेगी या धीरे-धीरे बढ़ायेगी? पुरानी सरकार थी जिसमें हम लोग भी शामिल थे, जनता पार्टी की, उसने शराब को समाप्त किया। दुर्भाग्य से इस राज्य में दुबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी, उसने शराब को शुरू कर दिया। अब मैं किसी दल पर आरोप नहीं लगाता लेकिन शराब से जिस तरह की खराबियां पैदा हो रही हैं, रूस की सारी अर्थ व्यवस्था ढह गयी, आप देखते होंगे, रूस में और कारणों के अलावा एक शराब भी कारण बताया है, हथियार और शराब। तो हमारे जैसा गरीब देश इस व्यसन को बर्दाश्त कर सकता है? हमें कम करना चाहिये या इसे बढ़ाना चाहिये? केवल अगर 300-350 या 250 करोड़ की आमदनी होती है इसलिए इस राज्य के नौजवानों का भविष्य अन्धकार में डाल दें, मैं समझता हूं इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और विचार के साथ न तो माननीय मंत्रीजी के बस की बात है कि एकाएक वह शराबबंदी की घोषणा कर दें। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। न राज्य सरकार आज इस स्थिति में है लेकिन

(श्री रामकिशन)

एक दिन हमें कठोर मन बना कर यह फैसला लेना ही पड़ेगा और अगर इसका लाभ है समाज में कहीं भी, जो शराब पीते हैं वह भी इसे बुरा बताते हैं तो कभी न कभी तो किसी न किसी को शुरूआत करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात केवल मुझे इतनी सी कहनी है कि इसमें नियम बने हुए हैं कि शराब की दुकानें मंदिरों के पास नहीं होंगी, शराब की दुकानें स्कूलों के पास नहीं होंगी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हर ढाई सौ की एक बस्ती में स्कूल होगा, तो इसका मतलब सब जगह होंगे और मन्दिरों की हालत यह है कि कोई चौराहा हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं है जहां मन्दिर न हों और फिर साथ-साथ आप इन दिनों में, 4-5 सालों में मन्दिर बनाने की धारा है, अतिक्रमण करने के लिए जो मन्दिर बनाने हैं तो फिर एक तरह से सरकार कानून को खुद भंग करती रहती है। तो या तो सरकार यह साफ कर दे कि यह मंदिर वाला, स्कूल वाला कोई प्रावधान नहीं है। अन्यथा तो यह लोग यह कहते रहते हैं, हमारे पास आते हैं यहां स्कूल हैं, यहां लड़कियों का स्कूल है, यहां लड़कों का स्कूल है और शराब की दुकान खुली हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखते होंगे आज हिन्दुस्तान में बहुत से देवी-देवताओं पर शराब चढ़ायी जाती है, कम से कम इसे तो आप बंद कराओ। देवता और शराब, पहली बात तो यह है देवता पता नहीं है या नहीं है, यह तो मनुष्य की कल्पना है और कल्पना भी है तो कम से कम शराब वाले देवता तो इस देश में नहीं होने चाहिए। अन्यथा यह बात कहते हैं लोग, जैसे मैं भरतपुर से जब निकलता हूं तो हमारे यहां एक चामुण्डा का मन्दिर है तो लोग उस पर शराब चढ़ाते हैं। वह कहते हैं जब देवी शराब पीती है तो हम शराब क्यों नहीं पीयें और उसका नतीजा यह है कि कुछ मिराण्डा कालेज की लड़कियों ने शराब पीना शुरू कर दिया है। हमारे पतन की पराकाष्ठा ही समझें। तो कम से कम आपके वक्ष की ओर कुछ नहीं है तो ऐसे प्रचार तो करें कि कोई देवी देवता हिन्दुस्तान में शराब पीने वाला नहीं था। तीन, चार देवी देवताओं का जो प्रचार करते रहते हैं आप लोग और मैंने खुद ने कई मंत्रियों को देखा है कि वह पैसा देकर शराब पिला जाते हैं देवता को, शराब चढ़वाते हैं, तो कम से कम इन कामों को बंद करें। मैं इसमें लम्बी बहस नहीं करके आपसे निवेदन इतना ही करना चाहूंगा कि ज्युडिशियल रिव्यू का जो आप अधिकार ले रही हैं, समाज के हित में जरूर है लेकिन लोगों के मन में यह शक पैदा होगी कि इनकी भी कोई व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री प्रेमसिंह दहिया, प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेकर अपनी बात सदन के सामने रखता हूं।

(श्री प्रेम सिंह दहिया)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सैद्धान्तिक रूप से समाज मानता है कि शराब एक बुरी चीज है और उसका सेवन नहीं होना चाहिए और आज दक्षिणी भारत के अन्दर शराब के प्रति इतना विद्रोह हो गया है कि वहां एजीटेशन महिलाएं कर रही हैं. घर-घर के अन्दर कर रही हैं, शराबबंदी होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी विधेयक, जो मूल एक्ट है उसके अन्दर कुछ नियम ऐसे हैं कि व्यापारी अपना माल बेच सकता है। परन्तु आम सड़क के ऊपर, सार्वजनिक स्थल के ऊपर इस शराब का सेवन नहीं किया जाये, इस हेतु अभी सरकार के गृह विभाग ने पुलिस डिपार्टमेण्ट, जयपुर के अन्दर एक अभियान चलाया कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने की जो छूट है उसको बंद कर दिया जाये और जगह-जगह छापे मारकर कुछ अपराधियों को पकड़ा गया परन्तु सरकार के किन दबावों के कारण इस अभियान को रोका गया, इसके लिए मैं गृह विभाग और माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के नियमों की अवहेलना होती है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब न पी जाये। सार्वजनिक स्थानों पर शराब खुली महफिल के अन्दर पी जाती है, उसको रोका जाये। मैं यह जो संशोधन है, जो आपने संशोधन पेश किया है, इसमें जो अपील का आपने प्रावधान हटाया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति को, जो बिल है, दिया जाना चाहिए।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले कुछ उन बिन्दुओं की चर्चा करूंगी जो इस बिल से सीधा सम्पर्क रखते हैं, सीधा सम्बन्ध जिन बिन्दुओं से है। आशंका माननीय सदस्यों के द्वारा यह व्यक्त की गई है कि इसमें सिविल राइट्स को डिबार किया गया है, कोर्ट से बाहर रखा गया है, उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है। आबकारी विभाग में कुछ रिकवरीज जो कोर्ट्स के आदेशों से रुक गई. नियम तो यह होता है कि अगर आबकारी अधिकारी की अपील कमिश्नर एक्साइज को की जाती है, एक्साइज कमिश्नर के विरुद्ध कोई असंतोष होता है निर्णय के विरुद्ध तो उसकी अपील डिवीजनल कमिश्नर को की जाती है और यह 60 दिन के भीतर कर दिया जाये, ऐसा अभी तक वर्तमान में प्रावधान है 9 (ए) अब इस प्रावधान के अतिरिक्त इसमें एक यह भी है कि 75 प्रतिशत जितनी रिकवरी बनती है, वह पहले जमा करवानी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बचने के लिए जो कर्जदार लोग हुआ करते थे, डिफाल्टर्स होते थे, वह अक्सर मुंसिफ और दीवानी अदालतों में चले जाते थे। नतीजा यह होता था उसकी वजह से भारी रिकवरीज भी रुक जाती थी। निर्णय होने में बहुत समय लगता था। निर्णय हो चुकता था तो उसके बाद भी रिकवरीज सम्भव नहीं हुआ करती थी और इस तरह से भारी अमाउण्ट इन रिकवरीज में अटकी हुई है। नीलामी और कुर्की पर भी स्टे ले आते थे। इसके लिए दूसरे और कुछ एक्ट जो प्रिवीलेण्ट हैं, इस एक्ट में जिसमें खास तौर से जैसे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट है, भू-राजस्व एक्ट है राजस्थान बिक्री कर अधिनियम है, इनकम टैक्स है लैण्ड बिल्डिंग एक्ट है, उनमें भी इसी तरह का प्रावधान है। इसलिए आशंकित होने की आवश्यकता नहीं

(श्रीमती विद्या पाठक)

है। अगर डिवीजनल कमिश्नर के आदेशों से भी असंतुष्ट हैं तो इनकोम्पीटेंट जो है, वह हाईकोर्ट में रिट कर सकता है इसलिए कोर्ट से इसको डिबार नहीं किया। मगर आमदनी पर अनावश्यक रूप से दवाब आये और रोक लगे, इसके लिए यह बिल लाया गया है और इसमें किसी के सिविल राइट्स या किसी के अधिकार का हनन करने की कोई बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आशंका, भावना यह भी व्यक्त की गई शराबबंदी के बारे में, आश्चर्य है कि जिन्होंने 89 में शराबबंदी बन्द की यानि शराब खोली, आज वह लोग भी शराबबंदी की बात करते हैं। शराबबंदी अच्छी बात है यदि इसका प्रपोजल और इसके प्रयास समाज की तरफ से हों तो बहुत सारी समस्याएं उसमें स्वतः ही हल हो जायेंगी। देवी-देवताओं को शराब चढ़ाने की समस्या हल हो जायेगी, अनावश्यक रूप से जो इससे लॉ एण्ड आर्डर की जो प्राब्लम होती है वह भी हल हो जायेगी। मगर समाज से नहीं होता है तो इसका एक माफिया डवलप होगा और जिसके दूसरे कण्ट्रीज हमारे सामने उदाहरण हैं। वह काफी भयानक है। इसलिए समाज में इसकी जागृति की जाये, चेतना लायी जाये, यह हम सब राजनेताओं का भी काम है समाज सेवियों के साथ-साथ। माननीय सदस्यों ने आशंका, भावना यह व्यक्त की है कि ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां मंदिर, मस्जिद वगैरह हैं, स्कूल्स हैं, इनके आसपास शराब की दुकानें विद्यमान हैं चल रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछले तीन वर्षों में पहली बार है जिसमें किसी को यह पता लगा है कि मन्दिर, मस्जिद और स्कूल्स के पास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। लोगों ने आवाज उठाकर विरोध करना शुरू किया है। लोगों को मालूम है कि अगर आबकारी अधिकारी से उसे रिड्रेस न मिले तो कलक्टर भी इसके लिए अधिकृत है। लोगों को एस. पी. का भी मालूम पड़ा है कि वह भी अधिकृत है और कौन से अधिकारी को एप्रोच किया जाये। मैं सोचती हूं यह चेतना आना और प्रशासन का इस विषय में चुस्त होना, यह स्वयं में इस बात का सबूत है और हमारे आफिसर्स हैं, जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, उन लोगों ने अपने-अपने हस्तलिखित सार्टिफिकेट दिये हैं कि हमारे क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं चल रही हैं और पिछले एक अप्रेल से इसको बहुत कठोरता से चालू किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। मैं सोचती हूं कि कुछ समय में ही समस्या का काफी समाधान हो सकेगा, जन सहयोग और नियमों की जानकारी दोनों की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को पारित किया जाय, इसके लिए निवेदन करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मन्त्री श्रीमती विद्या पाठक, विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगी।

विधेयक का पारण

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 के बारे में मूल अधिनियम 1950 की धारा 9 के बाद 9(क) जोड़कर जो संशोधन लाया गया है उसकी इंटेशन बुरी नहीं है लेकिन विधि शास्त्र में जस्टिस इक्विटी और गुड कान्शन्सनेस के आधार पर सरकार को फैसला करना चाहिए। इसमें जो अधिकार दिया गया है, एक्साइज डिपार्टमेण्ट के मातहत अधिकारियों को दिया गया है। उन्हीं के पास अपील करने का अधिकार है तो प्राइमाफेसी यह दृष्टिगोचर होता है कि विभाग का एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के विरुद्ध नहीं जायेगा। अच्छा तो यह होता कि आप इसके सम्बन्ध में एक विशेष न्यायालय का गठन करते, त्वरित गति से न्याय मिलने के लिए इस सम्बन्ध में स्पेशल कोर्ट को अपील के अधिकार देते तो इससे राज्यकोष का भी नुकसान नहीं होता और फैसला त्वरित गति से होकर जो भी न्याय होता वह न्याय अपील करने वाले को भी मिल सकता था और राज्य सरकार की बात होती तो राज्य सरकार के पक्ष मे भी फैसला हो जाता।

दूसरे इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने टवेल्व पाइंट टेम्परेंस कार्यक्रम दिया था उसके अन्तर्गत मन्त्री महोदय भी अपने उत्तर में उसकी वाहवाही ले रही थी। मन्दिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज के पास जो कोई भी शराब की दुकान है उसको हटाने के बारे में बहुत वर्ष पहले यह प्रोग्राम आ गया था। इसको एज इट इज इम्प्लीमेण्ट करने के बारे में एक महीने के अन्दर इन सब बिन्दुओं को लागू करें।

दूसरी बात नशीली दवाइयों के बारे में है, इनका विक्रय बहुत हो रहा है। शराब से भी बुरी है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज के आस-पास बहुत से ऐसे लोग नशीली दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं और तस्करी हो रही है। उसको रोकने के बारे में आपको गृह विभाग

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

का सहयोग लेकर राजस्थान को इससे बचाना च हिए। अवैध शराब के बारे में धौलपुर में जो कुछ घटनायें पिछले महीने में हुई थी, आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं हो और अवैध शराब जगह-जगह निकल रही है उसको बंद करने के उपाय किये जायें, दवाइयों के नाम पर जो शराब बेची जा रही है उसके लिए भी एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।

साथ-साथ शराबबंदी के बारे में कई बातें आयीं। मैं चाहता हू कि जो सरकार में बैठे लोग पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने ढाई साल में शराब लोग न पीयें उसके लिए क्या लोक शिक्षण का कार्य किया। इसके लिए क्या कार्यक्रम आपने शुरू किया। क्या आपने गांवों में और शहरों में इस प्रकार की फिल्म बनायी जिसको देखकर लोग प्रेरणा लें कि हम शराब नहीं पियेंगे या आपने कोई लिटरेचर पब्लिश किया। इस सम्बन्ध में आपने क्या-क्या लोक शिक्षण का काम किया ताकि लोग शराब जैसी बुराई से दूर हट जायें।

शराब की दुकानें खुली हुई हैं। शराब के ठेकेदार है वह अपने आप में पेरेलल गवर्नमेण्ट चला रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उनको इस अवैध काम को करने से रोकता है या उनके काम में कोई रुकावट पैदा करता है तो पुलिस वाले कार्यवाही नहीं करते उससे ज्यादा वह कार्यवाही कर लेते हैं। मारपीट कर लेते हैं, मर्डर तक हो जाता है। इसके सम्बन्ध में जो पेरेलल गवर्नमेण्ट शराब के ठेकेदार चलाते हैं उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ दुकानें हैं उनका निश्चित समय होना चाहिए। रात भर शराब की दुकानें खुली रहती हैं पूरे प्रदेश में। किसी गांव में बस स्टेण्ड के आस-पास, प्राय: हर बस स्टेण्ड के पास दारू की दुकानें खुली हुई हैं। दुकानों के समय को निश्चित कीजिए। दुकानें कहां होनी चाहिए इसके बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दीजिए। कम से कम इजीली अवेलेबल नहीं होगी तो नौसिखिए लोग हैं, नयी पीढ़ी है उसके ऊपर तो हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि जब बिल आता है तो बिल के बारे में एक आध क्लाज लेकर एक आर्डिनेन्स लाते हैं, पूरे बिल के बारे में संबंधित जो चीजें हैं उनको लेकर पूरा बिल लायें तो बहुत अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे जिस क्षेत्र से हूं जहां शराब ठेके के बजाय सारा गंगानगर जिला ही ठेका है। कोई ऐसा नियन्त्रण आपके विभाग का नहीं है कि किस एक जगह दुकान की पाबन्दी हो। हम तो इस चीज से परेशान हैं कि कोई स्थान तय हो। आपने कहा कि कलक्टर्स को पावर दे रहे हैं एस. पी. को पावर दे रहे हैं, वह तो है पर कलक्टर, एस. पी. की इसलिए नहीं चलती है कि आबकारी अधिकारी है वह और ठेकेदार पूरे इस मामले में जुड़े हुए हैं। शराब की दुकानें बस स्टेण्ड के पास, ऐसी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

भीड़ वाली जगह पर जरूर है जहां बसें हैं, जहां सड़क है पुराने वक्त से और अब इसमें इजाफा यह हो रहा कि दुकानें हैं उसके अलावा ठेकेदार जहां मर्जी आये प्राइवेट दुकानें खोल लेते हैं, अवैध शराब को चलाने के लिए। अवैध डिस्टीलेशन अलग है. गंगानगर ज़िले में एक तो अवैध डिस्टीलेशन है, डिस्टीलरी के बजाय शराब बनाने के ठेकों पर जगह-जगह 10-20-50 ड्रम शराब निकाली जाती है। सैंकड़ों बोतल शराब निकालकर बेची जाती है। एक्साइज डिपार्टमेण्ट के पेरेलल चलती है, उससे एक्साइज का नुकसान होता है और घटिया शराब बिकती है। दूसरी शराब आप बेचते हैं वह ठेकेदार निश्चित दुकानों के स्थान पर, लाइसेंसधारी दुकानों पर न पिलाकर अपने छोटे-छोटे ग्राहकों को गंगानगर में तो यहां तक है जो साइकिल पर सब्जी बेचते है. सब्जी तो बिकती नहीं दो-दो बोतलें रख लेते हैं यह पव्वा-पव्वा करके जरूर बिक जाती है। उसकी मूविंग दुकान साइकिल पर और इस पर सारे गंगानगर में है इसलिए निश्चित तौर पर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको तो बन्द करें। शराबबंदी की मैं सोच नहीं सकता क्योंकि आपकी सरकार नहीं चल सकती अगर शराबबंदी कर दें तो। लेकिन यह काम कर सकते हैं कि शराब निश्चित दुकानों पर, निश्चित जगह पर बिके और उससे शराब का प्रचलन कम हो। गुण्डागर्दी जो इस समाज में व्याप्त है वह छोटे-छोटे मोहल्लों में नहीं फैले। (व्यवधान) शराब से चलती है। आपकी भी चलती थी और यह भी चलती है। जिन्होंने साल छः महीने बंद की उन्होंने नतीजा देख लिया। मैं नहीं समझता कि आज के वातावरण में कोई भी सरकार शराब को बंद कर सकती है। अगर शराब को बंद करेगी तो नतीजा वही होगा जो मद्रास और गुजरात में हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की शराब का प्रचलन बंद कर दिया जाय। जहां गैर कानूनी दुकानें चल रही हैं, बिना लाइसेंस के चला रखी है उसको आप सख्ती से रोकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब ने आशंका व्यक्त की है कि आबकारी विभाग के लोगों को ही सारा अधिकार दे दिया गया है और कोर्ट से डिबार कर दिया है और दूसरे विभाग भी कोई इसके बीच में नहीं होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसको पढ़ा है बिल को तो उसमें स्वयं ही स्पष्ट है कि एक्ससाइज अधिकारी, आबकारी अधिकारी के विरुद्ध जो अपील है वह एक्ससाइज कमीशन सुनेगा, एक्ससाइज कमीशन के विरुद्ध डिविजनल कमीशन सुनेगा। तो इसलिये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्ससाइज का हो। उसके बाद भी असंतोष होने पर हाई कोर्ट्स को रिट की जा सकेगी इसलिये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विभाग का अन्दरुनी मामला किया है। दूसरा आपने यह भी कहा है कि ट्रिब्यूनल बनाया जाय।..

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आप जितना प्रबंध करेंगी, चोरी उतनी ही बढ़ेगी।

श्रीमती विद्या पाठक : ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव दिया है। ट्रिब्यूनल बनाने की दिशा में यह एक पहला कदम है और इसके

(श्रीमती विद्या पाठक)

लिये टैक्स और रेवेन्यू ट्रिब्यूनल निश्चित रूप से बनाये जायेंगे। टेम्परेंस प्रोग्राम के बारे में आपने बताया। मैं पहले भी बता चुकी हूं, कुछ आपने जो सुझाव दिये हैं और इस सदन में चिन्ता व्यक्त की है दुकानों के बारे में। यह मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुकी हूं कि अवैध स्थानों पर दुकानें नहीं हो, अनसैंक्शन्ड शॉप्स नहीं हो, इलिसिट्स लिक्युअर डिस्टीलरी न हों। सरकार ने इसके लिये समुचित व्यवस्था की है और मैं सोचती हूं कि अभी तक जो व्यवस्था नहीं थी उसको चालू करने में, लागू करने में कुछ समय भले ही लगा है मगर आज जितनी धर-पकड़ की जा रही है उसकी वजह से इस व्यवस्था में सुधार आयेगा ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, एक आपने यह भी कहा है कि ठेकेदार पैरेलरल गांव में चलाते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि चिन्ता नहीं करें, गवर्नमेन्ट तो गवर्नमेण्ट ही रहेगी, कोई दूसरी गवर्नमेण्ट इसके अन्तर्गत डेवलप होकर पनप नहीं सकती। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया गया। राजस्थान बाढ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 माननीय प्रभारी मंत्रीजी श्री कैलाश मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले 1990 में वितरित कर दिया था परन्तु आज हमें वितरित नहीं किया गया। मैंने कहीं से कुछ जानकारियां प्राप्त की उसके आधार पर कहना चाहूंगी। आपका कहना है कि विधेयक के खण्ड 10 के उप खण्ड 2 में करने की आपकी जो इच्छा है जिस प्रकार आप प्रबंध करना चाहते हैं वह पूरी होगी। इसी तरह उप खण्ड 6, खण्ड 14, खण्ड 18, खण्ड 20 धारा-30, खण्ड 3, खण्ड 7, खण्ड 17 आदि में इनकी उप धाराओं में इस प्रकार उपबंध करने जा रहे हैं जिस तरह की जो बाधायें आती है भूमि की सीमा के संबंध में वह बाधायें बीच में न आवे। आपका प्रयत्न सफल हो इसके लिये तो मैं आपको बधाई देती हूं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि जो दूसरे राज्य हमारे राज्य में अपना ज्यादा पानी छोड़ देते हैं, हनुमानगढ़ के अभी डूबने उतरने की स्थिति पिछले दिनों मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी, कामां,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

भरतपुर में बराबर जो ज्यादा पानी आता है वे लोग छोड़ देते है ऐसे-ऐसे स्थानों पर, दो वर्ष पहले हनुमानगढ़ में एक्सेस पानी छोड़ दिया गया था। जब पानी पंजाब की नदी में ज्यादा आता है तो हमारे यहां खोल देते हैं। हमारी नदियों में पानी आने का समय है उस समय इतना क्यूसेक्स वह पानी नहीं देते हैं। तो मेरा निवेदन है वे खोल सकते हैं तो इस तरह से हमें डूबो भी सकते हैं.... (व्यवधान) .. इस तरह बीच में बोलने की क्या लत पड गयी। मैं कहती हूं आपसे निवेदन है, अपने राज्य में तो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं लेकिन दूसरे राज्य भी हमें न सतायें ऐसी व्यवस्था आप करें, इन स्थितियों पर आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मी नारायण दवे। (अनुपस्थित), माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सजेशन्स इस मामले में देना चाहता हूं आपके माध्यम से विशेष कर माननीय मुख्य मंत्रीजी को, वैसे मिनिस्टर की स्थिति तो वही है उनको कहना बेकार है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना पड़ेगा, परिपाटी सी हो रही है। मैं एक बात विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि प्राकृतिक विपदाओं में गांव के लोगों को जितना नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति, उचित क्षतिपूर्ति तो। क्षतिपूर्ति 200 रुपये, पांच सौ रुपये और एक हजार रुपये नहीं हो। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, उचित क्षतिपूर्ति हो और इसका प्रोविजन एक्ट में जोड़ा जाय या इसी के पैरेरलल कोई लिया जाय, ऐसा प्रयास किया जाय। दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि प्रयास तो ठीक है, सही है इसमें भी राजस्थान बाढ़ मैदान परिप्रेक्षण विधेयक, 1990 राजस्थान राज्य में नदियों के बाढ़ मैदानों के परिक्षेत्रण का उपबन्ध करने के लिए जो विधेयक है सही प्रयास है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन गांवों में छोटे-छोटे तालाबों से, आज छोटी-छोटी जोत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी के दो बीघा, चार बीघा एक ही तालाब की मोरी कर एकम्ट्टा पानी तालाव बनने के बाद निकलता है उससे हर गांव में या एक गांव नहीं तो दो-चार गांव में या किसी एक गांव में निश्चित रूप से नुकसान होता है उसके लिये भी यदि प्रोविजन को एक विशेष नीति के अन्तर्गत नहीं लिया गया तो उनको नुकसान होगा। छोटे काश्तकार के लिये इस तरह का प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसी एक्ट में थोड़ा बढ़ाया जाय, इसका कोई किया जाय। इस बिल को पास करने की बजाय कुछ दिनों के लिए प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या कोई एक कमेटी बनायी जाय। माननीय मुख्य मन्त्रीजी इसमें हमारी माननीय सदस्यों की बात रख कर विचार करेंगे। इसमें कोई जल्दी नहीं है, दो महीने, चार महीने आगामी सत्र तक कमेटी कोई विचार दे अपने सजेशन्स रखे तो शायद ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा उपयोगी होगा। हम आपसे यही निवेदन कर सकते हैं। इसके लिये निवेदन है कि इस पर कोई विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसादजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहली बार आया है और 1990 में ही पास हो जाना चाहिये था पर अब मैं समझता हूं इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि नदी, नाले, बाढ़ से पानी निकलता है उसका संरक्षण करने के लिए आवश्यक है इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह बिल निश्चित रूप से अच्छा है लेकिन इम्पलीमेण्ट करने की अभी राज्य सरकार की तैयारी नहीं है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सारे अपने स्थान चिन्हित करने के लिए बाढ़ का पानी जहां से होकर निकलता है ऐसों पर अतिक्रमण आदि भी हो जाते हैं उसको रोकना आवश्यक है। इसलिए इसको जल्दी लागू कर दें, क्रियान्विति आवश्यक है। मैं अपना परिचालित करने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेम सिंह दहिया। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए संशोधन प्रस्ताव करेंगे।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री प्रेम सिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे जिले से ही सम्बन्धित ज्यादा है। मेरे जिले में ही नदियां ज्यादा है, आप जाकर आये हैं, नुकसान हुआ उसका सर्वे भी हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह बिल लाया गया है, इसका जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य के अन्दर केन्द्रीय जल आयोग ने ड्राफ्ट बनाया है उसके तहत ही यह बिल लाया जा रहा है और उसमें उन्होंने यह बताया कि राजस्थान राज्य में बाढ़ से 3·26 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्षेत्रफल बताया गया है यह केन्द्र सरकार द्वारा पांच साल पहले जो सर्वे किया उसके तहत ही बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में उससे कहीं अधिक भूमि इससे प्रभावित है। मेरे जिले के अन्दर 1973 के अन्दर पहली बाढ़ आयी थी, बाढ़ तो उससे पहले कोई आयी पर यहां 1973 में जो बाढ़ आयी है उसमें 7.50 हजार हैक्टेयर भूमि के कट जाने से नुकसान हुआ, 1975 में 9 हजार हैक्टेयर भूमि कटी, 1976 में साढ़े आठ हजार हैक्टेयर भूमि कटी, 1979 में 10 हजार हैक्टेयर भूमि कटी, 1983 में साढ़े बारह हजार हैक्टेयर भूमि कटी, 1990 में साढ़े छह हजार हैक्टेयर भूमि कटी और 1992 में एक हजार हैक्टेयर भूमि कटी। मुख्य मन्त्रीजी वहां देख कर आये हैं, मुख्य मन्त्री जी वहां 10-15 मिनट ठहरे भी हैं वहां कितना नुकसान हुआ वह नहीं देख पायें। वहां से जिलाधीश की रिपोर्ट आयी है कि तीन गांवों के अन्दर डेढ़ करोड़ का नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछले 15-20 सालों के आंकड़ें हैं उसमें 324 करोड़ रुपये का नुकसान हमारे जिले के अन्दर हुआ है। 1986 के अन्दर एक फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम बनायी गयी थी। साढ़े बारह करोड़ की लागत की वह स्कीम बनती तो उससे ज्यादा कटाव नहीं होता, नुकसान नहीं होता। इसका सर्वे भी किया हुआ था उस समय। आज राजस्थान स्तर पर जो सर्वे किया है, हमारे जिला स्तर पर उससे पहले सर्वे किया गया। मैं इस बिल के ऊपर ज्यादा नहीं कहकर आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

इस फ्लड से जो नुकसान हो रहा है, सम्पत्ति का जो नुकसान हो रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए पिछले तीन सालों से जो भी प्रपोजल आये हैं जिले के, उनके ऊपर आप ऐक्शन करें और जितना भी पैसा दिया जाना है उसको रिलीज करें। अभी इसी साल डेढ़ करोड़ का नुकसान हुआ तीन गांवों में, उसके लिए कलक्टर ने 17 लाख रुपये की सहायता विभाग से सहायता मांगी है। आप उसको जरूर पास करेंगे, जल्दी भेजेंगे। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको प्रवर समिति को भेजने का कोई कारण नहीं है। इस बिल पर बहुत पुराना विचार चल रहा है। 1957 से ही। मॉडल बिल है; दिल्ली से आया है। बहुत आवश्यक है। जितनी बातें भीनमाल से आने वाले माननीय विधायक ने कहीं, उनको बचाने के लिए ही है। मैं निवेदन करूंगा कि दोनों ही प्रस्ताव अस्वीकृत किये जायं और इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सदन से मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे प्रवर समिति को देने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री प्रेमसिंह दहिया को विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन प्रस्ताव श्री प्रेमसिंह दहिया को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मॉडल बिल है जो सेण्ट्रल वाटर कमीशन ने आपके पास भेजा है। इसकी सीरियसनेस को ऐसा कानून बनाने को आपने रियलाइज कर लिया है। मुख्य मंत्री जी बहुत सौभाग्यशाली है कि 1990 और 1992 में दोनों साल, पाली, जालौर और इस साल भरतपुर और सवाईमाधोपुर के क्षेत्रों में फ्लड से काफी नुकसान हुआ है और जमीन भी कटी। माननीय मन्त्री जी, आपने स्टेटमैण्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में राजस्थान का फ्लड प्रोन एरिया 3.26 मिलियन हैक्टेयर बताया है। 3.26 का मतलब यह हुआ 8.15 मिलियन एकड़। बीघा के हिसाब से इसका मतलब यह हुआ कि दो करोड़ चालीस लाख पचास हजार बीघा है। पूरा क्षेत्र करीब-करीब आ गया जितना है राजस्थान का। राजस्थान पहले ड्रॉट प्रोन था लेकिन दो करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार बीघा फ्लड प्रोन एरिया ! मुझे बहुत डाउट है।

दूसरा इसमें आपने प्रावधान यह किया है, प्रभारी मन्त्री जी, कि समय-समय पर नोटिफिकेशन से सर्वे करायेंगे अलग-अलग क्षेत्र का, डिफरेण्ट डेट्स में डिफरेण्ट एरियाज का और डिफरेण्ट रिवर्स का। आप सदन को जानकारी दीजिए कि सबसे पहले आप कहां से सर्वे कार्य कर रहे हैं। यह हम जानना चाहेंगे।

दूसरा आपने कम्पनसेशन का जो रखा है, एक तो सर्वे के वक्त डैमेज होता है और दूसरा जिस वक्त रेस्ट्रिक्ट करते हैं। दोनों ही हैं। इसमें चैप्टर चार में जो कम्पनसेशन रखा है उसमें डिफरेंस की बात कही है। एक्विजिशन में कोई कम्पनसेशन मिलता हो और उसकी एक्चुअली कोई प्रोडक्ट होती हो, शायद दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मेरे तो समझ में नहीं आया। आपने क्लाज 18 में कम्पनसेशन को डिटरमिन करने की अथारिटी दी है फ्लड जोनिंग अथारिटी को कलक्टर या दूसरी कोई अथारिटी जिसको सरकार अपाइण्ट करेगी। इसमें आपने प्रोविजो लगाया है। वह प्रोविजो यह : Provided that where the amount of compensation exceeds ten thousand rupees, no award shall be made without the previous approval of the State Government or such other officers as the State Government may authorise in this behalf. मुख्य मंत्री जी अभी अनुदान की बात कह रहे थे, मैंने ढाई रुपये कर दिये, पांच रुपये कर दिये। वह तो बात यह है कि रुपये की वैल्यू घट रही है। 1960 को अगर बेस ईयर मानते हैं तो 3-4 पैसे रही है। 10 हजार का भी अगर कलक्टर लेवल का आदमी कम्पनसेशन नहीं दे सके। वह कम्पनसेशन का मैटर आपके पास आएगा। वह फिर यह असर्टेन करेगा कि कम्पनसेशन ठीक कम्प्यूट किया गया है या नहीं किया गया है। मैं समझता हूं, यह जो प्रावधान आप डाल रहे हैं इसमें जो बेचारे मुसद्दीक और अधिकारी होंगे उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको कलक्टर के लेवल तक ही रखना चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो आंकड़े हैं ये केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राजस्थान को दिये गये है। 1977 की बाढ़ के आधार पर उन्होंने सारा सर्वे कराया है। 1977 में सारे देश का सर्वे हुआ था जब बहुत ज्यादा बाढ़ आयी थी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

उन्होंने राजस्थान के आंकड़े उपलब्ध करा दिये 1984 में आपको भी केन्द्रीय सिचाई मंत्री जी ने पत्र लिखा था कि आप इस मॉडल बिल को पास करके जल्दी से जल्दी लागू कराइये। क्योंकि जिस तरह की बाढ़ आ रही है, जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र में नदियों के पेटे में लोग बसते जा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जहां तक आपने सर्वे का प्रश्न उठाया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको बाढ़ का ज्ञान नहीं, अकाल का ज्ञान है।

श्री कैलाश मेघवाल : जब बाढ़ आयी तब आप अकाल के बारे में बोले थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने सर्वे करने का प्रश्न उठाया है, पिछले दिनों सारे राजस्थान में बाढ़ भी आयी है, पिछला अनुभव भी है और पिछली हिस्ट्री भी है। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि प्राथमिकता से उन क्षेत्रों को, जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं, लिया जाएगा और धीरे-धीरे सारे राजस्थान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हम सर्वे करा लेंगे।

जहां तक कम्पनसेशन का सवाल है, आपने देख ही लिया। 10 हजार रुपये वाली बात जो आपने कही, उसमें एक क्लॉज है, आपकी भावना को देखते हुए Government or other Officer notfied by the Govt. इसको उसमें क्लीयर कर लिया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको पारित करायें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991

प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल (सिचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद जी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिला वजह कोई बिल लाया जाय या अमेंडमेंट लाया जाय, इसके विरुद्ध हूं और बिना किसी कारण शास्ति बढ़ाई जाय और सजा के प्रावधान बढ़ाये जाय, मैं इसके भी विरुद्ध हूं क्योंकि ऐसा कोई कारण मेरे ख्याल से उपस्थित नहीं हुआ है जिसके कारण से हम 50 से 100 और दूसरी बार 500 रुपये और 3 महीने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कारावास की सजा का प्रावधान हम कर रहे हैं। ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है। बिना कारण के शास्ति बढ़ाई जाय और लोगों को जेल भेजने की प्रवृत्ति बढ़े, यह उचित नहीं है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता से इसकी राय ले ली जाय और इसलिए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में 9 प्रकार के अपराध गिनाये हैं और उन अपराधों की रोकथाम के लिए इस कानून को सख्त बनाया जा रहा हैं। मुझे सरकार से केवल इतना सा कहना है कि यह बिल्कुल सच बात है कि आज कानून का कोई पालन नहीं करता है और जिस तरह से जो सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, कानून तोड़कर, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाकर भी अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें आठवां जो अपराध है और जिसमें खास तौर पर अंग्रेजी में है मेरे पास, इसलिये पढ़ देता हूं मजबूरी में अंग्रेजी में हिन्दी में समझ में नहीं आ रहा है मेरे। (व्यवधान) आप आठवां क्लाज देख लें। तो उसमें यह है कि मवेशी वगैरह ले जाने पर आप सजा तो बढ़ा रहे हैं लेकिन आप एक चीज नहीं बताना चाहते हैं कि जो चैनल्स बने हुए हैं, जो नहरें बनी हुई हैं, उन पर आपको आवागमन की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं कम से कम अपनी तरफ से कह सकता हूं कि मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूं आपसे इसी एक पाइण्ट पर। आपको ख्याल होगा कि भरतपुर में बहुत सी नहरें बनी हुई हैं। अब आप प्रावधान तो यह करने जा रहे हैं कि हम 500 का जुर्माना कर देंगे, 3 महीने तक की सजा कर देंगे और पुलिया बनाने को आप तैयार नहीं है, रास्ता बनाने को आप तैयार नहीं है। जिस दिन से आप मंत्री बने हैं, मैं औरों की बात नहीं कहता, कम से कम 10-20 चिट्ठी आपको लिखीं, टेलीफोन किये, आप निरन्तर यह कहते रहे कि फाइल मेरे पास आ जायेगी, मैं कर दूंगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के कानून पारित कर देंगे, उसके नहरों की व्यवस्था नहीं की गई तो इससे ग्रामीण और छोटे लोगों को बहुत कष्ट होता है।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके विभाग के अधिकारियों को भरतपुर में निरन्तर बतलाया है, पहले कोई एक्स. ई. एन. थे जैन, उनको कहा, आज के एस. ई. से कहा कि सरकारी नहर वगैरह पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। जैसे कानून में प्रावधान है कि कब्जा नहीं करें, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, पथैना नहर के पास। अगर सरकार उस जमीन को बेच दें.... (व्यवधान) हां, मेरा ससुराल भी है तो क्या नुकसान है? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ससुराल में आपने अतिक्रमण कर लिया, हमने तो कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की।

श्री रामकिशन : ससुराल में मैंने अति-

(श्री रामकिशन)

क्रमण कर लिया ? अतिक्रमण नहीं वह तो लॉफुल पजेशन हुआ है । गलत कह रहे हैं आप । अतिक्रमण तो मेरी आदत ही नहीं है, आप जानते हो ।

तो मैं निवेदन यह करना चाहता था कि सरकारी सम्पत्ति नष्ट हो रही है, विभाग के अधिकारियों को हम सूचना दे रहे हैं, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति दबाई जा रही है । तो मेहरबानी करके इसमें प्रावधान यह भी किया जाय कि जिस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्ति नहरें वगैरह पर कोई कब्जा हो जायेगा तो इसके लिये किसी अधिकारी को भी जिम्मेदार बनाया जाय अन्यथा तो वे अमल करने को तैयार नहीं हैं । वे किसी बात पर ध्यान देते नहीं हैं । इसकी व्यवस्था के लिये इसमें प्रावधान करना चाहिये । यह एक बहुत बड़ी चीज है ।

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, हालांकि इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है पर उदयपुर की तरफ के रहने वाले हैं, मैं इसलिये कहना चाहता हूं आपके बंधा सोम का मामला । अब आप देखिये, गेट लगे अभी और गेट खराब हो गये । बंधे की ऊंचाई बढ़ी नहीं, छोटे गेट खराब हो गये, बड़े गेट खराब हो गये । तो कुछ काम आपको भी करना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि आप लोग अयोग्य हैं, पढ़ते नहीं, मैं मानता हूं आप योग्य हैं, सब पढ़ते हैं लेकिन जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना ध्यान नहीं दे पाते ।

चूंकि इस बिल का बहुत सीमित स्कोप है, मैंने उतनी चर्चा कर दी है पर दो बातें जो मैंने निवेदन की हैं आपसे, मैं आशा करता हू कि आप उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे और आप उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी आपका प्रावधान और नहर बनाने, अवागमन का रास्ता बनाने की जिम्मेदारी आप लेंगे तभी ऐसे कानून को पारित करना उचित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा, प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज (अमेंडमेंट) बिल, 1991 जो पेश किया गया है, इसे कुछ इस तरह से पेश किया गया है कि कुछ संशोधन होने चाहिये थे, वे पेश नहीं हुए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ड्रेनेज एण्ड इरिगेशन बिल का जो मेन एक्ट है, वह इरिगेशन डिपार्टमेंट में और सिंचित क्षेत्र विकास में एक साथ लागू होता है । आज शायद माननीय सिंचित क्षेत्र विकास मंत्रीजी नहीं है, एक बात, चूंकि मुख्य मंत्रीजी है, निवेदन करना चाहूंगा कि इसका सीधा सम्बन्ध बाराबंदी से भी है । बाराबंदी के माध्यम से पानी किसानों को जायेगा, निश्चित तौर पर पानी का उपयोग होगा, सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा । मुख्य मंत्रीजी, आपको याद होगा, चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास में 2 करोड़ रुपया पूरा, हिसाब लगा लीजिये 2 करोड़ 2 रुपया निकलेगा, 2 करोड़ से कम खर्च नहीं हुआ, बाराबंदी के नाम पर

(श्री रामनारायण वर्मा)

खर्च किया जा चुका है आज की तारीख तक। उस दो करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में भी नहीं मानता कि कृषि भूमि में बाराबंदी है। कोटा क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायक यहां बैठे हैं, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, आज की तारीख में एक बिस्वा भूमि में बाराबंदी नहीं है। बाराबंदी हो, इस एक्ट के प्रोविजन्स को लागू किया जाय, सिंचित क्षेत्र बढ़े, वास्तविकता यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेल क्षेत्र में पानी नहीं जाता। अफसर जाते हैं, जन-प्रतिनिधि अफसर को कहते हैं, मंत्री तक पहुंचते हैं, सरकार को कहा जाता है, सारी धा-धू होती है, नीचे जाते हैं तथा इस एक्ट के प्रोविजन उन लोगों पर लागू किये जाते हैं जिनमें 365 दिन में से एक दिन पानी जाता है। यह सारी स्थितियां पैदा होती है। चूंकि इसके प्रोविजन आप हार्ड बना रहे हो, इसलिये यह कुछ हमारे को कहना पड़ रहा है।

इसमें एक अमेण्डमेंट और किया जाना चाहिये था, चूंकि मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये निवेदन किया है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में देखा जाना चाहिये कि क्या-क्या चीजें इसमें लायें ताकि इसको उपयोगी किया जा सके। यह पानी का उपयोग ज्यादा हो, चैनल्स हमारी सही रहें, नुकसानदायक नहीं हो, जो नेशनल प्रापर्टी है, उसको नुकसान नहीं पहुंचे, इसकी मेन थिंग एक है, पानी सही जगह पर जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आफिसर इन-चार्ज जो चैनल्स हैं, डैम्स हैं, जो इरिगेशन वाटर कोर्सेज का है, उसको आपने कहां जाकर पाबन्द किया कि वह अपनी जिम्मेदारी के ऊपर खरा उतरेगा। चूंकि उसको पाबन्द नहीं किया, उस तरह से स्थिति खराब होती जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बेलदार से काम लेना बहुत मुश्किल है। आप सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या बड़े अफसर के पास जाकर बात करोगे तो वह काम करना चाहेंगे। इससे जो स्थिति डैटेरियोरेट हो रही है, आफिसर इन्चार्ज को आप जब तक पाबन्द नहीं करेंगे जब तक उसके ऊपर किसी तरह की कानूनी पाबन्दी नहीं लगायेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं की जायेगी, तब तक यह सारी बात बेमानी हो जानी है। यह सारी चीजें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास की चैनल्स के लिये मैं कहना चाहूंगा कि सारी चैनल्स की यह हालत है आज की तारीख में, दोलला डिस्ट्रिब्यूटरी में जिसमें आपका पेडी गेडा हो रहा है, उसकी लम्बाई 400-500 चेन के करीब है। 100 चैनों में पानी नहीं है आज की तारीख में, इतने कट्स लगे हुए थे। पावरफुल कट्स लगा रखे हैं आज। एक चैनल में आपको 10 कट्स मिलेंगे। उनके लिये कोई देखने वाला नहीं है। किसान ट्रैक्टर, ट्राली में बैठकर प्रशासन के पास आ रहे हैं। आपके जो आलरेडी प्रोविजन हैं इस एक्ट में, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, उसके तहत कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो प्रोविजन है, जैसा निवाई से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने सदन को बताया, अवगत कराया, जो प्रोविजन आलरेडी है 50 रुपये

(श्री रामनारायण वर्मा)

और एक महीने की सजा, उस प्रोविजन को आप लागू नहीं कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: निवाई से माननीय मंत्रीजी हैं।

श्री रामनारायण वर्मा: उसके तहत आपके स्पेशल कोर्ट्स नहीं, कोर्ट्स में आपके मजिस्ट्रेट नहीं। जब हमारी करने की मंशा ही नहीं है, प्रोविजन को आप हार्ड कर रहे हो।

निवाई से आने वाले माननीय प्रभारी मन्त्रीजी हैं आप तो टौंक के हो। आप वास्तव में निवाई के हो इसलिये मेरे मुंह से निकल गया पर आप शायद उनियारा जा रहे हो, ऐसी कोई चर्चा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 100 रुपये से आपने 500 रुपये किया है सैकण्ड पर। आपके पास आज की तारीख में कोई है कि आपने इतने लोगों को सजा दी, इतने को जुर्माना किया। आपके पास रजिस्टर नहीं है चूंकि आप मेनटेन नहीं करते। सैकण्ड आफेंस किसी का होगा, इस तरह का प्रोविजन होना चाहिये, आपको रजिस्टर का प्रोफार्मा देना चाहिये था। इसमें अमेण्डमेंट लाये हैं, एक अमेण्डमेंट और लाते, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, शायद प्रभारी मंत्रीजी कुछ करने को उत्सुक हैं, पहले कुछ किया नहीं किया 77 से 80 के बीच में, आज कुछ करना चाहते हैं, यह जो कानूनी खामियां रह गई हैं, माननीय मंत्रीजी इनकी पूर्ति कीजिये और उसके मुताबिक आगे इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कराने का मेरा अनुरोध है, उसके मामले के ऊपर प्रस्ताव करूंगा कि राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। यह करने के बाद जो कानूनी खामियां हैं, उसकी भी आप पूर्ति करेंगे, यह हम आपसे आशा कर सकते हैं। मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी पूर्ति करेंगे।

(9.00 रात्रि)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का बहुत सीमित उद्देश्य है। 1954 में राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम का पारण हुआ था और दो तरह के उसमें अपराध थे और एक द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट से ट्रायबल थे जिसमें प्रथम अपराध जो था उसके लिए 50 रुपया और एक माह की सजा या दोनों, उसके बजाय इस बार इन 9 तरह के अपराधों के लिए 100 रुपया जुर्माना और एक माह की सजा, यह तो प्रथम अपराध के लिए और उसके बाद 500 रुपया जुर्माना और 3 माह की सख्त सजा और किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट से यह ट्रायबल, यह इतना सा सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया हूं। इसमें कोई ज्यादा प्रवर समिति को देखने का भी नहीं है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का जो सुझाव है कि इन दिनों अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यह नदी, नहरों और उनके आस-पास की जमीन पर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है यह उसमें तो इसका समाविष्ट नहीं हो सकेगा लेकिन आपका यह बहुत उचित सुझाव है और राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके आपके सुझाव को किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकेगा उस पर सोचेगी। रहा आपकी पुलिया का सवाल, उसके लिए तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि फाइल आ जाने दीजिए वह बनवाएंगे पुलिया को, आपको तकलीफ नहीं आयेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ न तो इसे प्रवर समिति को भेजा जाय और ना ही जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इनको पारित किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) बिधेयक, 1991 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई मंत्रीजी इस विधेयक को लाए है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ये सैकण्ड शिफ्ट वाले लोग हैं।

श्री परसराम मदेरणा : Looking to the increase in water crimes, crimes amounting to culpable homicide.

काश्तकार जो है, पानी ले रहा है वह,

(श्री परसराम मदेरणा)
यह सब पानी के सम्बन्ध में है यह कोई इंडियन पैनल कोड के आफेन्सेज नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, आप जानते हैं जो फ्लड आया है, फ्लड जोन आथोरिटी और फ्लड प्लान जोनिंग स्कीम आप लाए हैं, उस फ्लड की वजह से टाइम टू टाइम जब आप नहरों की, डिस्ट्रीब्यूटरीज की, माइनर्स की अगर रिपेयर्स नहीं करवाते हैं राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में बाराबन्दी का सिस्टम गंग कैनाल में जितना परफैक्ट था, यह मोडल था हिन्दुस्तान के इरिगेशन के इंजीनियर्स के सामने लेकिन वह भी आज डार्क जोन में आ गया है। जिस एरिये में आ गया है वह इसलिए आ गया है कि अब जो पानी है वह सिंचित एरिया में, गंग कैनाल में पानी की कैपेसिटी उतनी कैरी नहीं कर सकता है। जब तक आपकी माइनर्स की रिपेयर्स नहीं हो, ठीक नहीं हो, जो शिड्यूल आपने बनाया है वाटरिंग का, अगर काश्तकार को हमेशा टाइम पर पानी नहीं मिलेगा तो वह निश्चित तौर पर पानी लेने की कोशिश करेगा टेल एण्ड वाले चिल्लाते हैं और जब वह चिल्लाते हैं तो आपके इन्जीनियर्स का वहाँ पता नहीं रहता है एकाध फोर्थ क्लास खड़ा रहता है नहरों के ऊपर। इसलिए आप यह व्यवस्था पहले कीजिये कि जो चैनल्स वाटर कैरी करती है, कोई भी चैनल हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूटरी है, चाहे मैन कैनाल है, चाहे वह माइनर है आप उनको टाइम से रिपेयर करवाइए। मुख्य मन्त्रीजी, आप उस दिन हैलीकाप्टर जब जंवाई बांध पर उतरे थे तब लोगों ने आपसे यह बात कही होगी कि नहरें टूट गई हैं। नहरें हमेशा टूटी रहती हैं और उसकी वजह से पानी वेस्ट होता है वह बहुत क्रिमिनल है, वह क्राइम कर रहे हैं आपके इंजीनियर्स और दूसरे लोग जो अपनी रिपेयर नहीं करवा रहे हैं समय पर। उनके लिए भी कोई प्रावधान रखिये इसके अन्दर आप। काश्तकार पानी लेकर अन्न की उत्पत्ति करता है और आज मेक सफिसियेंट फूड ग्रेन्स में कन्ट्री बना है, वह काश्तकार की मेहनत की वजह से और उसने अपने खून का पसीना किया है। आपको इमीडिएटली क्या आवश्यकता पड़ गई, मैं तो यह कह रहा हूं कि आज वह 7-8 बिल आये हैं मुख्य मन्त्रीजी, सभी में पैनाल्टी आफ इन्क्रीज कर रहे हैं, इम्प्रीजेजमेंट का भी टर्म बढ़ा रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाव बढ़ गए ना।

श्री परसराम मदेरणा : यह आप इसलिए कर रहे हैं कि काश्तकारों को जेल में डालना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पहले भी था।

श्री परसराम मदेरणा : पहले था तो पचास रुपये और एक महीने का भी अब आपने उसको तीन गुना बढ़ा दिया, और तीन महीने की जेल।

श्री रामकिशन : आदमी की औसत आयु बढ़ गई ना, इसलिए बढ़ा दिया इन्होंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और प्राइसेज भी आप लोगों ने बहुत बढ़ा दी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट चैनल्स को, वाटर कैरियर्स की रिपेयर करने में हमेशा असफल रहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमेशा ही ?

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल, हमेशा ही कुछ न कुछ कमी रहती है मुख्य मंत्रीजी, आलवेज और जब वह रहता है तो उसके बाद में यह जो वाटर क्राइम कर रहा है और वह लेता तो पानी है आपके अन्न पैदा करने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी जिस उद्देश्य के लिए, जिस कारण से यह बिल लागू है वह बहुत लचर कारण है इसलिए यह बिल किसानों के अन्न उत्पादन करने पर उनके परिश्रम और पुरुषार्थ पर कुठाराघात करेगा और काश्तकारों को बिना उनकी गलती के जहां सिंचाई विभाग चैनल्स की मरम्मत नहीं कर सकता है, अपनी गलती छिपाने के लिए जेल की सींखचों में किसानों को बन्द करेंगे किसान विरोधी है, इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि आप, पहले ही जो प्रावधान है वह बहुत हैं इसमें आप न पेनल्टी इन्क्रीज कीजिए और ना टर्म इन्क्रीज कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्री जी।

श्रीमती उजेला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। यहां आपने अधिनियम के अधीन अपराध माने हैं उनमें संख्या नम्बर 3 और 4 में यह लिखा है कि किसी नदी पर किसी नदी की जलधारा के प्रवाह में इस तरह के हस्तक्षेप या परिवर्तन जो करता है इस प्रकार और चौथा यह है कि किसी जलधारा के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हो, तो इस प्रकार के अपराधों को आपने माना है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने पिछले 3-4 वर्षों से लगातार विधान सभा में यह बात कही है कि जमवा रामगढ़ जल ग्रहण क्षेत्र में 43 बन्धे बना लिए गये उसकी वजह से पिछले 3-4 सालों से रामगढ़ के बन्धे में पानी नहीं आया और जब पानी नहीं आया और उसकी जमीन दिखलाई देने लगी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस वर्ष तो कुछ ईश्वर की कृपा रही कि पहले वह बन्धे भर गए और पानी इधर तक आ गया। लेकिन भविष्य में भी इस जलग्रहण क्षेत्र में इस प्रकार की कोई गलती नहीं रहे। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जब पहली बार यहां पर इस सम्बन्ध में चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि पहले बन्धा भरेगा फिर कोई और बन्धे भरेंगे लेकिन वह बात आपको पूरी करनी है। आप वह बात ध्यान रखेंगे इस सम्बन्ध में।

दूसरी बात यह थी कि जहां पर बड़ी-बड़ी नहरें हैं, जहां पर खेती होती है जैसे कि गंगानगर जिला है वहां पर लोग एक पाइप डालकर....(व्यवधान)....मैं भी राजस्थान की विधान सभा की सदस्य हूं मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन नहरों में पाइप डालकर और वह लोग उसका नाम टेलीफोन कहते हैं, वह टेलीफोन तो नहीं है लेकिन पानी में पाइप डालकर मार्ग में पड़ने वाला

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई भी खेत सारा पानी खेंच लेता है। जो प्रारम्भ में खेत पड़ते हैं उनको, पानी पूरा मिलता है। अन्त की सीमा तक पहुंचते-पहुंचते पानी खतम हो जाता है तो बीच में जो पानी चोरी होता है इसके सम्बन्ध में भी आप कुछ कार्यवाही करेंगे इस बात के बारे में भी आप आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि आज का संशोधन जो मैं लाया हूं, किसान विरोधी है, मैं इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं यह स्टेट्यूट बुक पर 1954 से था यह कानून इस कानून की जनक तो कांग्रेस पार्टी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी सम्मिलित रहे होंगे उसको बनाने में। मैं तो आज जो प्रवृत्ति बन गई है बड़े किसान, प्रभावशाली किसान धीरे-धीरे किस तरह से पानी की चोरी करना प्रारम्भ कर दी है या चोर रहे हैं मैं उनकी चिन्ता के साथ हूं। उनकी भी चिन्ता है कि किसानों को समय पर पानी मिले। उनकी भी चिन्ता है कि नहरें ठीक समय पर काम करें, उनकी भी चिन्ता है कि चेनल्स ठीक ढंग से काम करे, उन सब चिन्ताओं के साथ मैं सम्मिलत हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सार्थक सुझाव दिये हैं उन पर पूरी तरह से राजस्थान सरकार विचार करेगी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जो माइनर्स, सबमाइनर्स काले दे देते हैं अपने स्तर पर, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: पंडितजी ने पहले ही सुझाव दे दिये हैं-।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन बिलों में काश्तकारों के खिलाफ तो सजा देने का प्रावधान कर दिया लेकिन कुछ कर्मचारी इस प्रकार का काम करते हैं उनके लिये इसमें कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। उनके लिये एक उप धारा और जोड़ देनी चाहिये इसमें कि जो कर्मचारी इस प्रकार पानी की चोरी करते हुये या सहभागी बनते हुये पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री केदारनाथ शर्मा . इसमें है प्रावधान।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991, को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 प्रभारी मन्त्री श्री गंगारामजी चौधरी प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री गंगाराम चौधरी)

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसादजी। ... (व्यवधान)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हंसने वालों की बुद्धि पर बहुत तरस आता है।.... (व्यवधान) हमारे राजस्थान विधान सभा के विधायी कार्य, विधायकों के लिये सर्वोपरी है। विधायी कार्य कर पर कम समय देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर माननीय सदस्यों का ध्यान, माननीय सदस्य इसको पढ़े भी नहीं, देखे भी नहीं, समझे भी नहीं तो यह और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिये प्रशासन से या जो अब तक कानून बन गये हैं उन लोगों को उत्तरदायी बनाने के बजाय जो एक प्रवृत्ति डवलप कर रहे हैं वह मैं समझता हूं कि यह हमारी सोच का विषय है। प्रजातन्त्र में, लोकतन्त्र में हम लोगों के प्रति उत्तरदायी है। जो नियम और कानून बनाते हैं उनकी पालना होनी चाहिये, उसके ऊपर निश्चित रूप से उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि आज हमको सारा समय इस बात पर जाया करना पड़ रहा है कि सारे विधेयक और सारे आर्डिनेन्स इस लिये आ रहे हैं कि इनके प्रावधानों को अब तक लागू नहीं करवा सके। प्रशासन को किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं बना सके और केवल जनता पर हम वजन डाल रहे हैं, सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल रहे हैं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केवल साहूकारों का नाम आ गया इसलिये कुछ हंस गये, किसी को जाना है, यह बात सही है कि समय बहुत हो गया यह बात भी सही है कि एक दिन में पांच-पांच छः-छः बिलों पर विचार होगा तो किसी का भी दिमाग काम नहीं करेगा।....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि हमने प्रोविजन कर रखा है कि साठ दिन कम से कम चलाया जाये, उस पर किसी का ध्यान नहीं है और इस पर ठीक प्रकार से विचार हो, ठीक प्रकार से कानून बनें अमेण्डमेंट नहीं लाना पड़े उस पर किसी का ध्यान नहीं है यह मूल बात है। मूल बात इसलिये है कि मैं इसमें सरसरी तौर पर बोल पाऊँगा।

श्रीमती विद्या पाठक : इन्होंने पहले ही कह दिया कि दिमाग, खराब हो जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इतना सारा बिजनस है हाउस का वह सारा बिजनस ठीक प्रकार से चले। इसको देखने तक का समय नहीं मिलेगा तो आप किस प्रकार इन नियमों को ठीक प्रकार से बना पायेंगे यह मेरी समझ के बाहर। इसलिये आपका हंसना भी, और मैं आपकी हंसी को इसलिये भी ज्यादा नहीं रोक सकता कि मैं निश्चित रूप से पूरी तरह तैयार होकर नहीं आया हूं लेकिन मैंने जो मोटे रूप में इसको देखा है हम इसमें यह प्रावधान कर रहे है कि जो अब तक किसी प्रकार की फीस नहीं थी जैसा मैं समझ पाया हूं... (व्यवधान).... पहले थी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी नहीं है तो पण्डितजी बोल लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले सिक्योरिटी किसी प्रकार की जमा नहीं करवाई जाती थी अब फीस के साथ सिक्योरिटी जमा करवाई जायेगी एक हजार रुपये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, लगता है माननीय सदस्य पूरी तैयारी करके नहीं आये हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह पूरी तैयारी कर लें और अभी तो पास होने दे इसको ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सब इस बात के लिये आग्रह करें कि यह बिल या तो कल लाया जाये या इसके बाद में लाया जाये ।.. (व्यवधान)....इसमें एक तो कोर्ट में, किसी भी प्रकार का अपराध होता था नॉन काग्नीजेबल अब तक यह अपराध था इसको काग्नीजेबल अपराध हम बनाने जा रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह मानना है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये । इस प्रकार जल्दबाजी में और अफरा तफरी में कानून बनाकर, लोगों को, पुलिस का हस्तक्षेप बिना वजह बढ़ाने जा रहे हैं इससे करप्शन बढ़ेगा । जिसकी हम घोषणा कर रहे हैं कि करप्शन को हम रोकेंगे । साहूकार कानून के तहत हम यह प्रावधान कर रहे हैं तो हम यह जानते हैं....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पूरा पढ़ा तो है ना बिल । इसमें कहां काग्नीजेबल है, कहां पुलिस है ? पढ़ा तो है ना आपने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने पहले ही कहा कि मैंने मोटे रूप में इसको देखा है । इसलिये इसको पहले जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल रात में और आखिर में जो रखा गया है निश्चित तौर पर इसके साथ न्याय होने वाला नहीं है । इसमें जितने संशोधन किये गये हैं और राजस्थान की जनता का इससे सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यह बिल अब तक के जितने चारों-पांचों बिल है उनमें से सबसे ज्यादा गम्भीर बिल है । लेकिन दिक्कत यह है कि हम जिस तरह से लेजिस्लेशन की कार्यवाही चलाते हैं उसी तरह के मामलों में न्याय हो पाना सम्भव नहीं है । महावीर जी तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, बिल में यह बात थी नहीं । सीधी बात इसमें यह है कि एक बात तो यह कही जा रही है और यह सच्चाई भी है कि खेती के अलावा दूसरे धन्धा करने वाले लोग उधार देते हैं और ब्याज लेते हैं और ब्याज लेते हैं तो माननीय मन्त्रीजी का कहना यह है कि जो एक्ट में ब्याज है उससे ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है अब फिर गलती कर रहे हैं मंत्रीजी । संशोधन ला रहे हैं और ब्याज की दरों में इन दिनों में जो परिवर्तन हुए हैं, अगर आप पुरानी ब्याज की दर को रखोगे तो कर्ज मिलेगा कहां से । आप जानते हो, आजकल बैंकों की ब्याज दर क्या है और आपके एक्ट में ब्याज की व्यवस्था क्या है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक तो ब्याज का प्रावधान हो, ब्याज के प्रावधान के तहत हम दूसरे तरह के व्यापारियों को भी साहूकारी ऋण में ला रहे हैं जिनके लिए पाबंद किया जा रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी जमा करावें 1000 रुपये, और वास्तव में जो लेनदेन का

(श्री राम किशन)

धंधा करते हैं, उनका क्षेत्र तय हो, वो लाइसेंस लें। ये सब तरह के उसमें प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार से अब तक लाइसेंस लेने के लिए तो रजिस्ट्रार को अधिकार थे, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दिये जा रहे हैं और अपील के अधिकार दूसरे अधिकारियों को दिये जा रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल का सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध यह है कि हमारी अर्थ व्यवस्था, सारे देश की अर्थ व्यवस्था और खास तौर से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था कर्ज के बगैर तो चल नहीं सकती। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि किसान का जो शोषण होता है और बैंकों में जो पूंजी जमा होती थी वो केवल उद्योगपतियों को मिलती थी। हमने समझकर इस व्यवस्था से, हम लोगों के लिए ज्यादा राहत पहुंचा पाये। यह सही बात है, बैंकों की शाखाएं ज्यादा गांवों में खुली हैं उनको कर्ज भी मिले हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आप देखेंगे कि आज बैंकों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार को मिला लें और चक्कर लगाने को मिला लें तो साहूकार का ब्याज सस्ता पड़ता है और बैंक का ब्याज तेज पड़ता है तो मैं यह नहीं कहता कि हमें साहूकारों को कोई समर्थन देना है, उनका बचाव करना है लेकिन हमारी व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि आज किसान को उत्पादन के लिए कर्ज तो मिले। आज हमारे राजस्थान में, मंत्रीजी जिस बिल को पायलट कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये नहीं बता पायेंगे कि हमारी ग्रामीण जनता पर कर्ज कितना है और ये कर्ज इन सालों में कितना बढ़ा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आए बता दीजिये। आपने मंत्रीजी को बात कही, आप बता दीजिये।

श्री रामकिशन : जब मैं ही बता दूंगा तो सारे ज्ञान को, न्याय दे दूंगा फिर घर कैसे आओगे आप। आप देखिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतनी सी बात कही, आप बता देओ।

श्री रामकिशन : मैं आपको क्यों बताने लगा। आईये, शागिर्द बनिये, मिठाई लाइये, मैं बता दूं। कोई मुफ्त में बताने वाला तो हूं नहीं मैं और....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुफ्त में आप कोई काम नहीं करते।

श्री रामकिशन :... तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ग्रामीण कर्जों की जो रिपोर्ट आई है, इन पर 3-4 रिपोर्ट उपलब्ध हैं। उस दृष्टि से हम देखेंगे उपाध्यक्ष महोदय कि हम ग्रामीण जनता को जितनी सुविधा दे सकते थे, दे नहीं पायें। अब इन सब चीजों को देखते हुए, अब इस बिल को जिस तरह से रखा जा रहा है, मैं इसमें इतना सा ही निवेदन करूंगा, आप जानते हैं वैसे लेनदेन के प्रकरण में काफी फर्क आ रहा है। गांवों में भी अलग ढंग की क्लास पैदा हो गई है और वो क्लास साहूकारों की नहीं रही है बल्कि जो धनवान किसान है वो भी लेनदेन का धंधा करते हैं। कई गांवों में मैंने खुद देखा है, जो पुराने परम्परागत साहूकार थे, जो लेनदेन का धंधा करते थे वो या तो शहरों में आ गये या उसको लेकर देता नहीं है लेकिन गांवों में ऐसी क्लास पैदा हो गई है शोषकों की, जिनके पास

(श्री रामकिशन)

जमीन भी हैं, जिनके पास व्यापार भी हैं और जिनके लोग सर्विस में भी हैं और वो ब्याज भी वसूल करते हैं, बहुत लम्बी ब्याज वसूल करते हैं। उनकी कोई लिखा-पढ़ी भी नहीं है या इस तरह की लिखा-पढ़ी करते हैं कि जिस तरह से वो पहले से ही. मेरे अपने जिलों में तो ऐसी प्रेक्टिस है कि बांड जो लिखवाते हैं. वो दुगुना लिखवा लेते है इसलिए उससे कोई निकल नहीं सकता तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी मंशा केवल कानूनी संशोधन करना है, तब तो जो आपने सुझाए हैं उनका कोई विरोध नहीं है। रजिस्ट्रार की जगह असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को ले रहे हो. इसमें क्या विरोध हो सकता है। हमने 1000 रुपये सिक्योरिटी ले रहे हो, इसमें हमारा क्या विरोध हो सकता है साहूकार को पाबंद कर रहे हैं, वो अपने नाम और लाइसेंस को प्रदर्शित करे, नहीं करने पर उसे रुपये 250/- देने पड़ेंगे, इसमें हमारा क्या विरोध हो सकता है ? असल सवाल तो यह है कि हम ग्रामीण जनता को शोषकों से कैसे बचायें और बैंकों की व्यवस्था को कैसे सुधारे ? इन दोनों उद्देश्यों से इस बिल में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई जानकारी भी नहीं है, इसलिए मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं अब ये कोई आर्डिनेन्स तो है नहीं जो लेप्स हो जाय, इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है और राज्य की सारी जरूरतों को समझते हुए आगामी 30-40 साल में देश में और हमारे समाज में जो परिवर्तन होंगे और जिस तरह विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिस तरह से कीमतों में असंतुलन कर रहा है और गांव की सारी पूंजी शहरों में जा रही है और जिस तरह कर्जदारी बढ़ने वाली है, इन सारे सन्दर्भों पर अगर विचार करना होगा विस्तार से तो मैं निवेदन करूंगा इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। बाकी अगर आपको कानून की खानापूर्ति करनी है तो इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। इतनी ही बात मुझे कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी वर्मा, विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव करेंगे।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने भी बिल रखे गये हैं. अधिकांश बिल पेनल्टी बढ़ाना, फीस को इन्क्रीज करना ये जो परिपाटी वर्तमान सरकार की तरफ से आ रही है सामने, ये क्रिम दृष्टि से आ रही है, क्या सोच है इस बारे में सदन के सदस्य अपने आप समझ रखते हैं। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में उस प्रोवीजन के खिलाफ क्या कुछ किया है। जिसको हम हुण्डी कहते हैं। 100 रुपये की चिट्ठी पर 70 रुपये दें, 30 रुपये ब्याज के काटे जाय, उसका स्पेसिफिक प्रोवीजन इसमें अमेण्ड किया जाना चाहिये था, वो नहीं किया गया है। लाइसेंस फीस का जहां तक सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 रुपये लाइसेंस फीस थी, 1000 रुपये आपने सिक्योरिटी की है। टेन टाइम्स नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेट भी बढ़ रही है तो इस कदर नहीं बढ़ रही, 66.66 प्रतिशत इन्क्रीज आपने कर दिया एक तरह

(श्री रामनारायण वर्मा)

से। 15 रुपये जो लाइसेंस फीस थी, उसे 66.66 प्रतिशत इन्क्रीज कर दिया। ये किस ढंग से मार डाला जा रहा है। दूसरी बात ये है, सारा का सारा उनके ऊपर लागू होगा जो दुकान से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा अन्य सामान लेता है, इसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा। क्या छोटे दुकानदार इसके माध्यम से नहीं आयेंगे, क्या उनको रिटर्न्स नहीं भरने पड़ेंगे, क्या उनको मनी लैंडिंग एक्ट के तहत, साहूकार अधिनियम के तहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहां जाना नहीं पड़ेगा? यह सही है रजिस्ट्रार शब्द की जगह आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार शब्द कर दिया, छोटी अथोरिटी को लाइसेंस बनाने की अथोरिटी दे दी, वहां तक तो सही है लेकिन सारे के सारे दुकानदारों को जो उधार सामान देते हैं, वो भी इसमें आयेंगे. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा कौन-कौन से आयेंगे, क्या सारे व्यापारी आयेंगे, ये सारा का सारा आपने किस दृष्टि से, कैसे, किस सोच से रखा है। आप. माननीय मन्त्रीजी, इस बात को मिलकर करेंगे। साथ ही चूंकि ये, जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने सदन को अवगत कराया, चूंकि ये अध्यादेश नहीं है, बिल है, जल्दबाजी में सरकार जो काम कर रही है, एक के बाद एक बिल ला रही है, वह कतई प्रशंसनीय नहीं है, यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। आज मैं इतना तो आश्वस्त करूंगा कि कुछ महीने तो आप जा नहीं रहे हैं, सरकार आपकी है। आप वो बिल दीजिये, वो अधिनियम जनता के सामने लाइये जो स्थायी हो, जिसको दुबारा अमेंड करने की कम से कम गुंजाइश रहे, इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान साहूकारी (संशोधन) विधेयक 1991 को एक प्रवर समिति को निदिष्ट कर दिया जावे, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें, ताकि इसमें जो खामियां हैं, कमियां है उसकी पूर्ति की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को एक गलतफहमी हो रही है कि इसमें जो लाइसेंस फीस पहले 15 रुपये थी वो अब 1000 रुपया कर दी. यह ऐसा नहीं है। इसमें केवल सिक्योरिटी का प्रोवीजन नया रखा गया है और सिक्योरिटी कोई फीस नहीं होती। सिक्योरिटी तो जमा होती है और जब तक लाइसेंस होल्डर लाइसेंस रखेगा, तब तक रहेगी, वापस ले जा सकता है, उसको रिफण्डेबल मानते हैं। ये सिक्योरिटी हमने इसलिए रखी है कि कई अवसरों पर कलक्टर्स की यह रिकमण्डेशन थी कि जो पेनल्टी इम्पोज की जाती है उसकी रिकवरी में उनको कठिनाई पड़ती है अगर सिक्योरिटी हो. अगर कोई आदमी पेनल्टी को समय पर न अदा करें तो सिक्योरिटी में से वो पैसा काट लिया जा सके इसलिए इस प्रोवीजन को रखा था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको काग्नाइजिबल आफेंस सेक्शन (5) के डिफाल्टर को रखा है यानि जो व्यक्ति बिना लाइसेंस लिये अगर लेनदेन करता है, ऋण देता है, धंधा कर

(श्री गंगाराम चौधरी)

लेता है उसके लिए हमने जरूर आफेंस काग्नाजिबल रखा है पहले यह काग्नाजिबल नहीं था, यह नया प्रोवीजन रखा है लेकिन उसमें पेनल्टी बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्दर, इस बिल के अन्दर...

श्री परसराम मदेरणा : .... उसको आपने कम्पाउडेबल तो कर दिया है।

श्री गंगाराम चौधरी : सही है, उसको कम्पाउंडेबिल भी रखा है और हमने उसमें...

श्री परसराम मदेरणा : .... कम्पाउंडेबल हो गया है ये, इसके अन्दर कुछ हो-हुआ करके.....

श्री गंगाराम चौधरी : और सोर्स उसमें कम्पाउंडेबल रखा है और उसमें 1000 की पेनल्टी. जो पहले 500 थी, उसको बढ़ाया है। उसमें मुख्य प्रोवीजन जो हैं, इसमें जो माल उधार देता है और उस पर ब्याज लेता है, उसमें उसको कवर किया जो पहले नहीं था। हमारे अफसरों के सामने, अदालतों के सामने कई कठिनाइयां इस सम्बन्ध में आने लगी कि जो कैश उधार न देकर के सामान उधार दे देता है और उस पर ब्याज चार्ज करता है वह उसमें कवर नहीं होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को छोड़ करके दूसरा माल जो उधार लेता है ब्याज पर उसको इसमें कवर किया है। सबसे पहले तो हमारा इसमें ये अमेण्डमेंट है, बाकी अधिकारों का है। पहले हमने इसमें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वर्ड यूज किया है, वह हमारा एस. डी. ओ. होता है और रजिस्ट्रार कलक्टर होता है। और रजिस्ट्रार जनरल रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर होता है तो एस. डी. ओ. पहले प्रार्थना पत्र को कलक्टर के पास फोरवर्ड करता था तब उसको लाइसेंस मिलता था। यह पावर अब हमने एस. डी. ओ. को दे दिया यानि असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दे दिया और अपील के पावर्स आगे हैं। कुछ हमने पैनेल्टीज को बढ़ाने के प्रावधान रखे हैं। पहले इसमें जहां 200 रुपये पैनेल्टी थी वहां हमने 2000 रुपये रखे हैं। पहले इसमें सबसिक्वेंट ऑफेंस पर 500 रुपये पैनेल्टी थी उसको 5000 रखा है। इस प्रकार से ये प्रावधान रखे हैं।

पंडितजी ने यह जरूर कहा कि राजस्थान में लोगों पर कितना कर्ज है। इसकी जानकारी तो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि 1964 के बिल में पहली बार संशोधन आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें जो कुछ सुधार लाये जा रहे हैं सदन उनको अप्रूव करेगा। जो प्रस्ताव जनमत जानने हेतु या प्रवर समिति को सौंपने हेतु प्रस्तुत किए हैं सदन उनको निरस्त करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकार

(श्री उपाध्यक्ष)

(संशोधन) विधेयक, 1991 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय ।

विधेयक का पारण

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्रीजी, मैं आपसे दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक तो क्लॉज 8 । इसमें दिखने में तो बड़ा सिम्पल अमेण्डमेंट है कि जहां आपने, रजिस्ट्रार था वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार कर दिया और जहां रजिस्ट्रार जनरल था वहां रजिस्ट्रार कर दिया । इसका ओरिजनल सेक्शन 13 है । 13 के (3) में है :—

"Application for cancellation of licence........

(3) On the receipt of such application and deposit or of a report to that effect from an officer acting under section 16 the Registrar shall hold anenquiry........"

रिपोर्ट करने वाला ऑफिसर पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार था । अब रजिस्ट्रार की जगह असिस्टेंट रजिस्ट्रार आ गया तो वह रिपोर्ट करने वाला व इंक्वायरी करने वाला ऑफिसर कौन है ? इसको आपने क्लेरिफाई नहीं किया ।

दूसरा क्लॉज 15 से सेक्शन 43 को अमेण्ड किया है और सेक्शन 43 का जो सब सेक्शन 2 है उसको पूरा का पूरा आपने सबस्टीट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया । पहले 43 में जो सब सेक्शन था वह यह था कि :—

"(2) The Registrar may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under section 40, accept from any person charged with such offence by way of composition of the offence..........."

........the following penalties. अब आपने जो अमेण्डमेंट किया है इसमें रजिस्ट्रार की जगह न तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रखा है और न कोई और अफसर रखा है कि कम्पाउण्डिंग अथोरिटी कौन हो ? अब आप जो लाये हैं ऑफेंसेस पनिसेबल यहां से शुरू हो गया है । पहले था कि रजिस्ट्रार अथोरिटी होगा जो कम्पाउण्ड करेगा । अब इसकी जगह असिस्टेंट रजिस्ट्रार

(श्री परसराम मदेरणा)

कर देते तो वह अथोरिटी होती। अब क्लॉज 15 (2) है जो पूरा का पूरा सबस्टीट्यूट किया है इसमें कोई भी कम्पाउण्डिग अथोरिटी नहीं रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें आपने जो रखा है व्यापारी और व्यवहारी के रूप में कृषि वस्तुओं के भिन्न सब वस्तुओं पर उधार प्रदान करता है और यदि विक्रय मूल्य का संदाय नियत काल में नहीं किया गया तो क्रेता, धारा 29 में विहित दर से उच्चतर दर पर ब्याज का संदाय करेगा। इसका मतलब यह है कि उन सभी को लाइसेंस लेना होगा जो कृषिजन्य वस्तुओं के अलावा चीजें हैं चाहे वे कोई भी हो। कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जो उधार न देती हो। दाल, चावल, तेल, बीड़ी-सिगरेट, तम्बाकू, प्याज यानि कौनसी ऐसी चीज बची है जो उधार न देते हों और उधार देने वाले सारे ही इसमें आ जायेंगे तो यह कितना वाइड हो जायेगा, किस तरह से आप टैक्स वसूल करेंगे और इसके क्या इम्पलीकेशंस होंगे इस पर सोचा नहीं। पहले यह नहीं था, अब आपने किया है। एक तो मुझे यह कहना था।

दूसरा, आपने इसको बहुत नरम रखा है मेरी यह शिकायत है। यह 1000 रुपये जो आपने रखा है तो आजकल 1000 रुपये क्या होता है? जो गड़बड़ करते हैं लेन-देन की उनको 5000 तो मिनिमम होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस वाले तो इसका भी विरोध करेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं तो इसका विरोध नहीं करता। मैं इसके पक्ष में हूं कि लेन-देन करने वाले लोगों को इस तरह से कानून में बांधा जाय जिससे गरीब लोगों का शोषण न हो सके। अब जो प्रोविजन रखा है इस पर आप थोड़ा पुनर्विचार करें क्योंकि यह इतना वाइड हो जायेगा कि इसमें हर लून-तेल की दुकान भी आ जायेगी। गांवों में विशेष तौर से जो दुकानें हैं वे अधिकांश तेल से लेकर सारी चीजें उधार देती हैं और उन पर ब्याज भी ज्यादा लेते हैं। उन पर कैसे नियंत्रण कर पायेंगे यह मेरी शंका है। आप इसका भी उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में सामान्यतया किसान या दूसरे व्यक्ति, आपमें और हममें भी कई लोग ऐसे हैं जो आपस में एक-दूसरे को लेन-देन का काम कुछ समय के लिए अस्थायी या स्थायी रूप से ब्याज लेकर और बिना ब्याज लेकर करते हैं। गांवों में किसान का काम इसके कारण से रुक जायेगा और एक लिमिटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति जो सामान्य काम-काज के लिए लेन-देन करता है उसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक न हो। इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई तो गांवों में सामान्य व्यक्ति को कठिनाई होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन क्लाज 15 में सेक्शन 43 में जो संशोधन सजेस्ट किया है उसमें अब रजिस्ट्रार शब्द को हटा दिया गया है। जिस न्यायालय के अन्दर जो मामला विचाराधीन होगा और जो न्यायालय पनिश करेगा उसी न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वो इस मामले में कम्पाउण्ड कर सके और कम्पाउण्डिंग की फीस इसमें हमने बदली है, क्लॉज-2 हमने पूरा का पूरा इसमें बदल दिया है। माननीय मदेरणा साहब ने मूल क्लॉज 13 का कहा था ... (व्यवधान).. मूल सेक्शन 13 को तो हमने अमेण्ड किया है। क्लॉज 8 पढ़िये :—

"**8. Amendment of section 13, Rajasthan Act 1 of 1964**:— In section 13 of the principal Act, for the expressions Registrar' and 'Registrar General' wherever occurring, the expressions 'Assistant Registrar' and 'Registrar' respectively shall be substituted." तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार आ गया।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है सेक्शन 13 (3) के अन्दर जब कोई एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस के लिए होता है कि इस तरह से जो मनी लेण्डर्स हैं, ये गिल्टी है और यह कानून के प्रावधान का वाइलेशन कर रहा है, इस प्रकार की जब एप्लीकेशन आयेगी तो आप उसको नोटिस देंगे और एक इंक्वायरी करेगा। पहले वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंक्वायरी करके रजिस्ट्रार को देता था अब रजिस्ट्रार को बना दिया आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो वह ऑफिसर कौन होगा जो इसकी जांच करेगा? प्रिस्क्राइब करेंगे क्या आप?

श्री गंगाराम चौधरी : हमने रजिस्ट्रार की जगह सब जगह असिस्टेंट रजिस्ट्रार रख दिया। क्लॉज 3 में भी ऑन रिसीप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, इसको ही आप कहना चाह रहे हैं— 'On the receipt of such application and deposit or of a report to that effect from an officer acting under section 16, the Registrar shall hold an enquiry..........." उसकी जगह अब आ गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार।

श्री उपाध्यक्ष : सब रजिस्ट्रार सब जगह इन्होंने अमेण्ड किया है न, इस वर्ड को।

श्री गंगाराम चौधरी : कोई दिक्कत नहीं....

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आफिसर जो है आपने सेक्शन 16 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार को रखा था, वह रिपोर्ट करता रजिस्ट्रार को....

श्री गंगाराम चौधरी : तो वही इनक्वायरी करेगा ...

श्री परसराम मदेरणा : अब आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के पावर दिये तो वह रिपोर्ट कौन करेगा, इन्सपेक्टर..

श्री गंगाराम चौधरी : अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही सारी कार्यवाही करेगा, रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह कर लेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में कुछ कहना चाहता था...

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे बिल का संशोधन 1978 में एक दफा आरम्भ किया गया था लेकिन उस वक्त में एक कमेटी अपाइंट की थी उस कमेटी को 81 के अन्दर जो गवर्नमेंट आई उसने भंग कर दिया। उसके बाद में 1986 और 1987 में यह बिल तैयार हुआ और उसको पेश किया, और फिर सदन ने लैप्स कर दिया। तो हम तो आपकी लैप्सेज को ठीक कर रहे हैं इस बिल को लाकर के, आप क्यों इतनी चिन्ता करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 22-9-1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 9.42 बजे मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1992 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची

क्रमांक	नाम जिला	वर्तमान में स्वीकृत पद	वर्तमान में कार्यरत	स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत	स्वीकृत पदों से कम कार्यरत
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	135	137	2	—
2.	अलवर	230	302	72	—
3.	बारां	81	104	23	—
4.	बांसवाड़ा	106	106	—	—
5.	बाड़मेर	132	84	—	48
6.	भरतपुर	157	261	104	—
7.	भीलवाड़ा	180	231	51	—
8.	बीकानेर	66	51	—	15
9.	बून्दी	72	88	16	—
10.	चित्तौड़गढ़	157	213	56	—
11.	चूरू	103	92	—	11
12.	दौसा	85	107	22	—
13.	धौलपुर	74	86	12	—
14.	डूंगरपुर	91	100	9	—
15.	गंगानगर	210	189	—	21
16.	जयपुर	231	250	19	—
17.	जैसलमेर	93	53	—	40
18.	जालौर	116	108	—	8
19.	झालावाड़	109	121	12	—
20.	झुंझुनूं	134	142	8	—
21.	जोधपुर	139	113	—	26

1	2	3	4	5	6
22.	कोटा	74	88	14	—
23.	नागौर	192	169	—	23
24.	पाली	162	169	7	—
25.	राजसमन्द	92	85	—	7
26.	सवाई माधोपुर	202	252	50	—
27.	सीकर	158	198	40	—
28.	सिरोही	70	61	—	9
29.	टौंक	99	121	22	—
30.	उदयपुर	195	203	8	—
	योग :	3945	4284	547	208

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 80

(स्थगित)

50% से कम परीक्षा परिणामों वाले विद्यालय

81. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा एवं भाषा मंत्री महोदय का पत्रांक शि. मं/92/3665 दिनांक 28-7-92 द्वारा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को 50% से कम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का परीक्षा परिणाम देने वाले सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को प्रदोन्नति एवं वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिये गये हैं ? प्रदेश में कितने रा. सी. उ. मा. वि. का परीक्षा परिणाम 50% से कम रहा है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) शैक्षिक वर्ष 1991-92 में कम परीक्षा परिणाम देने वाले कितने संस्था प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ? कब तक वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति रोकने के आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रदेश में माध्यममिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा 1992 में 50 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम देने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जिलेवार संख्या सूचीबद्ध कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) शैक्षिक वर्ष 91-92 में कम परीक्षा परिणाम देने वाले किसी संस्था प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है । वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति रोकने के आदेश नियमानुसार विभागीय जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने पर ही प्रसारित किये जा सकते हैं ।

1992 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा का परिणाम 30% से कम देने वाले सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	जिला	विद्यालय संख्या	विज्ञान	वाणिज्य	कला	व्यावसायिक शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	44	04	19	12	—
2.	अलवर	43	14	27	05	3
3.	बांसवाड़ा	19	05	10	06	2
4.	बाड़मेर	15	05	06	03	1
5.	भरतपुर	24	09	16	11	2
6.	भीलवाड़ा	31	02	11	05	1
7.	बीकानेर	16	06	05	06	—
8.	बून्दी	13	03	04	02	1
9.	चित्तौड़गढ़	27	05	14	03	—
10.	चूरू	22	08	03	12	—
11.	डूंगरपुर	12	07	04	08	—
12.	जयपुर	60	16	31	26	2
13.	जैसलमेर	04	01	—	—	1
14.	जालौर	13	02	07	05	—
15.	झुन्झुनूं	28	09	14	07	—
16.	झालावाड़	13	06	06	08	—
17.	जोधपुर	31	11	00	14	—
18.	कोटा	15	06	08	07	2
19.	नागौर	30	12	12	11	3
20.	पाली	23	07	06	06	—
21.	सवाई माधोपुर	30	19	20	20	4

1	2	3	4		6	7
22.	सीकर	24	07	20	12	2
23.	सिरोही	11	04	01	04	1
24.	श्री गंगानगर	36	14	14	16	3
25.	टोंक	18	06	09	08	1
26.	उदयपुर	32	07	15	11	1
27.	धौलपुर	11	07	03	06	2
28.	दौसा	12	05	08	09	1
29.	बारां	10	07	07	07	—
30.	राजसमंद	15	04	04	06	—
	योग :—	682	218	314	256	33

नोट :—गत वर्ष प्रदेश में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुल संख्या 744 जिनमें से 62 में गत वर्ष (1991-92) क्रमोन्नत होने के कारण 12 वी कक्षा प्रारम्भ नहीं हुई।

छात्रों की संख्यानुपात में अध्यापकों का पदस्थापन

82. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में कितने राजस्व ग्राम है और ऐसे कितने ग्राम हैं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? शेष रहे ग्रामों में कब तक प्राथमिक विद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व जिन राजस्व ग्रामों में जहां विद्यालय नहीं थे व नये प्राथमिक विद्यालय एव शिक्षा केन्द्र खोले गये थे उन शिक्षा केन्द्रों व विद्यालयों को बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की संख्या नहीं है ? यदि हां, तो विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में अध्यापक लगाने का सरकार का कब तक विचार है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 34968 आबाद राजस्व ग्राम है। इसमें 26772 प्राथमिक विद्यालय चल रहे है। शेष ग्रामों में राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अधीन सामान्य जिलों में प्रत्येक 250 जनसंख्या वाले एवं रेगिस्तानी तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 150 की जनसंख्या वाले ग्रामों में विद्यालय खोलने का प्रावधान है जिसके अनुसार विद्यालय खोल दिए गए है।

(2) जी हां। नियमित प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत शिक्षा केन्द्रों के भेद को, देखते हुए विधि विभाग की राय से राज्य सरकार ने दिनांक 8-5-90 के आदेश द्वारा सभी शिक्षा केन्द्रों को बंद कर दिया था। कोई प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किया गया था।

(3) जी नहीं। अधिकांश विद्यालयों में छात्र अनुपात के अनुसार ही अध्यापक कार्यरत है।

सवाईमाधोपुर सीमन्ट फैक्ट्री का पुनर्संचालन

83. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री कब से बन्द है और बन्द होने के बावजूद भी उसमें कितने कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत हैं और उन्हें वेतन दिया जा रहा है ? ऐसे अधिकारी कर्मचारी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार सीमेंट फैक्ट्री को कब तक चालू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस फैक्ट्री को चालू करने के बारे में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार फैक्ट्री के बन्द होने से प्रभावित कर्मचारियों को कोई राहत

(श्री रामस्वरूप मीणा)

प्रदान करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

उत्तर

(1) जयपुर उद्योग लि., सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री जुलाई, 1987 से बंद है। जनरल मैनेजर, जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर द्वारा जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में करीबन 250 आदमी फैक्ट्री में तथा 100 आदमी फलोदी खदान पर उपस्थित होते हैं। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची बनाने में असमर्थता व्यक्त की गई हैं।

(2) बी. आई. एफ. आर. द्वारा अप्रेल, 1992 में अनुमोदित एवं 20 जुलाई, 1992 को संशोधित पुर्नसंस्थापन पैकेज के अनुसार सीमेन्ट फैक्ट्री का पुर्नचालन मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी द्वारा किया जाना है।

(3) राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

राज्य सरकार द्वारा मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड के पुर्नसंस्थापन/पुर्नसंचालन हेतु किये गये प्रयासों का विवरण

1. बी आई एफ. आर द्वारा अपीलेट आथोरिटी के निर्णयानुसार आई. आर. बी. आई. (आपरेटिंग ऐजेंसी) से संशोधित रिपोर्ट तैयार करवाई गयी। ओपरेटिंग ऐजेंसी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर बी. आई. एफ. आर. द्वारा कम्पनी को अवसायन में ले जाने का तदर्थ रूप से निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रयासों से निरन्तर सुनवाई की तिथियां स्थगित करवायी गई प्रयासों के फलस्वरूप बी. आई. एफ. आर. द्वारा 2-9-90 तक का समय दिये जाने की सहमति दी गयी।

2. इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा उक्त फैक्ट्री को चालाने हेतु कई पार्टियों से सम्पर्क किया गया। राज्य सरकार के सुप्रयासों के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव/प्रस्ताव मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर राज्य सरकार से अपेक्षित त्याग/सुविधायें—रियायतों के सम्बन्ध में बी. आई. एफ. आर. व आपरेटिंग ऐजेन्सी को सकारात्मक उत्तर दिनांक 5-9-90 को प्रेषित किये गये।

3. बी. आई. एफ. आर. द्वारा दिनांक 26-9-90 को नई दिल्ली में आयोजित अनौपचारिक बैठक मे राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग सचिव, द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 16-10-90 मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि., को जयपुर उद्योग लिमिटेड के श्रमिक संगठनों से समझोता निष्पादित करने हेतु लिखा गया/दिनांक 14-12-90 को मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि.

492

के आवेदन पर सचिव, श्रमिक विभाग को नये प्रवर्तक तथा श्रमिकों के मध्य समझोता कराने में पूर्ण सहयोग देने हेतु निवेदन किया गया। इसके फलस्वरूप नए प्रवर्तकों तथा श्रमिक संगठनों के मध्य समझोता निष्पादित हो गया है। उप सचिव उद्योग द्वारा दिनांक 11-12-90 को आपरेटिंग ऐजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया गया।

4 राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में त्याग करने की सहमति देने पर ही बी. आई एफ आर. द्वारा आपरेटिंग ऐजेन्सी को संशोधित पुर्नसंस्थापन पेकेज/पूरक पेकेज बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. ओपरेटिंग ऐजेन्सी को संशोधित/पूरक पेकेज तैयार करने में राज्य सरकार द्वारा वांछित सहयोग प्रदान किया गया, परिणामतः ओपरेटिंक ऐजेन्सी द्वारा संशोधित पूरक पुर्नसंस्थापन पेकेज बनाकर बी. आइ. एफ. आर. को प्रस्तुत किया गया।

6. बी. आई. एफ. आर. द्वारा 19-2-92 तक आदेश पारित करने हेतु आदेश सुरक्षित रखे गये।

7. बी. आई. एफ. आर. द्वारा संशोधित पैकेज के अनुसार कतिपय अतिरिक्त त्यागों की उपेक्षा की गई। जिन पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5-3-92 को बी. आई. एफ. आर. को सहमति भिजवाई गई।

8. बी. आई. एफ. आर. द्वारा सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रस्ताव पर विचार कर पुर्नचालन पेकेज का अनुमोदन दिनांक 20/21-4-92 को किया गया एवं दिनांक 20-7-92 को आंशिक संशोधन किया गया।

9. बी. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदित पैकेज के अन्तर्गत सभी सम्बन्धि विभागो को पैकेज की क्रियान्विति हेतु निवेदन किया जा चुका है। साथ ही नये प्रवर्तक मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि. को भी निवेदन किया जा चुका है कि बी. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदित पैकेज के अनुसार फैक्ट्री के पुर्नचालन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावें। कम्पनी को यह भी आश्वस्त किया गया है कि यदि उन्हें अनुमोदित पैकेज के अनुसार फैक्ट्री के पुर्नसंचालन में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो राज्य सरकार को अवगत कराया जावें ताकि उसका निराकरण किया जा सकें।

अनुबंधित डीलक्स बसेज

84. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्वयं की कितनी डीलक्स बसेज हैं तथा वर्तमान में कितनी डीलक्स बसेज अनुबन्ध पर ले रखी हैं ? संख्या सूची पृथक्-पृथक् सदन की मेज पर रखें ।

(2) अनुबंधित डीलक्स बसेज लेने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि अनुबंधित बसेज में से अधिकांश ऐसी हैं जो डीलक्स सेवा के अनुरूप ही नहीं है और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार डीलक्स बस के अयोग्य अनुबंधित बसेज की जांच कर उनका अनुबंध रद्द करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि जयपुर से उदयपुर डीलक्स बस सेवा अनुबंधित बसेज द्वारा ही संचालित है और वे डीलक्स सेवा के अनुरूप भी नहीं है ?

(6) क्या प्रश्न के भाग (5) के संबंध में जन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत पत्रों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में निगम की स्वयं की 88 सुविधा वाहनें हैं तथा 49 सुविधा वाहन निजी वाहन स्वामियों से अनुबन्ध पर ली हुई हैं । पृथक-2 वांछित सूची परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सुविधा वाहनें अनुबन्ध पर लेने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं:—

1. मोटर यान अधिनियम/नियमों के अनुसार सुविधा वाहन में रूप में पंजीकृत नवीनतम मॉडल (वर्ष 1991 एवं इससे ऊपर के मॉडल की) की सुविधा वाहनों को अनुबन्ध पर 500 कि. मी. तक का मार्ग, जो रात्रि सेवा का भी हो सकता है, आवंटित किया जाता है ।
2. ऐसी सुविधा वाहनों को 350 कि. मी. तक 3.55 रुपये प्रति कि. मी. की दर से एवं 350 कि. मी. के ऊपर 3.35 रुपये प्रति कि. मी. की दर से किराया भुगतान किया जाता है ।
3. वर्ष 1989 एवं 1990 के मॉडल की वाहनों को अधिकतम 400 कि. मी. तक का मार्ग जो रात्रि सेवा का भी हो सकता है, आवंटित किया जाता है ।
4. वर्ष 1989 एवं 1990 के मॉडल की सुविधा वाहनों को 350 कि. मी. तक 3.45 रुपये प्रति कि. मी. एवं 350 कि. मी. से ऊपर 3.25

(यातायात मंत्री)

रुपये प्रति कि.मी. की दर से किराया भुगतान किया जाता है।

5. नवीनतम मॉडल की सुविधा वाहनों को 4 वर्ष की अवधि के लिये एवं 1989व 1990 के मॉडल की वाहनों को 3 वर्ष की अवधि के लिये अनुबंध पर लिया जाता है।

6. सुविधा वाहनों को प्रथम अनुबन्ध पर लिये जाने पर 5000/- रुपये प्रति-भू राशि जमा कराने का प्रावधान है।

7. सुविधा वाहनों का अनुबन्ध स्वच्छा से वाहन स्वामी की इच्छा पर किया जाता है और निगम या वाहन स्वामी एक माह का अग्रिम नोटिस देकर वाहन अनुबन्ध से हटाने हेतु स्वतंत्र है।

8. अनुबन्धित सुविधा वाहनों में परिचालक निगम का होता है तथा चालक वाहन स्वामी द्वारा नियुक्त किया जाता है। वाहन की डीजल आयल की आपूर्ति एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी वाहन स्वामी की है। दुर्घटना होने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी वाहन स्वामी की है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां, पूर्व में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर विस्तृत जांच की जाकर ऐसी 7 वाहनों को अनुबन्ध से हटा दिया गया है। शिकायत-पत्रों में अंकित तथ्यों एवं उन पर की गई कार्यवाही दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट–'ग' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला बांसवाड़ा में अध्यापकों के रिक्त पद

85. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विद्यालयों में किन-किन विषयों के अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की विद्यालयवार एवं विषयवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के समस्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशियों की सूची उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। वरिष्ठ अध्यापकों के पद भरने की कार्यवाही जारी है।

क्र. सं.	शहरी/ग्रामीण विद्यालय का नाम	रिक्त पद		
		विषय	I ग्रेड	II ग्रेड
1	2	3	4	5
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय				
1.	रा. उ. मा. वि., बागीदोरा	नागरिक शास्त्र	1	
		इतिहास	1	
2.	,, परतापुर	नागरिक शास्त्र	1	
		जीव विज्ञान	1	
3.	,, गांगड़तलाई	नागरिक शास्त्र	1	
		भौतिक विज्ञान	1	
		इतिहास	1	
		जीव विज्ञान	1	
		अंग्रेजी	1	
		रसायन विज्ञान	1	
		कृषि	1	
4.	,, नरबाली	हिन्दी	1	
		इतिहास	1	
5.	,, कुशलगढ़	भौतिक	1	
		हिन्दी	1	
		कृषि	1	
		इतिहास	1	
		जीव विज्ञान	1	
		अंग्रेजी	1	
		अर्थशास्त्र	1	
		चित्रकला	1	
		उर्दू	1	
		भूगोल	1	
		व्यावसायिक शिक्षा	1	

1	2		3	4	5
6.	रा. उ. मा वि.,	बड़ोदिया	नागरिक शास्त्र	1	
			अर्थशास्त्र	1	
			अर्थशास्त्र	1	
			संस्कृत	1	
7.	,,	घाटोल	नागरिक शास्त्र	1	
			हिन्दी	1	
			इतिहास	1	
			जीव विज्ञान	1	
8.	,,	माहीडेम	नागरिक शास्त्र	1	
			अर्थशास्त्र	1	
9.	,,	लोहारिया	भौतिक विज्ञान	1	
10.	,,	आनन्दपुरी	भौतिक विज्ञान	1	
			गणित	1	
			इतिहास	1	
11.	,,	जोलाना	भौतिक	1	
			हिन्दी	1	
			अर्थशास्त्र	1	
			भूगोल	1	
			सामान्य	–	1
12.	,,	गढी	भौतिक	1	
			गणित	1	
			संस्कृत	1	
13.	,,	सज्जनगढ	गणित	1	
			इतिहास	1	
			रसायन शास्त्र	1	
			भूगोल	1	
			भौतिक	1	
14.	,,	तलबाड़ा	वाणिज्य	1	
			गणित	1	

1	2		3	4	5
15.	रा.उ.मा.वि.	बांसवाड़ा	व्यावसायिक शिक्षा	1	
16.	,,	देलवाड़ा	सामान्य	–	1
17.	,,	पीपलकूट	सामान्य	–	1
18.	,,	छोटी सारबा	सामान्य	–	1
19.	,,	मुढा सैल	सामान्य	–	1
20.	,,	बजबाना	सामान्य	–	1

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1.	रा. उ. प्रा. वि.,	कंधारबाड़ी	सामान्य	–	1
2.	,,	सेमलिया	सामान्य	–	1
3.	,,	बडाना	सामान्य	–	1
4.	,,	लम्बा डाबरा	सामान्य	–	1
5.	,,	बोरिया	सामान्य	–	1

बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय

1.	रा.बा.सी.उ.मा.वि.,	कुशलगढ	हिन्दी	1	
			नागरिक शास्त्र	1	
			इतिहास	1	
			गृह विज्ञान	1	
			अंग्रेजी	1	
			विज्ञान	–	1
2.	,,	परतापुर	हिन्दी	1	
3.	,,	बांसवाड़ा	व्यावसायिक शिक्षा	2	
			अंग्रेजी	1	
			बैंकिंग	1	
			सिलाई कला	1	
			रसायन शास्त्र	1	

1	2		3	4	5
बालिका माध्यमिक विद्यालय					
1.	रा.बा.मा.वि.,	आनन्दपुरी	अंग्रेजी	–	1
			संस्कृत	–	1
			विज्ञान	–	1
			सामान्य	–	2
2.	,,	सज्जनगढ	गणित	–	1
			विज्ञान	–	1
			सामान्य	–	1
3.	,,	शेरड़ीबड़ी	गणित	–	1
			विज्ञान	–	1
			सामान्य	–	1
4.	,,	अर्थना	अंग्रेजी	–	1
			सामान्य	–	1
5.	,,	जोजना	सामान्य	–	1
			विज्ञान	–	1
6.	,,	घाटोल	विज्ञान	–	1
7.	,,	नरबोली	सामान्य	–	1
1.	रा.बा.उ.प्रा.वि.	गोपीनाथ कागड़	सामान्य	–	1

पंचायत चुनाव

86. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायत राज संस्थाओं को भंग करते समय क्या मुख्य मंत्री जी ने अपनी घोषणा में इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की थी ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि उसके बाद मुख्य मन्त्री द्वारा अनेक बार समय को बदलते हुए पंचायत चुनाव कराने के लिए अलग-अलग समय की घोषणा की थी ? यदि हां तो कब तक और क्या-क्या घोषणा इस सम्बन्ध में की गई थी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं ?

(4) पंचायती राज संस्थाओं के नियमानुसार चुनाव न कराने के कारण क्या हैं ?

(5) अब कब तक सरकार पंचायतों के चुनाव कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने दौरे के प्रवासों में यह घोषणा की थी कि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाकर पंचायतों के चुनाव सम्भवतया माह जून/जुलाई, 92 में करा दिये जावेंगे।

(2) ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन का कार्य काफी विस्तृत एवं जटिल होने के कारण इस कार्य को पूर्ण कराने में समय लगने से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जा सके। अब यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव माह दिसम्बर, 1992 में कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पंचायतों का पुनर्गठन कराया जाकर ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराये जावें। उक्त प्रक्रिया जारी रहने से वर्ष 1991 में चुनाव नहीं कराये जा सके।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 15 दिसम्बर, 92 तक करा लिये जाने के निर्देश निर्वाचन विभाग को दिये जा चुके हैं।

वित्त निगम के अदालतों में विचाराधीन प्रकरण

87. श्री सम्पत सिंह (नगर), श्री जगमाल सिंह (तिजारा) एवं श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम की धनराशि को हड़पने के अपराध में कितने पुलिस मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं ? कृपया जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन मुकदमों की पैरवी जिला कलक्टर के अधीन है या निदेशक

(श्री सम्पतसिंह)

प्रोसिक्यूशन के अधीन है? इनका सरकारी पैरोकार (ए. पी. पी/पी. पी.) पर क्या नियन्त्रण होता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम की धनराशि को हड़पने के अपराध में राज्य में कुल 42 (ब्यालिस) मुकदमें अदालतों में विचाराधीन है। जिनकी जिलावार सूची संलग्न है।

(2) इन मुकदमों की पैरवी का कार्य निदेशक अभियोजन के अधीन है। इन मुकदमों की पैरवी राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोकगण करते हैं जिन पर निदेशक अभियोजन का प्रशासनिक नियन्त्रण है।

राजस्थान वित्त निगम की ओर से धनराशि हड़पने के आरोप में दर्ज कराये गये मुकदमों की जिलावार सूची

क्र. सं.	जिला	नाम न्यायालय	उनवाना मुकदमा प्र. सं. सं./थाना/धारायें	केस नं./चालान की दिनांक	केस की मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	एम. एम. जे. एम. नं.	125/87 थाना किशनगंज कमलजीत बनाम राज्य सिंह यू. एस. 406	2738/87 17-12-87	17-10-99 की सुनवाई की तारीख निश्चित है
2.	अलवर	सी. जे. सम.	सर. बनाम/गोपी व अन्य थाना कोटवाली प्र. सू. सं. 389/79 धारा 920, 467, 468 471, 120 बी. भा. दं. सं.		
3.	बांसवाडा	1. सी. जे. एम. कोर्ट बांसवाडा	केस. न. 409/91		
		2. ,,	केस. न. 80/91		

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

1	2	3	4	5	6
4.	बांरा		निल		
5.	बाड़मेर	1. सी. जे. एम. बाड़मेर	केस नं. 14/86 सर. बनाम कमेन्द्र		
		2. ए. सी. जे. एम. बालोतरा	केस नं. 88/88 सर. बनाम अमर सिंह व महेन्द्र वैशाली		
		3. ;;	केस नं. 89/89 सर. बनाम निर्मल सिंह सिन्धी महेन्द्र वैशाली		
		4. ;;	केस. नं. 90/88 सर. बनाम तुलसी दास व महेन्द्र वैशाली		
		5. ;;	91/88 सर. बनाम गुलफाम		
		6. ;;	सर. बनाम किशन जैन		
6.	भरतपुर		निल		
7.	भीलवाड़ा	1.	सर बनाम हनुमान सॉमिल्स		
		2.	;; वान्सटेशन		
		3.	;; अमर केमिकटन मोडल		
		4.	;; चन्द्र फ्लोर मशाला		
8.	बीकानेर	1. सी. जे. एम. बीकानेर	सर. बनाम रमेश चन्द्र प्र. सु. सं. 30/92, धारा 406 थानाकोट गेट चालान दि. 17-3-92 आगामी पेशी 15-10-92		
9.	बून्दी		निल		
10.	चित्तौडगढ़		निल		
11.	चूरू		निल		

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

1	2	3	4	5	6
12.	धौलपुर	1. ए. सी. जे. एम. कोर्ट धौलपुर	सर. बनाम राजेन्द्र कुमार थाना कोट, 58/90, धारा 406, 120 भा. दं. सं.	चालान 13-11-90	आगामी तार 15-1-93
		2. ,,	सर. बनाम अहमद हुसैन, थाना कोर्ट 66/90 धारा 406	20-7-90	24-10-92
13.	दौसा		निल		
14.	डूंगरपुर		निल		
15.	गंगानगर	1. ए. सी. जे. एम. श्री गंगानगर	सर. बनाम देवराज सोनी थाना सदर प्र सु. संख्या 203/86 अ. धा. 406, 420, 468 471, भा. दं. सं.		
		2. एम. जे. एम. हनुमानगढ़	सर. बनाम मेहरचन्द थाना हनुमानगढ़ जंक्शन प्र. सु. संख्या 145/85 व धारा 406 भा. द. सं.		
		3. ए. सी. जे. एम. नोहर	सर बनाम मनोहर थाना नोहर प्र सु. सं. 5/87		
		4. ,,	सर. बनाम बिन्दरसिंह प्र. स. संख्या 17/90 अ. धा. 406 भा. दं. सं.		
16.	जयपुर		निल		
17.	जैसलमेर		निल		
18.	जालौर		निल		
19.	झालावाड़	1. एम. जे. एम. कोर्ट झालावाड़	सर. बनाम तजेन्द्र सिंह 31/83 भा. पाटन धारा 406, 420 भा. दं. सं.	29/84	मुल.फरार है आगामी तारीख पेशी 23-9-92
20.		2. ,,	सर. बनाम लक्ष्मीनारायण 14/86 धारा 406 भा. दं. सं	119/88	वास्ते बहस आगामी ता. 19-10-92

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

1	2	3	4	5	6
		3. ,,	सर. बनाम अहजान खान 30/89 धारा 406 भा. दं. सं.	47/89	साक्ष्य आगामी तारीख 30-9-92
		4. ए. सी. जे. एम.	सर. बनाम राम प्रताप 107/87 धारा 406, 420 भा. दं. सं.	311/87	साक्ष्य आगामी तारीख 4-11-92
20.	झुन्झनूं		निल		
21.	जोधपुर	1. सी. जे. एम. जोधपुर	सर. बनाम मंगल सिंह सी. आर. न. 16/92 थाना मण्डोर अ. धारा 406 भा. दं. सं.		वास्ते आरोप सारांश
		2. ए. सी. जे. एम. नं. 1	सर. बनाम वीरेन्द्र सिंह मेहता 120/92 शास्त्री नगर अ. धा. 406 भा. दं. सं.		वास्ते आरोप बहस 5-11-92
		3. ,,	सर. बनाम सुरेश कुमार 154/92 शास्त्री नगर अ. धा. 406 भा. दं. सं.		हाजरी मुल्जिम
		4. ए. सी. जे. एम. नं. 1	सर. बनाम कन्हैयालाल 200/84 शास्त्री नगर, अ. धा. 406 भा. सं.		
		5. जे. एम. नं. 3	सर. बनाम कमल जैन, मंजू जैन 9/92, झंवर अ. धा. 406 भा. दं. सं.		वास्ते बहस 13-10-92
		6. ,,	सर. बनाम तुलछाराम 9/92 पीपाड शहर अन्तर्गत धारा 406 भा. दं. सं.		वास्ते चार्ज 6-11-92
22.	कोटा		निल		
23.	नागौर		निल		
24.	पाली		निल		

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

1	2	3	4	5	6
5.	राजसमन्द		निल		
26.	स. माधोपुर	1.	191/89, पी. स. माधोपुर यू. एस. 406 भा. द. सं.		
		2.	37/85 थाना मालरानाडूंगर धारा 506 भा दं. सं.		
		3.	38/85 थाना मालरानाडूंगर धारा 406 भा. दं. सं.		
27.	सीकर	1. एम. जे. एम. श्रीमाधोपुर	62/88, सर. बनाम नाथू थाना खण्डेला		चार्ज बहस
		2. ए. एम. जे. एम. नं. 2 सीकर	101/82 थाना सदर सर. बनाम हजारी		साक्ष्य में
28.	सिरोही	1.	सर. बनाम दुर्गा शंकर केस नं. 755/89 धारा 406 भा. दं. सं थाना आबूरोड़		
		2.	सर. बनाम ताहीर प्र. सु. सं. 131/89 धारा 406		
		3.	सर बनाम जहूरभाई केस. नं. 56/89 धारा 406		
		4.	सर. बनाम कफूटराम केस नं. 83/91 धारा 420, 404 भा. दं. सं. थाना सराफगंज		
		5.	सर. बनाम पुष्पेन्द्र सिंह 82/91 थाना सरूपगंज		
		6.	सर. बनाम चूनाराम 84/91, थाना सरूपगंज धारा 406, 420 भा. दं. सं.		
29.	टोंक		निल		
30.	उदयपुर		निल		

भीलवाड़ा-इन्दौर रात्रि बस सेवा

88. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा-इन्दौर रात्रि बस सेवा जो वाया प्रतापगढ़ होकर चलती थी वह किन कारणों से बन्द की गई ?

(2) क्या सरकार पुनः उसे चलाने की इच्छा रखती है ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या चित्तौड़गढ़ आगार प्रबन्धक की रिपोर्ट के अनुसार इस बस को बन्द किया गया ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बस की मांग किन-किन अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने जिले की मीटिंग में रखी, अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार छोटी सादड़ी से रतलाम (मध्य प्रदेश) सीमा तक राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा-इन्दौर वाया प्रतापगढ़ होकर संचालित रात्रि बस सेवा को कम आय के कारण बन्द कर दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) इस अन्तर्राज्यीय मार्ग पर पुनः बस सेवा संचालन की मांग निम्न अधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा की गई है :—

1. श्री जयन्तीलाल मोदी, एडवोकेट, प्रतापगढ़
2. श्री अजीत कुमार मोदी, पत्रकार एवं जिला संगठन मन्त्री, कांग्रेस-ई सेवादल, प्रतापगढ़
3. श्री मुकेश कुमार शर्मा, पत्रकार, नई दुनियां प्रतापगढ़
4. श्री विजय उपाध्याय जिला उपाध्यक्ष चित्तौडगढ़ जिला कांग्रेस-ई, प्रतापगढ़
5. श्री वीरेन्द्र बण्डी, अधिकृत प्रवक्ता, कांग्रेस-ई प्रतापगढ़
6. जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़

उक्त जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों की मांग पर इस अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस संचालन हेतु मध्यप्रदेश एवं राजस्थान राज्य के मध्य विधिवत आपसी करार हेतु मिटिंग आयोजित कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है। विधिवत करार होने के बाद इस मार्ग पर बस संचालन पुनः प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) वर्तमान में राष्ट्रीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र डग में अध्यापकों के रिक्त पद

89. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग (झालावाड़) विधान सभा क्षेत्र के डग सीनियर

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

हायर सैकण्डरी विद्यालयों तथा चौमेला, मोगरा व बनी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव है ?

(2) राज्य सरकार उक्त विद्यालयों में जांचकर तुरन्त प्रभाव से अध्यापकों की व्यवस्था का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर व्याख्ताओं का अभाव पूरी तरह से दूर किया जा सकेगा। फिर भी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों तथा अध्यापकों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है। चौमेला के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करने के उपाय किए गए हैं।

पंचायत समिति, सुजानगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पद

90 **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सुजानगढ़ जिला चूरू में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा आज कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

(2) पंचायत समिति सुजानगढ़ में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(3) पंचायत समिति सुजानगढ़ के रिक्त अध्यापकों के पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सुजानगढ़ में कुल 281 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से 101 पद रिक्त हैं।

(2) पंचायत समिति, सुजानगढ़ में 112 प्राथमिक विद्यालय हैं।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु चयन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

अनुसूचित जाति विवाह प्रकरण

91. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके विवाह के समय घोड़ी पर न बैठने व ढोल व बैण्ड न बजाने देने की कितनी घटनाएं राज्य में विगत 1 मार्च, 1990 से 30-7-1992 तक घटित हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या किसी अधिकारी को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में असफल होने के कारण दण्डित किया गया ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके विवाह के समय घोडी पर न बैठने

(गृह मंत्री)

देने व ढोल व बैण्ड न बजाने देने की राज्य में विगत 1 मार्च, 1990 से 30-7-1992 तक निम्नानुसार घटनायें घटित हुई :—

1. वर्ष 1990 में (1 मार्च, 1990 से) 21
2. वर्ष 1991 में 11
3. वर्ष 1992 में (जुलाई तक) 9

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जो परिशिष्ठ "क" पर है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की कड़ाई से पालना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।

(3) कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर मय धारा	थाना/जिला	नतीजा	मुलजिमानों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	206/90 धारा 147, 336, 324, भादंसं	सांगानेर/ जयपुर (शहर)	चालान	5
2.	192/90 धारा 147, 323 भादंसं व 4/7 पी.सी.आर. एक्ट	चित्तौड़गढ़/ चित्तौड़गढ़	एफ.आर.	—
3.	38/90 धारा 4/7 पीसीआर एक्ट व 3 (10) (14) एससी/एसटी एक्ट	रामगंज मण्डी/ कोटा ग्रामीण	चालान	1
4.	33/90 धारा 3(10)एससी/ एसटी एक्ट	बयावर कलां/ कोटा (ग्रामीण)	चालान	7
5.	83/90 धारा 147, 149, 336, 323, 392 भादंसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	लक्ष्मणगढ़/ अलवर	चालान	5
6.	81/90 धारा 147, 336, 327 भादंसं व 3 एससी/ एसटी एक्ट	खेडली/अलवर	चालान	7

1	2	3	4	5
7.	26/90 धारा 4 पीसीआर एक्ट	पगारिया/ झालावाड़	चालान	2
8.	186/90 धारा 147, 323 336, 379 भादसं	बाड़ी/धौलपुर	चालान	3
9.	38/90 धारा 147 भादसं व 3(14) एसटी/एससी एक्ट	दिहोली/धौलपुर	एफ.आर.	—
10.	57/90 धारा 147, 331 भादसं व 4 पीसीआर एक्ट व 3(1) (10-14) एससी/ एसटी एक्ट	राजाखेड़ा/ धौलपुर	चालान	6
11.	44/90 धारा 147, 149, 323 भादसं व 3 एससी/ एसटी एक्ट व 4 पीसीआर एक्ट	सपोटरा/ सवाई माधोपुर	चालान	21
12.	93/90 धारा 147, 148, 341 व 7/15 पीसीआर एक्ट	गंगापुरसिटी/ सवाईमाधोपुर	चालान	14
13.	57/90 धारा 3 एससी/एसटी एक्ट	महुवा/ सवाईमाधोपुर	चालान	7
14.	66/90 धारा 147, 149, 323 341, 427, 331, 395 भादसं व 4/7 पीसीआर एक्ट	बयाना/ भरतपुर	चालान	37
15.	38/90 धारा 147, 148, 149, 336 भादसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	हलैना/ भरतपुर	चालान	28
16.	51/90 धारा 147, 149, 332 336, 353 भादसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	हलैना/ भरतपुर	चालान	9
17.	52/90 धारा 147, 148, 336, 149, 323. 427, 379 भादसं व 4/7 पीसीआर एक्ट व 3 एससी/एसटी एक्ट	हलैना/ भरतपुर	एफ.आर.	—

1	2	3	4	5
18.	184/90 धारा 147, 148, 149, 323, 307 भादंसं 3 एससी/एसटी एक्ट	डीग/भरतपुर	चालान	23
19.	146/90 धारा 379 भादंसं व 4/7 पीसीआर एक्ट	चाकसू/जयपुर (ग्रामीण)	चालान	10
20.	61/90 धारा 10-14 एससी/एसटी एक्ट	सदर बून्दी/बून्दी	चालान	9
21.	73/90 धारा 3 (2) (14) एससी/एसटी एक्ट	देई/बून्दी	पैण्डिग	—
22.	85/91 धारा 3 (14) एससी/एसटी एक्ट	दूदू/जयपुर (ग्रामीण)	चालान	6
23.	58/91 धारा 4/7 पीसीआर एक्ट	टहला/अलवर	एफ.आर.	—
24.	158/91 धारा 147, 149, 323, 341, 504 भादंसं 3 एससी/एसटी एक्ट	उद्योगनगर/अलवर	चालान	4
25.	226/91 धारा 147, 323, 427, भादंसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	सेवर/भरतपुर	चालान	1
26.	133/91 धारा 147, 336, 323, 427, 379 भादंसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	मुसावर/भरतपुर	चालान	8
27.	190/91 धारा 147, 323, 341 भादंसं व 3-4 एससी/एसटी एक्ट	कुम्हेर/भरतपुर	चालान	6
28.	37/91 धारा 323 भादंसं व 3 (3) एससी/एसटी एक्ट	बागरा/जालौर	चालान	2
29.	35/91 धारा 147, 148, 149, 341, 323 भादंसं व 3 (7) एससी/एसटी एक्ट	कानोड/उदयपुर	चालान	10

1	2	3	4	5
30.	70/91 धारा 147, 148, 149, 341 भादंसं व 3 (10) (14) एससी/एसटी एक्ट	मावली/उदयपुर	चालान	14
31.	43/91 धारा 147, 341 भादंसं व 3 (14) एससी/एसटी एक्ट	निकुम्भ/चित्तौड़गढ़	चालान	14
32.	84/91 धारा 3 (10) एससी/एसटी एक्ट	छोटी सादडी/चित्तौड़गढ़	एफ आर.	—
33.	52/92 धारा 147, 323, भादंसं व 3 (10) एससी/एसटी एक्ट	डूगंला/चित्तौड़गढ़	चालान	2
34.	83/92 धारा 147, 341, 323 भादंसं व 4/7 पीसीआर एक्ट	जोबनेर/जयपुर (ग्रामीण)	पैण्डिग	—
35.	73/92 धारा 147, 336, 341, 323 भादंसं व 3/2 एससी/एसटी एक्ट	देई/बून्दी	पैण्डिग	—
36.	75/92 धारा 147, 149, 323, 341, 427, 336 भादंसं 3 (14) एससी/एसटी एक्ट	दबलाना/बूंदी	चालान	14
37.	82/92 धारा 341 भादंसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	दबलाना/बूंदी	पैण्डिग	—
38.	108/92 धारा 3 (1) (3) (10) एससी/एसटी एक्ट	सांगोद/कोटा (ग्रामीण)	चालान	6
39.	89/92 धारा 147, 323, भादंसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	तिजारा/अलवर	चालान	6
40.	97/92 धारा 3 (14) एससी/एसटी एक्ट	सलूम्बर/उदयपुर	चालान	7
41.	190/92 धारा 147, 148, 323, 307, 341, 395 302 भादंसं व 3 एससी/एसटी एक्ट	कुम्हेर/भरतपुर	चालान	11

जिला सिरोही के विद्यालय भवन

92. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक नहीं लगाये गये है ?

(2) जिले में ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां भवन आवश्यकता से कम, जर्जर तथा अधूरे कक्षों वाले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उन भवनों के पुर्ननिमाण की सरकार की क्या योजना है तथा कब तक पूरा करवाया जायेगा ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में 19 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक नहीं है।

(2) सिरोही जिले में ऐसे 47 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके भवन आवश्यकता से कम हैं, 3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हैं तथा 8 अधूरे कक्षा कक्षों वाले हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सरकार शाला भवन निर्माण हेतु भामाशाह योजना के अन्तर्गत जन सहयोग प्राप्त कर भवनों की पूर्ति के प्रयास कर रही है। आठवीं योजना में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु राशि प्राप्त होने पर वह भी उपयोग में लाई जा सकेगी। सरकार की वित्तीय सीमाओं में सिरोही जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये विभिन्न स्त्रोंतों से उपलब्ध राशि के अनुरूप निर्माण के प्रयास किये जायेगें।

सिरोही जिले में कमरों की कमी वाले विद्यालयों की सूची

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. अचलपुर
2. आमली
3. बसन्तगढ
4. घरट
5. केर मण्डवान
6. मूला
7. शिवगढ
8. मांडवादेव
9. सिवेरा
10. बासदा
11. भूतगांव
12. खारवल
13. मांडिया
14. सिररथ
15. नदारा
16. सनपुर
17. गामोतरा
18. अन्दोर
19. अरवाडा
20. पुराना जोगपुरा
21. नया जोगपुरा
22. केसरपुरा
23. माडानी

24. नारादरा
25. आसपा
26. रोवाडा
27. थीवगान
28. ओडा
29. राडवर
30. बार
31. दोलपुरा
32. मालीपुरा
33. सोरडा
34. अनापुरा
35. असावा
36. भेरूगढ
37. बरमाण
38. सानपुर
39. देलदर
40. चनार
41. खडाना
42. आवल
43. मोरथला
44. सुरपगला
45. वासडा

राजकीय बालिका उ. प्रा. विद्यालय

46. शिवगंज
47. सरूपगंज

सिरोही जिले के रा. उ. प्रा. विद्यालयों के जीर्णशीर्ण भवनों की सूची

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. तंरनगी
2. खेजडिया

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय

3. रेवदर

सिरोही जिले के रा. उ. प्रा. विद्यालयों में अधूरे कक्षा कक्षों के निर्माण की स्थिति

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. सोराना
2. भाकरोडा
3. हस्तीनापुर
4. केराल
5. भाटासन
6. सनवाडा
7. पोसीतरा
8. सियावा

रा. उ. प्राथमिक विद्यालय दोयतरा एवं भीनतलेटी आश्रम विद्यालय निवास स्थान में चलते हैं।

पंचायतों का पुनर्गठन

93. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार द्वारा पंचायतों, पंचायत समितियों के पुनर्गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो जिला-अलवर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत राज प्रणाली के चुनावों की प्रक्रिया में कोई संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो प्रस्ताव सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार पंचायतों के चुनाव कब तक करा देगी ?

(4) पंचायतों के आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार क्या मानदण्ड अपना रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु पंचायत समितियों का पुनर्गठन पुनर्सीमांकन नहीं किया गया है। जिला अलवर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इसके लिए एक विधेयक राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में संशोधन के लिए इसी सत्र में पेश किया गया है जो दिनांक 17-6-92 को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।

(3) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के चुनाव दिनांक 15-12-92 तक अथवा उसके पूर्व पूर्ण कराने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(4) खण्ड 2 के अनुसार।

क्र. सं.	पंचायत समिति	पूर्व पंचायतों की सं.	पुनर्गठित पंचायतों की सं.	नवगठित पंचायतों की सं.
1.	कठूमर	40	41	1
2.	रामगढ़	29	37	8
3.	बान्सूर	32	36	4
4.	राजगढ़	28	29	1
5.	तिजारा	33	38	5
6.	लक्ष्मणगढ़	44	44	–
7.	मुन्डावर	38	40	2
8.	रैणी	26	26	–
9.	बहरोड़	27	29	2
10.	थानागाजी	31	35	4
11.	नीमराना	30	33	3
12.	किशनगढ़बास	27	29	2
13.	कोटकासिम	21	24	3
14.	उमरेण	31	35	4
	योग	436	476	40

ग्राम चौसला (नावां) में द्रुतगामी बसेज का ठहराव

94. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चौसला तहसील नावां में द्रुतगामी बसों को ठहराव के लिये राजस्थान राज्य परिवहन विभाग, जयपुर का आदेश क्रमांक 510 दिनांक 6-5-1991 व मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम, फलौदी द्वारा भी आदेश क्रमांक 233 दिनांक 9-8-1992 जारी किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या उसके बावजूद फलौदी आगार की बसों का ठहराव ग्राम चौसला में नहीं किया जाता ? यदि हां, तो परिवहन निगम बसों के ड्राईवर-कन्डक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । आदेशों की अवहेलना के कारण संबंधित कर्मचारियों (चालक/परिचालकों सहित) के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं ।

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम

95. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्पूर्ण साक्षरता के लिए जिलों का चयन किस आधार पर किया गया है ।

(2) क्या उन आधारों पर अलवर जिला सही नहीं उतरता ?

(3) यदि नहीं, तो अलवर जिले का चयन क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान हेतु तीन जिलों डूंगरपुर, भरतपुर एवं सीकर का चयन निम्नांकित आधारों पर किया गया था :—

(क) रेगिस्तानी, मैदानी एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से एक-एक जिले का चयन किया गया ।

(ख) लक्ष्य को शीघ्र प्राप्ति के लिए निम्न उप आधार भी रखे गये थे—

(1) जिन जिलों में जनसंख्या कम हो और जनसंख्या घनत्व अधिक हो ।

(2) जिन जिलों में जनप्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग अधिकाधिक मिल सकें ।

(2) जी हां ।

(3) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के जिलों का चरणवार चयन कर लिया जाना है । अब तक चार जिलों का चयन कर सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा हैं । आगामी वर्षों में जिलों का चयन करते समय अलवर जिले का चयन भी निर्धारित मानदण्डों एवं उपलब्ध बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा ।

उदयपुर में आपराधिक प्रकरण

96. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में गत 3 वर्षों में चोरी, हत्या, बलात्कार और लूट के कुल कितने मामले पंजीकृत किए गये और उनमें कुल कितने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए गये और कितने अपराधियों को सजा हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उदयपुर में गत दिनों स्कूटर सवार व्यक्तियों ने हिरणमगरी सेक्टर-4, अशोक नगर, भोपालपुरा और शहर के बीच में महिलाओं की सोने की चैन खींचने और लूट ले जाने की वारदातें की हैं ? यदि हां, तो क्या इन चोरियों में लिप्त अपराधियों का पता लगा ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुइ ? यदि नहीं, तो इसकी विफलता के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित की जाकर सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) इन वारदातों के सम्बन्ध में पुलिस थाना भोपालपुरा, हिरण मगरी, हाथीपोल, अम्बामाता व प्रतापनगर में 15 अभियोग पंजीबद्ध हुए तथा अनुसंधान पर अपराधी हेमेन्द्र कुमार व कैलाश सोनी को दि. 26-8-92 को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से तीन सोने की चैन कीमतन 19,000/- रुपये बरामद की व वारदात में काम में लाया स्कूटर जब्त किया गया । अन्य अभियुक्त सत्यनारायण व अशोक फरार है । जिनकी तलाश जारी है ।

उदयपुर शहर में गत 3 वर्षों में चोरी, हत्या, बलात्कार और लूट के अपराधों का विवरण

क्र सं.	शीर्षक	वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	एफ. आर.	जेर तफतीश	चालान	सजा	जेर ट्रायल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हत्या	1990	7	2	–	5	–	5
		1991	7	–	–	7	–	7
		1992 (अगस्त तक)	5	1	2	2	–	2
2.	बलात्कार	1990	2	–	–	2	–	2
		1991	4	1	–	3	–	3
		1992 (अगस्त तक)	3	–	1	2	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	लूट	1990	22	4	–	18	–	18
		1991	28	14	–	14	–	14
		1992 (अगस्त तक)	30	12	15	3	–	3
4.	चोरी	1990	424	343	–	81	–	81
		1991	472	389	–	83	–	83
		1992 (अगस्त तक)	405	284	47	74	–	74
		योग	1409	1050	65	294	–	294

जयपुर जिले में नवीन माध्यमिक विद्यालय

97. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में इस वर्ष कुल कितने व कहां-कहां छात्र तथा छात्रा माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की योजना है तथा किस-किस विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयपुर जिले में कुल कितने माध्यमिक विद्यालय हैं तथा कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चूंकि राज्य के किसी भी जिले के लिए विद्यालय खोलने की संख्या निर्धारित नहीं की गई है । अतः जयपुर जिले के लिए छात्र/छात्रा के माध्यमिक विद्यालय खोलने की संख्या भी निर्धारित नहीं है । जयपुर जिले से प्राप्त प्रस्तावों पर ग्राम की जनसंख्या, छात्र संख्या, फीडर विद्यालयों की संख्या वर्तमान में निकटतम माध्यमिक विद्या की दूरी, उपलब्ध बजट प्रावधान तथा गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

(2) जयपुर जिले में कुल 197 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

जयपुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	क्र. सं.	नाम विद्यालय
1.	रथखाना	27.	शिवदासपुरा
2.	रेजीडेन्सी	28.	टमली का वास
3.	दुर्गापुरा	29.	कोटखावदा
4.	दरबार	30.	कोथुन
5.	मोदीखाना	31.	गरूडवासी
6.	सरस्वतीकुण्ड	32.	सिथलिया
7.	झोडवाड़ा	33.	निपोडिया
8.	रूपरामपुरा	34.	रामनगर
9.	मानसरोवर	35.	महादेवपुरा
10.	मुरलीपुरा	36.	कालेड़ा
11.	विद्याधरनगर	37.	थूनीअहिरान
12.	सोडाला	38.	रूपाहेड़ीकलां
13.	रायसर	39.	माधोराजपुरा
14.	खोवारानिजी	40.	पीपला
15.	नायला	41.	रैनवाल मांजी
16.	सांयवाई	42.	नीमहेड़ा
17.	नोनपुरा	43.	चोरू
18.	दूज	44.	बीडावतां
19.	धोला	45.	डाबीच
20.	धोलाई	46.	पेन्टवास
21.	टोडाभीणा	47.	वकवाड़ा
22.	उनीमला वाया सैथल	48.	लताना
23.	नैवर	49.	साखून
24.	ताला	50.	झाग
25.	महंगी	51.	कावरोदा
26.	चन्दलाई	52.	साली

क्र. सं.	नाम विद्यालय	क्र. सं.	नाम विद्यालय
53.	परवा	80.	पांचडाला
54.	महला	81.	लुहांकनांखुर्द
55.	बोबास	82.	भाखरी
56.	सावरदा	83.	थानोता
57.	कोरसीना	84.	बिलान्दरपुर
58.	हरसोली	85.	नहारखुर्द
59.	सेवा	86.	करीरी
60.	रोजड़ी	87.	देवीपुरा
61.	डगाल	88.	सांईवाड़ा
62.	करणसर	89.	खोरालाडखानी
63.	भादवा	90.	हनुतपुरा
64.	बागावात	91.	रामपुरा
65.	हिंगोनिया	92.	टेवन
66.	ईटावा	93.	विशनपुरा
67.	गढाभीमसिह	94.	गुलाबबाडी
68.	नंडियातढ	95.	राजनोता
69.	रामजीपुरकलां	96.	नाहरेड़ा
70.	भोजपुरा	97.	सुदूरपुरा ढाढ
71.	कालड़ा नं. 2	98.	गोनेड़ा
72.	मेड़	99.	टसकोला
73.	भागरू	100.	टवाना
74.	बड़नगर	101.	चिमनपुरा
75.	बिलवाड़ी	102.	घीनाबास
76.	झाफेकलां	103.	कवरपुरा
77.	नोरंगपुरा	104.	छारटडा
78.	प्रागपुरा	105.	दांतिल
79.	बागावास अहिरान	106.	घाटगेट

क्र. सं.	नाम विद्यालय
107.	फतेहटीबा
108.	ब्रह्मपुरी
109.	पहाडगंज
110.	पालड़ीमीन
111.	हरमाड़ा
112.	गोनेर
113.	मुहाना
114.	बोलवा
115.	भांकरोटा
116.	थमोरिया
117.	कलवाड़ा
118.	लूनियावास
119.	सिरसी
120.	गोकुलपुरा
121.	नांगलजैसाबोरा
122.	जयसिंहपुराखोर
123.	दैगस
124.	हीरापुरा
125.	धानकिया
126.	पीनावाला
127.	निवाणा
128.	राधास्वामीबाग
129.	सिंगोरखुर्द
130.	सामोद
131.	किवानपुरा
132.	सिगारिया
133.	उदयपरिया
134.	मोरींजा
135.	मोड़सर
136.	आस्टिकलां
137.	बिनोई
138.	भासां
139.	बांसखोह
140.	पड़िया
141.	सुजानपुरा
142.	कानोता
143.	लालगढ
144.	देवगांव
145.	सांवरिया
146.	राजपुरपातलवास
147.	रोजवाड़ी
148.	माधोगढ
149.	भानपुरामाचेड़ी
150.	चन्दवानी
151.	खोराश्यामदास
152.	माहोता
153.	रायथल
154.	नींदड़
155.	कोरामसिल
156.	जालस
157.	रूण्डल
158.	रायपुरा डाबड़ी
159.	खोरामीणा
160.	बगवाड़ा

क्र. सं.	नाम विद्यालय
161.	जयरामपुरा
162.	पीली की तलाई
163.	मुण्डोता
164.	राधाकिशनपुरा
165.	भैंसावा
	बालिका विद्यालय
1.	चौड़ा रास्ता
2.	रेल्वे स्टेशन
3.	तेलीपाड़ा
4.	झोटवाड़ा
5.	पान का दरीबा
6.	गंगापोल
7.	घाटगेट
8.	सी स्कीम
9.	मालवीयनगर
10.	गांधीनगर
11.	दुर्गापुरा
12.	आमेर
13.	सांभर
14.	नारायणा
15.	किशनगढ़ रैनवाल
16.	बस्सी
17.	मनोहरपुरा
18.	पावटा
19.	अमरसर
20.	जोबनेर
21.	खेजरोली
22.	फागी
23.	मेड़
24.	जमुवारामगढ़
25.	गोविन्दगढ
26.	दूदू
27.	वाटिका
28.	मोजमाबाद
29.	भानपुरकलां
30.	माधोराजपुरा
31.	चाकसू
32.	गोनेर

जिला जालोर के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध अदालती अनुमति के प्रकरण

98. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) :** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जालोर जिले के किन-किन पूर्व सरपंचों के विरुद्ध जिलाधीश, जालोर ने चालान पेश करने की अनुमति कब-कब मांगी और सरकार ने किस-किस पूर्व सरपंच के विरुद्ध अनुमति दी है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक चालान पेश करने की अनुमति दे दी जायेगी ?

उत्तर

जिला मजिस्ट्रेट, जालोर ने जिले के दो पूर्व सरपंचों के विरुद्ध चालान स्वीकृति चाही थी, जो दे दी गई है। पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम पूर्व सरपंच	जिला मजिस्ट्रेट से प्रस्ताव प्राप्ति का दिनांक	स्वीकृति जारी करने का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री भीखाराम, ग्रा. पं. पुर	6-7-92	3174/ 7-9-92
2.	श्री बजाराम ग्रा. पंचायत बिछावाड़ी	6-7-92	3203/ 9-9-92

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची

अनुसंधानकर्ताओं के नाम व अन्वेषण करने का समय

क्र. सं.	अनुसंधानकर्ता का नाम/पद	अन्वेषण करने का समय	नाम गवाहान जिनसे पूछताछ की गई
1	2	3	4
1.	श्री चन्द्रसिंह सी.आई. कोतवाली गंगानगर	24-2-90 से 26-4-90 तक	जगदीश राय, टेक बहादुर, अजय कुमार सुभाष चन्द, कमलनयन, श्रवण लाल, सत्यपाल, बैंतसिंह, सुन्दर लाल, प्रभानन्द ओम प्रकाश, कालीचरण, ठाकुरदास, अनिल कुमार, सुभाष, मदन, आसू गर्ग, श्रीचन्द, मंजू, बिहारी, गोविन्दराम, आदि।
2.	श्री मोहनसिंह अपर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) बीकानेर।	22-5-90 से 6-8-90 तक	जगदीश, टेक बहादुर, कमलनयन, श्रवण लाल, सत्यपाल, बैंत सिंह, ओमप्रकाश, ठाकुरदास, अनिल कुमार, सुभाष, आसू गर्ग, श्रीचन्द, बिहारी, गोविन्दराम, ललित मोहन, विनोद, अजय कुमार, कांति कुमार आदि।
3.	श्री गिरधारी लाल	11-8-90 से 14-4-91	चरणदास, चिमन लाल, कमलनयन, जगदीशराय, मंजूरानी, अजय कुमार, उजागर सिंह, बेयन्त सिंह, ओम प्रकाश, रिपुदमन सिंह, रोशन लाल, भगवानदास, राजू उर्फ रामकुमार।

1	2	3	4
4.	श्री घड़सीराम निरीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) बीकानेर	16-4-91 से 30-6-91	जगदीश राय, कमलनयन, रिपुदमन सिंह, मंगतराम, अनिल कुमार, अजय कुमार, सुभाष, श्रवण, बेअन्तसिंह, चिमन लाल, कालूराम, मंजूरानी, मलूकी बाई, टेक बहादुर, जुगल, मनफूल टेलर, कुमार कान्त, राजकुमार, किशोर चन्द सतीश कुमार, प्रेम कुमार, भगवानदास, आसू गर्ग. सत्येन्द्र कुमार, ओम प्रकाश, रेवानन्द, विजय सेतिया आदि ।
5.	श्री शंकरलाल चौहान सी.आई., सी.आई.डी. सी.बी., जोधपुर ।	17-7-91 से 22-1-92	श्रीमती मंजू, जालाराम एस. आई., रोशनलाल, जगदीश राम, कमलनयन ।
6.	श्री के. नरसिंहराव आई.पी.एस.वृत-अधिकारी, सीटी कोतवाली ।	29-2-92 से लगातार	

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची

राजस्थान परिवहन निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा झालावाड़ जिले के विभिन्न रूटों पर संचालित की जा रही बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	अप	डाउन
1.	झालावाड़-खानपुर	26	26
2.	खानपुर-बांरा	24	24
3.	खानपुर-इकलेरा	8	8
4.	झालावाड़-इकलेरा	32	32
5.	झालावाड़-इकलेरा-मनोहर थाना	12	12
6.	झालावाड़-पनवाड़	2	2
7.	झालावाड-भवानीमण्डी	18	18
8.	भवानीमण्डी-डग	15	15
9.	डग-चौमेहला	17	17
10.	डग-आगर	6	6
11.	भवानीमण्डी-सुनेल-सोयत	15	15
12.	भवानीमण्डी-इन्दौर	2	2
13.	रामगंजमण्डी-इन्दौर	1	1
14.	भानपुरा-उज्जैन	2	2
15.	झालावाड–पिडावा	13	13
16.	झालावाड–सोयत–इन्दौर	20	20
17.	झालावाड–बकानी	12	12
18.	झालावाड–रटलाई	7	7
19.	झालावाड–रामगंजमण्डी	19	19
20.	झालावाड–कोटा	41	41
21.	इकलेरा–भोपाल	8	8
22.	इकलेरा–ब्यावर	3	3
23.	झालावाड–चेचट	2	2
24.	चेचट-रामगंजमण्डी	8	8
25.	झालावाड–झालावाड रोड	2	2
26.	झालावाड–चम्बल डैम	1	1
27.	झालावाड़–श्यामगढ़	1	1
28.	झालावाड–उदयपुर वाया झालावाड रोड	1	1
29.	भानपुरा–इन्दौर वाया झालावाड रोड	2	2
30.	भोपाल–नीमच	1	1

परिशिष्ट—5

परिशिष्ट "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 99 की सूची

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए किये गये प्रयत्न

1. निम्नलिखित कार्यों में हिन्दी का ही प्रयोग किये जाने के आदेश जारी किये गये :—

क. राजस्थान विधान सभा को जाने वाली समस्त सामग्री ।

ख. हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं विज्ञप्तियां ।

ग. समस्त सरकारी कागजों पर हस्ताक्षर ।

घ. नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, अवकाश, कार्यग्रहण आदि के समस्त आदेश ।

च. राजपत्र में समस्त सामग्री ।

छ. समस्त शासकीय मोहरे ।

ज. जिला एवं सेशन न्यायालयों तक समस्त निर्णय ।

झ. रजिस्टरों, केशबुक आदि में किये जाने वाले इन्द्राज ।

ट. समस्त वित्तीय स्वीकृतियों तथा बैठकों एवं आयोजनों के कार्यवृत्त ।

ठ. मुद्रित या साइक्लोस्टाइल्ड समस्त आदेश, परिपत्र ।

ड पेन्शन सम्बन्धी समस्त कार्य ।

ढ. समस्त डाक्टरी प्रमाण-पत्र ।

त. समस्त अनुशासी कार्यवाही ।

थ. केन्द्रीय तथा हिन्दी भाषी राज्यों को जाने वाले स्मरण पत्र ।

2. भाषा विभाग द्वारा हिन्दी शब्दावली, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रारूप आदि के 45 प्रकाशन निःशुल्क राजकीय विभागों को भिजवाए गए, 18 पोस्टर, 4 फोल्डर आदि प्रचार सामग्री प्रकाशित एवं वितरित की गई ।

3. भाषा विभाग द्वारा 2675 कर्मचारियों को हिन्दी शीघ्रलिपि में प्रशिक्षित किया गया ।

4. समय-समय पर प्रदर्शनियों तथा समारोहों के आयोजनों द्वारा हिन्दी के पक्ष में जनमानस बनाया गया ।

5. भाषा परिचय नामक सावधि पत्रिका का प्रश्न 1973 से प्रारम्भ किया गया जो राजभाषा हिन्दी पर सर्वप्रथम राजकीय पत्रिका थी।

6. 26265 पृष्ठों की राजकीय सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

7. हिन्दी प्रयोग की प्रगति का जायजा लेने हेतु समय-समय पर समितियां स्थापित की गई। विधि एवं न्याय क्षेत्र के लिए समिति अब भी कार्यरत है। विभिन्न विभागों में राज भाषा समितियां गठित हैं तथा राज भाषा सम्पर्क अधिकारी मनोनीत हैं।

8. हिन्दी सेवी संस्थाओं को हिन्दी प्रसार हेतु 6,54,737/– रुपये का अनुदान दिया गया।

9. लगभग 8000 सन्दर्भ पुस्तकों का एक पुस्तकालय कार्यरत है।

10. टेलीफोन पर हिन्दी सन्दर्भ सेवा उपलब्ध कराई गई।

अंग्रेजी में निकले परिपत्रों आदि पर की गई कार्यवाही

विगत तीन वर्षों में जिन–जिन अधिकारियों/विभागों की ओर से आदेश/परिपत्र अंग्रेजी में निकले उन्हें निम्नानुसार पत्र लिखकर पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने देने का अनुरोध किया गया :—

वर्ष	विभागों को लिखे गये पत्रों की संख्या
1989–90	280
1990–91	390
1991–92	380

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

प्रतिनियुक्त अध्यापक/कर्मचारी का विवरण

क्र. सं.	प्रतिनियुक्त अध्यापक/ कर्मचारी का नाम	मूल नियुक्ति स्थान	प्रतिनियुक्ति स्थान	वेतन आहरण का स्थान	प्रतिनियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा) के अधीन :					
1.	श्रीमती बीना शर्मा	रा प्रा. वि., प्रताप नगर	रा. प्रा. वि, कालीमोरी	रा. प्रा. वि., प्रतापनगर	4/92
2.	श्री दिनेश चन्द्र	मा. वि., अजबगढ़	उ. प्रा. वि., पीपलाई		2/92
3.	श्री चंदगी राम	उ. प्रा. वि., खोहरी	उ. प्रा. वि., अनन्तपुरा	उ. प्रा वि., महाराजवास	10/91
4.	श्री सुरेशचन्द्र	उ. प्रा. वि., शेरपुर	,,	उ. प्रा. वि., शेरपुर	5/92
5.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	उ. प्रा वि., देवती	उ. प्रा. वि, रेणीनं. 1	उ प्रा. वि., देवती	8/92
6.	श्री घनश्याम शर्मा	उ. प्रा. वि., खिनोरा	उ. प्रा. वि., गुजुकी	उ. प्रा. वि., खिलोरा	8/92
7.	श्री रघुवीर प्रसाद	उ प्रा. वि., नगलीमेघा	उ. प्रा. वि., पीपरोली	उ. प्रा. वि, नगलीमेघा	8/92
8.	श्री तेजराम सैनी	मा. वि., बसईजोहियान	प्रा. वि., कोलाहेड़ा	मा. वि., बसईजोहियान	8/92 8/92
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	उ. प्रा. वि., पहाड़ी	उ. प्रा. वि., उटोली	उ. प्रा. वि., पहाड़ी	8/92
10.	श्री कृष्णचन्द्र शर्मा	कार्या. जिशिअ. (प्रा. शि.) अलवर	कार्या. जिला परिषद अलवर	कार्या. जिशिअ (प्रा. शि.) अलवर	6/91
11.	श्रीमति सावित्री देवी दै. वे. भोगी	,,	,,	,,	6/91
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) के अधीन					
1.	एक अध्यापक	गढीसवाईराम	मुबारकपुर	गढीसवाईराम	7/91
2.	एक अध्यापक	पिनायन	अरावलीबिहार	पिनायन	
3.	एक अध्यापक	हरसाना	मोनापाड़ी	हरसाना	

—: स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप अधिशेष शिक्षकों का विवरण :—

क्र सं.	अध्यापक का नाम	मूल नियुक्त स्थान	वेतन आहरण का स्थान
1	2	3	4
1.	श्रीमती साधना शर्मा	रा. प्रा. वि. दाऊदपुर	उ. प्रा. वि. न. 5 अलवर
2.	श्रीमती लता राणो	,, सागर	,, अखैपुरा
3.	श्रीमती चन्द्रकान्ता	,, कालोमोरी, अलवर	,, नं. 3 अलवर,
4.	,, मन्जू माथुर	,, सागर, अलवर	,, रूपवास
5.	,, सरलारानी माथुर	,, सागर, अलवर	,, रूपवास
6.	,, मधुलिका	,, चावड़	,, चमेलीबाग
7.	श्री मनोहरलाल	,, तीजकी, अलवर	,, नं. 2 अलवर
8.	श्रीमती भूपेश शर्मा	,, गांधी	,, नं. 4 अलवर
9.	श्री लक्ष्मण लाल	,, गांधी	,, नं. 4 अलवर
10.	श्री बालमकुन्द पंचोली	उ. प्रा. वि. मालाखेड़ा गेट	,, ,,
11.	श्रीमती किरण देवी	,, नं. 1 अलवर	,, नोकच, रामगढ
12.	श्रीमती कोशल्या देवी	,, रूपवास, अलवर	मा. वि., कतोपुर
13.	श्री नरेन्द्र कौशिक	,, नं. 4 अलवर	,, कतोपुर
14.	श्री बद्री प्रसाद	,, नवीन अलवर	प्रा. वि., लालखान
15.	श्रीमती सरला कौर	प्रा. वि., रामगंज	,, स्कीम नं. 5 अलवर
16.	श्रीमती लक्ष्मी मुखिजा	,, रामगंज	,, स्कीम नं 5 अलवर
17	श्री भगवानदास सैनी	,, स्कीम नं. 5 अलवर	मा. वि., रायबका
18.	श्री राजेन्द्र खत्री	,, स्कीम नं. 5 अलवर	,, रायबका
19.	श्री मांगीलाल सैनी	,, निचलासीनावा	उ. प्रा. वि., खूटेटा-कला
20.	श्रीमती चन्द्रकला	,, स्कीम नं. 10 अलवर	,, वीरका
21.	श्री नवलकिशोर सैनी	,, खदाना	मा. वि. रायबका

2	3	4
22. श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता	प्रा. वि. बराई	प्रा. वि., निचलासीनावां
23. श्रीमती सैलबाला भारद्वाज	,, मोहिनीकीप्याऊ	मा. वि., देसला
24. श्रीमती माया देवी वर्मा	,, बीरबलका मौहल्ला	देसला
25. श्रीमती शारदा शर्मा	,, मालनकी गली	उ. प्रा. वि., पाटा
26. श्रीमती उमा जुनेजा	,, लालखान, अलवर	,, गहनकर
27. श्रीमती कमलेश सचदेवा	,, जोहड़ा	उ.प्रा.वि. जाटका
28. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	,, शिवाजी पार्क	उ. प्रा. वि. खिलोरा
29. श्रीमती सुमित्रा मेहन्दोरता	,, मैनपुर	उ. प्रा. वि. निकच
30. श्रीमती शोभा रस्तोगी	,, मनपुर	उ प्रा. वि. निकच
31. श्रीमती मन्जु शर्मा	,, जुगरावर	उ. प्रा. वि. पाटा
32. श्री रामानन्द सैनी	,, बुजुकी	उ. प्रा. वि. पाटा
33. श्री बाबूलाल सैनी	,, बुजुकी	उ. प्रा. वि. जातपुर
34. श्री प्रभातीलाल, शाशि.	,, सरदारपुर	उ. प्रा. वि. चावंडीकला
35. श्री श्रवण कुमार	,, चांदकी	उ. प्रा. वि. रूपबास तिजारा
36. श्री हुकुम चन्द	,, कमालपुर	उ. प्रा. वि. खलीलपुरी
37. श्री रोशन लाल शाशि	,, माचरोली	उ. प्रा. वि. मढा (तिजारा)
38. श्री पंकज कुमार	,, नारायणपुर	उ. प्रा. वि. झिरो
39. श्री रघुवीर सिंह	,, लीलागढ़	मा. वि. अजबगढ़
40. श्री बाबूलाल शाशि	,, खड़खड़ीकलां	उ. प्रा. वि. हमीरपुर
41. श्री रामनिवास	,, रूपकावास	मा. वि. चतरपुरा
42. श्री रामावतार शर्मा	,, लीलामढा	मा. वि. बसईजोहिान
43. श्री ब्रजमोहन भार्गव	,, बोलाहेड़ी	उ. प्रा. वि. तिगांवा
44. श्री जिले सिंह दायमा	,, नीलाका	मा. वि. पाटनअहीर
45. श्री रामदयाल	,, लीलपुर	उ. प्रा. वि. गुरगचका
46. श्री रूपनारायण	,, हासपुरकलां	उ. प्रा. वि. रसगण (म)
47. श्रीमती माया जोशी	,, चिकणी	उ. प्रा. वि. बोलणी

1	2	3	4
48.	श्रीमती सुशिला काटपालिया	प्रा. वि. चिकाणी	उ. प्रा. वि. पतलिया
49.	श्रीमती लाजवन्ती	,, चिकाणी	उ. प्रा. वि. बम्बोरा
50.	श्रीमती सरोज मलिक	,, चिकाणी	उ, प्रा. वि. आनन्दनगर खैरयल
51.	श्रीमती इन्दु शर्मा	,, किथूर	उ. प्रा. वि. कारोली
52.	श्रीमती बुद्धि देवी	,, ,,	,, बोलणी
53.	श्रीमति नरेन्द्र चावला	,, ,,	,, नांगलमोजिया
54.	श्रीमति गायत्री शर्मा	,, ,,	,, मसाखेडा
55.	श्री निरंजनलाल	,, चांदूकी	उ. प्रा. वि. नांगलमोजिया
56	श्री भगवतस्वरूप	,, ,,	उ. प्रा. वि. नूरनगर
57.	श्री चन्द चौधरी	,, मुण्डनवालाकलां	,, गोलावास
58.	श्री प्रभूदयाल	,, सिरखाकला	,, पलावा
59.	श्री रामकुमार जाट	,, मातोर	,, दादूवास
60.	श्री श्रीपाल	,, रानोठ	मा. वि. राजवाड़ा
61.	श्री साधुराम	,, मऊ	उ. प्रा. वि. बासनी
62.	श्री गिरधारीलाल	,, मोहम्मदपुर	,, बासनी
63.	श्री लीलाराम	,, मनपुर (मु.)	,, बासाभवाड़ा
64.	श्री राजेन्द्र	,, पलावा	,, मोलावासा
65.	श्री मातादीन	,, रड़वा	मा. वि. सिरोड़खुर्द
66.	श्री बाबूलाल	,, पलवास	,, सरायकलां
67.	श्री अशोक कुमार	,, तिनकीरूड़ी	उ.प्रा.वि. बाबदशक्तपुरा
68.	श्री मोतीलाल शर्मा	,, ऊडला	,, मोतीवाड़ा
69.	श्री महावीर प्रसाद	,, तिलवाड़ा	,, सालोली
70.	श्री चेतराम मीणा	,, धिरोड़ा	,, राजोरगढ़
71.	श्री रोशनलाल	,, भुड़ा	,, रामपुरा
72.	श्री मदनलाल	,, टहटड़ा	,, परवेणी
73.	श्री गिरिराज प्रसाद	,, देवती	,, गोरधनपुरा
74.	श्री राजेन्द्रसिंह	,, ढोकवाड़	मा. वि. कान्हावास
75.	श्री ताराचन्द गोठवाल	,, ,,	उ. प्रा. वि. उंठोला

1	2	3	4
76.	श्री दयाराम शाशि	उ. प्रा. वि. भुडियाकलां	मा. वि. गोगलाना
77.	श्री सुरेन्द्र कुमार	,, माजरा	उ. प्रा. वि दुगलकोटा
78.	श्री कर्णसिह	,, रेवाणा	,, खोहरी (बानसर)
79.	श्री साधुराम	,, ,,	मा. वि. बगडी (बानसू)
80.	श्री शिवनारायण	,, ,,	उ. प्रा. वि. बुटेरी (बानसूर)
81.	श्री बनवारीलाल	,, बेजाणा	,, तलबाना
82.	श्री साधुराम	,, रेवाणा	,, तलवाना
83	श्री छोटेलाल शर्मा	,, नगलीबलाहिर	मा. वि. कुतिना
84.	श्री अजीतसिह	,, कांकर	उ प्रा. वि. ढ ढरिया
85.	श्री अभय सिंह	,, कांकर	,, गुढवाल
86.	श्री रतीराम	,, सिलारपुर	,, फौलादपुर
87.	श्री नोतराम	,, भिलोठ	,, पदरोठ
88.	श्री फूलचन्द जोशी	,, रोड़वाल	,, मिठका (बानसूर)
89	श्री सुरेश चन्द्र	,, सांतो	मा. वि. कुतिना
90.	श्री सम्पतराम	,, खोहर	उ. प्रा. वि. कारोड़ा
91.	श्री रतीराम शाशि	,, जागुवास	,, बाटखानी
92.	श्री रामयादव	,, रामसिंहपुरा	प्रा. वि. नं. 3, बहरोड़
93	श्री भगवानसहाय	,, मौ. ह. तलवाड़	उ. प्र. वि. पहाड़ी
94	श्री सुरेशचन्द्र	,, भगवाड़ीखुर्द	,, बढवाल
95.	श्री होशियारसिंह	,, गोकुलपुर	,, पहाड़ी
96.	श्री दयाराम	,, ,,	,, जागुवास
97.	श्री भुपसिंह शाशि	,, ढढारिया	मा वि. कतोपुर (को)
98.	श्री केशवदेव शर्मा	,, बुटियाना	उ. प्रा. वि रोणपुर
99.	श्री रमेश चन्द मीणा	,, चिमरावलीगोड	,, बेरला
100.	श्री मनोहरलाल	,, दिनार	मा. वि. गंडरा
101.	श्री श्यामलाल	,, इटेड़ा	उ. प्रा. वि. गोठड़ा
102.	श्री रामदयाल	,, ,,	,, गोठड़ा
103.	श्री भगवानसहाय	,, थाहरी	,, सेमलाखुर्द

1	2	3	4
104.	श्री नैनप्रकाश	उ प्रा. वि. खुड़ियाना	उ. प्रा. वि. भिखाहेड़ी
105.	श्री चन्द्रसैन खत्री	" न्याणा	,, तिलवाड़
106.	श्री हरिओम शर्मा	" ,,	,, ,,
107.	श्री बाबूलाल शर्मा	" रामबांस	,, खेड़ामेहमद
108.	श्री जुगल किशोर	" सेदमपुर	,, टोडनगिर
109.	श्री कैलाशचन्द्र वर्मा	" सोराई	,, सेहरा
110.	श्री धर्मचन्द जैन	" सायपुरपाखर	,, भोखाहेड़ी
111.	श्री रामेश्वरदयाल	" पालेड़ा	मा. वि. झालाकाला
112.	श्री शम्भूदयाल शर्मा	" पालेड़ा	,, झालाकाला
113	श्री कल्याणसहाय शर्मा	" भगेर	,, थानपुरजाट
114.	श्री किशोर कुमार	" मेंहवाखुर्द	,, मण्डोड़ी
115.	श्रीमती उषा देवी	" महवाखुर्द	,, ,,
116.	श्री सेड़राम सैनी	" परसाकावास	उ. प्रा. वि. घाटला
117.	श्री कजोड़मल शर्मा	" लीली (ऊ)	उ. प्रा. वि. केरवाला
118.	श्री गोविन्दसहाय	" लीली (ऊ)	उ. प्रा. वि. केरवाला
119.	श्री हेमचन्द गुप्ता	मा. वि. डेहरा	,, नेथला
120.	श्रीमती सन्तोष अरोड़ा	" कलमाड़ा	मा. वि. गुरजा
121.	श्री बृजमोहन अवस्थी	उ. प्रा. वि. अरुबा	मा. वि. टोटपुरी
122.	श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता	" अरुबा	मा. वि. टोटपुरी
123.	श्री हीरालाल शर्मा	,, महतुकला	उ. प्रा. वि. टोड़ा
124.	श्री अशोक कुमार वर्मा	,, दारोदा	उ. प्रा. वि. डोरोली
125.	श्री श्रीकांत प्रसाद	,, इन्द्रावली	उ. प्रा. वि. टोडानगर
126.	श्री बाबूलाल शर्मा	,, कालवाडी	उ. प्रा. वि. बीदरका
127.	श्री बृजकिशोर गुप्ता	,, खेड़लीरेल	मा. वि. फोखर
128.	श्री महावीर प्रसाद	" ,,	,, ,,
129.	श्री अमीरचन्द शर्मा	" मसारी	उ. प्रा. वि. बीदरका
130.	श्री जगदीशप्रसाद अवस्थी	" नाटोज	,, बहरामपुर
131.	श्री रामावतार चौबदार	" सहाड़ी	उ. प्रा. वि. रेटा
132.	श्री नारायण प्रसाद	" सहाड़ी	उ. प्रा. वि. रेटा
133.	श्री यादरामसिंह	" सौखा	उ. प्रा. वि. टिगरिया
134.	श्री श्यामलाल	" सौखर	उ. प्रा. वि. दांतिया

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत स्थान

एवं छात्र संख्या का विवरण

क सं.	विद्यालय का नाम		स्वीकृत स्थान	छात्र संख्या
1	2		3	4
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं)				
1.	रा.बा प्रा.वि.,	अरावली विहार	अरावली विहार, हाऊसिंग बोर्ड	85
2.	,,	फ्रैण्डस कॉलोनी	फ्रैण्डस कॉलोनी	85
3.	,,	दाऊदपुर	दाऊदपुर	40
4.	,,	मलीकाबड़	मन्नी का बड़	259
5.	,,	शिवाजी पार्क	शिवाजी पार्क	130
6.	,,	मीनापाड़ी	मीनापाड़ी	103
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा)				
1.	रा.प्रा.वि.,	रामगंज	रामगंज	202
2.	,,	बीरबल का मोहल्ला	बीरबल का मोहल्ला	186
3.	,,	मोहिना की प्याऊ	मोहिना की प्याऊ	53
4.	,,	बराई	बराई	131
5.	,,	एन. ई. बी.	एन. ई. बी.	68
6.	,,	बलजी राठौड़ की गली	बलजी राठौड़ की गली	74
7.	,,	गांधी	जगन्नाथ मन्दिर के पीछे	47
8.	,,	सामोला	सामोला	57
9.	,,	हीरावास	हीरावास	72
10.	,,	अरावली विहार	अरावली विहार	58
11.	,,	फेमलीलाईन	फेमलीलाईन	79
12.	,,	चावड़	चावड़	122
13.	,,	धोबी घाट	धोबी घाट	115
14.	,,	प्रताप नगर (हा.बो.)	प्रताप नगर (हा. बो.)	43

1		2	3	4
15.	रा प्रा.वि.	कोठी दशहरा	कोठी दशहरा	83
16.	,,	तीज की रोड	तीज की रोड	112
17.	,,	मालण की गली	मालण की गली	101
18.	,,	फूदनपुरी	फूदनपुरी	108
19.	,,	काली मोरी	काली मोरी	108
20.	,,	मेहन्दी बाग	मेहन्दी बाग	168
21.	,,	शिकारीवास	शिकारीवास	139
22.	,,	स्कीम नं. 5	स्कीम नं. 5	35
23.	,,	सागर	सागर	131
24.	,,	दाऊदपुर	दाऊदपुर	146
25.	,,	शिवाजी पार्क	शिवाजी पार्क	16
26.	,,	ब्रह्मचारी	ब्रह्मचारी	56
27.	,,	मंगल विहार	मंगल विहार	24
28.	,,	नायकपाडी	नायकपाडी	115
29.	,,	रेल्वे स्टेशन	रेल्वे स्टेशन	162
30.	,,	स्कीम नं. 10	स्कीम नं. 10	28
31.	,,	मिचला सोनावा	मिचला सोनावा	22
32.	,,	लालखान	लालखान	16
33.	,,	जोहड़ा	जोहड़ा	17
34.	,,	मालवीय नगर	मालवीय नगर	18
35.	,,	खास	खास	86
36.	,,	आर्य नगर	आर्य नगर	12
37.	,,	जुबलीवास	जुबलीवास	169
38.	,,	रावण देहरा	रावण देहरा	28
39.	,,	खदाना	खदाना	20
40.	,,	साउथवेस्ट ब्लॉक	साऊथवेस्ट ब्लॉक	35
41.	,,	साहबजोहड़ा	साहबजोहड़ा	32
42.	,,	स्कीम नं. 4	स्कीम नं. 4	25
43.	,,	स्कीम नं. 2	स्कीम नं. 2	50

स्वीकृत स्थानों के बजाय अन्य स्थानों पर चलने वाले विद्यालयों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत स्थान के बजाय अन्य स्थानों पर लगने वाले विद्यालय का स्थान
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा)		
1.	रा.प्रा.वि., सागर	हाऊसिंग बोर्ड काला-कुओं में सरकारी क्वार्टर में।
2.	,, आर्य नगर	खदान स्कूल के भवन में।
3.	,, मालवीय नगर	जगन्नाथजी का मन्दिर, रूपवास
4.	,, मोहिना की प्याऊ	स्थानीय नसियांजी जैन मन्दिर
5.	,, स्कीम नं. 2	साठ फुट रोड पर पेड के नीचे
6.	,, स्कीम नं. 5	स्कीम नं. 7 में सरकारी पार्क के वृक्षों के नीचे
7.	,, मंगल विहार	स्कीम नं. 5 में जंगलात नर्सरी में पेड़ के नीचे
8.	,, बलजी राठौड़ की गली	मुन्शी बाग में वृक्षों के नीचे
9.	,, बीरबल का मोहल्ला	मालाखेड़ा गेट, अलवर मिडिल स्कूल के भवन में.
10.	,, गांधी	नवीन उ.प्रा.वि, अलवर के भवन में
11.	,, सराई	धोबीघाट के तिबारे में
12.	,, साऊथ वेस्ट ब्लॉक	रा.प्रा.वि, अरावली विहार के भवन में
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)		
1.	रा.बा.प्रा.वि., फ्रेण्डस कॉलोनी, अलवर	कालीमोरी फ्रेण्डस कॉलोनी रा. प्रा. वि. में लगती हैं। एक कमरा भी मिला है। पेड़ के नीचे भी कक्षा लगती है।
2.	,, दाऊदपुर	पेड़ के नीचे लगता है। दाऊदपुर मेंहदी
3.	,, मन्नी का बड़	रा. बा. प्रा. वि. मन्नी का बड़ के भवन में ही लगता है।
4.	,, शिवाजी पार्क	शिवाजी पार्क में ही पेड के नीचे एवं मन्दि लगता हैं।

परिशिष्ट — 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची

राजकीय उपक्रम की सूची

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल
2.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
3.	राजस्थान वित्त निगम
4.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम
5.	राजस्थान आवासन मंडल
6.	राजस्थान भूमि विकास निगम
7.	राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड
8.	दि गंगानगर शुगर मिल्स लि.
9.	दि राजस्थान स्टेट टैनरीज लि.
10.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि.
11.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.
12.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि.
13.	दि राजस्थान लघु उद्योग निगम लि.
14.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि.
15.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि.
16.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि.
17.	राजस्थान राज्य बीज निगम लि.
18.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि.
19.	राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लि.
20.	राजस्थान राज्य जल संसाधन विकास निगम लि.
21.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि.
22.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि.
23.	राजस्थान राज्य टंग्स्टन विकास निगम लि.

24. राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लि.
25. राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि.
26. राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ लि.
27. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि.
28. राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन संघ लि.
29. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.
30. राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ लि.
31. राजस्थान राज्य सहकारी हाऊसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि.
32. श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन
33. राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
34. गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. गंगापुर (भीलवाड़ा)
35. गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़
36. श्रीगंगानगर सहकारी आयल सीड प्रोसेसिंग मिल्स लि. गजसिंहपुर
37. राजस्थान राज्य सहकारी तिलम संघ लि.
38. राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाईड फैक्टरी)
39. राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स)
40. राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना
41. राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

**राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, द्वारा गत [redacted]
में खोली गई नई इकाईयां एवं बन्द की ग[redacted]**

सूची

1. **नई इकाइयां खोली गई**

   1. होटल ह[illegible], फतेहपुर ।
   2. होटल चन्द्रावती, झालावाड़ ।
   3. फास्टफूड सेन्टर, बहरोड़ ।

बन्द की गई इकाइयां

1. मोटल, गुलाबपुरा ।
2. झील, रामगढ़ ।
3. विश्राम गृह जयसमन्द ।

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची

क्रम संख्या	नाम जिला	खोले गये प्रा. वि. की संख्या वर्ष 92–93
1	2	3
1.	अजमेर	5
2.	अलवर	27
3.	बांसवाडा	103
4.	बाडमेर	18
5.	भरतपुर	4
6.	भीलवाडा	18
7.	बीकानेर	5
8.	बूंदी	10
9.	बांरा	3
10.	चित्तोडगढ	18
11.	चुरू	7
12.	धोलपुर	5
13.	डूंगरपुर	26
14.	दौसा	25
15.	श्रीगंगानगर	26
16.	जयपुर	75
17.	जैसलमेर	4
18.	जालौर	8

1	2	3
19.	झालावाड	90
20.	झुंझनूं	1
21.	जोधपुर	5
22.	कोटा	11
23.	नागौर	15
24.	पाली	15
25.	राजसमंद	17
26.	सवाईमाधोपुर	17
27.	सीकर	3
28.	सिरोही	—
29.	टोंक	6
30.	उदयपुर	56
	योग–	623